खण्ड-396, अंक-10
बुधवार, 6 आषाढ़, शक संवत् 1912
(27 जून, 1990 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(दसवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 1990)

खण्ड 396 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1990

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय–सूची

विषय	पृष्ठ सख्या
उपस्थित सदस्य	
प्रश्नोत्तर (जारी)	
तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा की मांग----------(स्वीकृत)	
प्रश्नोत्तर-	1–113
जनपद खीरी की कोतवाली ग्वारी फन्टा पुलिस द्वारा व्यापारियों को उत्पीड़ित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114
जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र में प्राक्कलन के विपरीत विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	115
जनपद वाराणसी में पत्रकार कालोनी के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	116
जनपद फैजाबाद के अकबरपुर जलालपुर आदि क्षेत्रों में ओला वृष्टि से हुई भयंकर क्षति से पीड़ित लोगों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद सुलतानपुर के अमेठी क्षेत्र में 33 के0 वी0 विधुत उपकेन्द्र स्थापित न किए जाने से उत्पन्न जनअसन्तोष सम्बन्ध के में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद अलीगढ़ में यमुना किनारे स्थित समस्तपुर धरवरा आदि ग्रामों को बाढ़ व पानी के कटाव से बचाने हेतु आवश्यक अवरोध पट्टियां निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 30 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद बुलन्दशहर के माढ़ आश्रम ग्राम मवाई पर गंगा नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	120
सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये नियमावली की प्रक्रिया को लागू किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	121
औचित्य के प्रश्नो की सूचनाये	122
भवनहीन प्राईमरी स्कूलों के खोले जाने के सम्बन्ध में मुख्म मंत्री के बजट भाषण एवं शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर मे विरोधाभास होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न...	124
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1990 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 1990 (पटल पर रक्खा गया)	125
कार्य मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत)	126

विषय-सूची

विषय	
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	129
श्री इम्तीयाज मोहम्मद खां द्वारा अपनी सूचना को सुने जाने के अनुरोध पर नियम 56 के अन्तर्गत श्री अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के आधार पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	138
वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्यय की मांगों पर चर्चा और मतदान अनुदान संख्या-23 खेल विभाग, अनुदान संख्या 54- वन विभाग (स्वीकृत)	139
उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1990 (पारित)	191
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक 1990 (पारित)	193
प्रदेश के माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं विनियमित करने हेतु विधिक कार्यवाही नकिय जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा	194
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	206
दिनांक 15 जून, 1990 को मरूधर एक्सप्रेस में विधायक श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप से रायफल धारी सिपाही द्वारा अभद्र व्यवहार एवं उनकी ओर रायफल तान देने के सम्बन्ध में नियोजन मंत्री का वक्तव्य	206
परिशिष्टियां	209

विधानसभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान-सभा

बुद्धवार, दिनांक 27 जून 1990

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप लखनऊ, में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :---

अनिल कुमार भारद्वाज, श्री	रामपुर
अरविन्द कुमार, श्री	ललितपुर
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा
अशोक कुमार, श्री	बिजनौर
अशोक पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
ओम प्रकाश गुप्ता, श्री	सीतापुर
करन चन्द्र सिंह, श्री	नैनीताल
काजी मो0 मोहिउद्दीन, श्री	हरिद्वार
किशन गोपाल, श्री	आगरा
कुंवर रेवती रमण सिंह उर्फ मणि जी, श्री	इलाहाबाद
केदार नाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
गंगाभक्त सिंह, श्री	हरदोई
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा
गोपाल रामदास, श्री	अल्मोड़ा
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराज गौतम, श्री	सुल्तानपुर
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
निहाला सिंह, श्री	वाराणसी
पेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी, श्री	सिद्धार्थनगर
बदन सिंह, श्री	आगरा
बहादुर सिंह, श्री	आगरा
मण्डलेश्वर, श्री	आगरा
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मो0 अमलम खां, श्री	सहारनपुर
रवीन्द्र राघव उर्फ पप्पन, श्री	बुलन्दशहर
राजा मो0 अमीर मो0 खां, श्री	सीतापुर
राजेश्वर बंसल, श्री	मुजफ्फरनगर
रामकरन आर्य, श्री	बस्ती
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
रामपाल सिंह, एडवोकेट	गोण्डा
राम वचन धुसिया, श्री	बलिया
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
राम सिंह सैनी, श्री	हरिद्वार
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रेशमा आरिफ, श्रीमती	कानपुर
विजय लक्ष्मी, श्रीमती	बलिया
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	एटा
वीरेन्द्र सिंह, श्री	हरिद्वार
शारदा प्रसाद रावत, श्री	गोरखपुर
शिव बहादुर सक्सेना, श्री	रामपुर
सन्तोष कुमारी पाठक, श्रीमती	बदायूं
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सुबास, श्री	मऊ
हनमन्त सिंह, श्री	गोण्डा
हर नारायण सिंह श्री	रायबरेली
हर फल सिंह,	सहारनपुर
हरिवंश कपूर, श्री	देहरादून

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने की कार्यवाही एवं भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्यों पर अतिरिक्त धन देने की मांग ।

****1–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने की दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है और प्रदेश में किसानों को गेहूं का मूल्य 250 रुपया प्रति क्विन्टल की दर से देने हेतु क्या सरकार भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त धन बोनस के रूप में देने की घोषणा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)

प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु कृषि लागत और मूल्य आयोग भारत सरकार को संस्तुतियां यथासमय भेज दी गयी हैं । जी नहीं ।

राज्य सरकार के सीमित आर्थिक संसाधनों को देखते हुए किसानों को गेहूं खरीद पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर अतिरिक्त बोनस दिया जाना संभव न होगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से दो बातें जानना चाहता हूं, पहली यह कि पिछले डेढ़ दशक में सोने के दामों में कई गुना वृद्धि हुई है और इसी प्रकार कारखाने में बने माल की भी उसी अनुपात में वृद्धि हुई है लेकिन गेहूं के मूल्य में केवल ढाई से तीन गुना ही वृद्धि हुई है । तो क्या सरकार इसको ध्यान में रखते हुए अगले वर्ष के लिए गेहूं का समर्थन मूल्य 250 रुपये करने की संस्तुति भारत सरकार से करेगी ? दूसरा प्रश्न यह है कि इस सरकार ने जो अपनी संस्तुति भारत सरकार को भेजी है वह क्या है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, 1988-89 में गेहूं का मूल्य 160 रुपया था इसके बाद 1989-90 में 185 रहा, और अब इस वर्ष यह मूल्य 205 रुपया है । जहां तक इस मूल्य के निर्धारण का प्रश्न है, यह भारत सरकार ही निर्धारित करती है, प्रदेशीय सरकार नहीं करती ।

(अवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मैंने यह पूछा है कि इस सरकार ने भारत सरकार को क्या संस्तुति भेजी थी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

संस्तुति यह की थी कि गेहूं का मूल्य बढ़ा दिया जाये ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

क्या सरकार को यह जानकारी है कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय ने भी सारी चीजों का आंकलन कर गेहूं का लागत मूल्य 251 रुपया प्रति क्विन्टल निर्धारित किया था ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री जी इस लागत मूल्य को ध्यान में रखते हुए किसानों को गेहूं का लाभकारी मूल्य दिलाने की सिफारिश भारत सरकार से करेंगे ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, गेहूं के मूल्य निर्धारण का कार्य भारत सरकार का है, प्रदेशीय सरकार तो केवल संस्तुति कर सकती है ।

इस संबंध में मान्यवर, केन्द्र सरकार ने एक समिति का भी गठन किया है और इस समय यह समिति लखनऊ आई हुई है । इसके अध्यक्ष डा0 सी0 एच0 हनमंतराव है और डा0 एस0 पी0 पंत, डा0 डी0 एस0 एस0 सिद्ध, डा0 प्रेमनारायण और बी0 राजगोपालन सदस्य हैं । यह समिति इसी सरकार ने गठित की है ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (वाराणसी)–

क्या कृषि मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 1970-71 की कीमतों के सूचकांक के आधार पर इस समय औद्योगिक उत्पादन जितने भी हैं उनके दाम 5 गने से लेकर 12 गने तक बढ़े हैं जब कि खेती से पैदा होने वाली चीजों के दाम किसान के स्तर पर दो गने और ढाई गने हैं और बाजार स्तर पर तीन गने तक बढ़े हैं । इसको दृष्टिगत रखते हुए कि खेतिहर अपनी खेती में इस्तेमाल होने वाली चीजों को मंहगा खरीदते हैं । तो क्या 1970-71 को आधार मानते हुए जो भानप्रताप सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी उसकी संस्तुतियां भी 1970-71 को आधार मानकर आई हैं । तो उसको ध्यान में रखते हुए गेहूं के दाम उस आधार पर बढ़ाने के लिए संस्तुति केन्द्र को भेजने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

अवश्य भेजेंगे ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, पिछले वर्ष जब गेहूं का खरीद मूल्य निर्धारित हुआ था और इस समय जो गेहूं का खरीद मूल्य निर्धारित है इस बीच तमाम औद्योगिक सामान के दामों में कितनी वृद्धि हुई है और उस अनुपात में गेहूं के मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसके लिए सूचना की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री पंचानन राय–

मान्यवर, मेरे सवाल के दो हिस्से हैं एक तो गेहूं के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तो इसके लिए मंचमा की क्या आवश्यकता है और दूसरा मैंने पूछा था कि औद्योगिक सामान के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसको भी वह बता सकते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं आया ।)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, मेरा एक निवेदन सुन लें कि प्रश्नों के उत्तर जरूर दिलवा दें । माननीय मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि किसानों की उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कृषि मंत्रालय भारत सरकार को संस्तुतियां यथासमय भेज दी गयी है । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह संस्तुतियां कब भेजी गयी दूसरा यह कि किस चीज के क्या दाम दिलाने की संस्तुति केन्द्र सरकार को भेजी गयी है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

दिसम्बर 1989 में भेजी है ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

मेरा प्रश्न यह है कि किस अनाज के बारे में कितना दाम दिलाने की संस्तुति की गयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, संस्तुति यही की जाती है कि मूल्यों में वृद्धि की जाय (व्यवधान) जवाब पूरा सुन लीजिए आपको बाद में पूरा अधिकार होगा प्रश्न करने का । केन्द्र सरकार को मूल्यों का निर्धारण करना होता है प्रदेश सरकार तो केवल संस्तुति भेजती है । इसी लिए मैंने पहले सूची में बताया कि जिस रेंशियो में पहले मूल्य बढ़ते रहे हैं उससे कहीं ज्यादा इस सरकार ने वृद्धि की है ।

श्री उपाध्यक्ष–

संस्तुति कब भेजी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं पहले बता चुका हूं दिसम्बर 89 में भेजी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने बजट भाषण में स्वीकार किया है कि पिछले दशक में कृषि पर आधारित राष्ट्रीय आय में 10 प्रतिशत गिरावट आयी है और उन्होंने इस स्तर को

बढ़ाने का संकल्प लिया है और यह तभी पूरा होगा जब कृषकों की आय में वृद्धि होगी और उसको फलल का लाभकारी मूल्य मिले । वृद्धि तो की गयी लेकिन हम जानना चाहते हैं कि क्या रेट यहां से भेजा गया है ?

दूसरा प्रश्न है कि मुख्य मंत्री अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सदन के बाहर घोषणा किया कि खरीफ मूल्य जो केन्द्र सरकार द्वारा घोषित है उस पर बोनस दिया जायेगा और रेट भी घोषित कर दिया लेकिन आज कहा है कि अतिरिक्त बोनस देना संभव नहीं है ? तो यह विसंगति क्यों है, क्या सही है ?

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, पहले समर्थन मूल्य की सूचना नहीं थी कि कितना मूल्य बढ़ेगा । पहले से मूल्य बढ़ा है और ज्यादा बढ़ा है । मान्यवर, बोनस के संबंध में सभी मा0 सदस्य जानते हैं कि सीमित संसाधन को देखते हुए अभी यह संभव नहीं है ।

उ0 प्र0 में पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को 'संघ' बनाने की अनुमति प्रदान करने की मांग ।

****2–श्री अतीक अहमद तथा श्री मंजूर अहमद**

**2–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा तथा प्रादेशिक पुलिस सेवा (राजपत्रित अधिकारियों) के संघ को, शासन द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो पुलिस विभाग के अराजपत्रित कर्मचारियों को संघ बनाने की अनुमति प्रदान किए जाने में शासन को क्या कठिनाई है ?

नियोजन एवं कारागार मंत्री (श्री शतरुद्र प्रकाश)–

जी हां ।

पुलिस फोर्सेज (रिस्ट्रिक्शन आफ राइट्स) एक्ट 1966, को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा सरकारी अधिसूचना संख्या-1327/आठ-1-138-66 दिनांक 28-3-1973 द्वारा ग्रहण किया गया है । पुलिस विभाग के किसी अराजपत्रित कर्मचारी संघ को मान्यता नहीं दी गयी है । शासनादेश संख्या-1557/आठ-1-29/73, दिनांक 23-4-1973 द्वारा पुलिस अराजपत्रित कर्मियों का एक नया संगठन गठित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही के लिए तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, उ0 प्र0 को लिखा गया था किन्तु विचारोपरान्त पुलिस बल में किसी यूनियन अथवा एसोशियेशन को गठित करना उचित नहीं पाया गया ।

श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, शासन ने जो पत्र महानिरीक्षक को भेजा है उसको क्या सदन के पटल पर मंत्री जी रखेंगे ? दूसरा प्रश्न समानता के आधार पर अराजपत्रित कर्मचारियों के संघ को मान्यता नहीं दी गयी तो क्या मंत्री जी समानता के आधार पर पुलिस संघ की मान्यता को समाप्त करेंगे ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो आई0 पी0 एस0 और पी0 पी0 एस0 के संघ बने हैं उनकी मान्यता को समाप्त करने का कोई प्रश्न नहीं है ।

श्री अतीक अहमद–

समता के आधार पर क्या यह उचित है कि राजपत्रित को मान्यता दी जाये और अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों के संघ को मान्यता न दी जाये ? मंत्री जी को क्या जानकारी है कि राजपत्रित पुलिस के अधिकारी अराजपत्रित पुलिस कर्मचारियों, छोटे कर्मचारियों से निजी काम लेते हैं और उनका शोषण करते हैं ?

श्री शत्रुघ्न प्रकाश–

मान्यवर, जो भारतीय पुलिस सेवा संघ का प्रश्न है, यह 1938 से बना हुआ है और जो उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा संघ का अधिकार है, यह उनका संघ 1924 या 1930 के आसपास का है । निश्चित समय तो नहीं मालूम, लेकिन काफी अर्से पहले का बना हुआ है । अब इस समय किसी संघ को मान्यता देने का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि इस समय सबसे पहले प्रदेश के आम आदमी को सुरक्षा प्रदान करने का और शान्ति व्यवस्था बनाए रखने का है । इसलिए आज की परिस्थिति में किसी नये संघ को मान्यता देने का कोई प्रश्न विचाराधीन नहीं है । लेकिन यदि किसी पुलिस कर्मी के साथ अधिकारियों का कोई दुर्व्यवहार होता है या उसके साथ पक्षपात पूर्ण या सौतेला व्यवहार होता है और उसकी शिकायत माननीय सदस्य के पास है तो उसे वह मेरे पास भेज दें, मैं उसको दिखवा लूंगा ।

श्री रवीन्द्र शुक्ला–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो पत्र महानिरीक्षक को लिखा गया है क्या क्या है ? और महानिरीक्षक की क्या टिप्पणी है ?

(उत्तर नहीं दिलाया गया ।)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से यह जानकारी प्राप्त करना चाहूंगा कि जब राजपत्रित पुलिस संघ को मान्यता दे दी गई है तो अराजपत्रित पुलिस कर्मचारी संघ को मान्यता देने की मांग विभिन्न कारणों से समय-समय पर उठती रही है, उसको मान्यता न देने का क्या कारण है ? यह बात भी सही है कि पुलिस कर्मियों की संख्या वर्तमान समय में बढ़ जाने के कारण उनके सामने बहुत सी समस्याएं हैं, जिनका शासन द्वारा समाधान नहीं हुआ है, तो वे अपनी न्यायोचित मांगों को अपने संघ के माध्यम से उठा सकें, इसलिए इस प्रश्न पर क्या शासन पुनः विचार करेगा ? कि इनके संघ को मान्यता दे दी जाए ?

श्री शत्रुघ्न प्रकाश–

इसके लिए नियमानुसार विभिन्न इकाइयां और संस्थाएं हैं । इसलिए यह आशय निकालना कि किसी भी कर्मचारी को नियमतः अपनी बात कहने के लिए कोई मंच नहीं है, सही नहीं है । उन्हें न्यायालय, कोर्ट, न्यायाधिकरण और ट्रब्यूनल तक पहुंचने की पूरी सुविधा है । और मान्यवर, प्रमोद तिवारी जानते हैं, उनकी सरकार के समय 1973 में इस तरह की बात बहुत सशक्त रूप से सामने आई थी और यह बात भी उनके सामने आई थी कि जनहित में ऐसे संगठनों को मान्यता देना उचित नहीं है । और आज परिस्थिति तो और भी गम्भीर हो गई है । इस समय तत्काल इसमें सरकार की तरफ से मान्यता देना न उचित होगा न जनहित में ही समीचीन होगा ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

पुलिस कर्मियों की यह लड़ाई बड़ी पुरानी है और उनकी इस लड़ाई को एक समय माननीय मंत्री जी भी लड़ते रहे हैं । तो इसकी आवश्यकता और बलवती मांग को देखते

हुए तथा इस चीज को देखते हुए कि वह भी इसके पक्षधर रहकर उनकी लड़ाई लड़े हैं, क्या वह इस बात का आश्वासन देंगे कि न केवल पुलिसकर्मी, बल्कि प्रदेश के जो भी लोग अपना संघ बनाना चाहें, जो उनका मौलिक अधिकार है, इसकी उनको इजाजत दी जाएगी और खासकर पुलिसकर्मियों को जिनकी हमने बहुत लड़ाई लड़ी है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

इस समय और 1973 की परिस्थितियों में बहुत अन्तर आ गया है और आजकल आए दिन उनके खिलाफ शिकायतें सुनने को मिलती हैं और यहां तक कि पुलिस सिपाही विधायक तक को ट्रेन में नहीं बैठने दे रहे हैं, तो इस समय माननीय सदस्यों को यह प्रयास करना चाहिये कि जो उनका आतंक हो रहा है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाए, वह इसके सम्बन्ध में हमको सुझाव दें ताकि उसको ठीक किया जा सके ।

श्री प्रमोद कुमार–

सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि पुलिस कर्मियों के आतंक के कारण जन-साधारण और विधायकों तक की यात्रा करने में कठिनाई महसूस हो रही है, तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे उनकी सुविधाएं मुहैया कराने के प्रश्न पर जब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी ने उसका विरोध किया था, तो आपके नेता चौधरी चरण सिंह ने उसका समर्थन किया था------(व्यवधान) ऐसा क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1973 में श्री प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी में नहीं थे समाजवादी पार्टी में थे । इतिहास की जानकारी कर लें तो पिछले 15 साल में कभी चौ0 चरण सिंह साहब ने इस तरह की मांग का समर्थन नहीं किया । श्री कमलापति त्रिपाठी जी ने क्या किया, हम इस पर विवेचना नहीं कर रहे हैं । तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कमलापति जी को इसी सवाल पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था । आज यहां इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि यह मांग न तो जनहित में है और न ही जनता की समस्याओं को सुलझाने की ओर कोई दिशा ही दे रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपके अब इस प्रश्न का समय समाप्त हो गया ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न

सरकार द्वारा कुछ निगमों को निजी उद्योगपतियों को बेचे जाने का निर्णय विषयक वस्तुस्थिति की जानकारी देने की मांग ।

*1-
श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त,
श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल,
श्री रविदास मेहरोत्रा,
श्री कुंवर सिंह नेगी,
श्री विमल प्रसाद तिवारी,
श्री राम लखन वर्मा
श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह

*क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कुछ निगमों को निजी उदयोगपतियों को बेच दिये जाने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति क्या है ?

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री दिवाकर विक्रम सिंह)---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजेंद्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है । इस पर आपका संरक्षण प्राप्त होना आवश्यक है । मान्यवर, हमने केवल यह जानना चाहा था कि सरकार द्वारा कुछ निगमों को निजी उद्योगपतियों को बेच दिए जाने का निर्णय लिया गया है । मंत्री जी ने कहा कि सूचना एकत्र की जा रही है, तो यह सूचना तो टेलीफोन से भी एकत्र की जा सकती थी । मान्यवर, यदि सूचना एकत्र की जा रही है तो किस बात की सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, निर्णय लिया गया था या नहीं, यदि लिया गया है तो कौन-कौन से निगमों के उद्योगपतियों को बेच दिये जाने का निर्णय लिया गया है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

आप प्रश्न देख लें । किसी विशेष निगम की बात तो नहीं पूछी गयी थी । सरकार ने कुछ निगमों को उदयोगपतियों को बेचने का निर्णय लिया है । जितने भी निगम हैं, वह विभिन्न विभागों से संबंधित हैं । हर विभाग से अलग-अलग सूचना मंगानी पड़ेगी । इसके लिये कोई ब्लैंकेट रूल नहीं बनाया जा सकता है । सारे निगम हम बन्द नहीं कर देंगे, केवल जो निगम निरन्तर घाटा दे रहे हैं उनको बन्द करने पर समय-समय पर विचार किया जा रहा है । कुछ विभागों से अभी सूचना आ गयी है, और कुछ से अभी नहीं आयी है । 15 दिन के अन्दर पुनः यह प्रश्न सदन में आ जायेगा.

तब तक हर निगम के बारे में पूरी सूचना उपलब्ध करा देंगे । सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो इनको देख रहा है । समस्त विभागों से सूचना एकत्र करके हम उपलब्ध करा देंगे ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव---

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

स्थगित तो यह हो ही गया, जब सूचना एकत्र नहीं हो पायी है ।

श्री रौनक्वास मेहरोत्रा---

मान्यवर, 8 लाख कर्मचारी विभिन्न निगमों में कार्य कर रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से निगम घाटे में चल रहे हैं और सूचना किस बात की एकत्र की जा रही है । किन किस निगमों को उद्योगपतियों को बेचने का निर्णय लिया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष---

आपका प्रश्न इससे संबंधित नहीं है । मैं उत्तर के लिये माननीय मंत्री जी को नहीं कहूंगा ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह---

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सूचना कब तक एकत्रित हो जायेगी?

श्री दिवाकर विक्रम सिंह---

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि सूचना एकत्रित की जा रही है । 15 दिन के अंदर स्वत: ही इसका उत्तर आ जायगा ।

(अनेक मा0 सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने यह प्रश्न स्थगित कर दिया है, कृपया बैठ जायं ।

सरकार द्वारा राजनेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था पर होने वाले व्यय का विवरण

***2—श्री राजधारी तथा**
श्री ओम प्रकाश गुप्त

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा कितने राज नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं आदि की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था की गयी है ? उक्त व्यवस्था हेतु सरकार को प्रतिवर्ष कितना अतिरिक्त अर्थभार वहन करना पड़ रहा है ? क्या सरकार इस कार्यवाही को लोकहित में सीमित करने के लिये आवश्यक कदम उठाने पर विचार करेगी ?

श्री शतरूद्र प्रकाश

उपलब्ध सूचना के अनुसार सरकार द्वारा 1,052 राजनैतिक नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं की सुरक्षा हेतु सुरक्षा गार्डों की व्यवस्था की गयी है । सुरक्षागार्ड्स की जो व्यवस्था की गयी है उसमें 27 सशस्त्र गार्डें, 267 गनर तथा 810 शैडों सम्मिलित हैं।

उक्त व्यवस्था हेतु सरकार को प्रतिवर्ष लगभग रु--2,61,69,500-00 का व्ययभार वहन करना पड़ रहा है ।

सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था को सीमित करने हेतु कदम उठाये गये हैं और भविष्य में भी आवश्यकतानुसार इस विषय पर शासन विचार करेगा ।

श्री राजधारी

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि समाज में सदाचार को प्रोत्साहन देने के लिये क्या सजायाफ्ता और अपराधी लोगों जिनके पास सुरक्षा गार्ड्स हैं उनसे सुरक्षा गार्ड्स वापस लेने की कृपा करेंगे । दूसरा प्रश्न यह है कि सुरक्षा गार्ड कायम करने में सरकार के मानक क्या है ?

श्री शतरूद्र प्रकाश

मान्यवर, जब जनता दल की सरकार 5 सितम्बर को बनी तो 8 दिसंबर को मुख्य मंत्री जी ने एक आदेश जारी किया कि जो वर्तमान मंत्री हैं, विधायकगण हैं, सांसद हैं, भूतपूर्व मंत्री हैं, भूतपूर्व सांसद विधायक हैं, तथा जिला परिषद् के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य तथा नगर पालिका और नगर महा पालिका, टाउन एरिया के अध्यक्ष और सदस्य हैं तथा अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक हैं और ब्लाक प्रमुख यह 6 श्रेणियां बनायी हैं और इन 6 श्रेणियों के राजनीतिक, सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं केवल उनके पास सुरक्षा के आधार पर गनर, शैडो आदि की राज्य की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की गयी है । इनके अलावा जो अन्य लोग थे उन सारे लोगों से सुरक्षा के नाम पर गनर, शैडो आदि को वापस ले लिया गया है । इस तरह से 518 व्यक्तियों को जो सुरक्षा प्रदान की गयी है विभिन्न

गनर, शैडिज के बारे उन पर 1 करोड़ 31 लाख, 82 हजार, बहत्तर रुपये का खर्च है । इसके अलावा 1052 में 534 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको गुणदोष के आधार पर आवेदन देने पर जांच कराने के बाद उनकी सुरक्षा प्रबंध किये गये हैं ।

श्री शैलेन्द्र कुमार---

मान्यवर, कांग्रेस सरकार के समय में, जैसा कि अभी माननीय मंत्री जी ने बताया एक जी0 ओ0 के बारे में, तो उसके तहत मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ब्लाक प्रमुख, टाउन एरिया के चैयरमैन और जिला परिषद के सदस्यों को सुरक्षा गार्ड मैंने दिलवाया था लेकिन इस जी0 ओ0 के तहत उनके सुरक्षा गार्ड वापस ले लिये गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष– आप प्रश्न कीजिये ।

श्री शैलेन्द्र कुमार---

तो क्या मान्यवर, इस जी0 ओ0 के तहत, जिला परिषद के सदस्यों, ब्लाक प्रमुखों और टाउन एरिया के चैयरमैनों को सुरक्षा गार्ड पुनः दिलवाने की कृपा करेंगे। यदि नहीं तो इसका क्या कारण है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, 6 श्रेणियों के लिये सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था की गई है । यदि उनमें से किसी को यह सुविधा नहीं मिली है और वह आवेदन-पत्र देंगे, तो निश्चित रूप से उन्हें सुरक्षा गार्ड दिए जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजधारी–

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संबंध में मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि जो अपराध प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों को सुरक्षा गार्ड आपने उपलब्ध करा रखा है, उनसे सुरक्षा गार्ड कब तक वापस ले रहे हैं ? मान्यवर, हमें स्पष्ट उत्तर दिलाने की कृपा करें ?

श्री शतरुद्र प्रकाश

मान्यवर, सरकार की मंशा अपराधियों को सुरक्षा प्रदान करने की नहीं है, बल्कि अपराधियों से समाज की सुरक्षा प्रदान करने की है । मान्यवर, इस पर विचार कर लिया जाएगा और किसी भी तरह से ऐसे लोगों को सुरक्षा गार्ड नहीं दिए जायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राजधारी–

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी का उत्तर स्पष्ट नहीं हुआ ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद

मान्यवर, सरकार की जिम्मेदारी होती है जनजीवन की सुरक्षा प्रदान करना । मान्यवर, जिन लोगों की जिले में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, चाहे वह किसी भी कारण से व्यवस्था न हो, और जिलाधिकारी और एस0 पी0 दोनों ने उनको सुरक्षा गार्ड देने के लिए संस्तुति की है, क्या माननीय मन्त्री जी उन लोगों को गनर या शैडो प्रदान करेंगे ? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से यह भी पूछना चाहता हूं कि जिनकें राजनैतिक आधार पर शैडो प्रदान कर दिया गया है, उनको वापस लेंगे ?

(व्यवधान)

श्री शतरूद्र प्रकाश–

मान्यवर, गुण-दोष के आधार पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा प्रदान की जाएगी ।

(व्यवधान)

श्री मुईद अहमद

मान्यवर, यह गोल-मोल जवाब है । मान्यवर, मैंने क्लीयर पूछा था कि डी0 एम0 और एस0 पी0 ने जिनके लिए संस्तुति की है, उनको सुरक्षा गार्ड प्रदान करेंगे ?

(व्यवधान)

डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

मान्यवर, इधर भी देखें । हमको भी मौका दें ।

(व्यवधान)

श्री रघुवर दयाल धर्मा

मान्यवर, जिन 6 श्रेणियों के लोगों को माननीय मन्त्री जी ने गिनाया, और उसके अलावा जिन लोगों को इन्होंने सुरक्षा गार्ड दिए हैं, उनमें से कितने व्यक्ति सजायाफ्ता हैं । क्या माननीय मन्त्री जी उनसे सुरक्षा गार्ड या शैडो जो भी उन्हें दिए गए हैं, उनको वापस लेने की कृपा करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री शतरूद्र प्रकाश

मान्यवर, अपराधी जानकर किसी को सुरक्षा गार्ड नहीं दिए गए हैं । मान्यवर, इस तरह का शासनादेश जारी करने के पीछे मंशा यही थी कि 8 दिसम्बर, 1989 के

पहले प्रदेश में ऐसे तमाम लोगों को सुरक्षा कर्मी दे दिए गए थे जिनका अपराधिक इतिहास था और बहुत से लोग ऐसे थे जिनको जरूरत नहीं थी, खाली राजनीतिक आधार पर दे दिया गया था, इसलिए ऐसा शासनादेश किया गया । अगर शासन के पास ऐसी जानकारी आएगी कि अपराधी किस्म के हैं तो उस पर पुनः विचार किया जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री लटूरी सिंह–

मान्यवर, जनपद एटा में मेरे ऊपर कई बार प्राणघातक हमला हो चुका है और देवेन्द्र सिंह, अनिल कुमार सिंह के पास और मेरे पास एक गनर है । (व्यवधान) मेरा बात खामोशी से सुनिये । मान्यवर, अनिल कुमार के पास एक गनर है लेकिन यहां से शासन से देवेन्द्र कुमार और अनिल कुमार के लिए आदेश दिया जा चुका है कि इनका गनर तोड़कर इनको शैडो दे दिया जाए ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिए ।

श्री लटूरी सिंह–

मान्यवर, वहां पर एक विधायक जनता दल के एक गनर और एक शैडो दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप लम्बा भाषण नहीं दे सकते, प्रश्नकाल में कोई भाषण नहीं हो सकता ।

(व्यवधान)

तारांकित प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा की मांग ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें चर्चा स्वीकार करिए, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है । मान्यवर, जब से जनता दल आई है तब से राजनीतिक कारणों से कांग्रेसियों को परेशान करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को वापस लिया जा रहा है और जनतादल के लोगों को गनर दिए जा रहे हैं जिन पर मुकदमे कायम हैं ।

(व्यवधान)

श्री सईद अहमद

मान्यवर, इस पर चर्चा कराएं ।

डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

इस पर चर्चा के लिए समय दें ।

(श्री प्रमोद कुमार, डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी आदि सदस्य चर्चा की मांग करते हुए सदन के फ्लोर पर आ गए जिससे घोर व्यवधान हो गया)

श्री प्रमोद कुमार–

(फ्लोर से) मान्यवर, आप चर्चा स्वीकार करिए, मैं लिखकर दिए देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष के आग्रह पर फ्लोर पर आए हुए सदस्य अपने आसन पर वापस चले गए ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप नियमानुसार चर्चा की मांग कीजिए ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं मौखिक रूप से सूचना दे रहा हूं । आप चर्चा कराने का आश्वासन दें, हम लिखित सूचना दे देंगे । (व्यवधान) मान्यवर, आप नाम तो पुकारें ।

श्री मुईद अहमद–

[× × ×]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । मेरी अनुमति के बिना जो बोल रहे हैं, वह कार्यवाही का अंग नहीं बनेगा ।

श्री चन्द्रशेखर सिंह (बस्ती)–

मान्यवर, क्या मन्त्री महोदय निर्णय करेंगे कि यह जो 2.91 करोड़ रुपया प्रदेश की गरीब जनता का खर्च हो रहा है, उसको वापस लेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने लिखकर दे दिया है । आप निर्णय दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर निर्णय सुरक्षित करता हूं । आप लोग कृपया बैठें ।

(घोर व्यवधान)

डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी–

यह फैजाबाद जनपद की बहुत गम्भीर समस्या है । इस पर निर्णय करावें ।

(डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी, श्री अकबर अली, श्री रामलखन वर्मा, श्री गजराज

नोट :--- [×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेश से कार्यवाही से निकाल दिया गया है ।

सिंह, श्री फौजदार, श्री भोला पाण्डेय एवं अन्य अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गए और सरकार के विरोध में नारे लगाने लगे । जिससे सदन में घोर व्यवधान हो गया)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं सदन को 12.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूं ।

(इस समय 11 बजकर 43 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी । 12 बजे सदन की कार्यवाही श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई ।)

श्री प्रमोद कुमार

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठें ।

माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह और माननीय रघुराज प्रसाद उपाध्यक्ष इन दो व्यक्तियों की सूचना प्राप्त हुई है ।

श्री प्रमोद कुमार

मान्यवर, मेरी भी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

हस्ताक्षर भी नहीं हैं आपके ।

श्री प्रमोद कुमार

मान्यवर, हस्ताक्षर हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न संख्या 2 पर, इस पर आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार की जाती है, नियम 49 के अन्तर्गत ।

एक सदस्य–

यह कब होगी ? आज ही होगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस वक्त नहीं होगी, इसके लिए दिन निर्धारित होते हैं उस दिन होगी ।

श्री मुईद अहमद---

मान्यवर, मेरा प्रस्ताव है कि इसे एक घण्टे कर दें बजाय आधे घण्टे के ।

श्री प्रमोद कुमार--

मान्यवर, आपने यह कह दिया कि मेरे हस्ताक्षर नहीं हैं । मेरे हस्ताक्षर मौजूद हैं । मैं दिखा रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप दिखाइये ।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं भेज रहा हूं, देख लीजिए । मेरे हस्ताक्षर हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसमें कोई ज्यादा तूल की बात नहीं है आप देख रहे हैं तो ठीक है ।

(प्रश्नोत्तर आरम्भ)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नकर्ता माननीय सदस्य नहीं हैं ।

[बुधवार, दिनांक 27 जून, 1990 के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

***1. श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य–**

[3रे सोम में तारांकित प्र0 सं0 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

***2. श्री कृष्ण कुमार सक्सेना–**

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश में किसानों द्वारा उत्पादित अनाजों का मूल्य कृषि हेतु उपयोगी वस्तुओं की तुलना में सस्ता होना एवं कृषि श्रम का लाभकारी मूल्य दिया जाना ।

(अनुपस्थित)

श्री मयंकर सिंह–

*3. क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश में किसानों द्वारा उत्पादित

अनाज जैसे ज्वार, मक्का, लहड़रा बाजार में गत वर्षों की तुलना में वर्तमान समय में सस्ता हो गया है तथा किसानों के उपयोग की वस्तुओं जैसे कृषि यन्त्र, खाद, बीज, डीजल, सीमेंट, कीटनाशक तथा दैनिक उपयोग की वस्तुएं वर्तमान समय में मंहगी हो गई हैं ? यदि हां, तो इस असंतुलन को मिटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ? क्या सरकार किसानों को कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने तथा कृषि उत्पादन के उपयोग में आने वाली वस्तुओं को मूल्य कम करने के बारे में कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुहम्मद आजम खां–

गत वर्ष की तुलना में ज्वार के भाव में दिसम्बर 89 से मार्च 90 तक मक्का के भाव में अक्टूबर से जनवरी 90 तक और बाजरा/लहड़रा के भाव में माह नवम्बर 89 व मार्च 90 को छोड़कर अन्य माहों में गिरावट रही ।

जी हां, सरकार किसानों को कृषि उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु समय-2 पर अपनी संस्तुतियां भारत सरकार को भेजती हैं ।

केन्द्रीय सरकार की परिधि में आता है । अतः इसका उत्तर दिया जाना संभव नहीं है ।

जनपद शाहजहांपुर में चुनाव के दौरान जलालाबाद विधान सभा क्षेत्र के हरनोखा पोलिंग स्टेशन पर मैलेट बाक्स उठा कर ले जाने विषयक थाना इन्चार्ज परौर को सूचना एवं कार्यवाही

***4. श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह---**

क्या मुख्य मन्त्री को जानकारी है कि 24-11-89 को जनपद शाहजहांपुर में चुनाव के दौरान जलालाबाद विधान सभा क्षेत्र के हरनोखा पोलिंग स्टेशन पर कुछ लोग बैलेट बाक्स उठाकर ले गए जिसकी सूचना थाना इन्चार्ज परौर ने वायरलेस से तत्काल कार्यवाही हेतु पर्यवेक्षक व निर्वाचन अधिकारी को दी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शत्रुद्र प्रकाश–

एक सूचना के अनुसार दिनांक 24-11-89 को थानाध्यक्ष परौर ने सर्वश्री राम निवास, राजबीर सिंह तथा मुरारी लाल आदि निवासीगण हरनोखा द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर मतदान केन्द्र पर कब्जा (बूथ कैप्चरिंग) की सूचना वायरलेस पर दी। जांच से घटना की पुष्टि नहीं हुई। शेष का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या घटना की रिपोर्ट दर्ज की गई, जांच किस अधिकारी ने की, वे मौके पर गए तो किस तारीख को गए ?

श्री शत्रुद्र प्रकाश–

24-11-89 को थानाध्यक्ष हैं परौर के, शायद राजपाल सिंह नाम है, यह शाम को 5 बजे थाने पर लौटे तो थाने पर लौटने पर उन्होंने यह बात की जानकारी अपने थाने के अन्दर कर्मचारियों से प्राप्त की। और वहां से इस बात की लिखित रूप से शासन को यह सूचना आई कि थानाध्यक्ष ने यह बताया कि जो शिकायत है, वह शिकायत उन्हें थाने पर प्राप्त हुई और शिकायत में यह था कि दिन में 11 बजे दिन में मतदान रोक दिया गया, इस शिकायत पर राम निवास, राम कण, मुरारी लाल, घोटेलाल, राम सेवक, लल्लरी लाल आदि अन्य कई व्यक्तियों के दस्तखत थे, यह शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी, शाहजहांपुर को लिखी गई थी, उन्होंने यह सूचना थानाध्यक्ष को दी। थानाध्यक्ष ने इसकी जांच कराई और रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को भेज दी। इसमें यह जानकारी आई कि बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई है। जांच में यह भी पाया गया कि लोक सभा चुनाव में 252 मत पड़े, इसमें 125 श्री सत्यपाल सिंह यादव को मिले। विधान सभा चुनाव में 251 मत पड़े, जिसमें से 97 श्री राममूर्ति जी, जो विधायक चुनकर आये हैं, को मिले। जनता समाज पार्टी के उम्मीदवार को 39 मत मिले तथा लखन सिंह यादव को 30 मत प्राप्त हुए, कांग्रेस के उम्मीदवार जगदीश प्रसाद को 26 मत मिले, लोक सभा के लिए। अगर वहां पर बूथ कैप्चरिंग हुई होती, तो जो अन्य उम्मीदवारों को भी मत मिले हैं, वह न मिले होते। इस प्रकार जो मतदान हुआ है और जो मतदाताओं की सही संख्या है, उस सभी को देखते हुए जो जानकारी आई है, उससे यह स्पष्ट है कि वहां किसी भी तरह की बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई है और जो शिकायत मिली है, वह निराधार है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

पुलिस अधीक्षक को जो सूचना दी गई है, उसको पढ़कर सुना दें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मान्यवर, इसकी कोई जरूरत नहीं है । जो मैं बता रहा हूं, वह यह कि कुछ लोगों ने शिकायत की, कि वोट पड़ने नहीं दिए गए और 11 बजे दिन में मतदान बंद हो गया, जबकि 5 बजे तक, जो मतदान का समय है, तक वोट पड़े । इस संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेट से भी जांच की गयी, उनसे भी यही पता चला कि बूथ कैप्चरिंग नहीं हुई है । निर्वाचन अधिकारी ने भी अपनी रिपोर्ट में इस तरह की कोई जानकारी नहीं दी कि वहां पर कोई बूथ कैप्चरिंग हुई है ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

जो वायरलेस किया गया, उसको आप पढ़कर सुना दें, क्योंकि जो आप बता रहे हैं, वह सत्य नहीं है ।

(बीच में एक अन्य माननीय सदस्य के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, जी का मूल प्रश्न है, उनको पूछ लेने दीजिए और उनका उत्तर आ जाने दीजिए, उसके बाद आप पूछियेगा ।

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मान्यवर, प्रश्न क्या है ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो वायरलेस की सूचना आई है, उसको आप पढ़कर बता दें ?

श्री शतरुद्र प्रकाश---

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि वायरलेस की सूचना दी जाती है और यह सूचना लिखकर नहीं दी जाती है । जो सूचना मिली है, उसके आधार पर बता दिया गया है ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, या तो माननीय मंत्री जी को जानकारी नहीं है, या जानकारी है तो वह जानबूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं । वायरलेस की सूचना का डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर से मैसेज पास होता है और इसे वहां शतप्रतिशत लिखा जाता है और इसकी इन्ट्री

भी की जाती है । जो मंत्री जी यह कह रहे हैं कि सूचना मौखिक दी जाती है, यह बात निराधार है और सत्य से परे है ।

माननीय मंत्री जी की बातें निराधार हैं और सत्य से परे हैं । माननीय मंत्री जी सदन को गुमराह कर रहे हैं । अगर गुमराह नहीं कर रहे हैं तो वायरलेस द्वारा जो सूचना दी गयी वह सूचना लिखित है उसे पढ़कर क्यों नहीं सुना देते ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, सदन को गुमराह करने का मेरा कोई इरादा नहीं है । यहां पर जो मूल शिकायत है वह बूथ कैप्चरिंग की है । बूथ कैपचरिंग वहां पर हुई नहीं । कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार हार गए । सदन को गुमराह करने की कोई बात नहीं है । सूचना दी गई वह कन्ट्रोल रूम में अंकित की गई है उसका पूरा का पूरा आशय बता दिया । एस0 ओ0 ने इस बात की सूचना दी थी । इस सूचना में किसी तथ्य को कुछ छिपाया नहीं गया है फिर सदन को किस तरह से गुमराह किया जा रहा है । मान्यवर, थानाध्यक्ष ने जो सूचना दी उसमें यह कहा गया था कि पोलिंग स्टेशन 11.00 बजे बन्द कर दिया गया था और वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो चुकी थी ।

एक सदस्य–

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां पर कुल वोट कितने थे और उसमें से कितने पड़े ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, मैं यह बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता देता हूं कि लोक सभा के चुनाव के लिए 252 वैध वोट पड़े जिसमें से 125 श्री सत्यपाल सिंह यादव जी को मिले । 33 वोट जितेन्द्र प्रसाद जी को मिले, 38 वोट श्री राम लाल वर्मा जी को मिले और 11 वोट श्री निर्भय चन्द सेठ जी को मिले । मान्यवर, यह सारे वोट अलग-अलग हैं । विधान सभा के चुनाव के लिए 251 मान्य वोट थे उसमें से 97 वोट श्री राम मूर्ति सिंह जी को और 39 वोट श्री राम दयाल जी को, 30 वोट पप्पू और 26 वोट मिले श्री उदय वीर सिंह जी को । यदि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हुई होती तो इस तरह से जो वोट कई लोगों को मिले हैं वह न मिले होते और एक ही व्यक्ति को सारे वोट मिलते । सारे वोट एक ही बैलेट बाक्स में डाल दिए जाते । वहां पर मान्यवर बूथ कैप्चरिंग हुई ही नहीं है ।

जनपद अलीगढ़ के ''खैर काण्ड'' को लेकर जनता दल द्वारा चलाया गया आन्दोलन एवं उनकी मांग

***5. श्री निरवेन्द्र कुमार---**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अलीगढ़ के ''खैर कण्ड'' को लेकर जनता दल दवारा 1 से 5 जन. 1989 तक कोई आन्दोलन चलाया गया था ? यदि हां. तो क्या आन्दोलनकारियों की मांगे परी हुई ? यदि हां. तो कौन-कौन सी तथा कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शतरुद्र प्रकाश---

प्राप्त सचना के अनसार जनपद अलीगढ़ के कस्बा खैर में दिनांक 15 जन, 1989 को घटित घटना के पर्व 1 से 5 जन 89 तक कोई आन्दोलन नहीं चलाया गया । 15 जन. 89 को कस्बा खैर में घटित घटना के संबंध में जनता दल की ओर से दिनांक 23 जन. 89 को जनपद के कस्बा जट्टारी में एक आम सभा की गयी थी जिसमें जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को धारा 302/201/120 बी भा0 द0 वि0 के तहत जेल भेजने. छोटे कर्मचारियों के खिलाफ हाईकोर्ट जज दवारा जांच कराकर तबादला करने, मरने वालों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपये एवं घायलों को 10 से 50 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा इस काण्ड की जांच कर संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को 30 जन तक जेल भेजने की मांगें प्रस्तत की गई थी । सक्त घोषणा के उपरान्त दिनांक 1-7-89 से दिनांक 5-7-80 तक स्थानीय कलेक्ट्रेट में धरने का कार्यक्रम चलाया गया ।

शासन दवारा मतकों के आश्रितों को एक लाख रुपये की दर से प्रत्येक को आर्थिक सहायता दिनांक 1 जलाई 89 को स्वीकृति की जा चकी है तथा इस घटना की न्यायिक जांच दिनांक 5 जलाई 89 को अभिदिष्ट कर दी गई है । जांच के उपरान्त यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जायेगा तो उसके बिरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

अब यह प्रश्न नहीं उठता ।

(प्रश्न संख्या-5 का लिखित उत्तर माननीय मंत्री जी के पढ़ने के पश्चात)

श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया. मैं उससे सतष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं । (श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह सदन त्यागकर चले गए) ।

श्री निरवेन्द्र कुमार--

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मांग पत्र में उल्लिखित वरिष्ठ पलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी को उनकी लापरवाही की सजा दी गई ? जहां तक मेरी जानकारी में है पलिस महानिरीक्षक. प्रशासन. लखनऊ को तथा जिलाधिकारी को सिंचाई विभाग में विशेष सचिव का दर्जा देकर एदोन्नत किया गया है तथा जिलाधिकारी को नई सरकार के बन जाने के बाद भी लगभग 6 माह तक अलीगढ़ से न हटाये जाने का क्या औचित्य है ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप प्रश्न कीजिए ।

श्री निरवेन्द्र कुमार–

जब तक न्यायिक जांच की आख्या नहीं मिल जाती है . . . ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप प्रश्न कीजिए । आप तो भाषण कर रहे हैं ।

श्री निरवेन्द्र कुमार–

जब तक न्यायिक जांच की आख्या नहीं मिल जाती, तब तक उन लोगों की पदोन्नति करना उपयुक्त है । क्या जांच के दायरे में ये नहीं आते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य, मैं कई बार कह चुका हूं कि आप प्रश्न कीजिए । आप तो कागज पढ़ रहे हैं ।

श्री निरवेन्द्र कुमार–

क्या मांग पत्र में उल्लिखित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अथवा जिलाधिकारी को उनकी लापरवाही के लिए सजा दी गई ?

श्री शत्रुद्र प्रकाश---

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है यह घटना बहुत गम्भीर थी और इस घटना की गम्भीरता को देखते हुए न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं । वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी को वहां से हटा दिया गया है । माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि जब न्यायिक जांच की जा रही हो और उसकी प्रक्रिया चल रही हो तो उस जांच के चलते केवल एक अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाये, न्यायसंगत नहीं होगा । न्यायिक जांच शीघ्र पूरी कर दी जाये, सरकार द्वारा ऐसे निर्देश दे दिए गए हैं । जांच रिपोर्ट में जो भी दोषी पाया जायेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें जो मृतक हैं या घायल थे, उनके परिवारजनों को मुआवजा दिया जाना था, वह मिल चुका है कि नहीं । उनकी स्मृति में सरकार ने कुछ घोषणायें भी की थीं, वह घोषणायें क्या थी और वे पूरी हुई कि नहीं ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो मृतक हैं, उनकी सूची इस प्रकार है---सर्वश्री विजेन्द्र पुत्र मोहन लाल नि0 ग्राम अहरौल, विरेन्द्र उर्फ कलुआ पुत्र उमराव नि0 अहरौल, राजवीर पुत्र हरज्ञान नि0 ग्राम घेंमरा, खुशहाल सिंह पुत्र हरिलाल नि0 ग्राम कलिपुर, भंवर सिंह पुत्र कल्ले नि0 कलिपुर और श्री बच्चे सिंह पुत्र लखमी नि0 नगौला इस प्रकार इन 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसमें से तीन की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई थी और 3 रास्ते में ले जाने के बाद मर गए। इन लोगों को मुआवजा दिए जाने की जो घोषणा की गई है, वह एक लाख रुपये की दर से प्रत्येक परिवार को थी। इसके अलावा सरकार की ओर से किसी प्रकार की घोषणायें नहीं की गई हैं। अगर कोई घोषणा की गई हो तो माननीय सदस्य बताने की कृपा करें तो हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

जनपद बांदा की कोतवाली पुलिस द्वारा बाबूलाल कुम्हार, निवासी सिकरी साजिस थाना राजापुर के कथित इन्काउन्टर के विरुद्ध उनकी औरत का शिकायती पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही।

श्री राम प्रसाद सिंह–

*6–क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद की कोतवाली बांदा पुलिस द्वारा बाबूलाल कुम्हार, निवासी सिकरी साजिस थाना राजापुर के कथित इन्काउन्टर के विरुद्ध उसकी औरत का शिकायती पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा 2-2-90 को मुख्य मंत्री को सी0 आई0 डी0 जांच कराकर अपराधियों को दण्डित करने हेतु दिया है जिसे सी0 एम0 वि0 को0 एम0 3/38-147/90 ब0 प्रा0 सचिव गृह विभाग को भेजने की सूचना दी गई है? यदि हां, तो क्या शासन के संज्ञान में यह तथ्य भी है कि मृतक बाबूलाल अपने भाई के कत्ल के मुकदमें में एक मात्र गवाह था तथा मृतक का इनकाउन्टर दिखाने वाले दरोगा श्री हरिश चन्द त्रिपाठी इसके पूर्व थाना राजापुर में ही तैनात रहे हैं? यदि हां, तो उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में इन्काउन्टर की घटना की जांच गुप्तचर अनुसंधान शाखा (पुलिस) द्वारा कराई जाएगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

मुख्य मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)–

जी हां। प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-2-90 प्राप्त हुआ। मृतक बाबूलाल अपने भाई की हत्या के मुकदमें का वादी था। उपनिरीक्षक श्री हरीश चन्द त्रिपाठी दिनांक 20-6-89 से दिनांक 7-1-90 तक तथा 13-2-90 से 15-5-90 तक क्रमशः उप निरीक्षक एवं प्रभारी थानाध्यक्ष पद पर थाना राजापुर पर नियुक्त रहे।

नोट:---नत्थी 'ग' के तारांकित प्रश्न संख्या 5 के उपरांत प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

श्री बाबूलाल की कथित मुठभेड़ में हत्या की मामले की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दी गई है ।

ललित कुमारी पुत्री राम उजागर निवासी मैदवापुर थाना कैसरगंज जनपद बहराइच की दहेज हत्या काण्ड में लिखाई गयी रिपोर्ट एवं कार्यवाही

***7. श्री जसवन्त सिंह विष्ट---**

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ललित कुमारी पत्नी राम उजागर निवासी मैदवापुर थाना कैसरगंज जनपद बहराइच की दहेज हत्याकाण्ड के संबंध में नामजद मल्लिजमान शिवशंकर पुत्र राम अौतार एवं अन्य के खिलाफ भभवा थाना खरनैलगंज जनपद गोण्डा में लिखाई गई अपराध संख्या 330/89 दिनांक 10-9-89 की रिपोर्ट पर अब तक मल्लिजमान के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ? क्या इस सम्बन्ध में माह जनवरी, 1990 में महानिदेशक पुलिस को मुख्य मंत्री ने जांच कर कार्यवाही किए जाने हेतु भी लिखित निर्देश दिए थे ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाए गए अपराधियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार अभिकथित दहेज हत्या कांड की जांच कर अपराध संख्या 330/89 अन्तर्गत धारा 498ए/304 बी भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया ।

जी हां ।

अंचोपरान्त थाना खरनैलगंज गोण्डा में पंजीकृत अ0 सं0 330/89 धारा 498ए/304 बी भा0 दं0 वि0 में अभियुक्त शिवशंकर (मृतक श्रीमती ललित कुमारी के पति) के विरुद्ध आरोप पत्र संख्या-247 दिनांक 04/12/89 को न्यायालय प्रेषित किया । विवेचना से अन्य कोई दोषी नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल निगम के उच्चाधिकारियों के जालसाजी भ्रष्टाचार के बारे में सांसद श्री रामपियारे सुमन का शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

***8. श्री जयशंकर पाण्डेय ...**

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सांसद श्री राम पियारे सुमन का कोई पत्र दिनांक 27-7-89 जो उत्तर प्रदेश राज्य कताई मिल निगम के कुछ उच्चाधिकारियों द्वारा जालसाजी, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं की शिकायत से संबंधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव ---

जी हां उक्त पत्र में आरोपित एक अधिकारी 3 वर्ष का सेवाकाल 8-7-89 को पूर्ण हो जाने के कारण सेवामुक्त हो चुके हैं। एक अन्य अधिकारी सेवा निवृत्त हो चुके हैं । एक अधिकारी को जांच में दोषी नहीं पाया गया तथा एक अन्य अधिकारी को अपराध अनुसंधान विभाग की जांच आख्या के परिप्रेक्ष्य में उनका स्पष्टीकरण प्राप्त कर भविष्य के लिये सचेत कर दिया गया है । प्रश्न नहीं उठता ।

नवम्बर, 89 में वाराणसी में हुए दंगे में मृतकों के परिजनों, घायलों तथा दंगों से प्रभावित लोगों को क्षति पूर्ति की दिशा में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही की जानकारी

***9. श्री श्यामदेव राय चौधरी दादा---**

क्या सरकार कृपया बतायेंगी कि क्या 1989 के दिसम्बर माह में वाराणसी में हुये दंगे में कितने लोगों को जान और कितने लोगों को माल की क्षति उठानी पड़ी? क्या मृतकों के परिजनों घायलों तथा दंगों से प्रभावितों को क्षतिपूर्ति देने की दिशा मे सरकार कोई विचार कर रही है? यदि हां, तो अब तक इस संबंध में क्या कार्यवाही हुयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्राप्त सूचना के अनुसार वाराणसी नगर में दंगा माह दिसम्बर 89 में नही बल्कि माह नवम्बर 89 में हुआ था। इस दंगे में मृत, घायल एवं सम्पत्ति की क्षति से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण निम्नवत् हैं :---

मृतकों की संख्या	घायलों की संख्या	प्रभावित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या जिनकी सम्पत्ति की क्षति हुई
9	36	40
	17 (पुलिस कर्मी)	

उपर्युक्त दंगे मे पीडित व्यक्तियों को अब तक 1.20 लाख रुपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में उपलब्ध करायी गयी है :---

5 मृतकों के आश्रितों को---	रु0 1,00,000/-
4 घायल व्यक्तियों को---	रु0 20,000/-
(स्थायी रूप से अपंग)	

एक मृतक की शिनाख्त अब तक नहीं हो सकी है । 3 मृतकों के आश्रितों की तलाश की जा रही है ।

शेष घायल व्यक्तियों के चिकित्सा परीक्षण के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी वाराणसी की जांच रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है तथा सम्पत्ति की क्षति के दावों

की जांच राजस्व अधिकारियों द्वारा की जा रही है । इन अवशेष मामलों में तत्परता से जांच पूर्ण कर नियमानुसार आर्थिक सहायता वितरित किये जाने के निर्देश जिलाधिकारी को दे दिये गये हैं ।

जनपद फैजाबाद, चावल मिलों पर बिजली बिल का बकाया एवं सरकार द्वारा वसूलने की कार्यवाही

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी

*10---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद की कई चावल मिलों पर बिजली के बिल का एक लाख रुपये से अधिक का बकाया है ? यदि हां तो इस बकाया धनराशि को वसूलने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां, जनपद फैजाबाद में दो चावल मिलों:---मेसर्स सुराणा राईस काम्प्लेक्स, सराणा पर एक लाख रुपये से अधिक है।

मेसर्स सुराणा गार्डन राइस मिल, बर्डीनगर के बकाया धनराशि वसूलने हेतु दिनांक 18-12-89 को धारा-5 की नोटिस जिलाधिकारी, फैजाबाद को भेजी गयी है तथा मेसर्स सराणा राइस काम्प्लेक्स सराणा का मामला माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ पीठ में विचाराधीन है ।

विपणन निदेशालय द्वारा कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु उत्पादन स्तर पर वर्गीकरण करवाने की व्यवस्था मण्डियों में लागू किये जाने की मांग

*11---श्री ओम प्रकाश गुप्ता–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विपणन निदेशालय द्वारा कृषकों को उनकी उपज का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु उत्पादन स्तर पर कृषकों की उपज का वर्गीकरण करवाने के पश्चात विक्रय करवाने की व्यवस्था मात्र 58 मण्डियों में लागू है ? यदि हां, तो उक्त वर्गीकरण की व्यवस्था शेष 198 मण्डियों में लागू न किये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त व्यवस्था शेष मण्डियों में भी लागू करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मलायम सिंह यादव---

60 विनियमित निर्मित एवं व्यापार स्थानांतरित मण्डियों में वर्गीकरण की व्यवस्था लागू है ।

64 विनियमित निर्मित एवं व्यापार स्थानांतरित मण्डियों में इस वर्ष वर्गीकरण व्यवस्था लागू की जा रही है ।

प्रदेश में कृषि उत्थान के लिये कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करने पर विचार

***12---श्री रघुवर दयाल वर्मा–**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कृषि के उत्थान के लिये क्या सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

कृषि को उद्योग का दर्जा दिये जाने का विषय भारत सरकार के विचाराधीन है ।

***13---श्री कल्यान सिंह–**

[7 वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लक्ष्मी पिक्चर हाल हल्द्वानी, नैनीताल में बम विस्फोट से हुई मृत्यु एवं घायल व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाना

***14---डा. दिनेश जौहरी–**

क्या सरकार को जानकारी है कि गत दिनों हल्द्वानी, जनपद नैनीताल के एक पिक्चर हाल में बम विस्फोट से 6 से अधिक लोग मारे गये और लगभग 50 लोग गम्भीर रूप से आहत हुए ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार था ? क्या मृतकों के आश्रितों तथा घायलों को सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया ? यदि हां , तो कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां । दिनांक 6-2-90 को लक्ष्मी पिक्चर हाल हल्द्वानी, नैनीताल में हुए बम विस्फोट की घटना के फलस्वरूप कुल 6 व्यक्तियों की मृत्यु हुयी तथा 60 व्यक्ति घायल हुए । प्रश्नगत घटना की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा अपराध अनुसंधान विभाग के सहचर से की जा रही है । अभी तक कोई उल्लेखनीय तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं ।

प्रत्येक मृतक परिवार के आश्रितों को रु0 10 हजार की दर से, गम्भीर रूप से घायलों को रु0 3 हजार प्रति व्यक्ति तथा साधारणरूप से घायल व्यक्तियों को रु0 एक हजार प्रति व्यक्तियों की दर से कुल रु0 1,56,000/- की आर्थिक सहायता प्रदान की जा चुकी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फर्रूखाबाद में आलू पर आधारित उद्योग लगाने पर विचार ।

***15---श्री विमल प्रसाद तिवारी–**

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार जनपद फर्रूखाबाद में आलू पर आधारित उद्योग लगाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

परियोजना की स्थापना की दिशा में कार्यवाही की जा रही है । प्रश्न नहीं उठता ।

*16---श्री कुंवर सिंह नेगी---

[3 रे शुक्र में ता0 प्र0 सं0 4 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद इलाहाबाद के दोआबा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को बिजली दिये जाने का लक्ष्य एवं उसकी रूप रेखा

श्री अमर मणि तथा श्री अतीक अहमद

***17---श्री अमर मणि तथा अतीक अहमद–**

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतलायेंगे कि सरकार ने कोई ऐसी योजना बनायी है जिसमें अगले तीन वर्षों के अन्दर इलाहाबाद जनपद के दोआबा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को बिजली दिये जाने का लक्ष्य है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? ...

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता ।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत में सेवा एवं कुशलता में वृद्धि आदि बिन्दुओं पर सलाह देने हेतु समिति का गठन

***18---श्री काशी सिंह ऐरी–**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार उ0 प्र0 रा0 विद्युत परियोजना का कार्य क्षेत्र घटा कर उसके अधीन केवल विद्युत प्रेषण एवं वितरण का ही दायित्व रखने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस का आधार क्या है ? क्या सरकार उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 की समग्र क्षमता व कार्य कुशलता बढ़ाने के लिए विकेन्द्रीकरण की नीति अपनाते हुये प्रत्येक मण्डल में उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 की उपपरिषदें गठित करने पर भी विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

राज्य सरकार ने निम्नलिखित बिन्दुओं पर सलाह देने के लिए श्री एन0 एन0 बसन्त, अध्यक्ष पंजाब राज्य विद्युत परिषद, की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया है :---

(क) क्या परिषद के उत्पादन केन्द्रों (जनरेटिंग स्टेशन) का राज्य में पहले से विद्यमान उत्पादन कम्पनी को अन्तकरण करके विद्युत उत्पादन को पृथक करने से संगठन में और विद्युत उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने में सुधार होगा ।

(ख) यदि ऐसा है, तो समिति सुझाव देगी कि (।) किस प्रकार से उसका कार्यान्वयन किया जाय और (।।) किस प्रकार परिषद् के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षित रखा जाय ।

(ग) समिति परिषद की उत्पादकता तथा कार्यकुशलता में वृद्धि के उद्देश्य से उसके कार्य-संचालन के संबंध में भी अपने सुझाव प्रस्तुत करेगी ।

समिति की रिपोर्ट अपेक्षित है । अतः किसी प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं होगा ।

ग्राम प्रधान खेसहन, थाना गाजीपुर के श्रीकान्त की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या एवं सुरक्षा प्रदान न करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

***19---श्री उमाकान्त वाजपेई–**

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम प्रधान खेसहन, थाना गाजीपुर श्रीकान्त को दिनांक 10-10-99 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया था ? क्या उक्त के सम्बन्ध में धारा 307 ता0 हि0 का मुकदमा पंजीकृत हुआ था ? क्या यह सही है कि इसके पूर्व प्रधान द्वारा 8-10-89 को अपनी रक्षा हेतु सुरक्षा गार्ड की मांग थाना गाजीपुर के एस0 आई0 श्री रमेश चन्द्र पुष्कर पर सन्देह करते हुए पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर से की गयी थी? क्या यह सत्य है कि दिनांक 17-10-89 को उनकी हत्या कर दी गई ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्य क्या है तथा पुलिस ने हत्या के पूर्व सुरक्षा के क्या उपाय किए तथा हत्या के उपरान्त दोषी जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

जी हां ।

प्राप्त सूचना के अनुसार मृतक श्री श्रीकान्त ने दिनांक 8-10-89 को सुरक्षा गार्ड हेतु प्रार्थना-पत्र पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को नहीं दिया ।

जी हां ।

अभियुक्तगण एवं मृतक के मध्य पुरानी रंजिश चली आ रही है, जिसकी रोकथाम के लिए दिनांक 22-2-88, 15-2-89, 22-10-89 को धारा 107/116 सी0 आर0 पी0 सी0 के अंतर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गयी एवं धारा 116(3) के अंतर्गत न्यायालय में

बयान अंकित कराए गए । हत्या के पंजीकृत अभियोग में नामित अभियुक्त शिवचरण को दिनांक 18-10-89 को गिरफ्तार कर जेल भेजा । अभियुक्त सत्येन ने दिनांक 19-10-39 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जिसे जेल भेजा गया । अभियुक्तगण ननकाई सिंह एवं फक्कड़ सिंह के विरुद्ध 82/83 द0 प्र0 सं0 की कार्यवाही की गई । दोनों ने दिनांक 23-10-39 को न्यायालय में आत्मसमर्पण किया जिसके उपरांत वे जेल भेजे गए ।

विवेचना के उपरान्त दिनांक 25-10-89 को आरोप पत्र समस्त अभियुक्तगण के विरुद्ध न्यायालय में प्रेषित किया गया ।

राजकीय मुद्रणालयों के औद्योगिक श्रमिकों की वेतन विसंगतियों को दूर किया जाना एवं तद्विषयक शासनादेश ।

20– श्री केशरी नाथ त्रिपाठी

क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वेतन विसंगति समिति द्वारा राजकीय मुद्रणालय, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक श्रमिकों के किन-किन पदों की विसंगतियां दूर कर दी गई हैं तथा इस सम्बन्ध में शासनादेश कब तक जारी होगा? अन्य पदों की विसंगतियों को दूर करने के बारे में क्या प्रगति है ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

राजकीय मुद्रणालयों के औद्योगिक श्रमिकों के निम्नलिखित 10 पदों की वेतन विसंगतियां दूर कर दी गई हैं तथा इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक 12 अप्रैल, 1990 को जारी कर दिया गया है ।

क्रम सं0	पद नाम
1---	हेड रीडर
2---	फोरमैन
3---	मशीन मैन
4---	मशीन मैन आफसेट
5---	बाइन्डर
6---	डिस्ट्रीब्यूटर
7---	मशीन सहायक
8---	मशीन सहायक आफसेट
9---	एड्रसोग्राफर
10---	बाइण्ड्री सहायक ।

अन्य किसी पद के विषय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति ने कोई संस्तुति नहीं की है अतः प्रश्न नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद में केन्द्रीय वेतन मण्डल की संस्तुति के आधार पर श्रमिकों, कर्मचारियों का वर्गीकरण एवं वेतनमान

श्री कल्याण सिंह---

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में केन्द्रीय वेतन मण्डल की संस्तुति के आधार पर दिनांक 1-4-69 से श्रमिकों का वर्गीकरण प्वाइन्टरेटिंग के आधार पर किया गया था ? यदि हां, तो मुख्यालय कर्मचारी सहित लिपिकीय वर्ग व परिचालकीय कर्मचारियों को श्रेणी व वेतनमान क्या दिया गया था ? दिनांक 1-4-84 को इन्ही- कर्मचारियों के पदों की श्रेणी व वेतनमान क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव ---

जी हां ।

केन्द्रीय वेतन मण्डल की संस्तुतियों के अनुसार मुख्यालय कर्मचारी सहित लिपिकीय व परिचालकीय वर्ग के कर्मचारियों को 1-4-69 से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित कर उनके सम्मुख अंकित वेतनमान दिये गये थे :---

	श्रेणी प्रशासकीय व लिपिकीय	वेतनमान तकनाकी एवं परिचालिकीय
1---अकशल	रु0 55-90	
2-अदर्धकशल ''बी''	रु0 70-118	
3---अदर्धकशल ''ए''	रु0 80-145	रु0 80-145
4---कशल ''सी''	रु0 ---	रु0 110-195
5---कशल ''बी''	रु0 110-250 130-280	रु0 130-240
6---कशल ''ए''	रु0 150-345	रु0 150-285
7---सर्वोच्च कशल ''बी''	रु0 190-376	रु0 190-355
8---सर्वोच्च कशल	रु0 250-500	रु0 250-500
9---सपरवाइजरी ''सी'' ''सी''	रु0 250-500	रु0 250-500
10---सपरवाइजरी ''सी''	रु0 300-655	रु0 300-655
11---सपरवाईजरी ''ए''	रु0 400-750	रु0 400-750

चूंकि केन्द्रीय वेतन मण्डल की संस्तुतियां 1-1-69 में केवल अगले 5 वर्षों तक ही प्रभावी रहीं इसलिए उस समय की प्वाइन्टरेटिंग और श्रेणीकरण 1-4-74, 1-4-79 व 1-4-84 से किये गये वेतन पुनरीक्षणों का आधार नहीं रहा । परिषद एवं श्रमिक संगठनों के बीच समय-समय पर हुए दिवपक्षीय समझौतों आदि के फलस्वरूप 1-4-69 के अनुवर्ती वेतन पुनरीक्षणों में विभिन्न सेवा संवर्गों के कतिपय वेतनमान उच्चीकृत किए गए और काल के परस्पर सविलियन के कारण वेतनमानों की संख्या घट गई । अतएव 1-4-84 के पुनरीक्षण के बाद जो समर्थ वेतन ढांचा बना उसमें 1-4-69 के ढांचे की श्रेणियों की पहिचान करना व्यवहारिक नहीं रह गया । तथापि विभिन्न प्रमुख संवर्गों के कार्मिकों को अनुमान्य वेतनमानों का विवरण विद्युत परिषद के आदेश संख्या -311-पी0/रा. वि. प्र.-तीस-4-बी/1986 दिनांक 2-3-88 के अनुलग्नक में दर्शित हैं । जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है ।

भगवन्त सिंह एवार्ड में अभिनिर्णय विवादों से सम्बन्धित प्रवरवर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक तथा टाइमकीपर के वेतनमान

2— श्री कल्यान सिंह---

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भगवन्त सिंह एवार्ड में अभिनिर्णय विवाद संख्या 42/72, प्रवर वर्ग सहायक और अभिनिर्णय विवाद संख्या 142/72 अवर वर्ग सहायक तथा अभिनिर्णय विवाद संख्या 134/72 टाइमकीपर का श्रेणी तथा वेतनमान क्या था? दिनांक 1-4-84 को उन्हें क्या वेतनमान व श्रेणी दी गई ? क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद में केन्द्रीय वेतन मण्डल की सिफारिशों के आधार पर दिनांक 16-4-77 को

*छापा नहीं गया ।

मेरठ ट्रिब्यूनल पंचम द्वारा दैनिक श्रेणी लिपिकों को दिनांक 1-4-69 से कौन सी श्रेणी व वेतनमान दिया गया तथा सरकार ने इस एवार्ड को किन परिस्थितियों में निरस्त किया ?

श्री मुलायम सिंह यादव ---

भगवन्त सिंह एवार्ड में प्रश्नगत अभिनिर्णय विवादों से संबंधित प्रवर वर्ग सहायक, अवर वर्ग सहायक तथा टाइमकीपर को निम्नलिखित श्रेणी व वेतनमान दिये गये थे ।

अभिनिर्णय विवाद संख्या	पदनाम	श्रेणी	वेतनमान
42/72	प्रवर वर्ग सहा0	सर्वोच्च कुशल "अ"	रु0 250-500
142/72	अवर वर्ग सहा0	कुशल "अ"	रु0 150-345
134/72	टाइमकीपर	सर्वोच्च कुशल "बी"	रु0 190-376

दिनांक 1-4-84 से प्रश्नगत कार्मिकों को निम्नलिखित वेतनमान दिये गये :-

प्रवर वर्ग सहायक	रु0 1650-2600
अवर वर्ग सहायक	रु0 1350-2160
टाइमकीपर	रु. 1200-1800

दिनांक 1-4-84 से वेतनमानों के पुनरीक्षण में कोई श्रेणीकरण नहीं किया गया। कार्य की प्रकृति, कार्मिकों की योग्यता, दायित्व तथा पद के स्तर को दृष्टिगत रखते हुए वेतनमान निर्धारित किया गया है ।

मेरठ ट्रिब्यूनल पंचम द्वारा अपने दिनांक 16-4-77 के एवार्ड में दैनिक श्रेणी लिपिक को सर्वोच्च कुशल श्रेणी "ब" का वर्गीकरण तथा रु0 190-376 का वेतनमान दिया जाना अभिनिर्णित किया गया ।

उ0 प्र0 शासन द्वारा उ0 प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 6 (क) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उसे निरस्त कर दिया गया क्योंकि इसका अनुपालन राष्ट्रीय तथा प्रदेशीय अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय के हितों के विरुद्ध था और इसके दूरगामी परिणाम होने की प्रबल आशंका थी ।

जनपद आजमगढ़ के थाना कन्धरापुर की पुलिस द्वारा चीनी की बोरी पकड़ा जाना एवं संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही ।

3— श्री पंचानन राय---

क्या मद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के थाना कन्धरापुर की पुलिस द्वारा 20 नवम्बर, 88 को नौ (9) बोरी चीनी पकड़ी गयी थी? यदि हां, तो वह चीनी किसकी थी और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव ---

जी हां ।

यह चीनी साधन सहकारी समिति आगीपुर मजरिया थाना कंधरापुर. आजमगढ़ की थी । प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद सेल्समैन, साधन सहकारी समिति, रामसुन्दर राम के विरुद्ध विवेचना से आरोप प्रमाणित नहीं हुये । विवेचना, अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर समाप्त कर दी गई है ।

जनपद प्रतापगढ़ की कुण्डा तहसील के ग्राम कनवा के कतिपय व्यक्तियों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु अग्रिम धनराशि जमा किया जाना और उस पर कार्यवाही

4---श्री बाबूलाल सरोज---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की कुण्डा तहसील के ग्राम कनवा के लगभग 20 लोगों (**रामबहादुर**, सुरेश बहादुर, रामस्वरूप, रमरीत हरिजन, सोहन लाल, शिवपूजन, **रामकिशोर** आदि) ने दस वर्ष पहले 25 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से कनेक्शन हेतु पैसा जमा किया है, जिसकी जानकारी उन्हें प्रार्थना-पत्र के जरिये दि0 15-3-90 को दी गयी है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

ग्राम-कनवा, जनपद-प्रतापगढ़ के कुल 20 लोगों ने 25 रु0 प्रति व्यक्ति की दर से अग्रिम धनराशि (अर्नेस्ट मनी) परिषद को जमा की थी परन्तु विद्युत संयोजन देने हेतु व्यय की जाने वाली लागत पर नियमानुसार 15 प्रतिशत का न्यूनतम राजस्व प्रतिलाभ न सुनिश्चित होने के कारण विद्युत संयोजन देना सम्भव नहीं है। जब यथोचित संख्या में उपभोक्ताओं द्वारा संयोजन हेतु आवेदन किया जायेगा जिससे कि वांछित प्रतिलाभ की प्राप्ति हो सके, तब ही संयोजन दिया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री चन्द्रभूषण सिंह, सचिव, मण्डी समिति प्रतापगढ़ के विरुद्ध अंकित मुकदमा एवं विभागीय कार्यवाही

5---श्री लालताप्रसाद सरोज---

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र भूषण सिंह, सचिव मण्डी समिति, प्रतापगढ़ के विरुद्ध 8 अवैधकर्मों के कारण 3/7 इ0 सी0 एक्ट का मुकदमा थाना कोतवाली, प्रतापगढ में अंकित किया गया है ? यदि हां, तो सचिव, मण्डी समिति, प्रतापगढ के विरुद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव ---

जी हां ।

जिलाधिकारी प्रतापगढ़ के द्वारा प्रकरण की जांच विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी के द्वारा कराई जा रही है ।जिलाधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद प्रतापगढ़ में बिहार क्षेत्र को विद्युतीकरण के अंतर्गत लिये जाने की मांग

6---श्री बाबूलाल सरोज

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद में सम्पूर्ण बिहार क्षेत्र को विद्युतीकरण के अंतर्गत लिया गया है? यदि हा, तो कब तक सम्पूर्ण क्षेत्र का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा ? यदि नही तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रतापगढ़ जनपद के बिहार क्षेत्र, जिसमें विकास खण्ड बिहार तथा बाबागंज आते हैं, के सम्पूर्ण ग्रामों का विद्युतीकरण किसी निश्चित अवधि में करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । इन विकास खण्डों में जनपद के लिये निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों के अंतर्गत स्वीकृत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है ।

विकास खण्ड बिहार और बाबागंज में क्रमश: 114 और 143 आबाद ग्राम है । मार्च 1990 तक क्रमश: 28 और 23 ग्रामों का एल0 टी0 मेन्स तथा क्रमश: 45 और 35 ग्रामों को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार विद्युतीकरण किया जा चुका है ।

क्षेत्र के सम्पूर्ण ग्रामों में विद्युतीकरण में अभी बहुत अधिक समय लगने की सम्भावना है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

जनपद प्रतापगढ़ में ग्राम वसुवाही के फरीद अहमद मुनब्बर अली, मो0 सलीम आदि का पैसा जमा होने के बाद विद्युत कनेक्शन न दिये जाने के दोषी अभियंताओं के विरुद्ध कार्यवाही

7---श्री बाबूलाल सरोज

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम वसुवाही, जिला प्रतापगढ़ के फरीद अहमद मुनब्बरअली, मो0 सलीम नियोज अहमद, मो0 सिद्दीक, अमीन अहमद, हबीब अहमद आदि 43 लोगों ने 25 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से लाईट फैन कनेक्शन के लिये धन दिनांक 7 जून, 88 को जमा किया है? यदि हां, तो अभी तक उन्हें लाइट कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है ? इसके लिये दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये उन्हें कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां, ग्राम वसुवाही जिला प्रतापगढ के 43 लोगों ने घरेलू कनेक्शन हेतु 25 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से अग्रिम धनराशि जमा की थी परन्तु विद्युत संयोजन देने हेतु लाइन आदि के व्यय पर नियमानुसार 15 प्र0 न्यूनतम राजस्व प्रतिलाभ सुनिश्चित न हो पाने के कारण विद्युत संयोजन देना सम्भव नहीं है इसके लिये कम से कम 63 व्यक्तियों को कनेक्शन हेतु आवेदन करना आवश्यक है तब ही उन्हें विद्युत संयोजन दिया जा सकेगा ।

विद्युत संयोजन न देने हेतु कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

डा0 एच0 एन0 श्रीवास्तव चिकित्साधिकारी एवं श्री कमर अहमद स्वास्थ्य निरीक्षक के विरुद्ध थाना मेंहदावल जनपद बस्ती में लिखाई गई रिपोर्ट एवं कार्यवाही

8---श्री चन्द्रशेखर सिंह (बस्ती)--

8-क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि डा0 एच0 एन0 श्रीवास्तव भूतपूर्व प्रभारी चिकित्साधिकारी और श्री कमर अहमद स्वास्थ्य निरीक्षक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेंहदावल, के विरुद्ध थाना मेंहदावल में दिनांक 1-9-89 को धारा-406/409 अपराध संख्या 92/89 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर में हुई हत्यायें एवं तत्काल की गई कार्यवाही

9---श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर में 28-11-89 से 15-4-90 तक कितनी हत्यायें हुई ? उक्त जनपद में कानून व्यवस्था के सुधार हेतु शासन द्वारा तत्काल क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद शाहजहांपुर में प्रसंगगत अवधि में कुल 94 हत्यायें हुई ।

जनपद में कानून व्यवस्था तथा अपराध स्थिति में सुधार हेतु गोष्ठियां करने, स्थिति का सामयिक आंकलन, सम्बन्धित हलकों में सघन गश्त तथा स्थाई गार्द की नियुक्ति, धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 की कार्यवाही के अतिरिक्त धारा 116(3) दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत भारी धनराशि के मुचलकों पर पाबन्द कराना, भूमि सम्बन्धी विवादों का एक अलग से अभिलेख थाने में तैयार करना तथा शस्त्र धारकों के शस्त्र एवं उनके द्वारा खरीदे गए कारतूसों का सत्यापन करना आदि कार्यवाही अमल में लाई गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में कुमारगंज के निकट मिल्कीपुर में बन रहे विद्युत उपकेन्द्र को अन्यत्र ले जाने का प्रस्ताव एवं शीघ्र निर्माण की मांग

10---डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में कुमारगंज जहां कृषि विश्वविद्यालय बाजार व सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठान हैं वहां बन रहे विद्युत पावर स्टेशन को अन्यत्र ले जाने का या निर्माण कराने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इसका निर्माण शीघ्र कराने के आदेश देने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद फैजाबाद में कुमार गंज के निकट मिल्कीपुर में बन रहे 132 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र को अन्यत्र ले जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त उपकेन्द्र का निर्माण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

11–श्रीमती सियादुलारी–

[दि0 21-6-90 को अता0 प्र0 सं0 160 द्वारा उत्तरित]

12–श्री शारदानन्द अचल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

उन्नाव जिले में पुलिस अत्याचार की घटनायें एवं कार्यवाही

13---श्री हृदय नारायण दीक्षित---

क्या गृह्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में पुलिस अत्याचार की घटनाओं में सम्पूर्ण कलेन्डर वर्ष 89 एवं 90 के माह जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में भारी वृद्धि हुई है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि पुलिस उत्पीडन विषयक कुल कितनी शिकायतें वर्ष 89 में एस0 पी0 उन्नाव को मिली हैं और वर्ष 90 के उक्त चार माह में ऐसी कितनी शिकायतें मिलीं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त चार माहों में प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र की कितनी शिकायतें एस0 पी0 को की गईं ? इन पर जांच में क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार पुलिस उत्पीड़न से बचाने के कोई उपाय करने जा रही है ? यदि हां, तो उपाय क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्राप्त सूचना के अनुसार पुलिस अधीक्षक उन्नाव के वर्ष 1989 में पुलिस उत्पीड़न विषयक 132 तथा वर्ष 1990 के प्रथम चार माह में 48 शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

वर्ष 1990 के चार माह (जनवरी से अप्रैल तक) प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र में कुल 227 शिकायतें पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुईं । इनमें 93 शिकायतों की जांच पूर्ण कर ली गई तथा 134 शिकायतों की जांच शेष है ।

सरकार ने पुलिस उत्पीडन से बचाने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं जांच में दोषी पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र ब्रह्मपुर के कतिपय ग्रामों की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किये जाने की मांग

14---श्रीमती शारदा देवी---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र ब्रह्मपुर के ग्राम मिठवल की हरिजन बस्ती व ग्राम बैरवा, पकड़पुर में विद्युत पोल सन्

1980 से खड़े किए गए हैं ? यदि हां, तो उस पर विद्युत तार अब तक न लगाने का क्या कारण है ? क्या सरकार विद्युत पोल पर विद्युत तार शीघ्र लगायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र ब्रह्मपुर के ग्राम मीठाबेल की हरिजन बस्ती, ग्राम बैरवा व पकड़पुरा में पोल वर्ष 1980 में नहीं खड़े किए गए थे बल्कि ग्राम मीठाबेल की दक्षिण की तरफ की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण का कार्य वर्ष 1982-83 में प्रारम्भ करके 20-2-83 को पूर्ण कर दिया गया था । ग्राम बैरवा व पकड़पुरा का विद्युतीकरण 18-1-84 को किया गया था परन्तु बाद में संबंधित 11 के0 वी0 लाइन तथा इन ग्रामों की एल0 टी0 लाइन के तार चोरी चले गए थे ।

उक्त लाइनों का तार खींच कर जीर्णोद्धार, ग्रामवासियों द्वारा विद्युत की मांग और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

15---श्रीमती शारदा देवी---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास खण्ड ब्रह्मपुर के ग्राम ब्रह्मपुर के टोला पिपरपाती हरिजन बस्ती में विद्युतीकरण विकास क्षेत्र सरदारनगर के ग्राम गगड़ा के छोटे टोले पर व ग्राम-सभा जं0 महदेवा के हरिजन बस्ती में व विकास क्षेत्र खोराबार के ग्राम डुमरी बखरिया टोला पर विद्युतीकरण अब तक नहीं किया गया है जबकि सरकारी कागजात में ग्रामीण विद्युतीकरण दिखा दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त गांव सभाओं के छूटे हुये टोले पर विद्युतीकरण विभाग शीघ्र करायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विकास क्षेत्र ब्रह्मपुर के ग्राम ब्रह्मपुर के टोला पिपरपाती का न तो विद्युतीकरण किया गया है और न ही उसे अभिलेखों में विद्युतीकरण दर्शाया गया है । साथ के कोल ब्रह्मपुर खास हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण अगस्त 1982 में किया गया है ।

विकास क्षेत्र सरदारनगर के ग्राम गगड़ा के छोटे टोले का विद्युतीकरण मुख्य ग्राम के साथ ही दिनांक 9-3-88 को किया गया है ।

ग्राम जनमहदेवा की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण वर्ष 1967 में किया जा चुका है ।

विकास क्षेत्र खोराबार के ग्राम डुमरी के टोला बखरिया का विद्युतीकरण नहीं किया गया है और न ही इसे अभिलेखों में विद्युतीकृत दर्शाया गया है । केवल मुख्य ग्राम डुमरी का विद्युतीकरण 5-6-87 को किया गया था ।

चालू ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम में टोलों के विद्युतीकरण का कोई प्राविधान नहीं है । अतः यह अभी सम्भव नहीं है ।

विकास खण्ड कुड़वार जनपद सुल्तानपुर में स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण की मांग

16–श्री मुईद अहमद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड कुड़वार जनपद सुल्तानपुर में 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र के स्थापना की स्वीकृति पिछली सरकार ने दे दी थी ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य अब तक क्यों नहीं प्रारम्भ कराया गया ? इस स्वीकृत विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कराया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव ---

जी हां ।

संसाधनों की कमी के कारण इस उपकेन्द्र का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका । वर्ष 1990-91 में कार्य प्रारम्भ कराना प्रस्तावित है जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर की पुलिस चौकी बरुआपेहना पर पुलिस सिपाहियों द्वारा दीवान की पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार विषयक शिकायत पर कार्यवाही ।

17–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की पुलिस चौकी बरुआपेहना पर एक पुलिस दीवान के मकान में दीवान की अदम मौजूदगी में कुछ पुलिस सिपाहियों ने दीवान की पत्नी से अभद्र व्यवहार व मारपीट दिनांक 17-4-90 को की जिसकी शिकायत दीवान की पत्नी ने दिनांक 19-4-90 को पुलिस अधीक्षक को दी ? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गए सिपाहियों के क्या सजा दी गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव ---

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित घटना के सम्बन्ध में श्री रणवीर सिंह ह0 का0 की पत्नी ने अपनी पेशबन्दी में दि0 18-4-90 को पुलिस चौकी बरुआपेहना

कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर को शिकायती प्रार्थना-पत्र दिया था । जांच से प्रार्थना-पत्र में लगाए गए आरोप निराधार पाए गए । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद देवरिया के ग्राम सभा कोतवाली के अन्तर्गत गांवों का विद्युतीकरण

18–श्री राम छबीला–

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के ग्राम सभा कैथवली के अंतर्गत सम्पूर्ण गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है ? क्या संदर्भ में श्री राजेन्द्र राव का पत्र दिनांक 16-1-90 का शासन को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं । ग्राम सभा कैथबली का एल0 टी0 मेंस बिछाकर विद्युतीकरण अभी नहीं हुआ है । ग्राम कैथवली का केवल केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार विद्युतीकरण हुआ है ।

जी हां । इस पत्र में उन्होंने ग्राम कैथवली एवं उसके विभिन्न टोलों के विद्युतीकरण हेतु अनुरोध किया है ।

विद्युत सलाहकार समिति द्वारा चयनित न होने के कारण उक्त ग्राम सभा का एल0 टी0 मेस बिछाकर विद्युतीकरण नहीं हो सका है । समिति द्वारा चयन होने के पश्चात ही ग्राम एवं इसकी हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण सम्भव हो सकेगा ।

उपनिदेशक, कृषि रक्षा के विरुद्ध कीट नाशक दवाओं के सम्बन्ध में अपराध अनुसंधान द्वारा आरोपों की प्रमाणित पुष्टि एवं कार्यवाही

19--श्री अशोक कुमार सिंह---

क्या मुख्य मन्त्री को ज्ञात है कि पुलिस अधीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा अपनी जांच आख्या 17/88, 151/ए, दिनांक 10-2-88 में तत्कालीन उप-निदेशक, कृषि रक्षा के विरुद्ध कीट नाशक दवाओं के संबंध में आरोपों की प्रमाणित पुष्टि करते हुए विभागीय कार्यवाही की संस्तुति की थी ? यदि हां, तो भ्रष्टाचार के इस गम्भीर मामले में अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विशेष अनुसंधान शाखा (कृषि) के पत्र दिनांक 10-2-89 में रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है बल्कि उनके पत्र दिनांक 10-10-86 द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसके संदर्भ में तत्कालीन उप निदेशक कृषि रक्षा श्री आर0 एन0 सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही क्रमिक है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ में मोहम्मदाबाद गोहना में विद्युत केन्द्र के निर्माण की मांग

20–श्री फौज दार प्रसाद–

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 132 के0 वी0 विद्युत केन्द्र मोहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ/आजमगढ़ के निर्माण हेतु शासन एवं विद्युत परिषद द्वारा वर्ष 1988-89 में अनुमति दिए जाने के बाद भी केवल उपकेन्द्र हेतु जमीन की घेरा बन्दी कर छोड़ दिया गया है ? क्या इसके बाद के कई उपकेन्द्र सेमरी जमालपुर बढ़ुआ गोदाम मऊ कार्य कर रहे हैं एवं सिकन्दरपुर बलिया कुन्डेसर गाजीपुर निर्माणाधीन है ? मोहम्मदाबाद गोहना विद्युत केन्द्र का निर्माण कार्य कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मोहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ में 132 के0 वी0 विद्युत केन्द्र के निर्माण हेतु भूमि अर्जित कर ली गई है।

धनाभाव के कारण सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उपकेन्द्रों पर ही जैसे सेमरी-जमालपुर बढ़ुआ गोदाम (गाजीपुर रोड) मऊ, सिकन्दरपुर मऊ कुण्डेसर (गाजीपुर) जिसके निर्माण हेतु पी0 एफ0 सी0/आर0 ई0 सी0 द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है, में ही कार्य किया गया है अथवा निर्माणाधीन है।

धनाभाव के कारण मोहम्मदाबाद गोहना पर निर्माण कार्य सम्भव नहीं हो सका। इस उपकेन्द्र के निर्माण हेतु पी0 एफ0 सी0 द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु वर्ष 1989 में प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव की स्वीकृति तथा धन की उपलब्धता पर कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

जनपद गाजीपुर में मादक द्रव्यों की तस्करी में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी, बरामद की गई मादक द्रव्य मात्रा एवं रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था की मांग

21–श्री अफजाल अंसारी–

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर में जुलाई, सन 89 से जनवरी सन 90 तक पुलिस ने मादक द्रव्यों की तस्करी में लिप्त कुल कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार करके कितनी मात्रा में मादक द्रव्य बरामद किया ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि इस जनपद में हजारों व्यक्ति मादक द्रव्यों के सेवन के आदी होकर अर्द्ध विक्षिप्त हो गए हैं, जिनमें से बहुतेरे नशे के लिए छोटे-बड़े अपराध करते रहते हैं ? क्या मन्त्री जी इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी व्यवस्था करायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जनपद गाजीपुर में जुलाई सन् 89 से जनवरी सन् 90 तक मादक द्रव्यों की तस्करी में लिप्त 123 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर 1509.5 ग्राम हेरोइन तथा 23 किन्टो 840 ग्राम गांजा बरामद किया गया।

मादक द्रव्यों के सेवन से विक्षिप्तता व नशे के लिए छोटे-छोटे अपराध करने का अनुमान है । किन्तु आलोच्य अवधि में ऐसा कोई ठोस दृष्टान्त प्रकाश में नहीं आया है ।

मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम हेतु निरन्तर सतर्कता बरती जा रही है ।

बाराबंकी के थाना टिकैत नगर के एस0 आई0 श्री राम शिरोमणि सिंह पर घूंसखोरी के आरोप

22—श्री प्रदीप कुमार यादव,
श्री रविदास मेहरोत्रा,
श्री संत बख्श रावत तथा
श्री संत श्रीराम द्विवेदी—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के प्रथम बुद्धवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-43 के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि थाना टिकैतनगर के उप-निरीक्षक श्री राम शिरोमणि सिंह व का0 रामविलास द्वारा श्री प्रभाष चन्द जैन से पांच हजार रुपये की उत्कोच ग्रहण किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस उत्कोच को वापस कराने के बारे में कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

जांच में गवाहों के बयान एवं अभिलेखों की समीक्षा में श्री राम शिरोमणि सिंह व का0 राम बिलास द्वारा उत्कोच ग्रहण करने की बात प्रकाश में आयी थी किन्तु उक्त अभियोग की पुष्टि में प्रभावी साक्ष्य नहीं था । प्रभावी साक्ष्य के आभाव में ही दोनों पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभियोग चलाने की कार्यवाही नहीं की जा सकी । अतः अभिकथित उत्कोच को वापस कराने की कार्यवाही का प्रश्न नहीं रहता है ।

वाराणसी जनपद के भदोही ब्लाक की ग्राम सभा गंगापुर के पूरवे फत्तूपुर की पावर हाउस हेतु ली गई जमीन के मुआवजे की धनराशि को ग्राम सभा गंगापुर भदोही वाराणसी के खाते में हस्तांतरित करने की मांग

23—श्री राज किशोर सिंह—

क्या ऊर्जा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के भदोही ब्लाक की ग्राम सभा गंगापुर के पूरवे फत्तूपुर की जमीन पावर हाउस फत्तूपुर भदोही के निर्माण के लिए अध्याप्त की गई थी जिसके मुआवजे के रूप में रू0 320000 रु0 सब-डिवीजनल आफीसर इलेक्ट्रीसिटी ट्रांसमिशन डिवीजन उ0 प्र0 वि0 प0 वाराणसी के पत्र सं0-212 वी

दि0 24-3-82 व चेक सं0 04/50. 276470 दि0 20-2-82 के अनुसार जिलाधिकारी वाराणसी के खाते में जमा है तथा इस संबंध में एस0 डी0 ओ0 इलेक्ट्रीसिटी, भदोही वाराणसी ने भी पत्र सं0 620 आर0 टी0 डी0 (वाइड) दि0 26-2-82 लिखा है ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि ग्राम सभा गंगापुरा भदोही वाराणसी के खाते में हस्तांतरित हुयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां

जी हां

रु. 3,20,000/- की धनराशि स्टेट बैंक आफ इंडिया वाराणसी में जिलाधिकारी, वाराणसी के पक्ष में चेक नं0 ओ0 जी0 /50- 276470 दिनांक 20-2-82 द्वारा जमा कर दी गयी थी ।

जी नहीं ।

जिलाधिकारी, वाराणसी ने सूचित किया है कि उक्त धनराशि राजकीय कोष के खाते में नियमानुसार जमा है एवं ग्राम सभा के खाते में इसका स्थानांतरण नहीं होना है ।

निजी क्षेत्र के उर्वरक विक्रेताओं द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

24---**श्री निरवेन्द्र कुमार**

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निजी क्षेत्र के उर्वरक विक्रेताओं द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11-1-90 शासन स्तर पर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्रोल्लिखित मामले में कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो कब एवं क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्रश्न में उल्लिखित पत्र कृषि विभाग में उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ में ग्राम दबौली थाना रौनापार में ग्रामीणों द्वारा डकैत मारे जाने तथा प्रशासन द्वारा बन्दूक के लाइसेन्स दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

25---**श्री पंचानन राय--**

क्या मुख्य मंत्री कृपया करेंगे कि ग्राम दबौली थाना रौनापार जनपद आजमगढ में 15 मार्च, 88 में कोई डकैत मौके पर ग्रामीणों द्वारा मारा गया था तथा जिला प्रशासन द्वारा पुरस्कार स्वरूप कुछ नागरिकों को बन्दूक के लाइसेन्स दिये जाने की घोषणा की गई थी ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 11 जनवरी 90 जिला मजिस्ट्रेट आजमगढ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ ।
जी हां ।

चार व्यक्तियों से बन्दूक लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये । भारत सरकार द्वारा 24 जनवरी, 1989 की अधिसूचना द्वारा आयुध नियमावली में संशोधन कर आवेदन पत्र का नया प्रपत्र निर्धारित किया गया जिसके फलस्वरूप पुराने आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया गया तथा प्रार्थीगणों से नये प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने को कहा गया । एक आवेदक से नये प्रपत्र पर आवेदन पत्र दिनांक 2-5-90 को प्राप्त हुआ है जिस पर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। अन्य से नये प्रपत्र पर प्रार्थना-पत्र देने का अनुरोध किया गया है ।

जनपद मऊ के तहसील घोसी के ग्राम सभा लखनी के हरिजन बस्ती बनही का विद्युतीकरण करने की यांग

26---श्री फौजदार प्रसाद--

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मऊ के तहसील घोसी के ग्राम लखनी के हरिजन बस्ती बनहीं का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं तो क्या सरकार उक्त बस्ती का विद्युतीकरण अतिशीघ्र कराने का कष्ट करेंगी ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी नहीं ।

ग्राम सभा लखनी की हरिजन बस्ती लखनी तथा हरिजन बस्ती धोबी टोला लखनी का विद्युतीकरण पहले ही हो चुका है । हरिजन बस्ती बनही एल0 टी0 लाइन से1600 मीटर तथा 11 के0 वी0 लाइन से 2.5 कि0 मी0 की दूरी पर है । इसके विद्युतीकरण पर निर्धारित रु0 5000/— से बहुत अधिक व्यय आने के कारण इसका विद्युतीकरण संभव नहीं है ।

संयुक्त सचिव, गृह विभाग उ0 प्र0 शासन, लखनऊ का जिलाधिकारी एवं एस0 एस0 पी0 फैजाबाद को हरिजन आबादी पर से अवैध कब्जा हटाने विषयक पत्र---

27---श्री फौजदार प्रसाद---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव, गृह विभाग उ0 प्र0 शासन, का पत्र संख्या 12376/87 गोपन-7 दिनांक-14 दिसम्बर, 1987 जिलाधिकारी एवं एस0 एस0 पी0 फैजाबाद को सामूहिक हरिजन आबादी गाटा संख्या-513,514, एवं 515 पर से अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या मुख्य मंत्री जी उक्त हरिजन आबादी का आवंटन पात्रता के आधार पर विचार करेंगे ? यदि हां तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हाँ ।

प्रश्नगत भूमि से सम्बन्धित वाद दीवानी न्यायालय, अकबरपुर में विचाराधीन होने के कारण आवंटन की कार्यवाही सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

शाहजहांपुर जिले के थाना खुटार के ग्राम सिंउस खुर्दकला में जहर देकर नवयुवक की हत्या, एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

28---श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जिले के थाना खुटार के ग्राम सिउस खुर्द कला में 2-2-90 की शाम को एक नवयुवक की हत्या जहर देकर कर दी गई ? क्या इसकी रिपोर्ट न लिखकर केवल तहरीर लेकर दिनांक 4-2-90 को लाश पोस्टमार्टम को भेज दी गई थी ? यदि हां, तो उक्त घटना में दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री इतवारी पुत्र दीना निवासी ग्राम सिउरा स्थान खुटार जनपद शाहजहांपुर ने दि0 3-2-90 को इस आशय की सूचना दी कि उसके लड़के मुन्ना की 2-2-90 की रात्रि में कुछ नशीली चीजें खाने से मृत्यु हो गई । यह सूचना थाने पर रोजनामचा आम रिपोर्ट सं0 6 पर दि0 3-2-90 को अंकित करके पंचायतनामा की कार्यवाही की गई । लाश का पोस्टमार्टम दि0 4-2-90 को किया गया । दि0 3-2-90 की सूचना के आधार पर थाना खुटार पर म0 अ0 सं0 19/90 धारा 302 आई0 पी0 सी0 अभियुक्त सत्यपाल तथा रामनाथ के विरुद्ध दि0 7-2-90 को कायम किया गया । जिसमें 120 बी आई0 पी0 सी0 की वृद्धि करके दि0 13-2-90 को 304 आई0 पी0 सी0 में तरमीम किया गया । अब तक की विवेचना से कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं मिल पाया है । इसलिए इस घटना में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है । विवेचना प्रचलित है ।

यू0 पी0 ट्रांसफार्मर मैन्यूफैक्चर्स एसोसियेशन, निरालानगर, लखनऊ का विद्युत परिषद् द्वारा उनके साथ की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में ज्ञापन एवं कार्यवाही

29---श्री सत्य प्रकाश विकल---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू पी0 ट्रांसफार्मर मैन्यूफैक्चरर्स एसोसियेशन, निरालानगर, लखनऊ का उनको सम्बोधित राज्य विद्युत परिषद् द्वारा उनके साथ किये जा रहे पक्षपात व अनियमितताओं के संबंध में मार्च, 1990 में कोई

ज्ञापन प्राप्त हुआ ह ? यदि हां, तो पत्र में वर्णित बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं तो क्यो?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

उक्त ज्ञापन में मुख्यत: निम्न बिन्दु उठाये गए हैं ।

1---ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की अवहेलना, 40000 नलकूपों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 3000 नलकूप लगाना । ग्रामीण विद्युतीकरण एवं नलकूप न लगाने के लिए कौन जिम्मेदार है ।

2---ट्रांसफार्मर की इकाइयों के बिलों के भुगतान न होने के कारण दुर्दशा ।

यह सही नहीं है कि ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों की अवहेलना की गयी है । यह भी सही नहीं है कि 40000 नलकूपों के लक्ष्य के विरुद्ध केवल 3000 नलकूप पंजीकृत हुए । वर्ष 1989-90 में विभिन्न ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यों के लक्ष्य और उपलब्धि निम्नवत है:

	लक्ष्य	उपलब्धि
1---निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण	200000	18649 (93 प्रतिशत)
2---ग्रामों का विद्युतीकरण (एल0 टी0 मेंस बिछाकर)	2365	2017 (85 प्रतिशत)
3---ग्रामों का विद्युतीकरण (केन्द्रीय विदयुत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार)	2365	1832 (7.5 प्रतिशत)
4---हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण	2221	2462 (11 प्रतिशत)

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उक्त कार्य किये गये ।

जहां तक ट्रांसफार्मर इकाइयों के बिलों के भुगतान का प्रश्न है संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भुगतान किया जा रहा है। वर्ष 1989-90 में ग्रामीण विद्युतीकरण मे प्राप्त ऋण से रु0 24.30 करोड़ रुपये का भुगतान ट्रांसफार्मरों के लिये किया गया । इसके अतिरिक्त शासन से प्राप्त धनराशि से रु0 13.47 करोड़ का भुगतान विभिन्न ट्रांसफार्मर इकाइयों को किया गया ।

जिला हरदोई, ग्राम नैरा के श्री छोटई से किए गए सुलहनामे की प्रति को सदन के पटल पर रखने की मांग

30---श्री अशोक कुमार सिंह---

30---विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री राम पाल वर्मा, विधायक द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न सं0 -84 के उत्तर के संदर्भ में

क्या मुख्यमंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री छोटई हरिजन नि0 ग्राम-नैरा थाना कछौना जनपद हरदोई द्वारा दिनांक दिनांक 10-12-89 को जो समझौता हुआ उस की एक प्रति सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि समझौता नहीं हुआ है, तो क्या पुनः उक्त मामले की जांच कराई जायेगी तथा गलत उत्तर देने के लिए सम्बन्धित लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी । यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव ---

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के लिए श्री राम पाल वर्मा, विधायक द्वारा पूछे गये अता0 प्र0 सं0-84 के उत्तर के सन्दर्भ में सूचनार्थ है कि प्राप्त सूचना के आधार दोनों पक्षों के बीच सुलह के आधार पर न्यायालय में प्रस्तुत सुलहनामे की प्रति न्यायालय के ग्रीष्मकालीन अवकाश होने के कारण प्राप्त नहीं हुई है अतः निर्धारित तिथि को पटल पर रखना सम्भव नहीं है । उसकी प्रतिलिपि प्राप्त कर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद हरदोई, ग्राम बमगढ़ा के श्री तुलसी के प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी देने की मांग

31---श्री अशोक कुमार सिंह---

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के लिए निर्धारित श्री राम पाल वर्मा सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये अता0 प्रश्न सं0-86 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री तुलसी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर विपक्षीयों द्वारा अवैध कब्ज करने के आरोप में 6-2-90 को धारा 133 द0 प्र0 संहिता की रिपोर्ट दर्ज कराई गई? यदि हां, तो क्या मंत्री जी पूरे प्रकरण की जांच कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री तुलसी के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित विपक्षियों द्वारा अवैध कब्जा करने के आरोप की जांच से यह प्रकाश में आया कि प्रतिवादियों के अलावा स्वयं श्री तुलसी ने भी अपने मकान के सामने 2 मीटर बढ़ाकर चबूतरे का अवैध निर्माण करके सार्वजनिक मार्ग को अन्य की भांति अवरुद्ध कर लिया है ।

स्थानीय पुलिस ने दिनांक 6-2-90 को धारा 133 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत परगना मैजिस्ट्रेट, मण्डीला के न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की । सम्बन्धित मुकदमा नं0 26 में सुनवाई हेतु नियत तिथि 12-4-90 को न्यायालय में उपस्थिति हेतु नोटिस जारी की गई । श्री तुलसी को नोटिस दिनांक 9-3-90 तामील हुयी । द्वितीय पक्ष नियत तिथि को उपस्थित हुआ परन्तु प्रथम पक्ष श्री तुलसी के उपस्थित न होने के कारण परगना मैजिट्रेट, मण्डीला द्वारा मामले को समाप्त कर दिया गया।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, 4-विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ के कार्यालय में दैनिक श्रेणी लिपिक की अवैध नियुक्तियों को रद्द किए जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही ।

32---श्री कल्यान सिंह---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, 4 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ के कार्यालय में दैनिक श्रेणी लिपिक के पद पर तदर्थ व्यवस्था में 29 कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियां रद्द किये जाने विषयक श्री नन्द लाल जायसवाल, प्रान्तीय कार्यालय मंत्री, उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्र संख्या 451 दिनांक 6-9-1989 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

श्री नन्द लाल जायसवाल के उक्त पत्र में उठाये गए समस्त बिन्दुओं पर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् द्वारा जांच करायी गई । पत्र में उल्लिखित नियुक्तियां तदर्थ व्यवस्था में परिषद् की अनुमति के उपरान्त परिषदीय कार्यहित में की गयी, क्यों कि विद्युत सेवा आयोग द्वारा दैनिक श्रेणी लिपिक हेतु चयन की प्रक्रिया में काफी विलम्ब होने की सम्भावना थी । तदर्थ रूप में नियुक्त किए गए अभ्यर्थी पद हेतु निर्धारित अर्हतायें पूर्ण करते हैं । परिषदीय कार्यहित को देखते हुये इन्हें सेवा से हटाया जाना सम्भव नहीं है । अतः विद्युत सेवा आयोग अथवा स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से इनकी सेवाओं को नियमित करने का मामला परिषद् में विचाराधीन है ।

जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत ग्राम हरनोट भोजपुर विकास खण्ड बिजौली में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

33---श्री कल्यान सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि थाना दादो जिला अलीगढ़ के अन्तर्गत ग्राम हरनोट भोजपुर (विकास खण्ड बिजौली) में पुलिस चौकी स्थापित करने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 10 फरवरी, 90 का कोई ज्ञापन सरकार को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार ने अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? उक्त ग्राम में पुलिस चौकी कब तक स्थापित कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

ग्राम हरनोट भोजपुर नव स्वीकृत थाना पाली मुकीमपुर जनपद अलीगढ़ के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया है, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था नवीन स्थानीय थाने से पूर्ण हो जायेगी । अतः उक्त ग्राम में पुलिस चौकी की स्थापना का औचित्य नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत विभाग के भ्रष्टाचार और लापरवाही विषयक श्री हरगोविन्द, स्वतंत्रता सेनानी एवं पत्रकार के पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र पर कार्यवाही

34---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को सम्बोधित पत्र संख्या 974/जद/89 दिनांक 26 दिसम्बर, 89 श्री हरगोविन्द, स्वतंत्रता सेनानी एवं पत्रकार, पत्रकार आश्रम सोन प्रयाग चमोली के पत्र के साथ जिसमें विद्युत विभाग के भ्रष्टाचार और लापरवाही की शिकायतें की गयी हैं, मिल गया है ? यदि हां, तो शिकायतें और उन पर अब तक की कृत कार्यवाही का विवरण क्या है ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

श्री हरगोविन्द, स्वतंत्रता सेनानी, सोन प्रयाग, चमोली के पत्र दिनांक 26-12-89 में की गयी मुख्य शिकायतें निम्न हैं :---

(1) माह जुलाई 89 में विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था हो जाने के पश्चात तथा अधिशासी अभियन्ता, गोपेश्वर तथा अधीक्षण अभियंता, श्रीनगर को पत्र भेजने के बाद भी पत्रकार आश्रम में विद्युत आपूर्ति का न हो पाना ।

(2) खम्भों को गाडने तथा स्टे लगाने में सीमेंट का प्रयोग न किया जाना तथा 100 मीटर से अधिक तार हाते से परिषद् द्वारा न हटाया जाना ।

इस सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की गई है:---

(1) पत्रकार आश्रम में विद्युत आपूर्ति हेतु दिनांक 17-2-90 को आवेदन पत्र दिया गया था जिसका आंकलन माह मार्च'' 90 में उपभोक्ता को दिया गया । दिनांक 9-4-90 को उपभोक्ता द्वारा प्राकलन की धनराशि जमा की गई तथा दिनांक 26-4-90 को उपभोक्ता का संयोजन अवमुक्त कर दिया गया है ।

(2) एल0 टी0 लाइन के खम्भे गाडने तथा स्टे लगाने में सीमेंट के प्रयोग के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण प्राप्त किया जा रहा है ।

कार्य के उपरान्त बचे हुये तार को उपभोक्ता के परिसर से हटाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

विधायक निवास, पार्क रोड लखनऊ पर भ0 प0 सदस्यों का अनाधिकृत रूप से कब्जा एवं बकाया

35---श्री उदल---

क्या राज्य सम्पत्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक निवास, पार्क रोड लखनऊ पर कितने भू0 प0 सदस्य विधान सभा सन् 85 से अब तक तथा 15

सितम्बर, 1989 से अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं ? उनके ऊपर कितना रुपया किराया का बकाया है? अध्यादेश हो जाने के बाद भी सरकारी आवास उनसे क्यों नहीं खाली कराये गये ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

अनधिकृत अध्यासियों तथा उनके ऊपर बकाया किराये की सूची संलग्न है ।

अध्यादेश के उपरान्त अनधिकृत अध्यासियों से आवास रिक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है ।

देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 209-210 पर ।

जनपद बांदा के परियोजना अधिकारी (कृषि) के अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रार्थनकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

36---श्री नरेन्द्र पाल वर्मा---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रार्थनकर्ता का दिनांक 8 मार्च, 1990 का पत्र बांदा जनपद के परियोजना अधिकारी (कृषि) के अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र में परियोजनाधिकारी (कृषि) जनपद बांदा के विरुद्ध क्या-क्या आरोप हैं तथा शासन स्तर के किस उच्च अधिकारी ने इसकी जांच की तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

पत्र में परियोजना अधिकारी (कृषि) बांदा पर संक्षेप में निम्नलिखित आरोप लगाये गये हैं---

(1) बिना कृषि निदेशक की स्वीकृति प्राप्त किए डी0 सी0 डी0 एफ0 से रु0 2 लाख की खाद क्रय करना ।
(2) कार्यकारियों को कागज में दिखाना ।
(3) स्थानान्तरण भत्ता रुपये 5 हजार निकाला जो फर्जी है ।

कृषि निदेशक को जांच हेतु निर्देशित किया गया है ।

श्री चन्दी कदार गांव जास, थाना कासिम पर जनपद हरदोई का थाना आंरास जनपद लखीमपुर की सहिता द्वारा लाये जाने वाले लड़कों को मारे पीटे जाने सिंघाड़क प्रार्थना पत्र एवं कार्यवाही

37---श्री राना प्रसाद पाण्डेय---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री चन्दी कदार ग्राम जास, थाना कासिमपुर जनपद हरदोई का इस आशय का दिनांक 15-3-90 का प्रार्थना पत्र कि

थाना औरास जनपद उन्नाव की पुलिस ने उसे, उसके दो लड़कों एवं एक दामाद को थाने में घटना की सूचना देने पर बुरी तरह से पीटा और उनकी घड़ियां तथा नकद रुपये छीन लिए, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दोषी पुलिस जनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां

जांच से प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई । अतः पुलिस जनों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

पिछड़ा जनपद घोषित करने के मानक एवं बिजनौर को पिछड़ा जनपद घोषित करने की मांग

38–श्री सरवीर सिंह–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसी जनपद को पिछडा जनपद घोषित करने के क्या मानक हैं ? क्या बिजनौर जनपद इस श्रेणी में है ? यदि नहीं, तो बिजनौर को पिछड़ा जनपद घोषित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

किसी भी जनपद को पिछड़ा जनपद घोषित करने की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा की जाती है । किसी जनपद को पिछड़ा जनपद घोषित करने के मानक भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं । राज्य सरकार को भारत सरकार द्वारा किए गये मानक की जानकारी नहीं है ।

भारत सरकार के द्वारा पिछड़े जनपदों के किए गए वर्गीकरण के अनसार जनपद बिजनौर पिछड़े जनपदों की श्रेणी में नहीं आता है ।

थाना इनायत नगर, जनपद फैजाबाद में थानाध्यक्ष श्री सुरेन्द्र नाथ द्वारा श्री महीप निवासी कन्दरा जनपद फैजाबाद को घटना घटने के समय जेल में बन्द रहने पर भी अभियुक्त बनाया जाना

39-डा0 ब्रज भूषण मणि त्रिपाठी--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अ0 सं0 815190 थाना इनायत नगर, जनपद फैजाबाद में श्री महीप निवासी कन्दरा जनपद फैजाबाद को थाना अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र नाथ सिंह अपनी विवेचना में अभियुक्त बनाया है जब कि घटना के समय वह जेल में बन्द था ? यदि हां, तो मुख्य मंत्री जी उपरोक्त पुलिस अधिकारी द्वारा महीप व उसी प्रकार निर्दोष अन्य लोगों को फर्जी रूप से अभियुक्त बनाये जाने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार मु0 अ0 सं0 815/90 नहीं बल्कि मु0 अ0 सं0 85/90 को प्रारम्भिक विवेचना में विवेचना अधिकारी को गवाह श्री कुलदीप नारायन ने दिनांक 4-3-90 को श्री महीप को उक्त घटना में सम्मिलित होना बताया। इसके पश्चात् अभियोग की विवेचना थानाध्यक्ष द्वारा की गई। अभियुक्त महीप के संबंध में उनकी विवेचना के मध्य ज्ञात हुआ कि महीप थाना गौनाही, फैजाबाद मु0 अ0 सं0 319/89 धारा 395/397/412 भा0 दं0 वि0 के अभियोग में 08/11/89 से ही जेल में बन्द था । अतः उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न करके विवेचना के मध्य ही महीप का नाम मु0 अ0 सं0 85/90 से निकाल दिया गया ।

इस प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी नगर/इनायत नगर द्वारा की जा रही है यदि जांच में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मऊ कोपागंज में कृषि मण्डी का हाट (चबूतरा) बनाने की मांग

40–श्री सुबास–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद कोपागंज में कृषि मण्डी समिति का हाट (चबूतरा) बनाने के संबंध में कोई निर्णय सरकार द्वारा लिया गया था? यदि हां, तो उस निर्णय के मुताबिक अब तक हाट (चबुतरा) क्यों नहीं बना ? क्या तत्काल उसके बनवाने की व्यवस्था की जायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ में विद्युतीकरण योजना के तहत खम्भा और तार उपलब्ध कराए जाने की मांग

41-श्री सुबास ----

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद में विद्युतीकरण योजना के तहत या निजी नलकूप लगाने हेतु बिजली लेने की योजना के अंतर्गत गांव-गांव बिजली पहुचाने हेतु खम्भा, तार की आवश्यकता है ? यदि हां, तो क्या यह सामान (खम्भा-तार) मऊ जनपद में उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार तत्काल उक्त सामान उपलब्ध कराने की व्यवस्था करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । वर्ष 1990-91 में मऊ जनपद में प्रस्तावित ग्रामीण विद्युतीकरण एवं नलकूप ऊर्जीकरण कार्यों के लिए खम्भे उपलब्ध हैं परन्तु तार उपलब्ध नहीं हैं । तार की व्यवस्था की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा अंतर्गत ग्राम विशनपुर निवासी पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद पर तत्कालीन थानाध्यक्ष द्वारा लगाये गए आरोपों की जांच विधायक कार्यवाही

42–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा अंतर्गत ग्राम-विशनपुरा निवासी पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद को वर्ष 1985 में तत्कालीन थानाध्यक्ष (श्री एम0 एन0 राय व सी0 ओ0 श्री विजय शंकर राय) द्वारा साम्प्रदायिक आतंकवादी आदि द्वारा पूर्वाग्रह व पूर्व रंजिशवश थाना झंगहा की एक फाइल या गजिस्टर में लिखे जाने की जांच वर्ष 1986 व 1987 में परगनाधिकारी (सदर) गोरखपुर श्री जे0 बी0 सिंह द्वारा करायी गयी और उक्त आरोप असत्य पाया गया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट के आदेश दिनांक 27-10-87 द्वारा श्री जे0 बी0 सिंह, तत्कालीन परगनाधिकारी, सदर से मामले की जांच कराई गई । परगनाधिकारी की जांच के निष्कर्षों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर के पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद का उनके शस्त्रों को वापस करने हेतु स्व0 श्री केशव प्रसाद विधायक के पत्र के साथ संलग्न पत्र पर कार्यवाही

43–श्री मिठाई लाल शास्त्री–

क्या मुख्य मंत्री जांच कर बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के पूर्व विधायक व सांसद श्री फिरंगी प्रसाद विशारद ग्राम पो0-विशुनपुरा, थाना-झंगहा के शस्त्रों को वापस करने हेतु स्व0 श्री केशव प्रसाद विधायक महाराज गंज (पूर्व जनपद गोरखपुर) का संलग्नक के साथ कोई पत्र माह जनवरी व फरवरी, 1990 में प्राप्त हुआ है जो गृह सचिव को कार्यवाही हेतु भेजा जा चुका है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

भूतपूर्व मंत्री (श्री मधुकर दिघे) द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित पत्र दिनांक 2 फरवरी, 90 के साथ स्व0 श्री केशव प्रसाद, विधायक महराजगंज, गोरखपुर का पत्र दिनांक 19 जनवरी, 1990 प्राप्त हुआ है । श्री फिरंगी प्रसाद विशारद के

आग्नेयास्त्र लाईसेंस के निलम्बन के विरुदध उनके द्वारा मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल के समक्ष की गई अपील स्वीकार कर ली गयी है और नीचे के न्यायालय का आदेश निरस्त कर दिया गया है । अपील के निर्णयानुसार जिलाधिकारी, गोरखपुर लाइसेंसी के विरुदध उच्च न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टगत मुकदमें में समुचित कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होंगे । जिलाधिकारी को निदेश दिए जा रहे हैं कि वे तदनुसार मामले में शीघ्र कार्यवाही करें ।

जनपद उन्नाव औरास के थानाध्यक्ष सी0 डी0 पाण्डेय द्वारा रिश्वत लेने, ग्राम बहादुरपुर मजरा हसनपुर में गरीबों के घर उत्पात करने विधायक श्री सुरेश कुमार यादव का पत्र एवं कार्यवाही

44–श्री हृदय नारायन–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव औरास के थानाध्यक्ष सी0 डी0 पाण्डेय द्वारा रिश्वत लेने, ग्राम बहादुरपुर मजरा हसनपुर में गरीबों के घर जाकर उत्पात करने आदि विधायक श्री सुरेश कुमार यादव आदि का जो शिकायती पत्र विधायक श्री मस्तराम के कवरिंग पत्र सहित उपपुलिस महानिरीक्षक लखनऊ को दिनांक 12-4-90 को दिया गया था उसकी जांच के नतीजे क्या हैं ? क्या जांच अधिकारी ने विधायक से पूछतांछ की ? दोषी को क्या दंड दिए गए हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां शिकायती पत्र प्राप्त हुआ । प्राप्त सूचना के अनुसार आरोपों की गंभीरता को देखते हुए उसकी जांच पुलिस अधीक्षक, इरादई के माध्यम से क्षेत्राधिकारी सण्डीला द्वारा करायी गई । जांच से कुछ आरोपों के समर्थन में साक्ष्य मिला । निष्पक्ष और गहराई से जांच अपराध अनुसंधान विभाग से कराये जाने की संस्तुति की गई है ।

मा0 विधायक से इस प्रकरण में पूछतांछ नहीं की गयी, क्योंकि प्रार्थना पत्र में ऐसी कोई बात नहीं थी जिसके लिए इनसे सम्पर्क करना आवश्यक होता ।

जांच के उपरान्त दोषी पाए गए पुलिस कर्मियों/अधिकारियों के विरुदध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

उन्नाव के छात्रों द्वारा जुलूस निकालकर ट्रेन रोका जाना एवं प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही

45–श्री हृदय नारायन–

क्या सरकार अवगत है कि माह अप्रैल, 90 के प्रथम सप्ताह में उन्नाव के छात्रों ने एक जुलूस निकालकर कई ट्रेनें रोक दी थी ? यदि हां, तो उक्त जुलूस कहां से प्रारम्भ हुआ था ? गुस्से में छात्रों को समझा बुझाकर शान्त करने, शांति व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा रेल रोको सफल न होने देने के लिए जिला प्रशासन ने क्या कदम उठाये थे ? क्या यह सच है कि रेल रोको में जिला प्रशासन ने उपेक्षा की थी ? पूरे प्रकरण में दोषी कौन है ? क्या सरकार इस प्रकरण पर उच्च स्तरीय जांच करायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

उन्नाव के छात्रों द्वारा दिनांक 6 अप्रैल, 1990 को ट्रेन रोकने के लिए कोई जुलूस नहीं निकाला गया था बल्कि स्थानीय डी. एस. एन. डिग्री कालेज के छात्रों द्वारा वार्षिक परीक्षायें अप्रैल के बजाय जलाई में कराये जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने हेतु निकाला गया था । रेलवे क्रासिंग पहुंचने पर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन आने की सूचना पाते ही जुलूसकारियों द्वारा अचानक उक्त ट्रेन को रोका गया जिससे उन्नाव स्टेशन से छूटने वाली कई अन्य ट्रेनें भी प्रभावित हुई ।

उक्त जुलूस स्थानीय डी. एस. एन. डिग्री कालेज से प्रारम्भ हुआ था ।

छात्रों का रेल रोकने का कोई पूर्व कार्यक्रम नहीं था । अत: छात्रों द्वारा अचानक रेल को रोके जाने की सूचना मिलते ही जी0 आर0 पी0 उन्नाव तथा स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गयी जिससे सभी छात्र इधर-उधर भाग गए तथा रेलों का आवागमन सामान्य हो गया ।

जी नहीं ।
कोई नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम आशाखेड़ा, तहसील-हसनगंज, जिला उन्नाव में विद्युत विभाग की लापरवाही से हुई अग्नि काण्ड एवं प्रभावित जनों की क्षतिपूर्ति पूरा किए जाने विषयक विधायक श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी का पत्र एवं कार्यवाही

46–श्री हृदय नारायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 13-4-87 को ग्राम-आशाखेड़ा, तहसील-हसनगंज, जिला-उन्नाव में विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण हुए अग्निकाण्ड में लगभग 30 ग्रामीणों की काफी क्षति हुई है जिसके संबंध में तत्कालीन क्षेत्रीय विधायक श्री सच्चिदानन्द बाजपेयी ने पत्र दिनांक 15-11-88 एवं 10-3-89 ऊर्जा मंत्री को लिखे थे ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त संदर्भ में उ0 प्र0 शासन ने विद्युत परिषद् को दोषी बताते हुए क्षतिपूर्ति किए जाने की संस्तुति की है ? यदि हां, तो इस संदर्भ में क्या कार्यवाही की गई है ? क्या सरकार बतायेगी कि इतनी लम्बी अवधि तक क्षति-पूर्ति न दिए जाने का कारण क्या है ? क्षतिपूर्ति न देने के दोषी को दण्डित करने की क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

संदर्भित दोनों पत्र विभाग में उपलब्ध नहीं हो पाये हैं । ग्राम आशाखेड़ा, तहसील हसनगंज, जिला उन्नाव में दिनांक 13-4-87 को हुए अग्निकाण्ड में 30 ग्रामीणों की क्षति नहीं हुई थी अपितु केवल श्रीमती सरोज बाजपेई के खलिहान में अग्निकाण्ड हुआ था । निदेशक विद्युत सुरक्षा द्वारा की गई जांच के अनुसार यह अग्निकाण्ड उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के त्रुटिपूर्ण अधिष्ठापन के कारण घटित हुआ । किन्तु परिषद् इससे सहमत नहीं है और उनके अनुसार यह अग्निकाण्ड मूलत: उपभोक्ता के उप-करणों की खराबी एवं उसके परिसर पर लगी सुरक्षा व्यवस्था के अभाव के कारण घटित हुआ और इसलिए परिषद् द्वारा क्षतिपूर्ति किए जाने एवं किसी कर्मचारी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही किए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद इलाहाबाद के ब्लाक सोरांव के ग्राम-चांदपुर विगहिया, चांदपुर मनियारा ग्रामों में विद्युतीकरण न करके, अभिलेखों में विद्युतीकृत दिखाया जाना ।

47–श्री भोला सिंह---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-इलाहाबाद के ब्लाक सोरांव के ग्राम-चांदपुर विगहियां चांदपुर मनियारा, ग्रामों में अभी तक विद्युतीकरण नहीं हुआ है जब कि अभिलेखों में उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण दिखा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

ब्लाक सौरांव में चांदपुर विगहियां एवं मटियारा कोडेड ग्राम है । ग्राम चांदपुर मटियारा अलग से ग्राम नहीं है वरन ग्राम मटियारा का ही एक पुरवा है । ग्राम चांदपुर विगहिया का विद्युतीकरण 1980 में तथा ग्राम मटियारा का विद्युतीकरण 1981 में गलती से दिखला दिया गया था जबकि इन ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1989-90 में हुआ है ।

इस सम्बन्ध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है ।

48–श्री शारदानन्द अंचल–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

श्री भवानी प्रसाद शुक्ल निवासी ग्राम घटौली, थाना अमानीगंज जनपद फैजाबाद के घर पर पड़ी डकैती एवं जांच

49–श्री हरगंश सहाय---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री भवानी प्रसाद शुक्ल निवासी ग्राम घटौली (पर भवानीपुर) थाना अमानीगंज जनपद फैजाबाद के घर पर दिनांक 5-3-90 को डकैती पड़ी थी ? क्या उसकी नामजद रपट थाना अमानीगंज तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फैजाबाद के कार्यालय में अंकित करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले के अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री भवानी प्रसाद शुक्ल के घर ग्राम रौतावा पर दिनांक 5-3-90 को अभिकथित डकैती की घटना घटित नहीं हुई ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री उमाशंकर पाठक संयुक्त कृषि निदेशक के विरुद्ध शिकायत की जांच के सम्बन्ध में कृषि सचिव को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

50---श्री शारदानंद अंचल---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उमाशंकर पाठक संयुक्त कृषि निदेशक (दलहन अनुभाग) के विरुद्ध शिकायत की जांच के सम्बन्ध में 26 फरवरी, 1990 सी0 एम0 (डि0 को0) एम-1-द/163-369/90 का पत्र कृषि सचिव को भेजा गया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

कृषि निदेशक स्तर पर जांच की जा रही है ।

श्री शिव नरायन प्रबंधक डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज जिल्थरा रोड बलिया के विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करने के संबंध में पत्र एवं कार्यवाही

51–श्री शारदानंद अंचल---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री शिव नरायन प्रबन्धक डी0 ए0 वी0 इण्टर कालेज जिल्थरा रोड बलिया के विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करने के सम्बन्ध में सं0 सी0 एम0 डि0 को एम-1-द/203-379/90 का एक गृह विभाग को दिनांक 7 मार्च, 1990 को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ है । मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री सईद, रसडा, जिला बलिया के प्रकरण की जांच करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक को भेजा गया पत्र एवं कार्यवाही

52–श्री शारदानंद अंचल---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सईद, रसडा, जिला बलिया के प्रकरण की जांच करने के संबंध में पत्र दिनांक 5-2-90 पत्रांक सी एम (डि0 को0) एम-1-द/106-42/90 को पुलिस अधीक्षक जिला बलिया को भेजा गया है, पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्रार्थना पत्र पर जांच कराई गई । प्राप्त सूचना के अनुसार जांच में पाया गया कि विवादित भूमि के बारे में पक्षों के बीच कई वाद न्यायालयों में विचाराधीन है । शान्ति भंग की संभावना को देखते हुये उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की गई ।

फोरमोस्ट इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड सहारनपुर में औद्योगिक लाइसेंस के अनुसार उत्पादन क्षमता एवं प्रतिवर्ष दुग्ध का सामान

*53–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह---

53---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फोरमोस्ट इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड सहारनपुर की पिछले 6 माह में औद्योगिक लाइसेंस के अनुसार उत्पादन क्षमता क्या रही ? इस कम्पनी ने प्रतिवर्ष कितने दुग्ध का सामान बनाया ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

मै0 फोरमोस्ट इण्डट्रीज (इण्डिया) लि0, सहारनपुर को 2400 मी0 टन प्रति वर्ष दुग्ध चूर्ण का औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त है । तदनुसार 6 वर्ष की उत्पादन क्षमता 14,400 मी0 टन दुग्ध चूर्ण होती है ।

कम्पनी ने पिछले 6 वर्षों में निम्नांकित मात्रा के दूध का सामान प्रति वर्ष बनाया :

वर्ष	मात्रा
1984-85	624.15 लाख किग्रा0
1985-86	554.80 लाख किग्रा0
1986-87	562.10 लाख किग्रा0
1987-88	612.00 लाख किग्रा0
1988-89	627.80 लाख किग्रा0
1989-90	456.25 लाख किग्रा0
योग :	3,437.10 लाख किग्रा0

फरमोस्ट इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड सहारनपुर द्वारा लाइसेंस क्षमता से अधिक दूध लिये जाने विषयक सहारनपुर के दूध विक्रेताओं का पत्र एवं कार्यवाही ।

54–श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह

क्या सरकार को यह जानकारी है कि फोरमोस्ट इन्डस्ट्रीज (इण्डिया) लिमिटेड सहारनपुर गत 6 वर्षों से लाइसेंस क्षमता से अधिक दूध ले रही है जिसकी लिखित शिकायतें फरवरी, 1990 के प्रथम सप्ताह में सहारनपुर के दूध विक्रेताओं ने मुख्य मंत्री को की है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव

फारेमोस्ट इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) लि0, सहारनपुर अपनी निर्धारित लाइसेंस क्षमता से अधिक दूध ले रही है । कम्पनी द्वारा लाइसेंस क्षमता का अतिक्रमण किए जाने की शिकायतें शासन को प्राप्त हुई है लेकिन फरवरी, 1990 के प्रथम सप्ताह में सहारनपुर के दुग्ध विक्रेताओं द्वारा दिया गया शिकायती पत्र उपलब्ध नहीं है । कम्पनी के विरुद्ध लाइसेंस क्षमता के अतिक्रमण करने के संबंध में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखायी गयी थी लेकिन कम्पनी ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष एक याचिका संख्या : 903/88 प्रस्तुत करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया ।

अनपरा तापीय परियोजना के विस्थापितों द्वारा नौकरी की मांग को लेकर गिरफ्तारियां एवं कार्यवाही ।

55---श्री विजय सिंह---

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि अनपरा तापीय परियोजना के हजारों विस्थापितों ने उद्वासित किसान मजदूर परिषद शाखा अनपरा के नेतृत्व में अनपरा थाने में दिनांक 22-1-90 से 28-1-90 तक नौकरी की मांग को लेकर गिरफ्तारियां दीं ? यदि हां, तो अब तक उन विस्थापितों के नौकरी के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव

जी हां ।

अब तक 231 विस्थापितों को सेवायोजन दिया जा चुका है । चूंकि अनपरा परियोजना पर वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी के पद रिक्त नहीं है, इसलिए शेष विस्थापितयों को सेवायोजन प्रदान करना अभी सम्भव नहीं है ।

अनपरा तापीय परियोजना में तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के पद एवं विस्थापितों की भर्ती ।

56---श्री विजय सिंह---

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनपरा तापीय परियोजना में कुल कितने पद चतुर्थ श्रेणी और तृतीय श्रेणी के हैं ? इन पदों पर कितने विस्थापितों की अब तक भर्ती की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव

अनपरा "अ" तापीय परियोजना के अन्तर्गत चतुर्थ श्रेणी के 323 एवं तृतीय श्रेणी के 1067 पद स्वीकृत है ।

उपरोक्त स्वीकृत पदों पर 231 विस्थापित परिवारों के एक-एक सदस्य को परियोजना के अन्तर्गत नियुक्ति प्रदान की गई है ।

अनपरा तापीय परियोजना में प्रबन्धकों और विस्थापितों के बीच समझौता वार्ता में उठाये गये बिन्दु एवं कार्यवाही ।

57--श्री विजय सिंह---

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अनपुरा तापीय परियोजना में प्रबन्धकों और विस्थापितों के बीच दिनांक 19-6-83 को विस्थापितों की समस्यों के संबंध में कोई समझौता वार्ता हुई थी ? यदि हां, तो उस समझौता वार्ता के किन-किन बिन्दुओं पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव

जी हां ।

समझौता वार्ता में उठाये गये बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दोस्त मोहम्मद पुत्र हौसिल ग्राम कम्हरिया थाना इटावा जनपद सिद्धार्थ नगर द्वारा अपने पुत्र के अपहरण विषयक रिपोर्ट पर कार्यवाही ।

58---श्री अकबाल हुसैन--

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री दोस्त मोहम्मद पुत्र हौसिल ग्राम कम्हारिया थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर ने दिनांक 26-3-90 को अपने पुत्र अब्दुल हक के अपहरण की कोई सूचना चन्दासी वाराणसी के कोयला व्यापारी सुभाष रोड लाईन्स के कक्कू कोटम एजेन्ट के विरुद्ध लिखायी है ? यदि हां, तो क्या अब्दुल हक को पुलिस खोज पाने में अब तक सफल हुयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक पुलिस द्वारा अब्दुल हक को खोज निकालने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए तथा कक्कू के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव

जी हां ।

घटना जनपद वाराणसी के थाना मुगलसराय से संबंधित होने के कारण समस्त अभिलेख जनपद वाराणसी को अग्रिम विवेचना के लिए भेज दिए गए जिसके आधार पर थाना मुगलसराय में मु0 अ0 सं0-50/90 धारा-364 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी ।

विवेचना में यह पाया गया कि वादी का पुत्र स्वेच्छा से अभियुक्त के यहां रुका था । बाद में वह अपने पिता के साथ घर चला गया । आरोप असत्य पाये जाने पर अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी ।

† छापा नही गया ।

जनपद प्रतापगढ़ के विद्युत विभाग में पांच वर्ष से अधिक समय से कार्यरत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण न करने के कारण ।

59---श्री संगम लाल शुक्ल---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विद्युत परिषद् के अवर अभियन्ताओं को एक जनपद में पांच साल से ज्यादा रहने का सामान्यतः नियम नहीं है ? यदि हां, तो प्रतापगढ़ जनपद में कितने ऐसे अवर अभियन्ता हैं जो पांच वर्ष से अधिक समय से वहां तैनात हैं ? उनका स्थानान्तरण न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

प्रतापगढ़ जनपद में ऐसे 9 अवर अभियन्ता हैं जो पांच वर्ष से अधिक समय से वहां तैनात हैं ।

9 अवर अभियन्ताओं में से 5 अवर अभियन्ताओं को स्थानान्तरित किया जा चुका है । अन्य 4 अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण पर शीघ्र विचार किया जायेगा ।

जनपद आगरा में तहसील किरावली के ग्राम बसैया में खारी नदी के द्वारा किए गए कटान को रोकने के लिए तीन पक्की संरचनाओं (ड्राप-स्पिलवे) का निर्माण ।

60---श्री बदन सिंह---

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा में तहसील किरावली के ग्राम बसैया में खारी नदी के द्वारा किए गए कटान को रोकने के लिए भूमि संरक्षण अधिकारी टूण्डला द्वारा 3 रोक (पक्की पिचिंग) वर्ष 1988 में लाखों रुपये खर्च करके बनायी गयी थी जो पहली वर्षा होने पर ही टूट गयी ? यदि हां, तो इन रोकों को कृषि विभाग द्वारा पुनः न बनाए जाने का क्या औचित्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । भूमि संरक्षण अधिकारी टूण्डला स्थान आगरा द्वारा परियोजना बसैया राय मल में तीन पक्की संरचनायें (ड्राप-स्पिलवे) का निर्माण वर्ष 1988-89 में कराया गया था । इसमें मात्र रुपया 46160·15 व्यय किया गया है । अत्यधिक वर्षा के कारण पक्की संरचना संख्या-2 एवं 3 क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसे ठीक करा दिया गया है तथा अब तीनों पक्की संरचनायें सही दशा में है ।

श्री चिरौंजी लाल ग्राम प्रधान दवेरार ब्लाक महुवा, जनपद बांदा का उक्त ग्राम में विद्युतीकरण विषयक पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र ।

61---श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 6-3-90 का पत्र श्री चिरौंजी लाल ग्राम प्रधान दवेरार ब्लाक महुआ जनपद बांदा के पत्र के साथ उक्त ग्राम में

विद्युतीकरण के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो कब तक उक्त गांव का विद्युतीकरण हो जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

ग्राम देवरार, ब्लाक-महुवा, जनपद-बांदा का विद्युतीकरण 29-10-70 को एल0 टी0 मॉस बिछाकर किया जा चुका है जिसमें तीन औद्योगिक कनेक्शन भी चल रहे हैं ।

गांव सभा बरौलिया ब्लाक बड़ा गांव जिला वाराणसी का विद्युतीकरण किए जाने की मांग ।

62---श्री ऊदल---

क्या कृर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा बरौलिया ब्लाक बड़ागाव जिला वाराणसी का विद्युतीकरण एक वर्ष पूर्व होना दिखा दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करायेगी तथा गलत सूचना देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

गांव सभा बरौलिया, ब्लाक-बड़ागांव जिला-वाराणसी को विद्युतीकृत नहीं दिखाया गया है ।

उक्त गांव का चयन वर्ष 1989-90 में हो गया है जिसका विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर संभव हो सकेगा ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

गांव सभा कूड़ी ब्लाक बड़ा गांव वाराणसी की ओर से दी गई भूमि पर सब विद्युत स्टेशन बनाने की मांग

63---श्री ऊदल---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा कूड़ी ब्लाक बड़ागांव वाराणसी में एक सब विद्युत स्टेशन बनाने हेतु गांव सभा की ओर से तीन एकड़ जमीन विद्युत विभाग को दे दी गयी है ? यदि हां, तो सब विद्युत स्टेशन कब तक बनना शुरू किया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव

यद्यपि गांव सभा कूड़ी ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी द्वारा उक्त गांव में उप-केन्द्र के निर्माण हेतु 2.59 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया गया है परन्तु वहां पर अभी किसी उपकेन्द्र का निर्माण स्वीकृत नहीं है और न ही इसके लिये कोई भूमि ली गई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम सुन्दर मिश्र पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम दसौली थाना पूरा कलन्दर जनपद फैजाबाद द्वारा कोतवाली फैजाबाद में कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध लिखाई गई रिपोर्ट एवं कार्यवाही ।

64---श्री बलवीर सिंह–

क्या सरकार को जानकारी है कि दिनांक 28 मार्च, 1990 को श्री राम सुन्दर मिश्र पुत्र श्री जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम दसौली थाना पूरा कलन्दर जनपद फैजाबाद द्वारा कोतवाली फैजाबाद में कतिपय व्यक्तियों के विरुद्ध जान से मारने के सम्बन्ध में नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव

श्री राम सुन्दर मिश्र ने प्रश्नगत मामले में एक प्रार्थना-पत्र क्षेत्राधिकारी नगर को दिया था जिसके आधार पर 3 अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली, फैजाबाद में अपराध संख्या शून्य अन्तर्गत धारा 307 पंजीकृत किया गया । मामला थाना पूरा कलन्दर का होने के कारण समस्त अभिलेख उक्त थाने को हस्तान्तरित कर दिये गये । जहां उक्त अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध संख्या 172/90 अन्तर्गत धारा 307 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया ।

क्षेत्राधिकारी द्वारा पूर्व विवेचना में त्रुटियां पाये जाने के कारण अंतिम रिपोर्ट रोक कर विवेचना थानाध्यक्ष, पूरा कलन्दर को सौंप दी गयी है । सम्प्रति विवेचना प्रचलित है ।

65---श्री केदार नाथ सिंह

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण सिरस्त]

जनपद आगरा और फिरोजाबाद में हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती आदि की घटनायें एवं अभियुक्तों को पकड़ा जाना

66---श्री रघुवर दयाल वर्मा---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा और फिरोजाबाद में दिनांक 1 जनवरी, 1990 से 15 अप्रैल 1990 के मध्य हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती और आत्म हत्याओं तथा दहेज मौतों की कितनी दुर्घटनायें हुयीं और कितने नामजद अभियक्त पकड़े गए ? क्या यह भी सत्य है कि गत वर्ष की अपेक्षा इन माहों में अपराध बढ़े हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद आगरा एवं फिरोजाबाद में 1 जनवरी, 1990 से 15 अप्रैल, 1990 के मध्य हत्या, अपहरण, चोरी, डकैती, आत्महत्याओं तथा दहेज मौतों की हुई दुर्घटनाओं तथा इनमें पकड़े गये नामजद अभियुक्तों के विवरण संलग्नक में है । कुछ अपराधों में गत वर्ष की अपेक्षा इन माहों में आंशिक वृद्धि हुई है जिसका मुख्य कारण अपराधों का सही पंजीकरण है ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 211 पर)

ग्रीष्मकालीन धार्मिक यात्रा काल में पर्वतीय क्षेत्रों में बाहर से पुलिस न भेजने के संबंध में प्रश्नकर्ता का शासन को प्रेषित पत्र

67---श्री कुंवर सिंह नेगी---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 2 अप्रैल, 1990 को उन्हें प्रश्नकर्ता का पत्र यात्राकाल में पर्वतीय क्षेत्र में बाहर से पुलिस न भेजे जाने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शासन द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव

जी हां ।

ग्रीष्म कालीन धार्मिक यात्राओं के समय भारी संख्या में यात्री एवं पर्यटकों का आवागमन होता है । इन यात्राओं के समय जनपदीय पुलिस द्वारा उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है जिसके कारण ही अन्य जनपदों से योग्य एवं कुशल पुलिस कर्मियों को समुचित व्यवस्था हेतु तैनात किया जाता है । दण्ड स्वरूप किसी पुलिस कर्मी को तैनात नहीं किया जाता । वर्तमान समय में सोशल पुलिस फोर्स की वाहिनी को इस प्रकार की ड्यूटी में तैनात किया जाना सम्भव नहीं है ।

68-श्री कुंवर सिंह नेगी

[दि0 22-6-90 को अता0 प्र0 सं0 113 द्वारा उत्तरित]

पशुपालन विभाग के लखनऊ मण्डल के श्रेणी-1 व श्रेणी-2 के अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं गैरविभागीय जांच की प्राप्त रिपोर्ट पर कार्यवाही

69---श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री राम आसरे पासवान तथा श्री भोपाल सिंह

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशुधन विकास विभाग के लखनऊ मण्डल के स्तर-1 व स्तर-2 के कितने अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय एवं गैर

विभागीय जांच चल रही है तथा कितने की जांच रिपोर्ट्स शासन के पशुधन विकास विभाग में परीक्षण हेतु प्राप्त हो गयी है ? क्या सरकार प्राप्त रिपोर्ट्स पर शीघ्र कार्यवाही करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री मुलायम सिंह यादव

पशुपालन विभाग के लखनऊ मण्डल के श्रेणी-1 के 8 तथा श्रेणी-2 के 9 अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल रही है । इनमें से 7 अधिकारियों से सम्बन्धित जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है जो परीक्षणाधीन है और उस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा । उक्त मण्डल के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई गैर विभागीय जांच नहीं चल रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के चोपन शाखा में डोलोमाइट का वर्षवार उत्पादन एवं गिरावट

79---श्री विजय सिंह---

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम के चोपन शाखा में गत 84-85 में 2 लाख 4 हजार 274 मीट्रिक टन, सन् 85-86 में 1 लाख 87 हजार 5 सौ 2 मीट्रिक टन और सन् 86-87 में 1 लाख 86 हजार 1 सौ 17 मीट्रिक टन डोलोमाइट का उत्पादन हुआ वहीं पर सन् 87-88 में 29,733 और 88-89 में मात्र 30 हजार मीट्रिक टन डोलोमाइट उत्पादन गिरकर मात्र पांचवा हिस्सा रह गया ? क्या मंत्री जी बतायेंगे कि डोलोमाइट के उत्पादन में भारी गिरावट का क्या कारण है?

श्री मुलायम सिंह यादव---

वर्ष 1984-85 से वर्ष 1988-89 तक उ0 प्र0 राज्य खनिज विकास निगम लि0 के चोपन शाखा में डोलोमाइट का वर्षवार उत्पादन निम्न प्रकार हुआ :---

वर्ष	उत्पादन (मीट्रिक टन में)
1985-86	62,715.071
1986-87	72,729.354
1987-88	80,160.365
1988-89	9,047.800
	शून्य

डोलीमाइट की आपूर्ति इस्पात संयंत्रों में की जाती रही है । वर्ष 1987-88 में कुछ स्पात संयंत्रों द्वारा डोलोमाइट की रासायनिक गुणवत्ता में परिवर्तन कर दिया गया। परिवर्तित गुणवत्ता के डोलोमाइट की सीमित उपलब्धता के कारण उसका खनन लाभप्रद न होने के परिणामस्वरूप वर्ष 1986-87 के बाद डोलोमाइट के उत्पादन में गिरावट आयी ।

ग्राम चोकी बुजुर्ग विकास खण्ड अजतमगढ़ जनपद आजमगढ़ में कतिपय व्यक्तियों द्वारा सिंचाई पंपिंग सेट के कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र एवं कनेक्शन न दिए जाने के कारण ।

71---श्री पंचानन राय

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम चोको बुजुर्ग विकास खण्ड अजतमगढ़ जनपद आजमगढ़ में किन-किन व्यक्तियों ने कब-कब सिंचाई पंपिग सेट के कनेक्शन हेतु आवेदन किया है ? उन्हें अब तक कनेक्शन न दिये जाने का क्या कारण है ? इन्हें कनेक्शन कब तक दे दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

ग्राम चौकी बुजुर्ग में एक व्यक्ति श्री हनुमान राय पुत्र श्री काके राय ने 24-1-89 को पम्पिंग सेट कनेक्शन हेतु आवेदन किया था ।

संसाधनों की कमी के कारण उन्हें अब तक कनेक्शन नहीं दिया जा सका है । सामग्री उपलब्ध होते ही उन्हे कनेक्शन देना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद महाराजगंज के थाना पनियरा के थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण कर उसके विरुद्ध शिकायतों की जांच की मांग

72---श्री गनपीत सिंह

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज के थाना पनियरा के थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण मार्च, 1990 में पुलिस अधीक्षक महराजगंज ने शिकायत के आधार पर किया था? यदि हां, तो पुनः उक्त थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण रोकने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार उक्त थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण करके उसके विरुद्ध शिकायतों की जांच करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जनपद महराजगंज के थाना पनियरा के थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण प्रशासनिक हित में अन्यत्र किया गया था ।

शासन के निर्देशों पर थानाध्यक्ष, पनियरा का स्थानान्तरण दिनांक 30-4-90 तक स्थागित किया गया था । तदन्तर उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

मा0 विधायक (प्रश्नकर्ता) के शिकायती पत्र दिनांक 30-1-90 में उल्लिखित शिकायतों की जांच क्षेत्राधिकारी फरेंदा द्वारा करायी जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिलाधिकारी महराजगंज द्वारा ग्राम सभा बेल टिकरा के जंगल के मामले में स्थगन आदेश एवं पनियारा पुलिस द्वारा पालन

73---श्री गनपति सिंह---

क्या गृह मंत्री को यह ज्ञात है कि जिलाधिकारी महाराजगंज ने दिनांक 16 मार्च, 1990 को ग्राम सभा बेलटिकरा के जंगल के मामले में कोई स्थगन आदेश जारी किया है ? यदि हां, तो स्थानीय पुलिस पनियारा ने उक्त स्थगन आदेश का पालन किया ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जिलाधिकारी, महराजगंज के आदेश दिनांक 18-03-90 द्वारा ग्राम बेलटिकरा के वृक्षों की नीलामी रोक दी गई ।

उक्त आदेश प्राप्त होने के पूर्व ही जंगल का कटान, ग्रामवासियों के विरोध के कारण बन्द हो गया था । अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद महाराजगंज, थाना पनियारा के ग्राम सभा बेल टिकरा के श्री राम समझ यादव, राजेन्द्र यादव ज्येष्ठ प्रमुख पनियारा ब्लाक आदि को पनियारा पुलिस द्वारा फर्जी मुकदमें मे- फंसाया जाना एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

74---श्री गनपति सिंह

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महाराजगंज, थाना पनियारा के ग्राम सभा बेल टिकरा के सर्वश्री राम समझ यादव, राजेन्द्र यादव ज्येष्ठ प्रमुख पनियारा ब्लाक आदि को दिनांक 18 मार्च, 1990 को पनियारा पुलिस ने बुरी तरह से मारपीट कर फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार किया था, क्योंकि उक्त लोग ग्राम समाज के जंगल में अवैध कटान को रोक रहे थे ? यदि हां, तो दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध शासन कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचनानुसार परगनाधिकारी सदर महाराजगंज द्वारा ठेकेदार श्री बाबूलाल के पक्ष मे- बेलटिकरा के जंगल की नीलामी दिनांक 23-1-90 को की गयी थी जिसके आधार पर ठेकेदार द्वारा जंगल की कटान कराया जा रहा था । कुछ लोगों द्वारा विरोध करने पर ठेकेदार ने पनियारा पर नामजद म0 अ0 सं0-19/90 धारा 379/504/506/411 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया जिसमें थाना पनियारा पुलिस द्वारा राम समझ यादव, राजेन्द्र यादव आदि सहित 6 अभियुक्त गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम पूरा उर्फ सुमेरपुर, थाना कुमारगंज जनपद फैजाबाद के अनुसूचित जाति के श्री बाबूलाल पिछड़ी जाति के श्री रामगोपाल वर्मा के ग्राम प्रधान द्वारा उत्पीड़ित किए जाने विषयक पत्र पर कार्यवाही ।

75---श्रीमती सावित्री देवी

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बाबूलाल अनुसूचित जाति तथा श्री राम गोपाल वर्मा पिछड़ी जाति आदि निवासी ग्राम पूरा उर्फ सुमेरपुर, थाना कुमारगंज जनपद फैजाबाद का ग्राम प्रधान श्री जगन्नाथ सिंह तथा उप प्रधान श्री चन्द्रभान सिंह आदि द्वारा किये गये अनुसूचित जातियों/पिछड़ी जातियों के उत्पीड़न के सम्बन्ध में पत्र श्री गोपीनाथ वर्मा, स0 विधान सभा के पत्र सं0 958/जद/27-3-90 के साथ मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश तथा श्री राम स्वरूप वर्मा, ग0 वि0 स0 के पत्र सं0 298/रा0/90/29-3-90 के साथ डी0 आई0 जी0 हरिजन सेल जवाहर भवन लखनऊ और श्री मूल चन्द्र स0 वि0 सभा के पत्र सं0 1094/जद/31-3-90 के साथ गृह सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उक्त पत्र के सभी बिन्दुओं पर की गयी जांच आख्या क्या है और उक्त जांच आख्या के आधार पर ग्राम प्रधान की बन्दुक के लाइसेन्स को निरस्त करते हुए कौन-कौन सी दण्डात्मक कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

श्री राम स्वरूप वर्मा का संदर्भित पत्र पुलिस उप महा निरीक्षक, हरिजन सेल को तथा श्री मूल चन्द्र का पत्र शासन को प्राप्त हुआ है । श्री गोपी नाथ के पत्र की प्राप्ति की पुष्टि की जा रही है ।

जांच आख्या के अनुसार ग्राम प्रधान या उप प्रधान द्वारा अपनी लाइसेंसी बन्दूक से अनुसूचित जाति/पिछड़ी जाति के लोगों को डराने-धमकाने के अभिकथन की पुष्टि नहीं हुई है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अल्मोड़ा में प्रस्तावित हिन्दुस्तान फोटो फिल्म उद्योग को स्थापित किये जाने की मांग

76---श्रीमती सरस्वती रिंवारी

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद अल्मोड़ा में 1982 से प्रस्तावित व स्वीकृत हिन्दुस्तान फोटो फिल्म उद्योग को शीघ्र स्थापित किये जाने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त उद्योग के कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ? यदि नही-, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म उद्योग, भारत सरकार का उपक्रम है और भारत सरकार के निर्णय-अनुसार इसे प्रदेश में न लगाकर अन्यत्र स्थापित कर रहा है ।

77---श्री हृदय नारायण--

[4 थे सौग में अता0 प्र0 सं0 170 के अन्तर्गत स्थानांतरित]

यू0 पी0 स्टेट हार्टिको, अमौसी लखनऊ में ब्वायलर आपरेटर के पद पर कार्य करने की तकनीकी योग्यता/अर्हतायें

78---श्री हरवंश सहाय

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 स्टेट हार्टिको, अमौसी, लखनऊ में ब्वायलर आपरेटर के पद पर कार्य करने की तकनीकी योग्यता/अर्हतायें क्या है ? क्या वर्तमान में उक्त पद पर कार्यरत कर्मचारी के पास उक्त पद हेतु तकनीकी योग्यता है ? यदि नहीं, तो किस आधार पर उन्हें पुनः सेवा में ब्वायलर आपरेटर के पद पर तैनात किया गया है ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

ब्वायलर आपरेटर के पद पर कार्य करने की तकनीकी योग्यता /अर्हताएं निम्न है :

(1) तकनीकी योग्यता-सेकेन्ड क्लास ब्वायलर अटेन्डेन्ट सर्टीफिकेट आफ कम्पीटेन्सी ग्रान्टेड अन्डर दी ब्वायलर अटेन्डेन्ट रूल्स

(2) अनुभव--- किसी प्रतिष्ठान संस्थान में 2-3 वर्ष का कार्य अनुभव ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

घाटे में चल रही यू0 पी0 स्टेट हार्टिको अमौसी लखनऊ को बन्द करने का प्रस्ताव ।

79---श्री हरवंश सहाय

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0 पी0 स्टेट हार्टिको, अमौसी, लखनऊ विगत 3-4 वर्षों से घाटे में चल रहा है यदि हां, तो क्या उसे बन्द करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

उक्त इकाई को बन्द करने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् व उसके एक कर्मचारी के मध्य वेतन भुगतान अधिनियम का विवाद

80---श्री रमाशंकर शास्त्री

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वेतन भुगतान अधिनियम विवाद संख्या 340/89 अवैधानिक कटौती के संबंध में है और विवाद उप श्रमायुक्त लखनऊ क्षेत्र लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है ? उक्त विवाद के अभिलेखों को एकत्र करने एवं पैरवी में अधिकारियों/कर्मचारियों/ के ऊपर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् फरवरी 1989 से अब तक कितना धन खर्च कर चुका है और विवाद कितनी धनराशि का है ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्रश्नगत वेतन भुगतान अधिनियम विवाद संख्या-340/89 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् व उसके एक कर्मचारी के मध्य है, जो अभी उप श्रमायुक्त, लखनऊ के समक्ष विचाराधीन है ।

पृथक से ब्यौरा दिया जाना संभव नहीं है ।

विवाद मात्र रु0 47.00 की धनराशि का है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन कार्यरत समस्त स्टोर मुंशी पदधारकों को सहायक भण्डर पाल पद पर पदोन्नति करने के आदेश की भांति हरदुआगंज परियोजनाओं के लिये स्टोर मुंशी पद धारकों को पदोन्नति देने की मांग

81---श्री रमाशंकर शास्त्री तथा श्री राम कुमार शुक्ला

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् ने आदेश सं0 5150-कार्मिक-9 वी/87-50-एनजी/73 दिनांक 28-11-87 द्वारा परिषद् के अधीन कार्यरत समस्त स्टोर मुंशी पद धारकों को सहायक भण्डार पाल पद पर पदोन्नति करने का आदेश किया है ? यदि हां, तो हरदुआगंज एवं पनकी ताप विद्युत परियोजनाओं में स्टोर मुंशी के पद पर कार्यरत कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी पदोन्नति अभी तक सहायक भण्डार पाल के पद पर नहीं की गयी है क्या परिषद् के समक्ष हरदुआगंज एवं पनकी परियोजनाओं के लिये सहायक भण्डार पाल के अतिरिक्त पदों के सृजन का प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कितने पद सृजित किये जाने हैं तथा किस तिथि तक पदों का सृजन कर स्टोर मुंशी पदधारकों की सहायक भण्डारपाल पद पर पदोन्नति कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

1– जी हां, परन्तु संदर्भगत परिषद्देश सं0-5150-कार्मिक-9 बी/87-50-एनजी 73 दिनांक 28-11-87 में मात्र उन्हीं स्टोर मुंशियों को सहायक भण्डारपाल के पद पर प्रोन्नति का प्राविधान है जो ''चयन समिति'' द्वारा स्क्रीनिंग के आधार पर उपयुक्त पाये जाये । ऐसी प्रोन्नति हेतु सहायक भण्डारपाल के पर्याप्त रिक्त पद न उपलब्ध होने की दशा में आवश्यकता के अनुरूप नए पदों को सृजन के प्रस्ताव परिषद को भेजे जाने का भी उल्लेख है ।

हरदुआगंज तथा पंनकी ताप विद्युत परियोजनाओं में क्रमशः तीन तथा चौदह (कुल सत्तरह) स्टोर मुंशियों को पदोन्नति अभी तक सहायक भण्डारपाल के पदों पर नहीं की जा सकी है । पंनकी परियोजना पर स्टोर मुंशियों की प्रोन्नति हेतु सहायक भण्डारपाल के पांच पद उपलब्ध हैं ।

जी हां ।

इन परियोजनाओं के लिये सहायक भण्डारपाल के क्रमशः तीन तथा नौ (कुल बारह) पद सृजित किये जाने हैं । इन पदों के सृजन की स्थिति में वहां के स्टोर मुंशियों को चयन समिति द्वारा स्क्रीनिंग के आधार पर उपयुक्त पाये जाने पर सहायक भण्डारपाल के पद पर प्रोन्नति हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में रिक्त पशु चिकित्साधिकारियों के पद एवं रिक्त पदों को भरे जाने की मांग

82---श्री काशी सिंह ऐरी

क्या सरकार को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश में पशु चिकित्साधिकारियों के कितने पद रिक्त हैं ? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा ? क्या बेरोजगार पशु चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्रदेश में पशु चिकित्साधिकारियों के सम्प्रति 223 पदरिक्त हैं जिनको शीघ्र भरने की कार्यवाही की जा रही है । अलग से कोई योजना बेरोजगार पशु चिकित्सकों को रखाने हेतु विचाराधीन नहीं है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में 10 वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत लिपिक कर्मचारी एवं इन्हें स्थानान्तरित किये जाने की मांग

83---श्री रमापति शास्त्री

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्

के अधीन मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) लखनऊ व अन्य मुख्य अभियंता कार्यालयों में 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि से कितने लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या एक ही स्थान पर 10 वर्षों से अधिक अवधि के से कार्यरत इन कर्मचारियों को दूसरे कार्यालयों में स्थानान्तरित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) व अन्य मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में 10 वर्ष व इससे अधिक अवधि से कुल 248 लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्यरत हैं ।

जी हां ।

एक ही स्थान पर लम्बी अवधि से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण करने हेतु विद्युत परिषद् ने एक नीति निर्धारित की है जिसके अनुसार स्थानान्तरण कार्य प्रगति पर है ।

हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) के लिये ऐश डम्प यार्ड के निर्माण हेतु किसानों की भूमि का अधिग्रहण एवं परिवार के एक सदस्य को सेवायोजित किया जाना ।

84---श्री बसन्त लाल गुप्त

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) के लिये ऐश डम्प यार्ड के लिए जून 1979 के पश्चात विद्युत परिषद द्वारा कितने किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था उनमें **से प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को परिषद में सेवायोजित कर लिया गया है?** यदि हां, तो अब तक कितने प्रभावित व्यक्तियों को सेवायोजित किया जा चुका है और कितने मामले विचाराधीन हैं ? उनकी नियुक्तियां किस तिथि तक कर दी जायेंगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव

चूंकि परिषदीय आदेश/विनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार केवल उस भूमि विस्थापित परिवार के एक सदस्य को विद्यमान रिक्त पद पर सेवायोजन दिया जाना प्रस्तावित है जिसकी भूमि का अधिग्रहण 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक किया गया हो, अतः हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) के लिये ऐश डम्प यार्ड के निर्माण हेतु ली गयी भूमि के फलस्वरूप प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को सेवायोजन देना संभव नहीं है ।

जिन परिवारों की भूमि का अधिग्रहण 50 प्रतिशत अथवा उससे अधिक किया गया है, ऐसे 38 (अड़तीस) परिवारों के अभ्यर्थियों को सेवायोजन प्रदान किया जा चुका है ।

वर्तमान में 36 (छत्तीस) मामले विचाराधीन हैं ?

रिक्त पद उपलब्ध होने की दशा में ही नियुक्तियां संभव हो सकेंगी ।

श्री सुमन प्रकाश मिश्र, पुत्र श्री छम्मन लाल मिश्र निवासी लहसन मण्डी, जी. टी. रोड, एटा थाना कोतवाली एटा जिला अलीगढ़ के परिवार की सुरक्षा विषयक पत्र के साथ संलग्न प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही ।

85---श्री कल्याण सिंह

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री सुमन प्रकाश मिश्र, पुत्र श्री छम्मन लाल मिश्र, निवासी लहसन मण्डी, जी. टी. रोड, एटा थाना कोतवाली एटा जिला अलीगढ़ एवं उनके परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था करने और उनकी पत्नी श्रीमती दक्षारानी के ऊपर प्राणघातक आक्रमण करने वाले धारा 307 आई. पी. सी. के अभियुक्तगण की शविलम्ब गिरफ्तारी करने के संबंध में मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित प्रश्नकर्ता के दिनांक 21-12-89 के पत्र के साथ उक्त श्री सुमन प्रकाश मिश्र एवं उनकी पत्नी दक्षारानी के प्रार्थना पत्र तथा जिला प्रशासन को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र की प्रतियां शासन को प्राप्त हुयी हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों और कार्यवाही कब तक कर दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव

जी हां ।

मामले की जांच कराने से विदित हुआ है कि प्रश्नगत घटना के संबंध में थाना कोतवाली नगर पर मु. अ. सं. 550/89 धारा 307 भा. द. वि. पंजीकृत किया गया । अब तक की विवेचना से उक्त अभियोग झूठा प्रतीत होता है अतएव अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ थाना-अहरौला, निवासी श्री राम लगन राम के घर पर पड़ी डकैती सामूहिक रूप से दर्ज रिपोर्ट को संशोधित करने की कार्यवाही

86---श्री बचाराम भास्कर

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ थाना अहरौला के अंतर्गत ग्राम गहजी निवासी श्री राम लगन राम के घर दिनांक 28-29 जनवरी, 1990 की रात को 10-12 डकैतों ने डकैती डाली परन्तु पुलिस ने धारा-395 तथा 397 में रपट न दर्ज कर के मामूली धारा में रपट दर्ज किया है जिसके विरुद्ध दिनांक 2-4-90 को रजिस्टर्ड प्रार्थना-पत्र ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को इस आशय से कि पहली रपट संशोधित करके धारा-395, 397 में रपट दर्ज कराकर वैधानिक कार्यवाही की जाय, भेजा गया है ? यदि हां, तो ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने उस पर क्या आदेश पारित किया ?

श्री मुलायम सिंह यादव

जी हां ।

उक्त प्रार्थना-पत्र पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक-आजमगढ़ ने जांच कराने के आदेश पारित किए थे ।

जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादी ने पुरानी रंजिश के कारण झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया था । विवेचनोपरान्त अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गई ।

उद्यान निदेशालय, लखनऊ स्तर पर पदों के अनुसार कर्मचारियों की वर्गवार संख्या एवं लिपिकों की कोटिक्रम सूची

87---श्री रवीन्द्र कुमार सिंह

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान निदेशालय, लखनऊ में निदेशालय स्तर पर लिपिक वर्ग के वर्गवार कितने पद स्वीकृत हैं तथा इन स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या इन कर्मचारी की कोई ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की गयी है ? यदि हां, तो वर्गवार कितने कर्मचारियों की ? क्या उक्त सूची में अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो इन कर्मचारियों का विवरण क्या है ? क्या अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को निदेशालय संवर्ग की ज्येष्ठता सूची में ज्येष्ठता मिलने का कोई आधार है ? यदि नहीं, तो क्या इन अधीनस्थ कार्यालयों के कर्मचारियों को इस ज्येष्ठता सूची से तत्काल निकाल कर निदेशालय स्तर के कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची प्रकाशित की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

उद्यान निदेशालय के वर्ष 1974 में पुनर्गठन के पश्चात् विभिन्न श्रोतों से प्राप्त कुल 50 पदों पर 50 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनका वर्गवार विवरण इस प्रकार है ।

(1)	प्रशासनिक अधिकारी	2
(2)	कार्यालय अधीक्षक ग्रेड-2	1
(3)	वरिष्ठ सहायक	6
(4)	वरिष्ठ लिपिक	11
(5)	कनिष्ठ लिपिक	30

जी हां ।

14 वरिष्ठ लिपिक एवं 36 कनिष्ठ लिपिक की कोटिक्रम सूची जनवरी, 1984 में प्रकाशित की गई है ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए अधिकृत अनुदान सं0 12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग के अंतर्गत परिव्यय के लिए स्वीकृत धनराशि का उपयोग

88---श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिये 31 मार्च, 1989 को विनियोग विधेयक द्वारा अधिकृत अनुदान संख्या-12-कृषि तथा अन्य

सम्बद्ध विभाग के पूंजीगत परिव्यय के लिए स्वीकृत धनराशि 99 करोड़ 10 लाख 66 हजार रुपये का उपयोग 31 मार्च, 1990 तक कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन सा अधिकारी दोषी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी नहीं ।

वर्ष 1989-90 में अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग के लिये 99 करोड़ 10 लाख 66 हजार रुपये की धनराशि प्राविधानित थी, जिसमें से आयोजनेत्तर तथा आयोजनागत पक्ष में 34 करोड़ 73 लाख 59 हजार रुपये की बचत हुई, विवरण संलग्न है ।

प्रश्नगत बचतों के लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ संख्या 212—214 पर)

श्री हरिभजन द्विवेदी मण्डलीय मंत्री, उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ जनपद बांदा के पत्र के साथ संलग्न विद्युत अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

89---श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 7-3-1990 का पत्र श्री हरिभान द्विवेदी मंडलीय मंत्री, उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संघ जनपद बांदा के पत्र के साथ विद्युत वितरण खण्ड जनपद-बांदा में हो रही अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसकी जांच में क्या क्या अनियमितताएं पाई गई तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्रश्नकर्ता महोदय का दिनांक 7-3-1990 का पत्र बिना संलग्नक के विभाग में प्राप्त हुआ । संलग्नक की प्रति उपलब्ध कराने हेतु प्रश्नकर्ता महोदय से अनुरोध किया गया है। संलग्नक प्राप्त होने पर ही प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही संभव हो सकेगी ।

90---श्री विजय सिंह

[4थे गुरू में अता0 प्र0 सं0 112 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जाली अभिलेख के आधार पर मेसर्स शारदा इण्टरप्राइजेज को जनपद इलाहाबाद को फर्जी भुगतान एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

91---श्री विजय सिंह

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड इलाहाबाद शाखा के पत्रांक-एम0 डी0 सी0/ इलाहाबाद/लेखा/ए0 पी0आई0/88-89 दिनांक 1-10-88 जो मुख्य लेखाधिकारी उत्तर

प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम लि0 लखनऊ को सम्बोधित है, के अनुसार जाली अभिलेख के आधार पर मेसर्स शारदा इण्टरप्राईजेज को 67200 रु0 का भुगतान दिनांक 23-12-85 को किया गया है? यदि हां, तो उक्त फर्जी भुगतान करने वाले अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

मेसर्स शारदा इण्टरप्राइजेज के विरुद्ध जनपद इलाहाबाद के थाना सिविल लाइन्स में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है । फर्जी भुगतान हेतु विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के उत्तरदायित्व के निर्धारण हेतु निगम स्तर पर जांच की जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी ।

बागपत व बड़ौत विद्युत डिवीजन में इस्टीमेट जमा होने के बाद के लम्बित कनेक्शनों को शीघ्र जोड़े जाने की मांग

92---**श्री साहब सिंह---**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागपत व बड़ौत विद्युत डिवीजन में ऐसे कितने विद्युत कनेक्शन लम्बित हैं जिनके इस्टीमेट जमा हैं ? क्या ऐसे लम्बित कनेक्शन शीघ्र जोड़ दिये जायेंगे और इस कार्य में विलम्ब के लिए दोषी व्यक्ति को दण्डित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

विद्युत वितरण खण्ड, बागपत एवं बड़ौत में 31 मार्च, 1990 को क्रमश: 365 तथा 1294 विद्युत संयोजन लम्बित थे जिनके प्राक्कलन की धनराशि जमा की जा चुकी थी । इनका विवरण निम्नानुसार है :---

कनेक्शन की श्रेणी	विद्युत वितरण बागपत	विद्युत वितरण खंड बड़ौत
निजी नलकूप	251	660
घरेलू बत्ती-पंखा	90	605
औद्योगिक	24	29
योग	365	1294

उपरोक्त विद्युत संयोजन के लम्बित होने का मुख्य कारण वित्तीय संसाधन एवं भंडार सामग्री की कमी है जिनके उपलब्ध होने पर संयोजनों को शीघ्रातिशीघ्र उपभुक्त कर दिया जायेगा ।

विद्युत संयोजन देने में विलम्ब के लिए कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद के सरूरपुर गांव के इण्टर कालेज के छात्रों द्वारा स्पीड ब्रेकर की मांग किये जाने पर पुलिस द्वारा छात्रों पर गोली वर्षा और 2 लड़कों की मृत्यु

93---श्री साहब सिंह---

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि 3 वर्ष पूर्व मेरठ जनपद के सरूरपुर गांव के इण्टर कालेज के छात्रों द्वारा स्पीड ब्रेकर की मांग किये जाने पर पुलिस ने गोलियां बरसा कर 2 लड़कों को मार डाला था ? क्या उक्त मामले की सी0 आई0 डी0 रिपोर्ट शासन को मिल गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्राप्त सूचना के अनुसार जुलाई 1987 में सरूरपुर इण्टर कालेज के विद्यार्थियों की स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग को लेकर आन्दोलन में हिंसक भीड़ पर पाने के लिए पुलिस द्वारा बल एवम् आग्नेयास्त्रों के प्रयोग से दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई ।

अपराध अनुसंधान विभाग की जांच आख्या शासन को प्राप्त हो गई है जिसका परीक्षण किया जा रहा है । दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

बागपत विधान सभा क्षेत्र में विद्युतीकरण विहीन गांव का विवरण

94---श्री साहब सिंह

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बागपत विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने गांव हैं तथा उनमें कितने गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है तथा शासन कब तक सभी गांवों में विद्युतीकरण करायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

बागपत विधान सभा क्षेत्र में कुल 86 आबाद ग्राम है जिनमें से 4 ग्रामों का विद्युतीकरण एल0 टी0 मेन्स बिछाकर अभी नहीं हुआ है ।

शेष 4 ग्रामों का विद्युतीकरण वर्ष 1990-91 में प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा मानिकपुर विकास खण्ड हरैया जनपद आजमगढ़ में विद्युतीकरण किये जाने की मांग

95---श्री पंचानन राय

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा मानिकपुर विकास खण्ड हरैया जनपद आजमगढ़ में विद्युतीकरण हेतु खम्भे कब गाडे गये अब तक इस गांव का विद्युतीकरण न होने के क्या कारण है ? इस गांव का विद्युतीकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

ग्राम सभा मानिकपुर, विकास खण्ड हरैया जनपद आजमगढ़ में वर्ष 1982 में ग्रामीणों द्वारा स्वयं खम्भे गाड़ लिये गये थे ।

उस समय यह ग्राम स्वीकृत योजना में नहीं था । ग्राम के 14 व्यक्तियों ने कनेक्शन के लिये आवेदन पत्र दिये थे । ग्राम का 15 प्रतिशत प्रतिलाभ के आधार पर विद्युतीकरण करने की दृष्टि से गांव के पास 9 पोल गिरवाये गये थे । आवेदकों को फरवरी 1982 में नियम व शर्तें भेजी गयी थी परन्तु किसी व्यक्ति ने वांछित धनराशि जमा नहीं की । अतः खम्भे गाड़कर विद्युतीकरण का कार्य नहीं किया गया। बाद में ग्राम वासियों ने स्वयं खम्भे गाड़ लिये ।

अब हरैया ब्लाक की आर0 ई0 सी0 योजना स्वीकृत हो गयी है जिसके अंतर्गत उक्त ग्राम का विद्युतीकरण यथाशीघ्र करने का प्रयास किया जायेगा जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

आगरा के नागरिक सुभाष चन्द्र पोस्वाल निवासी 36/4, ई/3 मोहनपरा ईदगाह थाना-रकाब गंज आगरा द्वारा आयक्त आगरा मण्डल आगरा को फर्म बलवन्त सिंह एण्ड संस दु0 नं 5 सब्जी मण्डी छीपी टोला आगरा के विरुद्ध रिकवरी सम्बन्धी शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

96---श्री विजय सिंह राणा

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा के एक नागरिक (सुभाष चन्द्र पोस्वाल निवासी 36/4, ई3 मोहनपरा ईदगाह थाना-रकाबगंज आगरा) द्वारा आयुक्त आगरा मण्डल आगरा को भेजा गया शिकायती पत्र जो फर्म बलवन्त सिंह एण्ड संस दु0 नं-5 सब्जी मण्डी छीपीटोला आगरा के विरुद्ध जारी की गई रिकवरी रु0 1,53,147-95 की वसूली मद में फर्म की अचल सम्पत्ति कुर्क किये जाने के बाद समिति कृषि उत्पादन मण्डी समिति आगरा द्वारा रिकवरी को फरवरी, 1987 में वापस किये जाने के मामले की पुनः जांच कराकर वसूली सुनिश्चित किये जाने के संबंध में था, दिनांक 30-3-87 को भेजा हुआ, प्राप्त हुआ था और मामले की पुनः जांच उपनिदेशक प्रशासन ग डी परिषद् कमला नगर आगरा द्वारा करने के उपरांत फरापदांकक के विरुद्ध अवंचित मण्डी शुल्क की धनराशि रु0 2, 03, 577-70

निर्धारित की गयी थी ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी और कराधंचक से अभी तक वसूली क्यों नहीं की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव

जी हां ।

तत्कालीन उप निदेशक (प्रशासन) मण्डी परिषद् आगरा ने सम्बन्धित व्यापारी पर अंकन रु0 2, 03, 577-70 के मण्डी शुल्क का अवधारण किया था । प्रकरण की पूरी जांच हेतु कमेटी का गठन किया गया है । रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

उद्यान एवं फल उपयोग विभाग के अन्तर्गत फल संरक्षण (शोध एवं प्रशिक्षण) शाखा में प्रभारी अधिकारी का रिक्त पद

97---श्री रामकुमार वर्मा,
श्रीमती सावित्री देवी तथा
श्री राम प्रसाद सिंह

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उद्यान एवं फल उपयोग विभाग (मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत फल संरक्षण (शोध एवं प्रशिक्षण) शाखा में प्रभारी अधिकारी (प्रशिक्षण) का रिक्त है ? यदि हां तो कब से ? क्या इस पद को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है ? यदि हां तो क्या इस आरक्षण से वर्तमान शासनादेशों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है ? क्या फल संरक्षण (शोध एवं प्रशिक्षण) में फल संरक्षण प्रसार शाखा के संवर्ग को मिलाकर पूर्व में श्रेणी के पदों पर प्रोन्नति की जाती रही है ? यदि नहीं, तो क्या अब यह व्यवस्था की जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

प्रश्नगत पद दिनांक 1-4-90 से रिक्त है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

98---श्री माताप्रसाद पाण्डेय, श्री अतीक अहमद तथा श्री अमरमणि ।

[दि. 20-6-90 को अता. प्र. संख्या 47 द्वारा उत्तरित]

थाना काशीपुर, जिला-नैनीताल निवासी श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा की हत्या विषयक रिपोर्ट एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार न किये जाने के कारण

डा. शिवानन्द नौटियाल

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5/6 जुलाई, 1989 को काशीपुर, जिला-नैनीताल निवासी श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा की हत्या की गई थी जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 6-7-89 को काशीपुर थाने में दर्ज करा दी गई थी ? यदि हां तो अब तक उनके हत्यारों की गिरफ्तारी न किये जाने का क्या कारण है और कब तक उनके हत्यारों को गिरफ्तार किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

जी हाँ ।

विवेचना के दौरान कुल 8 अभियुक्त प्रकाश में आये, जिनमें से 4 अभियुक्तों को गिरफतार किया गया । 2 अभियुक्त हरियाणा पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गये तथा शेष दो अभियुक्तों का पूर्ण पता न होने के कारण अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है । वर्तमान में इसकी विवेचना अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही हैं ।

100---श्री राम स्वरूप वर्मा---

[दि0 20-6-90 को अता0 प्र0 सं0 97 द्वारा उत्थरित]

शाहजहांपुर जनपद में विद्युत तारों से मो0 विसरात घाट पर हुई 2 व्यक्तियों की मृत्यु तथा उनके आश्रितों को मुआवजा देने की मांग

101---श्री सुरेश कुमार खन्ना

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में विद्युत के गिरे हुए जीवित तारों के कारण 15-7-87 को दो व्यक्तियों की मृत्यु मो0 विसरात घाट पर हुई जिसके सम्बन्ध में इन्सपेक्टर द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद भी अभी तक उनके परिवार वालों को मुआवजा नहीं दिया गया? क्या मंत्री जी कोई समयबद्ध मआवजा दिये जाने के संबंध में निर्देश देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हाँ ।

दोनों मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को रुपया एक-एक हजार की अन्तरिम सहायता स्वीकृत की जा चुकी है । मृतक श्री दुर्गेश के पिता श्री विजय शंकर को उक्त धनराशि चेक सं0 ए-19/100-771396 दिनांक 16-6-90 द्वारा भुगतान किया जा चुका है । दूसरे मृत व्यक्ति बाबा बुद्ध दास का कोई वैध उत्तराधिकारी न होने के कारण भुगतान नहीं किया जा सका है ।

परिषद ने दोनों मृतक व्यक्तियों के आश्रितों को रू0 दस-दस हजार की अन्तरिम सहायता की धनराशि समायोजित कर ली जायेगी एवं मुख्य क्षेत्रीय अभियंता, बरेली को निर्देशित किया गया है कि वे स्वीकृत धनराशि का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करें ।

प्रदेश में ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य एवं विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या

102---श्री सुरेश कुमार खन्ना

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1989-90 में प्रदेश के कितने ग्रामों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिनमें से कुल कितने ग्रामों का विद्युतीकरण हो चुका है ? यदि निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है तो उसके क्या कारण है ? जनपद शाहजहांपुर में लक्ष्य का 10 प्रतिशत भी पूरा न होने के क्या कारण है ? सरकार इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

वर्ष 1989-90 में प्रदेश में एल0 टी0 मेन्स बिछाकर 2365 ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध कुल 2017 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार 2365 ग्रामों के विद्युतीकरण के लक्ष्य के विरूद्ध 1832 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ।

संसाधनों की कमी के कारण निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका ।

वर्ष 1989-90 में जनपद शाहजहांपुर में एल0 टी0 मेन्स बिछाकर 2 ग्रामों के लक्ष्य के विरूद्ध 1 ग्राम का विद्युतीकरण किया गया तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार 21 ग्रामों के लक्ष्य के विरुद्ध 16 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया । इस प्रकार क्रमशः 50 प्रतिशत एवं 76 प्रतिशत लक्ष्य पूरा किया गया। संसाधनों की कमी के कारण 100 प्रतिशत लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका ।

लक्ष्य वित्तीय वर्ष के लिये निर्धारित होते हैं अतः अब वर्ष 1989-90 के लक्ष्य को पूरा करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

ट्यूब वेलों को विद्युत आपूर्ति दिन में व सामान्य प्रयोग हेतु रात में किये जाने विषयक प्रश्न कर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

103---श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना

103---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि ट्यूबवेलों को विद्युत आपूर्ति दिन में व सामान्य प्रयोग हेतु रात में किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 27-2-90 शासन स्तर पर प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या पत्रोल्लिखित मामले में कार्यवाही हुई ? यदि हां, तो कब व क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां । संदर्भित पत्र में निधासन तहसील जनपद लखीमपुर-खीरी को सिंचाई के लिये दिन में तथा प्रकाश के लिये रात्रि में विद्युत आपूर्ति की मांग की गई थी । वर्तमान परिस्थितियों में किसी क्षेत्र विशेष को केवल दिन में सिंचाई हेतु विद्युत आपूर्ति कर पाना तकनीकी दृष्टि से उचित नहीं होगा क्यों कि ऐसी मांग अन्य क्षेत्रों से भी आती रहती है । कुछ क्षेत्रों में डाकुओं के आतंक के कारण, कुछ क्षेत्रों में आतंकवादियों के आतंक के कारण किसान रात्रि में खेत पर जाने से डरते हैं । इसलिए इस समस्या का यह समाधान उचित नहीं हैं क्योंकि विद्युत प्रणाली पर भार दिन में अधिक हो जायेगा और बड़े नगरो पर विद्युत कटौती करनी पड़ सकती हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों के लिये आजकल सिंचाई हेतु रात्रि अथवा दिन में साप्ताहिक चक्रीय कार्यक्रम के अनुसार प्रतिदिन 14 घंटे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है । रात्रि वाले समूह को रात्रि 22 बजे से अगले दिन प्रातः 8 बजे तक एवं दिन में 12 बजे से 16 बजे तक तथा दूसरे समूह को 00.00 बजे से 4 बजे तक एवं दिन में 8 बजे से 18 बजे तक विद्युत आपूर्ति की जाती है । इस प्रकार सभी ग्रामीण क्षेत्रों को दिन में 12 बजे से 16 बजे तक विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है । सायंकाल 18 बजे से अगले दिन प्रातः 8 बजे तक प्रकाश एवं पंखे के लिये इनको 2 फेज विद्युत आपूर्ति का भी प्रावधान है ।

खनन विभाग, बांदा की अनियमितताओं के सम्बन्ध में श्री फूलचन्द्र नि0 तरकहवा पुरवा ग्राम सभा-भौरी, के पत्र के साथ प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही ।

104--- श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा–

104–क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 7-3-1990 का एक श्री फूलचन्द, नि0 तरकहवा पुरवा ग्राम सभा-भौरी, जनपद-बांदा के पत्र के साथ खनन विभाग, बांदा की अनियमितताओं के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो श्री फूलचन्द्र के बयान क्या हैं तथा पत्र पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

श्री फूलचन्द्र के पत्र में उनके बयान निम्नवत् हैं :---

1– प्रार्थी ने अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए बेरोजगारी को ध्यान में रखकर ग्राम भौंरी में स्थित पहाड़ के गाटा संख्या-5211 में खनन हेतु श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा दो एकड़ का पट्टा करा लिया था ।

2– दिनांक 27 जून, 1989 को उक्त गाटा में चौहद्दी कराकर मौके पर कब्जा दे दिया एवं खनन कार्य के आदेश दे दिए ।

3– उपरोक्त खनन कार्य के दौरान लगभग दो माह तक खनन कार्य चला था तथा दो माह बाद लेखपाल की साजिस से उपरोक्त गाटा सं0-5211 बताकर प्रार्थी के चल रहे कार्य के स्थान पर एक अन्य व्यक्ति के खनन कार्य करने हेतु नक्शा देकर प्रार्थी को एक बड़ी भारी उलझन में डाल दिया । प्रार्थी ने अपने नक्शे को तद्नुसार दुरुस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था कर्मचारी द्वारा नक्शा दुरुस्त किया गया जिसके लिए जिलाधिकारी का आदेश दिनांक 29 अगस्त, 1989 को हो चुका था ।

4– उपरोक्त कार्य कराने में तथा दो माह तक पत्थर की खुदाई कराने में लगभग 60 हजार रुपया खर्च हुए व मात्र 8 अदद खन्ना काटे जा चुके हैं किन्तु अब कार्य बंद है । प्रार्थी एक गरीब किसान है कर्ज लेकर इस आशय से खर्च कर दिया था कि परिश्रम करके लोगों का कर्ज तुरन्त अदा कर देगा ।

5– अभिलेखों के निरीक्षण से पता चलता है कि उपरोक्त स्थल का पट्टा किया जा चुका है दोबारा इस स्थान का पट्टा कैसे निम्न कर्मचारियों ने नक्शे में अंकित कर दिया लगभग 7 माह हो गए जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा आदेश नहीं दिया जा रहा है कि कार्य कब से चलाया जाय । इधर प्रार्थी के ऊपर कर्ज की ब्याज बढ़ रही है तथा परिवार के कुछ लोगों की बेकारी आ रही है । प्रार्थी के पास इसके अलावा कोई कार्य भी नहीं है ।

6– प्रार्थी के स्थान पर दुबारा पट्टा कराने वाला व्यक्ति बहुत ही प्रभावशाली है जो कि अपने प्रभाव से कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रभावित कर लिया और मेरे वैधानिक ढंग से कराए गए पट्टे को अवैध घोषित करा दिया अत: प्रार्थी को विलम्ब कराकर बहुत ही क्षति दी गई है ।

7– यह कि प्रार्थी को पता चला है कि दिनांक 21 दिसम्बर, 1989 को निर्णय हो चुका है कि जिस पर 15 रुपये के टिकट लगाकर नकल मांगी गई लेकिन खनन विभाग बांदा द्वारा निर्णय की रिपोर्ट देने से इन्कार कर दिया गया ।

8– नक्शा चिन्हित स्थान की चौहद्दी दिनांक 26 जून, 1989 से दिनांक 12 सितम्बर, 1989 तक भुजवन बगीचा गाटा सं0-5555 नम्बर था इसके उपरान्त दिनांक 13 सितम्बर, 1989 को 5555 नम्बर को 5211 नम्बर बताया गया । गाटा सं0-5211 दिनांक 21 अगस्त, 1989 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा सुधारा गया । बाद में जिलाधिकारी महोदय द्वारा 24 सितम्बर, 1989 को उसी स्थान पर अन्य व्यक्ति को पट्टा कर दिया ।

9– प्रार्थी को दिनांक 21 मई, 1989 को अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा भुजवन

बगीचा 5555 सिद्ध कर दिया था और प्रार्थी को मुलजिम बनाया गया तथा 4000/- नगद, एक ट्रक क्रेशर की गिट्टी एक ट्रक पत्थर डी0 एम0 महोदय को देकर फूलचन्द के खिलाफ मुकद्मा का निर्णय किया गया ।

10- बांदा जिले में दादुओं व असरदार व्यक्तियों का एक अपना प्रभुत्व बन गया है क्योंकि कोई भी निम्न वर्ग का व्यक्ति थाने, कचहरी, तहसील व अन्य विभागों में अपनी याचिका दायर करने पर भी उसे अधिकारीगण दादुओं के पहुंचने व कहने सुनने से विपरीत निर्णय दिया जाता है यह बांदा जिले की एक परम्परा बनती जा रही है ।

श्री फूलचन्द के अग्रनगत प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि जिलाधिकारी बांदा के पास इस निर्देश के साथ भेजी गई थी कि वह उक्त पत्र में उल्लिखित तथ्यों की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर आख्या शासन को भेजें । तद्नुसार जिलाधिकारी बांदा ने यह सूचित किया है कि उनके पास उक्त पत्र के पूर्व भी श्री फूलचन्द पुत्र श्री रामखेलावन, निवासी भौंरी ने दिनांक 14 अगस्त, 1989 को इस आशय का एक पत्र जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था । इस पत्र की विस्तृत जांच कराने पर निम्न तथ्य प्रकाश में आये :---

(1) प्रार्थी श्री फूलचन्द ने दिनांक 1 नवम्बर, 1988 को भूमि सं0-5555 क्षेत्रफल 2 एकड़ ग्राम भौंरी का खनन पट्टा दिए जाने का प्रार्थना-पत्र जिलाधिकारी को दिया था । इस प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न शपथ-पत्र में भी भूमि संख्या-5555 का उल्लेख है एवं आवेदन पत्र जमा करने के शुल्क का चालान सं0-22 दिनांक 1 नवम्बर, 1988 में भी भूमि सं0-5555 का पट्टा दिए जाने का उल्लेख है । उक्त प्रार्थना पत्र से संलग्न नक्शे का उद्धरण भी भूमि सं0-5555 रकवा 2 एकड़ के संबंध में है ।

(2) तहसीलदार कबीं की सीमाबंधन आख्या के अनुसार दिनांक 27 जून, 1989 को सीमाबंधन भूमि सं0-5555 में इंगित 2 एकड़ क्षेत्रफल का किया है न की भूमि सं0-5211 का ।

(3) प्रार्थी श्री फूलचन्द द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ भूमि सं0-5555 का ही नक्शा प्रस्तुत किया था अतः तहसीलदार द्वारा अन्य भूखंड सं0-5211 का सीमाबंधन करने का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

(4) चूंकि श्री फूलचन्द को गाटा सं0-5211 के किसी भखंड का पट्टा स्वीकृत नहीं था अतएव उस स्थान पर उनके द्वारा किए गए कथित खनन कार्य एवं व्यय की गई धनराशि पर आख्या देने का प्रश्न नहीं उठता ।

(5) जहां तक भूमि सं0-5211 का पट्टा दूसरे व्यक्ति को दिए जाने का प्रश्न है, उक्त भखंड में से श्री अवधेश कुमार मिश्र को एक एकड क्षेत्रफल का खनन पट्टा दिनांक 25 फरवरी, 1987 से दिनांक 24 फरवरी, 1990 तक की अवधि के लिए, श्री छेदी लाल को 2 एकड़ क्षेत्र का खनन पट्टा दिनांक 25 मई, 1988 से दिनांक 24 अप्रैल, 1990 तक की अवधि के लिए तथा श्री ललित कुमार मिश्र को 2 एकड क्षेत्र का खनन पट्टा दिनांक 26 अगस्त, 1989 को 3 वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया जा सका है ।

(6) श्री फूलचन्द द्वारा इंगित गाटा सं0-5211 में सर्वश्री अवधेश कुमार मिश्र, छेदीलाल तथा ललित कुमार मिश्र का खनन पट्टा स्वीकृत किया गया है एवं उन्हीं के नाम पर दोबारा पट्टा कराने की बात सही नहीं है ।

(7) प्रार्थी द्वारा की गई शिकायतों की आवश्यक जांच कराने के उपरान्त जिलाधिकारी ने दिनांक 1 दिसम्बर, 1989 को स्थल का स्वयं निरीक्षण किया था तथा प्रार्थी श्री फूलचन्द एवं अन्य पट्टाधारियों को सुनने के पश्चात यह निर्णय लिया कि यदि फूलचन्द चाहें तो भूमि सं0-5211 के रिक्त क्षेत्र का खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु दूसरा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं । जिलाधिकारी के उक्त आदेश से श्री फूलचन्द को दिनांक 9 जनवरी, 1990 को अवगत कराया जा चुका है किन्तु श्री फूलचन्द ने उक्त भूमि सं0-5211 के रिक्त क्षेत्र में खनन पट्टा प्राप्त करने हेतु कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया है ।

जनपद वाराणसी, पिंडरा में उपमंडी स्थल का चयन एवं निर्माण ।

105---श्री उदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर0 पी0 सिंह सभापति, कृषि मंडी समिति वाराणसी एवं ए0 डी0 एम0 प्रोटोकाल वाराणसी ने अपने पत्रांक/मंडी-लि0-दिनांक 89-90-1095, दिनांक 11 फरवरी, 1990 के द्वारा अपर निदेशक प्रशासन राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद उ0 प्र0 को लिखा है कि पिंडरा वाराणसी में उपमंडी स्थल पूर्व से नोटीफाइड है, भूमि का चयन अभी नहीं हुआ है और मंडी बनाने का प्रस्ताव है ? क्या भूमि आपसी सम्भौते से लेने का प्रयास किया जा रहा है ? क्या भूमि न मिलने पर दूसरा प्रस्ताव भूमि लेने के लिए किया जायेगा ? क्या सरकार सभापति कृषि उत्पादन मंडी वाराणसी तथा प्रोटोकाल ए0 डि0 एम0 द्वारा उनके पत्रांक-मंडी-लि0-दिनांक 89-90 1419, दिनांक 1 मार्च, 1990 द्वारा अपर निदेशक प्रशासन को वर्ष 1986-87 व वर्ष 1987-88 तथा 1988-89 के भेजे गए आंकड़ों की सत्यता और दोनों पत्रों की भिन्नता की जांच करायेगी ? क्या गलत आंकड़ा देने तथा तथ्यों को तोड़कर भेजना देने वाले सभापति और ए0 डि0 एम0 प्रोटोकाल वाराणसी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

पत्र संख्या-मण्डी-लि0 दि0 89-90-1094, दिनांक 11 जनवरी, 1990 द्वारा सूचना दी गई है ।

पिंडरा में उपमण्डी स्थल निर्माण कराये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है । अतः अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

आंकड़ों की भिन्नता की जांच के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

शासनादेश द्वारा आयल सीड सुपर वाइजरों को अनुभव के आधार पर किसान सहायक वर्ग-3 के पद पर पदोन्नति दिया जाना ।

106---श्री तेजपाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कृषि निदेशालय को शासन ने पत्रांक-9903/12-2-900(2)/86, टी0 सी0, दिनांक 2-12-87 के द्वारा निर्देश दिया था कि आयल सीड सुपरवाइजरों को अनुभव के आधार पर किसान सहायक वर्ग-3 के पद पर पदोन्नति कर दिया जाय ? यदि हां, तो उपरोक्त आदेशानुसार कितनी पदोन्नति दी गई और कितनी अवशेष है ? यदि पदोन्नति नहीं दी गई तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

शासनादेश संख्या-9903/12-2-900(2)/86 टी0 सी0, दिनांक 2-12-87 के द्वारा निर्देश दिया था कि प्रशिक्षण एवं भ्रमण योजना के अन्तर्गत उक्त पदों के वेतनमान के पद न हो तो उन कर्मचारियों को अनुभव आदि के आधार पर तदर्थ रूप से किसान सहायक के पद पर नियक्त कर दिया जाय । वर्ग-3 के पदों पर पदोन्नति का कोई प्राविधान नहीं है । पदोन्नति का कोई प्राविधान नियमावली के अन्तर्गत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कृषि निदेशालय के वर्ग-4 के तिलहन सुपरवाइजरों को श्रेणी-3 में पदोन्नति की मांग ।

107---श्री तेजपाल--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय के वर्ग-4 के तिलहन सुपरवाइजरों का पद स्थाई होने के बावजद भी समाप्त कर इसे कान्टदार नाम के पद में परिवर्तित कर दिया गया है ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि विधान सभा के प्रथम सत्र 1972 के दूसरे मंगल के तारांकित प्रश्न संख्या-3 के उत्तर में यह बताया गया था कि तिलहन सुपरवाइजरों को श्रेणी-3 में पदोन्नति देने के प्रस्ताव को सिद्धान्त: मान लिया गया है ? यदि हां, तो इतने वर्षों के उपरान्त कितनों को पदोन्नति दी गई एवं कितने अवशेष है ? क्या पदोन्नति पाये गये सभी अभ्यर्थीगण अभी भी पदोन्नति पर है ? यदि नहीं, तो क्यों और उन्हें कब तक पदोन्नति दे दी जायेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शहर वाराणसी के विद्युत उपभोक्ताओं को मीटर की रीडिंग के अनुसार ही बिल उपलब्ध कराये जाने की मांग

108---श्री राज किशोर सिंह--

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि शहर वाराणसी के विद्युत उपभोक्ताओं के विद्युत बिल में लगभग 90 प्रतिशत एन0 आर0 लिखकर मिलता है ? यदि हां, तो इसका मुख्य कारण क्या है ? उपभोक्ताओं को उनके मीटर रीडिंग के अनुसार

ही बिल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

108- श्री मुलायम सिंह यादव

शहर वाराणसी के विद्युत उपभोक्ताओं को 5/89 से 1/90 तक भेजे गये विद्युत बिलों में एन0 आर0 बिलों की औसतन संख्या निम्नलिखित है :--

(1) पंखा बत्ती	58.82%
(2) छोटे/लघु एवं मध्यम उद्योग	28.79%

उपभोक्ताओं के यहां विद्युत बिल पंखा बत्ती वाले दो माह में एक बार एवं छोटे लघु एवं मध्यम उद्योग उपभोक्ताओं के यहां माहवारी बिल भेजे जाते हैं । लघु एवं मध्यम उद्योग के उपभोक्ताओं के यहां एन0 ए0/एन0 आर0 बिलों की संख्या कम है एवं पंखा बत्ती के उपभोक्ताओं के यहां यह संख्या अधिक है । इसका मुख्य कारण निम्न है :--

(1) मीटर-रीडिंग प्रक्रिया में सुधार लाने की आवश्यकता ।

(2) वर्ष 1989-90 के दौरान वाराणसी नगर में दंगों एवं अन्य कारणों से कुछ बार कर्फ्यू लागू करने तथा उसी दौरान लोक सभा एवं विधान सभाओं के चुनाव होने के कारण वाराणसी नगर में मीटर-रीडिंग लेने के चक्र में व्यवधान उत्पन्न हुये एवं उपभोक्ताओं के बिलों में एन0 ए0 एन0 आर0 का औसत बढ़ता गया ।

अभी हाल ही में मीटर रीडरों द्वारा माह के अन्त में उपभोक्ताओं के यहां ली गयी रीडिंग एन0 ए0/एन0 आर0 उपभोक्ताओं की संख्या तथा उसके कारण दर्शाना इत्यादि एवं क्षेत्र के सम्बन्धित अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के माध्यम से खण्डीय कार्यालय में रीडिंग जमा करने हेतु निर्देश नियम बना दिए गए हैं एवं इससे आशा है कि इस प्रणाली से प्रभावी सुधार होगा ।

आशा है यह परिवर्तन 6 माह के अन्दर मीटर रीडरों के कार्य प्रणाली पर पूर्णतः कन्ट्रोल लायेगा ।

वाराणसी जनपद अन्तर्गत खण्ड विकास क्षेत्र भदोही के ग्राम फतूपुर के निकट विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के लिये खरीदी गयी ग्राम समाज की भूमि एवं धनराशि को ग्राम सभा फतूपुर खाते में जमा करने की मांग

109–श्री राज किशोर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद अन्तर्गत खण्ड विकास क्षेत्र भदोही के ग्राम फतफपुर के निकट स्थित विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के लिए ग्राम समाज फतपुर की लगभग 12 बीघे जमीन खरीदी गयी थी और दिनांक 20-2-82 को चेक सं0-04/50276470 द्वारा कुल तीन लाख बीस हजार रुपये तत्कालीन जिलाधिकारी वाराणसी को

दिए गए थे ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि ग्राम सभा फतूपुर, भदोही, वाराणसी के खाते में स्थानान्तरित कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

जी नहीं । उक्त धनराशि राजकीय कोष में नियमानुसार जमा है । क्योंकि उक्त धनराशि को ग्राम सभा के खाते में स्थानान्तरित करने का नियम नहीं है ।

भोलू पुत्र श्री खुशहाली जाटव (हरिजन) नि0 ग्राम उझारी थाना सैदनगली जनपद मुरादाबाद का शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

110–श्री राज किशोर सिंह–

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भोलू पुत्र श्री खुशहाली जाटव (हरिजन) नि0 ग्राम उझारी थाना सैदनगली जनपद मुरादाबाद का शिकायती पत्र दिनांक 17-12-88 पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मुरादाबाद को प्राप्त हुआ है, जिसमें भोलू ने उसके घर में घुसकर मारपीट करने वाले उसी के गांव के अजीजुल हसन आदि के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की मांग की है ? यदि हां, तो क्या नामजद व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा कायम किया गया और तफतीश कर कार्यवाही पूर्ण की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री भोलू पुत्र श्री खुशहाली नि0 ग्रा0 उझारी थाना सैदनगली का दिनांक 17-12-88 का कोई शिकायती पत्र प्राप्त नहीं हुआ बल्कि दि0 11-12-88 का शिकायती पत्र उल्लिखित विषय पर प्राप्त हुआ था, जिसके आधार पर थाना सैदनगली पर मु0 ल0 सं0 251/88 अन्तर्गत धारा 323/504/506 भा0 द0 वि0 का अभियोग अजीजुल हसन आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचनोपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है ।

111-डा0 दिनेश जौहरी-

[दि0 20-6-90 को अता0 प्र0 सं0 190 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

बरेली के हार्टमैन कालेज कक्षा-8 के छात्र अनुराग प्रकाश की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु

112–डा0 दिनेश जौहरी–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि बरेली का हार्टमैन कालेज का कक्षा-8 का प्रतिभावान छात्र अनुराग प्रकाश शर्मा संदिग्ध अवस्था में 21/22 नवम्बर, 88 को अपने घर 610, आवास विकास जनकपुरी बरेली में मृत पाया गया ? यदि हां, तो क्या मृतक की मृत्यु के कारण का पता लगाने की कोई कोशिश की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार अनुराग प्रकाश शर्मा की उनके निवास स्थान नं0 610 आवास विकास जसकपुरी बरेली पर कै-दस्त से अस्वस्थता के कारण मृत्यु हो गयी थी ।

इस सम्बन्ध में मृतक के पिता श्री ओम प्रकाश शास्त्री द्वारा दिनांक 18-1-90 को पुलिस अधीक्षक, बरेली को एक शिकायती पत्र दिया था जिसमें उन्होंने अपने पुत्र की हत्या किये जाने का संदेह किया था । इन आरोपों की दो उप निरीक्षकों द्वारा जांच कराने पर इसमें कोई सत्यता नहीं पायी गयी है । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री नन्द किशोर वर्तमान उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण अल्मोड़ा के विरुद्ध अनियमितता एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच

113---ड0 दिनेश जौहरी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नन्द किशोर वर्तमान उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण, अल्मोड़ा जब शारदा नहर समादेश में कार्यरत थे तो प्रशासक शारदा नहर समादेश विकास प्राधिकरण को उनके विरुद्ध अनियमितता एवं भ्रष्टाचारों की अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनकी जांच की गयी थी ? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या रहा ? इस अधिकारी को क्या 1989 में उप कृषि निदेशक भूमि संरक्षण अल्मोड़ा के पद से स्थानान्तरित किया गया और इस पर श्री हिरसिंह नागर ने योगदान भी किया था ? यदि हां, तो पुनः इन्हें एक अगस्त, 1989 को उपनिदेशक भूमि संरक्षण, अल्मोड़ा के पद पर क्यों तैनात कर दिया गया ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

प्रारम्भिक जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

जी हां ।

लोकहित में इन्हें विशेष कार्याधिकारी (चाय) नामित करते हुए दो वर्ष अल्मोड़ा में ही तैनात रहने का आदेश दिये गये थे ।

उ0 प्र0 के पशुपालन विभाग के 9-9-83 से पूर्व आकाश प्राप्त किये पशुधन विकास सहायकों की 1-4-54 से पूर्व नियमित सेवाओं को उनकी पेंशन व ग्रेच्युटी के लिये जोड़ने की मांग

114---श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के पशुपालन विभाग के पशुधन विकास सहायक जो दिनांक 9-9-83 से पूर्व आकाश प्राप्त किये हैं उनकी दिनांक 1-4-54 से पहले की नियमित सेवाओं को उनकी पेंशन व ग्रेच्युटी के लिये नहीं

जोड़ा गया है जबकि दिनांक 9-9-83 या उसके बाद अवकाश प्राप्त ऐसे सहायकों की पेंशन व ग्रेच्युटी के लिये दिनांक 1-4-54 से पहले की सेवाओं को जोड़ा गया है ? यदि हा, तो उक्त भेद-भाव बरतने का क्या कारण हैं ? क्या इस विषमता को दूर करने के लिये निदेशक पशुपालन विभाग उ0 प्र0 लखनऊ सरकार को अपनी संस्तुति बहुत पहले दे चुके हैं ? यदि हां, तो इसके बारे में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 9-9-83 से पूर्व सेवा निवृत्त 25 पशुधन विकास सहायकों को भी दिनांक 1-4-54 से पहले की नियमित सेवाओं को उनकी पेंशन व ग्रेच्युटी हेतु लाभ दे दिया गया है । शेष के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है ।

निदेशक पशुपालन से विस्तृत सूचना अपेक्षित है ।

श्री अवधेश कुमार सिंह पशुधन प्रसार अधिकारी जनपद राय बरेली का गृह ब्लाक गंगागंज पशु सेवा केन्द्र से स्थानान्तरण करने की मांग

115---श्री हरन्त लाल गुप्ता–

क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अवधेश कुमार सिंह पशुधन प्रसार अधिकारी अपने ही गृह जनपद रायबरेली में अपने ही गृह ब्लाक में पशुसेवा केन्द्र गंगागंज पर कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या अपने गृह जनपद में ऐसा अधिकारी नियमानुसार तैनात किया जा सकता है ? यदि नहीं तो क्या सरकार इनको दूसरे जिले में स्थानान्तरित करने पर विचार कर रही है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

जी नहीं ।

दिनांक 5-5-90 को जनपद हरदोई को स्थानान्तरित किया जा चुका है ।

वाराणसी जनपद के भगौली, बलुआ, बीरा सराय, नगवां और नेगुरा लिफ्ट कैनाल पर विद्युत ट्रिपिंग की समस्या

116---श्री दया शंकर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जनपद के भगौली, बलुआ, बलुआ, वीरा सराय, नगवां और नेगुरा लिफ्ट कैनाल पर विद्युत ट्रिपिंग की समस्या है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां । वाराणसी जनपद की चन्दौली तहसील के अन्तर्गत भगौली, बलुआ, बीरा सराय, नगवां और नेगुरा लिफ्ट एम्प कैनाल पर कम वोल्टेज एवं ट्रिपिंग की समस्या है ।

उक्त नहरों को 33 के0 वी0 उपकेन्द्र भूपौली, चहनिया तथा धानापुर से विद्युत आपूर्ति मिलती है । 220 के0 वी0 साहपुरी उपकेन्द्र से, एक ही 33 के0 वी0 लाइन से, उपरोक्त 33 के0 वी0 उपकेन्द्रों के अतिरिक्त, 33 के0 वी0 सकलडीहा उपकेन्द्र को भी आपूर्ति की जाती है । यह लाइन अधिक लम्बी होने तथा इस पर अधिक भार होने के कारण कम वोल्टेज तथा ट्रिपिंग की समस्या है ।

थाना कधरापुर, जनपद आजमगढ़ में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज रिपोर्ट एवं उसका विवरण

117---श्री पंचानन राय--

क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवम्बर, 88 में, थाना कधरापुर, जनपद आजमगढ़ में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत कोई प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

जी हां ।

दिनांक 15-11-88 को श्री जितेन्द्र राय, सदस्य, साधन सहकारी समिति, आखापुर मंझरिया द्वारा दी गई लिखित सूचना कि समिति को सरकार द्वारा माह नवम्बर, 88 में 38 बोरा चीनी आवंटित हुई थीं, जिसकी निकासी समिति के सेल्समैन श्री राम सुन्दर राय द्वारा 14-11-1988 को की गई, जो स्टाक रजिस्टर में 34 बोरे अंकित हैं परन्तु समिति के गोदाम में उक्त मात्रा में चीनी उपलब्ध नहीं है जिससे सिद्ध होता है कि उपरोक्त चीनी सेल्समैन द्वारा बाजार में बेच दी गई है ।

उक्त सूचना पर थाना कंधरापुर पर म0 अ0 सं0 268/88 अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम मंत्रीमन्त्र पर विवेचना की गई । विवेचना के दौरान 9 बोरा चीनी बरामद की गई । रामजद अभियुक्त सेल्समैन श्री राम सुन्दर राय के विरुद्ध आरोप प्रमाणित न होने के कारण विवेचना समाप्त की गई । बरामदशुदा चीनी एम0 डी0 एम0 मसूरी के आदेश से पूर्ति निरीक्षक ने अपने कब्जे में लेकर चीनी का मूल्य क्रिमिनल कोड में जमा कर दिया ।

श्री सूर्यनारायण गुप्त की पत्री श्रीमती विन्दु कुमारी निवासी ग्राम मधुबन, जिला-मऊ की कथित दहेज हत्या एवं जांच

118---श्री शारदानंद अंचल--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सूर्यनारायण गुप्त की पत्री, श्रीमती विन्दु कुमारी निवासी ग्राम मधुबन जिला-मऊ की कथित दहेज हत्या की सी0 बी0 आई0 जांच सम्बन्धी पत्र उनके कार्यालय से दिनांक 24-3-90 पत्रांक- संख्या सी0 एम0 /सी0 को0 एम-1-क/256-393/90 को सचिव को भेजा गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

श्रीमती बिन्दु कुमारी की मृत्यु की जांच अपराध अनुसंधान विभाग से करायी गयी । जांच में श्रीमती बिन्दु कुमारी की मृत्यु बीमारी के कारण होनी पाई गई एवं कोई संदेहजनक बात प्रकाश में नहीं आयी ।

प्रदेश में दहेज उत्पीड़न के फलस्वरूप जलाई गयी लड़कियां एवं एतद्विषयक केसों का निस्तारण

119---श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत 3 वर्षों में प्रदेश में दहेज उत्पीड़न के फलस्वरूप कितनी लड़कियां जलायी गई ? अब तक इस संदर्भ में कितने केसों का निस्तारण हुआ और कितने केस लम्बित है ? क्या इस सम्बन्ध में लापरवाही बरतने वाले कुछ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध भी शिकायतें मिली थीं ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने पुलिसकर्मी दण्डित किये गये ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

विगत तीन वर्षों में दहेज उत्पीड़न के फलस्वरूप 1223 लड़कियों को जलाये जाने की सूचना पंजीकृत है । उक्त में से 1059 अभियोगों का निस्तारण किया जा चुका है तथा 164 अभियोग विवेचनाधीन है ।

अब तक प्राप्त सूचनानुसार बुलन्दशहर, मुरादाबाद परिक्षेत्र एवं लखनऊ परिक्षेत्र में कुल 7 पुलिसकर्मी दोषी पाए गए है जिसमें 6 को दण्डित किया जा चुका है एवं एक के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है । शेष के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

120---श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह---

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

ग्राम सभा कोटा, विकास क्षेत्र जैतीपुर जिला शाहजहांपुर के प्रधान को गोली मार कर घायल किया जाना एवं उनके परिवार को दी गई सुरक्षा व्यवस्था

121---श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह---

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 10-4-90 को ग्राम सभा कोटा विकास क्षेत्र जैतीपुर जिला शाहजहांपुर के प्रधान को कुछ लोगों ने गोली मार कर घायल कर दिया था ? यदि हां, तो प्रधान व उनके परिवार की सुरक्षा की क्या तत्काल व्यवस्था की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्राप्त सूचना के अनुसार ग्राम प्रधान कोटा श्री शिशुपाल सिंह ने दि0 11-4-90 को समय 11-30 पूर्वान्ह बजे थाना जैतीपुर पर सूचना दी कि कुछ लोगों द्वारा उनको प्रातः लगभग 6-30 बजे गोली मारकर घायल कर दिया गया है । इस सूचना के आधार पर अभियोग संख्या 74/9 धारा 307/504 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ ।

वादी व उसके परिवार की सुरक्षा हेतु उसके घर पर निरन्तर पुलिस गश्त की व्यवस्था कर दी गयी है तथा थानाध्यक्ष जैतीपुर को भी सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं ।

फैजाबाद विद्युत प्रेषण खण्ड के बाबत प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

122---श्री राम लखन वर्मा--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का फैजाबाद विद्युत प्रेषण खण्ड के बाबत शिकायती पत्र दिनांक 29-3-90 को प्राप्त हुआ ? यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

परिवाद में लगाये गये आरोपों की जांच अधीक्षण अभियंता, विद्युत प्रेषण मंडल, सुल्तानपुर से करवाने के उपरांत श्री गोपाल कृष्ण पाण्डेय, अधिशासी अभियंता, विद्युत प्रेषण खंड फैजाबाद के विरुद्ध कोई भी आरोप सिद्ध नहीं पाए गए । अतः परिषद स्तर पर उनके विरुद्ध मामला समाप्त कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ शहर के पिछड़े क्षेत्र में ग्राम केसरी खेड़ा बीबी खेड़ा आदि में विद्युत योजना चालू किये जाने की मांग

123---श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के पिछड़े क्षेत्र में नगर विस्तार योजना के अंतर्गत आए हुए ग्राम केसरी खेड़ा बीबी खेड़ा आदि में विद्युत योजना चालू हो गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त ग्रामों में विद्युत योजना किस विभाग द्वारा सम्पन्न होगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी नहीं ।

केसरी खेड़ा एवं बीबी खेड़ा आदि के किसी उपभोक्ता से दि कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाइ सोसाइटी लि0. लखनऊ को विद्युत कनेक्शन के लिए कोई भी प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ । उपभोक्ताओं से प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायगी । उक्त ग्रामों में विद्युत योजना दि को-आपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी लि0 लखनऊ द्वारा सम्पन्न होगी ।

मऊ जनपद के घोसी विधान सभा क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन दिये जाने की मांग

124---श्री सूबास--

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मऊ जनपद के घोसी विधान सभा क्षेत्र में अधिकांश गांवों के विद्युतीकरण के लिए कनेक्शन हेतु गांव के काफी लोगों द्वारा पैसा जमा किया गया है ? यदि हां, तो क्या उनका कनेक्शन दिया गया ?

यदि नहीं, तो क्यों ? क्या कनेक्शन देने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां । मऊ जनपद के घोसी विधान सभा क्षेत्र के विद्युतीकृत ग्रामों में विद्युत कनेक्शन हेतु लोगों द्वारा पैसा जमा किया गया है ।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कनेक्शन देने का कार्य चल रहा है । इस समय क्षेत्र के दोहरीघाट, घोसी और बड़रांव विकास खण्डों के विद्युतीकृत ग्रामों में लगभग 230 कनेक्शन सामग्री की कमी के कारण लम्बित है जिसकी व्यवस्था की जा रही है ।

लखनऊ परिक्षेत्र के उप-महानिरीक्षक पुलिस को पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने विषयक शिकायती पत्र एवं कार्यवाही

125---श्री हृदय नारायण---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ परिक्षेत्र के उप महानिरीक्षक पुलिस को अप्रैल, 89 से मार्च, 90 तक कितने शिकायती प्रार्थना-पत्र पुलिस द्वारा अत्याचार किए जाने विषयक प्राप्त हुए हैं ? उनमें से कितने पत्र मा0 विधायकों द्वारा संस्तुति सहित डी0 आई0 जी0 को संदर्भित हुए है ? कितने पत्र उन्हें शासन से प्राप्त हुए हैं ? उक्त अवधि में उक्त शिकायतों पर कुल कितने पुलिस कर्मी दोषी पाये गये हैं ? और कितने पुलिस कर्मियों को दण्डित किया गया है ? क्या यह सच है कि जांच प्रक्रिया में अधिकांश शिकायतें बिना जांच ही लम्बित है और अधिकांश में दोषी पाए जाने पर भी कार्यवाही नहीं की गई है ? उन्नाव जिले के डी0 आई0 जी0 स्तर से संदर्भित कितने शिकायती पत्रों की जांच पूरी हुई है और कितने शेष है ? कितने पुलिसकर्मी दण्डित हुये हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

अप्रैल, 1989 से मार्च 1990 तक पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने विषयक कुल 358 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुये ।

उपर्युक्त पत्रों में से 41 शिकायती पत्र मा0 विधायकों की संस्तुति सहित शासन से 32 शिकायती पत्र प्राप्त हुये ।

उपर्युक्त पत्रों में से 319 प्रार्थना पत्रों की जांच पूरी कर ली गई है शेष 39 की जांच अभी प्रचलित है । पूरी की गई जांच में 97 पुलिस कर्मी दोषी पाए गए जिनमें 63 को दण्डित किया गया और 34 के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

यह सही नही है कि जांच प्रक्रिया में अधिकांश शिकायते बिना जांच ही लम्बित है और अधिकांश में दोषी पाए जाने पर भी कार्यवाही की गई । अपितु तथ्य यह है कि जांच से दोषी पाये जाने पर दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जाने के पश्चात दण्डित किया जाता है ।

जनपद उन्नाव की डी0 आई0 जी0 स्तर से कुल 128 शिकायती पत्र प्राप्त हुए । जिनमें से 116 की जांच पूरी कर ली गयी। शेष 12 की जांच प्रचलित है ।

116 जांचों में 67 पुलिस कर्मी दोषी पाए गए जिनमें से 39 को नियमानुसार कार्यवाही किए जाने के उपरांत दण्डित किया गया तथा 28 कर्मियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन विद्युत वितरण खण्ड जौनपुर/ आजमगढ़ में दस वर्षों से कार्यरत लिपिकों के स्थानांतरण की मांग

126–श्री रमापति शास्त्री–

श्री राम प्रसाद सिंह तथा
श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन विद्युत वितरण खण्ड-जौनपुर/आजमगढ़ में 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि के कितने लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्यरत है ? क्या एक ही स्थान पर 10 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत इन कर्मचारियों को दूसरे खण्डों में परिषद् द्वारा स्थानांतरित किया जायेगा ? यदि हां तो, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन विद्युत वितरण खण्ड जौनपुर/ आजमगढ़ में 10 वर्ष या इससे अधिक अवधि के क्रमश: 82 व 86 लिपिक वर्गीय कर्मचारी कार्यरत हैं ।

परिषद के आदेशानुसार वर्तमान वर्ष 1990-91 में परिषद में एक ही स्थान पर 5 वर्ष या उससे अधिक समय में कार्यरत लिपिक वर्गीय कर्मचारियों में से प्रत्येक खण्ड में से केवल दो लिपिकों को स्थानांतरित किया जाना अपेक्षित है ।

परिषदादेशानुसार विद्युत वितरण खण्ड जौनपुर के 5 तथा विद्युत वितरण खण्ड आजमगगढ़ से 4 लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को स्थानान्तरित कर दिया गया है ।

महाप्रबंधक हरदुआगंज ताप्तीय विद्युत परियोजना, कासीमपुर (अलीगढ़) द्वारा कार्य प्रभावित अधिष्ठान में तीन वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने हेतु विद्युत परिषद् द्वारा कृत कार्यवाही का विवरण

127–श्री रमापति शास्त्री–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन कार्य प्रभारित अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारियों को तीन वर्षों की सेवा पूर्ण करने की तिथि से नियमित किए जाने के आदेश दिनांक 12-10-71 को विद्युत परिषद् द्वारा जारी किये गये थे? यदि हां, तो क्या दिनांक 12-10-71 के आदेश को 1-4-69 से 12-10-71 के मध्य चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर नियम-

मित किये गये कर्मचारियों पर जिन्होंने कार्य प्रभारित अधिष्ठान में तीन वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली थी, लागू करने हेतु महाप्रबंधक हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना, कासीमपुर (अलीगढ़) ने अपने पत्रांक-7094-म0 प्र0 (अ)/11 वी-28 विविध/बी, दिनांक 11-10-89 द्वारा संस्तुतियां विद्युत परिषद् को प्रेषित की है ? यदि हां, तो इस पर परिषद् द्वारा क्या निर्णय लिया गया ? यदि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

जी हां ।

मामला परिषद् के विचाराधीन है और शीघ्र ही निर्णय संभावित है ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन मुख्य रसायनज्ञों को समयबद्ध वेतन मान देने की मांग

123–श्री रमापति शास्त्री–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन कार्यरत कितने मुख्य रसायनज्ञों को परिषदीय आदेशों के अंतर्गत देय प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किए जाने का मामला परिषद् के विचाराधीन है तथा मुख्य रसायनज्ञों को देय समयबद्ध वेतनमान किस तिथि तक स्वीकृत कर दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन इस समय तीन मुख्य रसायनज्ञ कार्यरत हैं व उन्हें परिषदादेशों के परिप्रेक्ष्य में समयबद्ध वेतनमानों की स्वीकृति अथवा अन्यथा का मामला विचाराधीन है । यदि समयबद्ध वेतनमान अनुमन्य हुये, तो यह शीघ्र ही स्वीकृत कर दिए जायेंगे ।

विद्युत प्रेषण मण्डल आगरा के अधीन विभिन्न खण्डों में तीन वर्षों से अधिक सेवा पूर्ण करने वाले कर्मचारियों के स्थायीकरण के आदेश

129---श्री रमापति शास्त्री तथा

श्री राम कुमार शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को तीन वर्षों की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त स्थायी किया जाने के आदेश हैं ? यदि हां, तो विद्युत प्रेषण मण्डल आगरा के अधीन विभिन्न खंडों में तीन वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत कितने कर्मचारी हैं, जिनका स्थायीकरण अभी तक नहीं किया गया है, इन कर्मचारियों के नाम/पदनाम क्या हैं तथा इनके स्थायीकरण के आदेश किस तिथि तक निर्गत कर दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

विद्युत प्रेषण मण्डल, आजमगढ़ के अधीन विभिन्न खंडों में तीन वर्षों से अधिक अवधि की सेवा पूर्ण करने वाले समस्त कर्मचारियों के स्थायीकरण के आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में पुनरीक्षित वेतनमान में सीधी भर्ती से नियुक्त पदधारकों को समयबद्ध वेतनमान दिया जाना

130—श्री रमापति शास्त्री—

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् ने अपने कार्यालय ज्ञाप सं0-489-पी/रा0 वि0 प0-तीस-4 पी-1986, दिनांक 25-2-1989 के प्रस्तर-11 द्वारा यह आदेश प्रसारित किया है कि जिन संवर्गों में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय समयबद्ध वेतनमान वर्कमैनों के लिये स्वीकृत अधिकतम वेतनमान रु0 1650-2690 के ऊपर अनुमन्य किये जाने का प्रश्न हो तो ऐसे समयबद्ध वेतनमानों को अधिकारियों एवं जूनियर इंजीनियरों के वेतनमान दिनांक 1-4-84 से पुनरीक्षित किये जाने के पश्चात इंगित किया जायेगा ? यदि हां, तो 1-4-84 से पुनरीक्षित वेतनमान रु0 1650-2690 के विभिन्न पदधारकों यथा असिस्टेंट मैटन, सांख्यिकी सहायक प्रवक्ता (इण्टर कालेज) एवं केबिल ज्वाईंटर को देय प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय समयबद्ध वेतनमान के आदेश किस तिथि तक निर्गत कर दिये जायेंगे ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

दिनांक 1-4-84 से पुनरीक्षित वेतनमान रु0 1650-2690 में सीधी भर्ती से नियुक्त विभिन्न पदधारकों को देय प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय समयबद्ध वेतनमान के अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके ऊपर के पुनरीक्षित वेतनमानों के आदेश परिषदाज्ञा संख्या-792-पी/रा0 वि0 प0-13 पी/1989, दिनांक 6 मई 1989 द्वारा घोषित होने के फलस्वरूप सम्बन्धित पदधारकों को परिषदादेश दिनांक 25-2-1989 में निर्दिष्ट नीति के अनुसरण में यथा अनुमन्य समयबद्ध वेतनमान दिये जाने में कोई कठिनाई नहीं है ।

तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री बुद्धि चन्द्र द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा के अन्तर्गत ग्राम सरवन, तहसील परवा, थाना अपोहा, जिला उन्नाव के बागों को कुर्क करने का आदेश

131---श्री शिवकरन सिंह---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तत्कालीन पुलिस अधीक्षक श्री बुद्धि चन्द्र ने अपने अर्धशासकीय पत्र सं0-आश0-59/79(ए)/दिनांक जून, 1979

द्वारा ग्राम सरवन, तहसील पुरवा, थाना असोहा, जिला उन्नाव के बाग सं0-857 ए, 857 बी, 803, 879 तथा 914 को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-145 के अंतर्गत कुर्क किए जाने के आदेश थानाध्यक्ष असोहा को दिए थे ? यदि हां, तो उक्त आदेशों के उपरान्त भी बागों के कुर्क न किये जाने के क्या कारण थे ? क्या गृह मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या माह फरवरी, 1987 में पुन तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, उन्नाव द्वारा उक्त बागों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-145 के अंतर्गत कुर्क किए जाने के संबंध में पुन: आदेश पारित किये थे ? यदि हां, तो वर्ष 1979 तथा वर्ष 1987 में आदेशों के पारित किये जाने के उपरान्त भी बागों के कुर्क न किये जाने के क्या कारण थे तथा उसके लिये कौन अधिकारी तथा कर्मचारी दोषी हैं ? क्या मंत्री जी दोषी अधिकारियों तथा कर्मचारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्राप्त सूचना के अनुसार तत्कालीन पुलिस अधीक्षक का अभिकथित पत्र अभिलेखों में उपलब्ध नहीं है ।

अभिलेखों के अनुसार ग्राम सरवन, तहसील पूरवा, थाना असोहा के बाग सं0 857ए, 857बी, 803, 879 तथा 914 के विवाद को लेकर श्री ज्ञानेन्द्र नाथ शुक्ला आदि तथा श्री राम किशन आदि के मध्य झगड़ा रोकने के लिये दिनांक 18.3. 87 को उपरोक्त संदर्भित बागों को धारा 145 सं0 प्र0 सं0 के अंतर्गत कुर्क करने की आख्या थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय भेजी गई । न्यायालय द्वारा उक्त बागों को कुर्क नहीं कराया गया । पुलिस विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी दोषी नहीं पाया गया । अतएव पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

अयोध्या में विचाराधीन सांस्कृतिक योजनाओं के पूर्ण होने की अवधि एवं व्यय हुआ धन का विवरण

132---श्री जयशंकर पान्डे---

क्या सांस्कृतिक कार्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या में कौन-कौन सी सांस्कृतिक योजनायें विचाराधीन है । उक्त योजनायें कब तक पूरी हो जायेंगी और उस पर कितना धन खर्च आयेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

अयोध्या में निम्नांकित योजनायें चल रही हैं, । कोई योजना विचाराधीन नहीं हैं :---

(1) अयोध्या शोध संस्थान का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

(2) रामकथा संग्रहालय का विकास एवं सुदृढ़ीकरण

(3) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन उक्त योजनाओं के पूरा होने की कोई अवधि नहीं है क्योंकि यह योजनायें समयबद्ध नहीं हैं । आठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रास्तावित व्यय निम्न प्रकार से हैं :---

(1) अयोध्या शोध संस्थान रू01, 50, 00, 000=00

(2) रामकथा संग्रहालय रू0 90, 00, 000=00

(3) सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रू0 2, 00, 000=00

विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी कार्यालय ललितपुर के अधिकारियों से मिली भगत करके कतिपय व्यक्तियों द्वारा चेक प्राप्त करके धनराशि निकाला जाना एवं उनके विरुद्ध दिए गए शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

133---श्री देवेन्द्र कुमार सिंह---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ललितपुर जनपद के ग्राम-सिदवाहा, थाना-महरौनी के बालचन्द्र, जानकी, तल्ला, श्रीमती दुर्गा ने विशेष भूमि अधाप्ति अधिकारी के कार्यालय ललितपुर के अधिकारियों को मिली भगत से चेक प्राप्त करके धोखाधड़ी पूर्वक कुछ व्यक्तियों द्वारा धनराशि निकालने के संबंध में पुलिस अधीक्षक को दिनांक 31-10-87 को डाक द्वारा पत्र दिया था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां । श्री जानकी पुत्र मुल्ला सुल्ला, जालम निवासी ग्राम सिंदवाहा थाना महरौली, जनपद ललितपुर का प्रार्थना-पत्र दिनांक 31-10-87 को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसको दिनांक 16-11-87 को क्षेत्राधिकारी महरौनी को जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया था । प्रश्न में अंकित श्री बाल चन्द्र एवं श्री मती दुर्गा के प्रार्थना पत्र प्राप्त होने का कोई उल्लेख पुलिस अभिलेखों में नहीं है । प्रश्नगत मामले के संबंध में थाना कोतवाली जनपद ललितपुर में मुकदमा अपराध संख्या-532/90 धारा-420/468/471/419/120 बी भा0 द0 वि0 पंजीकृत करके विवेचना की जा रही है ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान, सदस्य विधान सभा द्वारा थाना जवां, जनपद अलीगढ़ में अंकित कराई गई एफ0 आई0 आर0 एवं कार्यवाही

134---श्री कल्यान सिंह---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री कृष्ण कुमार नवमान, सदस्य विधान सभा क्षेत्र अलीगढ़ द्वारा दिनांक 14-3-90 को थाना जवां, जिला अलीगढ़ में अंकित कराई गई एफ0 आई0 आर0 के आधार पर धारा-147/148/307/427/336/504 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कायम किये गये मुकदमा अपराध सं0-173ए/90 के मामले में सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? उक्त एफ0 आई0 आर0 में किन-किन अभियुक्तों को नामांकित किया गया है ? उनमें से अब तक किस-किस को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है ? इस काण्ड से सम्बन्धित सभी अभियुक्तों को कब तक गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जायेगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री कृष्ण कुमार नवमान सदस्य, विधान सभा क्षेत्र अलीगढ़ द्वारा थाना जवां जिला अलीगढ़ में दिनांक 14-3-90 को अंकित कराई एफ0 आई0 आर0 के आधार पर धारा 147/148/307/336/427/504/भा0 द0 वि0 के अंतर्गत कायम किए गए मुकदमा अप0 सं0 37ए/90 में नामित किए गए अभियुक्तों की सूची संलग्न है । पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ब' अंक पृष्ठ 215 पर)

जनपद बाराबंकी तथा सुल्तानपुर को दिए गए विद्युत पोल तथा बिजली के तार एवं गावों का विद्युतीकरण विवरण

135---श्री रामचन्द्र बक्श सिंह---

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1989-90 में जनपद बाराबंकी तथा सुल्तानपुर में पोल तथा कितने बिजली के तार (कन्डक्टर) दिये गए तथा दोनों जनपदों में इस वर्ष कितने गांवों का विद्युतीकरण पूर्ण कर लिया गया है तथा कितना इस वर्ष का अवशेष है ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

वर्ष 1989-90 में जनपद-बाराबंकी तथा सुल्तानपुर में क्रमशः 1309, 13888 पोल तथा 17407 कि0 मी0, 1462 कि0 मी0 तार दिया गया ।

दोनों जनपदों में वर्ष 1989-90 में ग्रामों के विद्युतीकरण की स्थिति निम्नवत रही :---

जनपद-बाराबंकी

लक्ष्य	उपलब्धि	शेष
28	28	शून्य

जनपद-सुलतानपुर

लक्ष्य	उपलब्धि	शेष
82	82	शून्य

पिंडरा जिला वाराणसी में एक बड़ा पावर हाउस बनाने का सर्वेक्षण

136---श्री ऊदल---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पिंडरा जिला वाराणसी में एक बड़ा पावर हाउस बनाने का सर्वेक्षण हो चुका है ? यदि हां, तो उसको कब तक बनाया जायेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

पिंडरा जिला वाराणसी में किसी बड़े पावर स्टेशन की स्थापना विचाराधीन नहीं है । वहां 132 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण स्वीकृत था ।

पिंडरा में उपरोक्त उपकेन्द्र के लिए भूमि न मिलने के कारण वहां उपकेन्द्र का कार्य नहीं किया जा सका । इस क्षेत्र की बढ़ती हुई विद्युत-मांग को देखते हुए उक्त उपकेन्द्र निर्माण पिंडरा के स्थान पर वाराणसी कैंट में किया जा रहा है जिससे पिंडरा क्षेत्र की विद्युत मांग भी पूरी की जा सकेगी । उपकेन्द्र का निर्माण अक्टूबर 1989 में प्रारम्भ कर दिया गया है और इसका पूरा किया जाना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

मैसर्स एन0 एन0 काटन मिल्स, भदोही, जिला वाराणसी को दिए जाने वाले इलेक्ट्रिक का इरटीमेंट

137---श्री ऊदल---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एस0 एन0 काटन मिल, भदोही, जिला वाराणसी को 60 हार्स पावर के कनेक्शन को जिसका इस्टीमेट नब्बे हजार रुपये के लगभग था, अधिशासी अभियन्ता भदोही ने तीन हजार एक सौ रु0 में दे दिया है ? क्या इस सम्बन्ध में इस्टीमेट की नकल व ग्राम प्रधान बरवां, भदोही, वाराणसी के प्रार्थना-पत्र के साथ प्रश्नकर्ता ने सचिव, ऊर्जा को 29-3-90 को एवं मा0 मुख्य मंत्री को 30-3-90 को शिकायती पत्र दिया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

मैसर्स एस0 एन0 काटन मिल, भदोही को 60 हार्स पावर कनेक्शन देने हेतु सम्बन्धित अवर अभियन्ता ने 88,876 रु0 प्राक्कलन बनाकर उप खण्ड अधिकारी को प्रेषित किया था जिन्होंने स्थल निरीक्षण के उपरान्त पाया कि उपरोक्त विद्युत कनेक्शन 30 मीटर दूर स्थित एल0 टी0 लाइन से भलीभांति दिया जा सकता था । अत: उप खण्ड अधिकारी ने प्राक्कलन को तद्नुसार संशोधित करके अधिशासी अभियन्ता, भदोही को स्वीकृत हेतु प्रेषित कर दिया । अधिशासी अभियन्ता भदोही द्वारा संशोधित प्राक्कलन, जो मात्र 3103 रु0 का था जिसमें से रु0 2603 उपभोक्ता द्वारा देय थे तथा शेष रु0 450 परिषद् द्वारा वहन किए जाने थे, स्वीकृत कर उपभोक्ता को नियम व शर्त दिनांक 8-3-89 को निर्गत कर दी गयी ।

जी हां । सचिव, ऊर्जा विभाग को दिनांक 29-3-90 को दिया गया पत्र प्राप्त हुआ ।

अवर अभियन्ता द्वारा बनाया गया प्राक्कलन त्रुटिपूर्ण एवं गलत था । अत: उसके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद आजमगढ़ में स्थित रौनापार विद्युत उपकेन्द्र से प्रतिदिन की गयी विद्युत आपूर्ति

138---श्री पंचानन राय---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में स्थित रौनापार विद्युत उपकेन्द्र से माह जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1990 में अलग-अलग फीडरों से प्रतिदिन अलग-अलग कितने-कितने घंटे विद्युत की आपूर्ति की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

आजमगढ़ जनपद में स्थित 33 के0 वी0 रौनापार विद्युत उपकेन्द्र से माह जनवरी, फरवरी तथा मार्च, 1990 में प्रत्येक फीडर से प्रतिदिन की गई विद्युत आपूर्ति की अवधि का **विवरण संलग्न** है ।

(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 216-218 पर)

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में व्याप्त अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार की जांच कराने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

139---श्री शारदानंद अंचल---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच कराने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 2-2-90 अनुसचिव, ऊर्जा अनुभाग-2 के पत्रांक-अ0 शा0-322 सी0 एम0 पी0-2/90-23, दिनांक 26 मार्च, 1990 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम, लखनऊ को भेजा गया है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

जी हां ।

मामले की जांच करायी गई केवल तीन शिकायतें ।

1- 500 कि0 ली0 पानी की टंकी के क्षतिग्रस्त होने ।

2- डी0 ए0 वी0 पब्लिक स्कूल की दीवार के गिरने, एवं

3- स्टील में रुपये एक लाख पच्चीस हजार के घोटाले से संबंधित शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाई गई । शेष शिकायतें निराधार पाई गईं ।

पानी की टंकी के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार पाया गया तथा रायबरेली में उनके विरुद्ध न्यायालय में सिविलवाद दायर किया गया है जो विचाराधीन है ।

डी0 ए0 वी0 पब्लिक स्कूल की दीवार राजकीय निर्माण निगम द्वारा पुनः बना दी गई है जिसमें उत्पादन निगम की कोई वित्तीय हानि नहीं हुई है ।

स्टील के रू0 एक लाख पच्चीस हजार के घोटाले में अलग से विस्तृत जांच कराई जा रही है ।

श्रीमती विद्यावती पत्नी श्री रामाधार यादव, ग्राम-इटौरा, थाना-हलधरपुर, जिला-मऊ की जमीन को हड़पे जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

140---श्री शारदा नन्द अंचल---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती विद्यावती पत्नी श्री रामाधार यादव, ग्राम-इटौरा, थाना-हलधरपुर, जिला-मऊ की जमीन को कुछ व्यक्तियों द्वारा हड़पे जाने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र दि0 12-1-90 एवं गोपन अनुभाग-7 के संयुक्त सचिव के अर्ध0 शा0 पत्र सं.-एम0 एल0 ए0/30/90/गो0-7-2049/90, गोपन अनुभाग-7, दिनांक 17-3-90 पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती विद्यावती देवी के सन्दर्भित प्रार्थना-पत्र पर जांच कराई गई । जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि प्रार्थिनी एवं विपक्षी रामरूप के बगल में बंजर जमीन है जिस पर विपक्षीगण ने बांस, बबूल लगा दी है । सन् 1987 में नसबन्दी के आधार पर वादिनी को 65 डिसिमल जमीन उक्त आराजी से दी गयी, जिस पर

शिकायती द्वारा एतराज करने पर मामला परगनाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है । विवादित चकरोड पर वादिनी के पति ने पौधा लगाने के लिए गड्ढा खोदा जिस पर गांव वालों ने आपत्ति की । स्थानीय पुलिस ने शान्तिभंग की सम्भावना को देखते हुए दोनों पक्षों के विरुद्ध धारा 107/116 जा0 फौ0 की कार्यवाही की थी । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

यू0 पी0 आई0 एल0 लखनऊ के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराकर उचित कार्यवाही हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र

141---श्री शारदा नन्द अंचल---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यू0 पी0 आई0 एल0 लखनऊ के भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध जांच कराकर उचित कार्यवाही हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27-1-90 एवं संयुक्त सचिव, उद्योग अनुभाग-11 के अ0 श0 प0 सं0-2193/माउ/18-11-90, दिनांक 31-3-90 पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्रश्नगत विषय पर जांच, भ्रष्टाचार निवारण संगठन, लखनऊ द्वारा की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सम्मतुल्लाह इम्तियाज, जमाल अहमद तथा मकबूल को महफूज की हत्या में गलत फंसाए जाने सम्बन्धी प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही

142---श्री शारदा नन्द अंचल---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्मतुल्लाह इम्तियाज, जमाल अहमद तथा मकबूल को दिनांक 7/8-1-90 की रात में महफूज की हुई हत्या में अंकित अपराध संख्या 3/90 धारा 302/201 आई0 पी0 सी0 में गलत फंसाये जाने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 1-3-90 एवं संयुक्त सचिव, गोपन अनुभाग-7 के अशा0 पत्र एम0 एल0 ए0 294/90 गो-7-2091/90, दिनांक 28-3-90 पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

संदर्भित शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी, देवरिया के माध्यम से जांच कराई जा रही है ।

विधान सभा क्षेत्र माधोगढ़, जिला जालौन में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

143---श्री शिवराम सिंह कुशवाहा---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र माधोगढ़, जि0 जालौन में ऐसे कितने गांव हैं, जिनमें विद्युतीकरण हो चुका है ? क्या सभी हरिजन तथा निर्बल बस्तियों में विद्युतीकरण हुआ है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार हरिजन बस्तियों में विद्युतीकरण के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ जिला जालौन में 80 ग्रामों में विद्युतीकरण हो चुका है ।

उक्त क्षेत्र में 80 हरिजन एवं निर्बल बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है । जिन ग्रामों में एक से अधिक हरिजन बस्तियां हैं, उनमें नियमानुसार एक हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण किया जा सका है क्योंकि अन्य हरिजन बस्तियों की दूरी निकटतम एल0 टी0 लाइन के खम्भों से 200 मीटर से अधिक है ।

निर्धारित नीति के अनुसार प्रत्येक ग्राम का विद्युतीकरण करते समय उसकी कम से कम एक हरिजन बस्ती विद्युतीकृत की जाती है । एक से अधिक हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण के लिए आवश्यक है कि (1) उसमें कम से कम 30 परिवार हों और (2) उसकी दूरी निकटतम एल0 टी0 लाइन के खम्भे से 200 मीटर के अन्दर हो । अस्तु अलग से कोई आदेश देना आवश्यक नहीं है ।

उन्नाव जिले में निजी नलकूपों का ऊर्जीकरण ।

144---श्री हृदय नारायण---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण का उन्नाव जिले का वर्ष 89-90 का क्या लक्ष्य था ? क्या यह लक्ष्य बाद में संशोधित हुआ ? यदि हां, तो संशोधित लक्ष्य क्या था ? क्या विद्युत वितरण खण्ड उन्नाव में निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत कराने के इच्छुक लोगों ने अपने आवेदन सभी औपचारिकताओं को पूरा करके इतनी बड़ी संख्या में जमा किए जो उपलब्ध लक्ष्य से ज्यादा थे ? यदि हां, तो क्या सभी आवेदन पत्रों को क्रमबद्ध कर वरीयता सूची बनाई गई थी ? यदि हां, तो 89-90 में नलकूप उर्जीकरण के काम में लक्ष्य के अनुसार उक्त सूची के किस अंक तक ऊर्जीकरण हुआ और कितने नलकूप शेष हैं ? क्या यह सच है कि लक्ष्य पूर्ति के बाद भी तमाम नलकूप ऊर्जीकृत हुए ? यदि हां, तो क्या यह नलकूप उसी सूची के थे ? क्या सरकार को पता है कि लक्ष्य पूर्ति के बाद हुए ऊर्जीकरण में सूची का ध्यान नहीं रखा गया और भारी घपला हुआ ? यदि हां, तो दोषी अभियन्ताओं को क्या दण्ड दिए गए हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

76 नलकूपों के ऊर्जीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

जी हां ।

संशोधित लक्ष्य 114 था ।

जी हां ।

जी हां ।

114 नलकूप ऊर्जीकृत किए गए एवं 131 शेष थे ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

ग्राम रारा खुर्द, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में श्री नान्हू की आटा चक्की का कनेक्शन काटा जाना एवं विद्युत अधिकारियों को मारा जाना

145--डा0 बृजभूषण मणि त्रिपाठी---

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह मार्च, 1990 में ग्राम रारा खुर्द, तहसील अकबरपुर, जिला फैजाबाद में अकबरपुर विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा श्री नान्हू नामक व्यक्ति की आटा चक्की का कनेक्शन (जो अनियमित रूप से चल रहा था, काटा गया था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इसी घटना को लेकर सम्बन्धित अधिकारी को कनेक्शन) काटे जाने के बाद अकबरपुर कस्बा सड़क पर दिन दहाड़े जीप रोक कर कुछ लोगों ने मारा था ? यदि हां, तो मारने वाले व्यक्तियों का क्या नाम है ?

श्री मुलायम सिंह यादव---

जी हां ।

जी हां ।

नाम ज्ञात नहीं है ।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड अजमतगढ़ में विद्युतीकरण एवं विद्युत आपूर्ति की मांग

146---श्री पंचानन राय

क्या ऊर्जा मंत्री विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि संदर्भित गांवों हेतु तार कब तक उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

विधान सभा के प्रथम सत्र 1990 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर में संदर्भित ग्राम टेकारगाढ़ा और घाघरा (विकास खण्ड अजमतगढ़, जनपद आजमगढ़) में तार वर्ष 1990-91 में लगाये जाने का प्रस्ताव है ।

147, 148, 149--श्री राम कुमार शुक्ला--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

अयोध्या में रामकथा संग्रहालय की स्थापना

150---श्री जय शंकर पाण्डेय---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या अयोध्या में संग्रहालय के निर्माण हेतु शासन ने 2 फरवरी, 89 को निर्णय लिया था ? यदि हां, तो क्या संग्रहालय की स्थापना अयोध्या में कर दी गयी ? क्या सरकार वहां उत्खनन में मिली मूर्तियों के प्रदर्शन की व्यवस्था करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव

जी हां । अयोध्या में रामकथा संग्रहालय की स्थापना की स्वीकृति 22 फरवरी, 1988 द्वारा प्रदान की गयी है ।

संग्रहालय अयोध्या में स्थापित हो चुका है ।

प्रदेश सरकार द्वारा कोई उत्खनन नहीं कराया गया है । सम्प्रति मूर्तियों का प्रदर्शन का प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र अयोध्या के ब्लाक मया में गांवों का विद्युतीकरण

151---श्री जय शंकर पाण्डेय

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अयोध्या विधान सभा क्षेत्र स्थित मया ब्लाक तथा पूरा ब्लाक में कितने कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है ? और कितने गांवों का विद्युतीकरण होना शेष है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जिन गांवों का विद्युतीकरण नहीं हुआ है उसे सरकार कब तक विद्युतीकरण कराकर पूरा कर देगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

मया ब्लाक में 27 तथा पूरा ब्लाक में 40 ग्रामों का एल0 टी0 मेंस बिछाकर विद्युतीकरण किया गया तथा क्रमश: 91 तथा 67 ग्रामों का विद्युतीकरण शेष है ।

शेष ग्रामों का विद्युतीकरण जनपद के वार्षिक लक्ष्यों के अंतर्गत आने वाले वर्षों में संभव हो सकेगा, जो ग्रामों के जनपद ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा चयन और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

भ्रष्टाचार निवारण संगठन अपराध अनुसंधान विभाग नैनीताल द्वारा 2-पापुलर्स कम्पाउण्ड मल्लीताल, नैनीताल में कार्यालय हेत लिये गये भवन के कारण भवन स्वामिनी को पहुंच रही मानसिक यातना तथा उसे राहत दिये जाने के प्रयासों की जानकारी

152---श्री काशी सिंह ऐरी

क्या गृह मंत्री को प्रश्नकर्ता के तारांकित टिका-4/90 उपगृहलख 80/90 दि0 15 अप्रैल, 1990 यह जानकारी हुई है कि भ्रष्टाचार निवारण संगठन अपराध अनुसंधान विभाग नैनीताल द्वारा 2-पापुलर्स कम्पाउण्ड मल्लीताल नैनीताल में कार्यालय हेतु लिये गये भवन स्वामिनी को लगातार मानसिक यातना हो रही है ? यदि हां, तो विषय वस्तु पर अब तक क्या-क्या कदम उठाकर भवन स्वामिनी को राहत दी गयी है ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव

भ्रष्टाचार निवारण संगठन अपराध अनुसंधान विभाग नैनीताल के कार्यालय हेतु श्रीमती लीला पाण्डेय का भवन सं0 2-पापुलर्स कम्पाउण्ड दि माल, मल्ली ताल,

नैनीताल, दो वर्ष के अनुबन्ध पर अर्थात 1-4-1983 से 31-3-1985 तक के लिये रु0 882/- प्रति माह किराये पर लिया गया था । अनुबन्ध की अवधि बढ़ाने हेतु गृह स्वामिनी सहमत नहीं हुई फलस्वरूप उक्त कार्यालय को अन्यत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया किन्तु अभी सफलता नहीं मिल सकी । भवन स्वामिनी को नियमित रूप से किराया भुगतान किया जा रहा है और वह इसे प्राप्त कर रही है । यह कहना सही सही नहीं है कि भवन स्वामिनी को मानसिक यातना दी जा रही है । फिलहाल कार्यालय का एक कमरा खाली करके भवन स्वामिनी को उनके उपयोगार्थ दिया जा चुका है ।

जनपद सोनभद्र के ओबरा तापीय परियोजना हेतु अधिग्रहीत भूमि एवं प्रत्येक परिवारों के व्यक्तियों को दी गई नौकरी का विवरण

153---श्री विजय सिंह

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सोनभद्र के ओबरा तापीय परियोजना हेतु कितने परिवारों की भूमि कब अधिगृहीत की गयी है ? उनमें से कितनों को 31-3-90 तक परियोजना में नौकरी दे दी गयी और कितने शेष हैं ? शेष व्यक्तियों को कब तक नौकरी दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

ओबरा तापीय परियोजना ओबरा जनपद-सोनभद्र हेतु जिन परिवारों की जमीन अधिग्रहीत की गयी है उनका वर्षवार विवरण निम्नवत है :--

वर्ष	परिवारों की संख्या
1974-75	164
1979-80	12
1981	65
कुल परिवारों की संख्या	241

उपरोक्त 241 परिवारों में से दिनांक 31-3-90 तक 135 परिवारों के एक-एक व्यक्ति को नौकरी दी जा चुकी है और 106 परिवारों के मामले शेष हैं ।

चूंकि परिषदीय आदेश/विनिमय के अनुसार भूमि अध्याप्त से प्रभावित केवल उन्हीं परिवारों के व्यक्तियों को सेवायोजन दिये जाने का प्राविधान है जिनकी 50 प्रतिशत या उससे अधिक भूमि अधिग्रहीत की गई हो, अतः उपरोक्त शेष 106 परिवारों में से 98 परिवारों को नौकरी इसलिए प्रदान करना सम्भव नहीं है क्योंकि उनकी 50 प्रतिशत से कम जमीन अधिग्रहीत की गयी है । शेष 8 परिवारों के मामले विचाराधीन हैं ।

जनपद प्रतापगढ़ थाना पट्टी में स्थित गांव ओराइन के राम आसरे के ऊपर तेजाब डालकर हत्या करने का स्थित प्रगाम और उनके परिवार हेतु सुरक्षा की मांग ।

154---श्री राम प्रसाद सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद प्रतापगढ़ थाना पट्टी में स्थित गांव ओराइन के राम आसरे के ऊपर दिनांक 22-2-90 को दिन 2 बजे तेजाब डालकर हत्या का प्रयास किया गया, जिसकी संबंधित थाने में रपट नहीं लिखी गई और क्षेत्राधिकारी कुण्डा द्वारा दिनांक 26-2-90 को आसपर में देवसरा में रपट दर्ज कराने का आदेश किया गया था ? यदि हां तो क्या अपराधियों के आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने के उपाय किए जायेंगे ? यदि हां, तो कैसे ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार राम आसरे पर तेजाब डालने की घटना सत्य है । इस घटना की रिपोर्ट राम आसरे, थाना-आसपुर देवसरा पर लिखाने नहीं गया, क्योंकि उसी रोज एक अन्य केस में राम आसरे नामजद अभियुक्त था । राम आसरे ने क्षेत्राधिकारी-पट्टी को पत्र दिया जो जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु थानाध्यक्ष को भेज दिया गया । इस पर मु0 अ0 सं0 31ए/90 धारा 324/323/506 भा0 दं0 वि0 दर्ज करके जांच की जा रही है ।

चार अभियुक्तों में से तीन अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए है । प्रार्थी एवं उसके परिवार की पूर्ण सुरक्षा की जा रही है ।

वाराणसी की विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए ट्रान्सफारमर, बिजली तार, केबिल आदि की व्यवस्था एवं रामापुर (खीरी कुंआ) क्षेत्र में ट्रान्सफारमर लगाए जाने की मांग ।

155---श्री राज किशोर सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत बोर्ड द्वारा शहर वाराणसी की विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के लिए ट्रांसफार्मर, बिजली तार, केबिल आदि की व्यवस्था की गई है ? यदि हां, तो रामापुर (खीरी कुंआ) क्षेत्र में लो-बोल्टेज को दूर करने के लिए ट्रान्सफार्मर लगाए जाने का प्रस्ताव जो एक वर्ष पूर्व पारित हो चुका है, के अभी तक कार्यान्वित न किए जाने का क्या कारण है ? उक्त ट्रान्सफार्मर कब तक लगा दिया जाएगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां । वर्ष 1989-90 में ट्रान्सफार्मर, तार, केबिल की व्यवस्था करके वाराणसी शहर में विभिन्न स्थानों पर 34 नए 11/0.4 के0 वी0 उपकेन्द्र बनाए गए जिसके लिये नई 11 के0 वी0 लाइनों का निर्माण भी किया गया।

रामापुर (खीरी कुंआ) में लो-बोल्टेज को दूर करने के लिए एक नया 250 के0 वी0 ए0 ट्रान्सफार्मर लगा दिया गया है परन्तु 33 के0 वी0 शंकुल धारा उपकेन्द्र के 11 के0 वी0 मदनपुरा फीडर, जिस पर उपरोक्त ट्रांसफार्मर लगाया गया है, के ओवर लोड होने के कारण उपभोक्ताओं का भार उक्त ट्रांसफार्मर पर डाला नहीं जा सका है । केवल थोड़े से उपभोक्ताओं की लाइनें इस ट्रांसफार्मर से जोड़ी जा रही हैं । वर्तमान में खीरी कुंआ के उपभोक्ता उक्त 33 के0 वी0 उपकेन्द्र के 11 के0 वी0 गोदोलिया फीडर से आपूर्ति पा रहे हैं । उक्त समस्याओं को दूर करने के लिये 11 के0 वी0 मदनपुरा और 11 के0 वी0 गोदोलिया फीडरों के विभाजन की कार्यवाही की जा रही है जिससे 11 के0 वी0 मदनपुरा फीडर की ओवर लोडिंग समाप्त हो जायेगी और खीरी कुंआ पर स्थापित नए ट्रान्सफार्मर पर पूरा भार डाला जा सकेगा तथा लो-बोल्टेज की समस्या दूर हो जायेगी । यह कार्य लगभग 3 माह में पूर्ण होने की आशा है ।

वाराणसी संख्या 8/1 हुकुलगंज वाराणसी पर कतिपय असमाजक तत्वो द्वारा अवैध रज्जा तथा निर्माण रोके जाने की कार्यवाही ।

156---श्री राज किशोर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीलिंग से प्रभावित करोड़ों रुपये मूल्य की शासन को मिलने वाली आराजी संख्या 8/1 हुकुलगंज, वाराणसी पर कतिपय

असामाजिक तत्वों के संगठित गिरोह द्वारा अवैध कब्जे व निर्माण को रोकने के लिए दिनांक 26-6-88, 23-10-88, व 24-2-89 को क्रमशः अध्यक्ष, वाराणसी विकास प्राधिकरण, जिलाधिकारी वाराणसी व श्री संकठा प्रसाद शास्त्री तत्कालीन गृह राज्य मंत्री उ0 प्र0 शासन ने स्थानीय पुलिस अधिकारी को लिखा था ? यदि हां, तो अवैध निर्माण किए जाने को रोकने की सूचना के बावजूद थाना कैन्ट के इन्चार्ज द्वारा बयोबद्ध मजदूर नेता श्री विश्वनाथ सिंह को दफा 151 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत दिनांक 17-3-89 को गिरफ्तार करने के कारण हैं ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विवादित भूखण्डों पर अवैध निर्माण को रुकवाने के संबंध में अध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, वाराणसी तथा जिलाधिकारी वाराणसी से समय-समय पर पत्र प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप पुलिस द्वारा अभिकथित अवैध निर्माण कार्य को रुकवा दिया गया ।

दिनांक 17-3-89 को श्री राम जनम राय व अन्य तथा श्री विश्वनाथ सिंह व अन्य के मध्य झगड़ा होने की संभावना को देखते हुए उप निरीक्षक द्वारा दोनों पक्षों के दो-दो व्यक्तियों को धारा 151 द0 प0 सं0 के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया जिसमें श्री राम जनम राय भी थे ।

श्री राम जीवन झा निवासी म0 न0 सी0 के0 33/4 मोहल्ला नीलकंठ थाना चौक जनपद वाराणसी द्वारा चोरी की सूचना एवं कार्यवाही ।

157---श्री राज किशोर सिंह---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामजीवन झा नि0 मकान नं0 सी0 के0 33/4 मोहल्ला नीलकंठ थाना चौक वाराणसी ने थानाध्यक्ष थाना चौक वाराणसी द्वारा दिनांक 19/20-4-1989 को रात्रि में हुई चोरी की घटना की रिपोर्ट दर्ज करने से इन्कार किए जाने पर दिनांक 20-4-89 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी को लिखित सूचना दी थी, जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने वायरलेस सन्दर्भ एम0 आर0 जी0 एस0 एस0 पी0 ई0 15/89 दिनांक 20-4-89 द्वारा थानाध्यक्ष चौक से आख्या प्राप्त करने के बाद सी0 ओ0 दिवतीय वाराणसी शहर को कार्यवाही हेतु आदेश दिया था ? यदि हां, तो क्या उक्त श्री रामजीवन की सूचना पर रिपोर्ट दर्ज करके अपराधियों के खिलाफ काननी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 20-4-89 को श्री रामजीवन झा निवासी मकान नं0 सी0 के0 33/4 मोहल्ला नीलकंठ थाना चौक जनपद वाराणसी ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को चोरी की लिखित सूचना दी जिसके संबंध में जांच कराई गई । जांच से चोरी की घटना का घटित होना सत्य नहीं पाया गया । अन्य का प्रश्न नहीं उठता ।

मुख्य मंत्री व गृह मंत्री को सम्बोधित श्री बाबू राम पुत्र बलई (हरिजन) ग्राम गहरौलिया, पो0 खरूद्दीनपुर, थाना बवई जिला आजमगढ़ के शिकायती पत्र पर कार्यवाही ।

158---श्री राज किशोर सिंह---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्व0 श्री सरजू पाण्डेय एम0 एल0 सी0 के पत्र दिनांक 28-7-89 को उनको व मुख्यमंत्री को तथा गृह सचिव को बाबूराम पुत्र बलई (हरिजन) ग्राम गहरौलिया, पो0 खरूद्दीनपुर, थाना बवई, जिला आजमगढ़

के संलग्न शिकायती-पत्र के साथ प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उसमें यह दर्शाया गया है कि बाबूराम व उनके परिवार का इन-काउण्टर करने की साजिश एस0 ओ0 व उनके स्टाफ द्वारा की गई ? क्या यह सच है कि संबंधित व्यक्ति के घर पड़ी डकैती में पकड़े गए डकैतों की दूसरे हल्के के एस0 ओ0 द्वारा जानकारी दिए जाने पर भी संबंधित थानाध्यक्ष एक घण्टे बाद घटना स्थल पर पहुंचे ? यदि हां, तो सम्पूर्ण प्रकरण की जांच शासन स्तर से कराकर दोषी पुलिस कर्मियों को निलंबित कर उनके विरुद्ध सरकार कार्यवाही करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जी नहीं । थाना शाहगंज के प्रभारी द्वारा डकैती में पकड़े गए अभियुक्तों की जानकारी देने पर थानाध्यक्ष पर्याप्त अन्य स्टाफ सहित तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे ।

जांच से आरोप असत्य एवं निराधार पाए गए। शेष का प्रश्न नहीं ।

फैजाबाद तथा अयोध्या शहर में सड़क दुर्घटनाओं की वर्षवार रिपोर्ट एवं प्रभावी कार्यवाही ।

159---श्री जय शंकर पाण्डेय---

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद तथा अयोध्या शहर में वर्ष 1988 वर्ष 1989 एवं 31 मार्च, 1990 तक सड़क दुर्घटना की कितनी प्राथमिक रिपोर्ट फैजाबाद और अयोध्या के विभिन्न थानों में पंजीकृत की गई हैं ? सड़क दुर्घटना रोकने के लिए स्थानीय पुलिस प्रशासन ने कौन-कौन सी प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सड़क दुर्घटनाओं का विवरण निम्नवत है---

	वर्ष 88	वर्ष 89	31.3.90 तक
थाना कोतवाली	61	55	12
थाना कैंट	16	20	03
थाना अयोध्या	34	31	11

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए स्थानीय पुलिस/प्रशासन द्वारा यातायात पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है । मुख्य मार्गों पर विशेष दस्तों द्वारा वाहनों की चेकिंग की जा रही है तथा चालकों को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं । अधिकांश सड़क व तिराहों पर पुलिस बल लगाया गया है और वाहनों की गति की जांच की जा रही है । सार्वजनिक निर्माण विभाग और नगर पालिका के सहयोग से गति अवरोधक बनाए गए तथा यातायात निर्देशक बोर्ड भी लगाए गए हैं तथा खराब एवं जर्जर सड़कों का पुनर्निर्माण करवाया जा रहा है । सड़कों के किनारे अवैध अतिक्रमण को हटवाया गया है तथा कुछ सड़कों पर एक तरफा यातायात की व्यवस्था की गई है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है । स्थानीय पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटओं को रोकने के लिए व्यापक प्रयास किया जा रहा है ।

पशु चिकित्सा स्नातकों को इन्टर्नशिप पूरी करने पर अर्ध सरकारी सेवा में वरीयता दिये जाने की मांग ।

160---**श्री काशी सिंह ऐरी---**

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पशु चिकित्सा स्नातकों को जिन्होंने 4 वर्षीय स्नातक उपाधि के अतिरिक्त एक वर्षीय अनिवार्य इन्टर्नशिप पूरी की है, को सरकारी/अर्ध सरकारी सेवा हेतु सरकार वरीयता दे रही है ? यदि नहीं, तो इस इन्टर्नशिप का क्या औचित्य है ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

अनिवार्य इन्टर्नशिप वी0 वी0 एस0 सी0 एण्ड ए0 एच0 कोर्स का ही एक हिस्सा है और उसको परा करने के बाद ही डिग्री मिलती है । अत: वरीयता दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

सिंचाई खण्ड मुरादाबाद के अधिशासी अभियन्ता श्री एस0 के0 जिन्दल के विरुदध प्रश्न कर्ता के पत्र पर मुख्य मंत्री द्वारा सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से जांच कराने के आदेश एवं कार्यवाही ।

161---श्री गजराज सिंह---

क्या मुख्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड मुरादाबाद के अधिशासी अभियन्ता श्री एस0 के0 जिन्दल के विरुदध प्रश्नकर्ता के पत्र पर पत्रांक सी0 एम0 नि0 को एम-4/47-107/मे/89, दिनांक 5-8-89 द्वारा मुख्य मंत्री जी द्वारा सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 से जांच कराने के आदेश दिए गए थे ? यदि हां, तो उक्त जांच का क्या परिणाम रहा ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

जांच अभी पूर्ण नहीं हुई है ।

जनपद गाजियाबाद के राव उमराव सिंह मार्ग पर ग्राम कूलेसरा से तिलयता तक औद्योगिक इकाइयां तथा उनके द्वारा लिया गया भू उपयोग संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र की जानकारी।

162---श्री महेन्द्र सिंह भाटी--

क्या मुख्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजियाबाद के राव उमराव सिंह मार्ग (डी0 एस0 सी0) रोड पर ग्राम कूलेसरा से तिलयता तक कितनी औद्योगिक इकाइयां है ? क्या इन इकाइयों ने भू उपयोग संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिए है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत अनुरक्षण खण्ड विधान भवन हेतु वित्तीय वर्ष 88-89 एवं 89-90 में क्रय किए गए कूलर एवं उन पर हुए खर्च का विवरण ।

136---श्री मिठाई लाल शास्त्री-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत अनुरक्षण खण्ड विधान भवन हेतु वित्तीय वर्ष 88-89 तथा 89-90 में कितने कूलर क्रय किए गए तथा उन पर कितने रुपये खर्च हुए ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त वर्षों में कितने कूलर निष्प्रयोज्य हुए तथा उनकी नीलामी किस प्रक्रियानुसार कब-कब की गयी तथा नीलामी से कितनी आय हुई ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

विधान भवन (मुख्य भवन) हेतु वित्तीय वर्ष 88-89 में एक कूलर तथा 89-90 में 44 अदद रूम कूलर क्रय किए गए । इन कूलरों के क्रय पर कुल रु0 1,46,320/- खर्च हुआ ।

उक्त वित्तीय वर्षों में 34 कूलर निष्प्रयोज हुए । इन कूलरों को नीलामी किए जाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है । इनकी नीलामी अभी नहीं हुई है, अतः आय होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा राष्ट्रीयकृत मार्ग पर बसों द्वारा परमिट का दुरुपयोग, एवं कोतवाली-कर्नलगंज के प्रभारी निरीक्षक द्वारा रिश्वत लेकर बसों का संचालन किए जाने विषयक प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र एवं कार्यवाही ।

164---श्री अजय प्रताप सिंह---

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद-गोण्डा राष्ट्रीयकृत मार्ग पर आल यू0 पी0 टूरिस्ट परमिट पर प्राइवेट बसों द्वारा परमिट का दुरुपयोग कर सवारी ढोने का प्रकरण प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र माह अप्रैल, 90 के अन्तिम सप्ताह में उक्त प्रकरण में कोतवाली-कर्नलगंज के प्रभारी निरीक्षक द्वारा रिश्वत लेकर बसों के संचालन में मुख्य भूमिका निभाने आदि के संबंध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कोतवाली प्रभारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद गोण्डा के कर्नलगंज राष्ट्रीयकृत मार्ग पर आल यू0 पी0 परमिट के बसों के अवैधरूप से चलने का प्रकरण प्रकाश में आया है ।

जी हां ।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 25-4-90 पर श्री जे0 पी0 सिंह, क्षेत्राधिकारी, कर्नलगंज गोण्डा से जांच कराई गई । जांच से प्रभारी निरीक्षक, कोतवाली कर्नलगंज द्वारा रिश्वत लेकर बसों के संचालन में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी जौनपुर द्वारा राजकीय धनराशि के चेक की धन-राशि में रद्दोबदल करके गोलमाल किए जाने की रिपोर्ट व कार्य वाही ।

165---श्री पंचानन राय---

क्या मुख्या मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, जौनपुर से राजकीय चार लाख इक्कीस हजार छह सौ चौवन रुपये (4,21,654) की धनराशि के चेक की धनराशि में रद्दोबदल करके गोलमाल किये जाने की रिपोर्ट दिनांक 28-7-84 को पुलिस थाना लाईन बाजार जौनपुर में दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

दिनांक 23-6 84 को प्रश्न में उल्लिखित अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा इसकी जांच अपराध शाखा अपराध अन्वेषण विभाग द्वारा की गई ।

विवेचनोपरान्त चार अभियुक्तों के विरुद्ध भा0 दं0 वि0 की धारा 409/420/467/468 के अंतर्गत आरोप पत्र दिनांक 23-1-89 को प्रेषित किया गया ।

खोड़ा कालोनी निकट मकनपुर तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद को नोएडा प्रशासन से नियमित कराने एवं नागरिक सेवायें उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र एवं कार्यवाही ।

166---श्री कल्यान सिंह--- ...

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित खोड़ा कालोनी निकट मकनपुर तहसील दादरी जनपद गाजियाबाद को नोएडा प्रशासन से नियमित कराने एवं नागरिक सेवायें उपलब्ध कराने के संबंध में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 6-3-90 के पत्र के साथ श्री के0 सी0 शर्मा, अध्यक्ष खोड़ा कालोनी आवासीय कल्याण समिति, वीर अर्जुन मार्ग, सेक्टर गार्डन, खोड़ा कालोनी, नोएडा जिला गाजियाबाद का दिनांक 6-3-90 का प्रार्थना-पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो संलग्नित पत्र में क्या-क्या मांगें उठाई गई हैं और सरकार ने उन मांगों को स्वीकार करने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ? उन मांगों कब तक स्वीकार कर ली जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव–

जी हां ।

इनके द्वारा निम्नांकित मांगें की गई हैं :---

1– खोड़ा कालोनी को नियमित करने हेतु नोएडा प्रशासन को अविलम्ब निर्देश जारी किए जायें ।

2– पूरी कालोनी का विद्युतीकरण किया जाए ।

3--- कालोनी में सभी आवश्यक नागरिक सुविधायें प्रदान की जायें ।

चूंकि यह कालोनी अनाधिकृत ढंग से स्थापित की गई है । अतः मांग को स्वीकार करना सम्प्रति सम्भव नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत अनुदान संख्या-38 के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग ।

167---श्री माता प्रसाद पाण्डेय---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत अनुदान संख्या-38 के लिए आवंटित धनराशि 9 करोड़ रुपये का उपयोग 31 मार्च, 1990 तक कर लिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

वित्तीय वर्ष 1989-90 के लिए अनुदान सं0-38 के अन्तर्गत कुल 829.68 लाख रुपये का प्राविधान किया गया था जिसमें से 31 मार्च, 1990 तक आवश्यकतानुसार कुल 824.55 लाख रुपये का उपयोग किया गया । वास्तविक आवश्यकता एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए शेष 5.13 लाख रुपये की धनराशि समर्पित की गई ।

जनपद खीरी की कोतवाली ग्वारी फन्टा पुलिस द्वारा व्यापारियों को उत्पीड़ित किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ।

श्री उपाध्यक्ष---

आज दिनांक 27 जून, 1990 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम-301 के अन्तर्गत कुल 27 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गई :---पहली सूचना श्री निरवेन्द्र कुमार मुन्ना जी की है अन्य सूचनाएं

श्री शारदानंद अंचल, श्री अमरनाथ यादव, श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री हरिचरण यादव, श्री जगवीर सिंह, श्री इम्तियाज मोहम्मद खां जी की है। जैसी कि परम्परा रही है सदन सब सूचनाओं को पढ़ा हुआ मान लेता है । मैं यह समझूं कि सभी सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ?

(सदन की सहमति से निम्नलिखित सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।)

श्री निरवेन्द्र कुमार--

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं ।

जनपद खीरी की कोतवाली ग्वारी फन्टा पुलिस द्वारा व्यापारियों का भयंकर उत्पीड़न किया जा रहा है । पुलिस द्वारा व्यापारियों के ट्रकों में लदे हुए माल को रोक कर इनसे अवैध वसूली की जा रहीं है तथा ट्रक चालकों का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यन्त आक्रोश है । किसी भी समय अप्रिय घटना घट सकती है ।

अत: मेरी आपके माध्यम से शासन से मांग है कि उक्त प्रकार की जांच करायी जाय तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय ।]

नोट :--- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद बलिया के सीयर क्षेत्र में प्राक्कलन के विपरीत विद्युतीकरण किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शारदानंद अंचल–

[मान्यवर, आपके माध्यम से बलिया जनपद अपने विधान सभा क्षेत्र सीयर के विकास खण्ड सीयर एवं नगरा में ग्रामीण विद्युतीकरण की अधूरी स्थिति अभाव और परेशानी की ओर ध्यान दिलाते हुये कहना चाहता हूं कि वर्ष 1985 से 1990 तक के विद्युतीकरण की जांच प्राक्कलन को लेकर करने हेतु अनेक बार शिकायती पत्र दिया तथा नियम 301 के अन्तर्गत भी इस लोक महत्व के प्रश्न को मा0 सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाया लेकिन अब तक न तो दोनों विकास खण्डों के मात्र 10-10 विद्युतिकरण गांवों की प्राक्कलन की अनुसार जांच ही हुई ना ही किसी अभियंता के विरुद्ध विद्युतीकरण की सामग्री चुराने व प्राक्कलन के विपरीत कार्य करने के विरुद्ध कोई कार्यवाही हुई । जिससे जनता में रोष एवं क्षोभ व्याप्त है । राज-खजाने से पैसा देने के बावजूद पूर्व विद्युतीकरण न होना राष्ट्र व शासन की मंसा के साथ विश्वासघात है । बार-बार अनुरोध के बाद भी दोनों विकास खण्डों के विद्युतीकरण का जांच न होना आम रोष का कारण बन गया है ।

अतः इस लोक महत्व के मामले को आपके माध्यम से मा0 सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाते हुए समाधान की मांग करता हूं ताकि प्राक्कलन के विपरीत विद्युतीकरण की जांच की जाय तथा दोनों विकास खण्डों के सम्पूर्ण गावों का जनहित में विद्युतीकरण कराया जाए ।]

जनपद वाराणसी में पत्रकार कालोनी के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अमर नाथ यादव---

[मान्यवर, वाराणसी में लोकतंत्र के मजबूत खम्भों में एक खम्भा संचार का जाल बिछा हुआ है । यहां से हिन्दी, उर्दू, संस्कृत व अंग्रेजी भाषाओं में समाचार पत्र एवं पत्रिकायें प्रसारित होती है, इन सभी का प्रकाशन प्रात: कालीन व सायंकालीन (दैनिक) साप्ताहिक, पाक्षिक एवं मासिक होता है, पत्रकारिता के व्यवसाय में प्राय: मध्यम श्रेणी के श्रम जीवी पत्रकार कार्यरत हैं, इनके आय का श्रोत सीमित है ।

इन पत्रकारों के पास अपना निजी कोई आवास भी नहीं है और न ही आवास बनाने में सक्षम है । विगत दिनों सत्ता परिवर्तन के बाद वर्तमान मा0 नगर विकास मंत्री ने भी वाराणसी के पत्रकारों को आवास दिलाने हेतु आश्वासन भी दिया था । इस संदर्भ में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई । आवास का अभाव इनकी मानसिकता को भी प्रभावित करती है और अच्छी एवं सफल पत्रकारिता में बाधक होती है ।

पत्रकार के समस्त कार्य जनहित में होते हैं ये जनता के कल्याण के लिये शासन का ध्यान खींचते हैं वे जनता के मन व मस्तिष्क को राष्ट्र के विकास के योग्य बनाने में सहायक होते हैं, इस निमित्त शासन का ध्यान इस ओर दिलाते हैं कि वाराणसी में शीघ्र पत्रकार कालोनी का निर्माण और उन्हें सबसीडी (छूट) के साथ फ्लेट का आवंटन जनहित में शासन सुनिश्चित करें ।

अत: जनहित में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय में शासन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं सम्बधित मंत्री महोदय पत्रकार कालोनी के निर्माण व आवंटन को सुनिश्चित करने के संबंध में सदन में वक्तव्य दें ।]

नोट :--- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर, जलालपुर आदि क्षेत्रों में ओला वृष्टि से हुई भयंकर क्षति से पीड़ित लोगों को सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अकबर हुसैन धाबर–

[मान्यवर, वर्ष 1990 में फैजाबाद जनपद के अकबरपुर, टांडा, जलालपुर तहसीलों में कई बार भयंकर ओला वृष्टि से चना, अरहर, सरसों आदि फसलें पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी । हजारों की संख्या में चिड़ियां और जंगली जानवर मर गये । खप्रैल और फूस के मकान पूरी तरह से नष्ट हो गये । अकबरपुर तहसील में ग्राम कौरा हुसेनपुर, सिकरवारी, अहेथा, रामपुर जयसिंह, विश्रामपुर, डडवाकला, सुरध आदि और जलालपुर तहसील में कादीपुर, कटघर, मूसा, औसानपुर बरौली खालिसपुर भरौली, गोता जमालपुर हुसैनपुर, दिण्हग आदि में ओला वृष्टि से तबाही के कारण किसान दाने के लिये मोहताज हो गया है उसके पास न खाने को है, न घर जानवर के लिये चारा है । अभी तक इनको नाममात्र की सहायता मिली है । मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुये शासन से मांग करता हूं कि ओला पीड़ित क्षेत्रों में युद्धस्तर पर सहायता की जाय । विद्यार्थियों की फीस माफ की जाये टेस्ट वर्क खोलें जायें और सारी वसूली स्थगित कर दी जाय ।

जनपद सुल्तानपुर के अमेठी क्षेत्र में 33 के0 वी0 विद्युत उपकेन्द्र स्थापित न किए जाने से उत्पन्न जन असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हरिचरन यादव---

[मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र अमेठी जनपद सुल्तानपुर में विकास क्षेत्र मुख्यालय भेटुवा (नौ गिरवा) भादर संग्रामपुर विद्युत उप केन्द्र 33 के0 वी0 पावर हाऊस स्थापित करने हेतु भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है । भेटुवा विद्युत उपकेन्द्र पर आई मशीन राज्य विद्युत परिषद द्वारा वापस उठा ले जायी गई है । विद्युत वितरण को सरल व सुलभ बनाने हेतु उप केन्द्र गत चुनाव के पूर्व निर्मित हो चुके थे । जनवरी 1990 में उक्त सभी विद्युत उपकेन्द्रों पर मशीन आ जानी चाहिये थी तथा सम्पूर्ण संयंत्र लगाकर उप केन्द्र चल जाना चाहिये था इस समय पूरे क्षेत्र में उप केन्द्र न बनने से विद्युत आपूर्ति में बड़ी कठिनाई हो रही है तथा क्षेत्रीय जनता में व्यापक असन्तोष एवं रोष है ।

नोट :--- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद अलीगढ़ में यमुना नदी के किनारे स्थित समस्त पूर धरवरा आदि ग्रामों को बाढ़ व पानी के कटाव से बचाने हेतु अवरोधक पट्टियां निर्मित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगबीर सिंह---

[मान्यवर, अलीगढ़ जनपद में यमुना नदी के सहारे हरियाणा की सीमा पर स्थित ग्राम प्रतिवर्ष वर्षा ऋतु में बाढ़ आने से कट जाने से भारी जन धन की क्षति होती है । यमुना के किनारे स्थित ग्राम समस्तपूर, धरवरा, महाराज गढ़, लालपूर, शेरपूर, मिलक, नरवारी, पीपली, रायपुर, गिरधरपूर आदि विशेष रूप से बाढ़ व कटाव से प्रभावित होते है हजारों एकड़ कृषि भूमि कटकर हरियाणा की तरफ चली जाने से कृषकों को हानि पहुंचती है । यमुना के दूसरे किनारे पर हरियाणा राज्य बाढ़ अवरोधक पट्टियां नदी के फोट के अनुपात से अधिक लम्बी निर्मित करा दी है । तथा दीक्षित एवार्ड का उल्लंघन कर उत्तर प्रदेश की सीमा में आगे बढ़कर लगायी है जिससे नदी का प्रभाव उ0 प्र0 की ओर हो जाने से उक्त ग्रामों की भूमि जलमग्न हो जावेगी । उत्तर प्रदेश की सीमा में भी बाढ़ अवरोधक पट्टियां शीघ्र निर्मित कराये जाने की आवश्यकता है बाढ़ पट्टी न बनाने पर उक्त ग्रामों के कट जाने की पूरी सम्भावना है ।

अतः उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित कर शीघ्र कार्यवाही करने की मांग करता हूं]

जनपद बुलन्दशहर के माढ़ू आश्रम ग्राम मवई के निकट गंगा नदी पर पुल के निर्माण के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां---

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के विषय के संदर्भ में ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं ।

गंगा नदी पर माढ़ू आश्रम ग्राम मवई जिला बुलन्दशहर पर पुल नहीं होने के कारण दिल्ली, हरियाना, पंजाब, दक्षिण भारत आगरा मंडल एवं जनपद बुलन्दशहर के लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड रहा है । उपरोक्त क्षेत्र के लोगों हेतु नैनीताल एवं कुमाऊं मंडल के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों के लिए यह एक सीधा सम्पर्क मार्ग है एवं देश की रक्षा की दृष्टि से उपरोक्त स्थान पर एक नव पुल का निर्माण अनिवार्य है । उपरोक्त के अत्यधिक महत्व को देखते हुए माननीय पूर्व मुख्य मंत्री के आदेशों के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन ने 31 सर्किल सर्वे डिवीजन लखनऊ को तत्काल सर्वेक्षण के आदेश दिए थे उपरोक्त डिवीजन ने शासन से सर्वेक्षण कार्य करने हेतु 5 लाख रुपये की धनराशि की मांग की है ।

अत: मेरा आपसे साअनुरोध है कि उ0 प्र0 सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे उपरोक्त लोक हित कार्य के सर्वेक्षण हेतु 5 लाख रुपये की धनराशि तत्काल स्वीकृत करने का कष्ट करें ।]

नोट :--- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिये नियमावली की प्रक्रिया को लागू किये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

***श्री माता प्रसाद पाण्डेय–**

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । जब से विधान सभा चली है, इसकी व्यवस्था दिनों दिन गड़बड़ होती जा रही है । सदन व्यवस्थित चले, यह हमारा कर्तव्य है और आपका उत्तरदायित्व है । जब सदन अव्यवस्थित होता है तो उसको व्यवस्थित करने का नियम नियमावली में लिखा है । मुझे आश्चर्य है कि जिस तरह से कोई परिवार का मुखिया अस्त्र शास्त्र लिये रहता है लेकिन डाकू जब आ जाते हैं तो पलायन कर जाता है । हम लोग बहुत से विधायक हैं जो अपनी बात शान्ति-पूर्वक कहना चाहते हैं जब सदन अव्यवस्थित हो जाता है चाहे शून्य प्रहर हो या प्रश्नकाल हो, जो बजट 4 घण्टे में होना चाहिए वह एक घण्टे में डिस्कस होता है । संविधान के अनुच्छेदों के आधार पर वित्त विधेयकों पर बहस करना और पास करना हमारा मुख्य काम है । व्यवस्था का प्रश्न है कि सदन को व्यवस्थित करने के लिए जो नियमावली में प्रक्रिया है, उसे लागू करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा प्रयास यह है कि नियमावली निर्देश के अनुसार सदन चलाया जाय । मैं प्रयास कर रहा हूं और मांग करता रहूंगा लेकिन साथ ही सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन है चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों कि सदन के संचालन में सभी का अपेक्षित सहयोग पीठ को मिले ।

श्री रणजीत सिंह जूदेव–

मान्यवर, कहावत है कि सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले जिसमें बहत्तर छेद । जब यह विपक्ष में बैठते थे तो काफी अव्यवस्था फैलाते थे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैं सदन "वैल" में कभी नहीं आता था ।

नोट :---[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियम-300 के अन्तर्गत आज 7 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । श्री प्रमोद कुमार श्री पंचानन राय, श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री विमल प्रसाद तिवारी, श्री अकबर हुसैन बाबर, डा0 दिनेश जौहरी एवं श्री राज किशोर सिंह ।

श्री प्रमोद कुमार की सूचना नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती, अत: अस्वीकार की जाती है । नियम 51 में भी सूचना मिली हैं, उस पर विचार किया जा रहा हैं ।

श्री पंचानन राय की सूचना नियम 300 में नहीं आती।

श्री कुंवर सिंह नेगी की सूचना, तारांकित प्रश्नों में प्रश्नों के सम्बन्ध में नियम यह है कि एक सदस्य का एक ही प्रश्न एक दिन में स्वीकार किया जाता है । चूंकि श्री कुंवर सिंह नेगी का नाम नत्थी "रु" के पृष्ठ संख्या-1 में अंकित है अत: अन्य तारांकित प्रश्नों में से उनका नाम हटा दिया गया ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी की सूचना, संयुक्त दायित्व के अंतर्गत संसदीय कार्य मंत्री जी उसे पेश कर सकते थे ।

(श्री प्रमोद कुमार के खड़े होने से व्यवधान)

***श्री प्रमोद कुमार–**

आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है ?

श्री उपाध्यक्ष---आपको अनुमति नहीं दी जाती हैं ।

(व्यवधान)

(इस समय 12 बजकर 25 मिनट पर श्री अध्यक्ष पीठासीन हुये ।)

(श्री अकबर हुसैन बाबर अपने स्थान पर बोलने के लिये खड़े हुए ।)

श्री अध्यक्ष–

आपने दिनांक 26-6-90 को श्रम मंत्री जी द्वारा सदन के समक्ष अपना वक्तव्य प्रस्तुत न कर सकने के बारे में सूचना दी हैं । नियम यह है कि कोरम के अभाव में जब सदन स्थगित कर दिया जाता है तो लम्बित कार्य स्वत: ही स्थगित हो जाते हैं ।

श्री अकबर हुसैन बाबर–

सदन में वक्तव्य प्रस्तुत ही नहीं हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने बतलाया अभी कि कोरम के अभाव में सदन स्थगित हो गया अब तो आपको नियम मालूम हो गया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

***श्री कुंवर सिंह नेगी–**

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी व्यवस्था समझ रहा हूं । आप संभवत: इस संबंध में समझ नहीं पाये होंगे । तारांकित प्रश्न में हर सदस्य का नाम एक ही बार एक प्रश्न में आता है । चूंकि उस दिन आपका नाम और भी प्रश्न में था ---

श्री कुंवर सिंह नेगी–

आपने जो कह दिया कि एक सदस्य का दो जगह पर नाम नहीं आ सकता है । आप आज का ही एजेन्डा देखें जिसमें माननीय सुरेन्द्र विक्रम सिंह का नाम नत्थी (ख) के प्रश्न संख्या 1 में भी है तथा नत्थी (ग) के तारांकित प्रश्न संख्या 5 में भी है ।

श्री अध्यक्ष–

आप मेरे कक्ष में आकर इसे ठीक से बतला दीजियेगा ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नियम 300 के अन्तर्गत आने वाली सूचनाओं के लिए तय हुआ था कि यदि उनको सुनने का मौका नहीं मिला तो कम से कम आप बतला देंगे कि सूचना क्या थी ?

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है । यही सूचना नियम 51 में मिली है, उस पर विचार किया जा रहा है । डा0 दिनेश जौहरी की सूचना मिली है ।

***डा0 दिनेश जौहरी–**

परसों मा0 मुख्य मंत्री जी ने मेरठ में एक पुरस्कार वितरण समारोह में घोषणा की थी कि एक करोड़ रुपये की एस्ट्रो टर्फ बनाए जाने के बारे में जबकि आज सदन में खेलकूद का बजट आना ही था तो फिर नीतिगत विषयों की सूचना सदन में न करके किसी अन्य अवसर पर करना कहां तक उचित है ?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रतिबन्ध तो केवल नीति के बारे में हैं ।

***संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)**

डा0 दिनेश जौहरी ने जो बात अपनी सूचना के जरिये से उठायी है, यह नीतिगत प्रश्न नहीं है । यह तो रोटीन वर्क है ऐसी घोषणायें तो बराबर होती ही रहती है यह नीतिगत प्रश्न नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

अगली सूचना माननीय राज किशोर सिंह जी की है, आप बोलें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

भवन हीन प्राइमरी स्कूलों के खोले जाने के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री के बजट भाषण एवं शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के विरोधाभास होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राजकिशोर सिंह---

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ संख्या 10 पर कहा है कि पन्द्रह हजार भवनहीन प्राईमरी विद्यालयों के लिए भवन बनाए जायेंगे । मेरा इसी सत्र में दूसरे सोमवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न 4 के उत्तर में मा0 शिक्षा मंत्री ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में, मैदानी तथा पर्वतीय जनपदों में क्रमश: 5022 व 64 भवनहीन प्राईमरी भवन निर्मित कराए जाने की योजना की बात है । म0 मुख्य मंत्री ने अपने बजट भाषण में नये प्राईमरी पाठशालाओं के खोलने की बात नहीं की है ।

------जबकि मूल प्रश्न के उत्तर में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि मैदानी जनपदों में 2270 और पर्वतीय जनपदों में 92 प्राइमरी स्कूल खोले जायेंगे । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि मैदानी जनपदों में 33 और पर्वतीय जनपदों में 50 जूनियर हाई स्कूल खोले जायेंगे । माननीय मुख्य मंत्री जी कुछ कह रहे हैं और शिक्षा मंत्री जी कुछ कह रहे हैं । शिक्षा मंत्री जी की योजना दूसरी है और मुख्य मंत्री जी की योजना दूसरी है । एक दूसरे से कोई मेल नहीं खा रहा है । यह स्थिति जो आ गयी है, तो मैं चाहता हूं कि स्पष्ट उत्तर आ जाये कि मुख्य मंत्री जी की बात सही है या माननीय शिक्षा मंत्री जी की बात सही है । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

शिक्षा मंत्री श्री सच्चिदानंद बाजपेई---

मान्यवर, विद्वान सदस्य ने कुछ भ्रमवश संभवत: कहा है । उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण को तो पढ़ लिया, लेकिन जो बजट साहित्य दिया गया है, उसको नहीं पढ़ा है ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य को कुछ अधिक जानकारी है । यह आवश्यक नहीं है कि बजट साहित्य का उल्लेख पूरा का पूरा माननीय मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण में आ जाये । उन्होंने नई-नई चीजें कहीं हैं । अगर सभी का उल्लेख बजट भाषण में किया जाये तो बजट भाषण 51-52 पृष्ठों का न होकर 100-150 पृष्ठों का हो जाता। बजट साहित्य के खन्ड 5 भाग 8 को आप देखें, उसके पृष्ठ 21 पर है । इन विद्यालयों की जो संख्या है, वह बहुत ही स्पष्ट दी गयी है, जिसमें है कि 2270 नये प्राइमरी विद्यालय मैदानी जनपदों में और 92 पर्वतीय जनपदों में खोले जाने का प्राविधान है ।

श्री अध्यक्ष---

आपका कहना यह है कि कोई विरोधाभास नहीं है ।

श्री सच्चिदानंद बाजपेई---

कोई विरोधाभास नहीं है । एक ही बात कही गयी है । इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि 15 हजार विद्यालयों के बनावाये जाने की बात कही गई है । 1990-91 और 1989 जिन्हें पिछली सरकार नहीं बना सकी, सभी को मिलाकर 15 हजार विद्यालय नये बनवाने की बात कही गयी है । इसलिये मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य सन्तुष्ट हो गए होंगे ।

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन), विधेयक 1990 तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1990

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष, मैं उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ तथा उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं ।

कार्यमंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य मंत्रणा समिति ने दिनांक 26 जून, 1990 की अपनी बैठक में विधान सभा के वर्तमान सत्र में निम्नांकित तिथियों के कार्यक्रम को निम्नलिलिखित संशोधित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है ।

(इसको पढ़ा हुआ माना गया ।)

जून 1990 27 बुधवार

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 5.00 बजे अपराह्न

संगत नियमों को निलम्बित करते हुये निम्नलिखित विधायी कार्य---

(क) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदार नाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।

(ख) उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उस का पारण-आधा घंटा ।

28 गुरुवार

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) विधायी कार्य---

भारतीय स्टाम्प (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।

(3) प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में कांच एवं चूडी उद्योग में सेवारत श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन निर्धारण न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रघुवीर दयाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभि-सूचित सूचना पर चर्चा-एक घंटा ।

29 शुक्रवार

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) 5-30 बजे अपराह्न

विधायी कार्य---

उत्तर प्रदेश आसोद और पणकर (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । जुलाई 1990 3 मंगलवार

(2) विधायी कार्य---

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1990 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 5 गुरुवार

(2) विधायी कार्य---

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं उसका पारण-आधा घंटा ।

(3) नियम 103 के अंतर्गत श्री राम स्वरूप वर्मा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिये गये निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण तथा उस पर एक घंटे की चर्चा---

इस सदन का निश्चित मत है कि प्रदेश की सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्ग की आरक्षण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भांति प्रदेश में उसकी जन संख्या के अनुपात में किया जाय और इसे प्रभावी बनाने के लिये संबंधित चयन बोर्ड के सदस्य उक्त तीनों वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में रखे जायें ।''

(4) प्रदेश में खादय तेलों, नमक एवं मिटटी के तेल तथा भवन निर्माण सामग्री जैसे ईंट, लोहा, सीमेन्ट आदि के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पंचानन राय, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 52 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा---एक घंटा ।

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान । 6 शुक्रवार

(2) 5-00 बजे अपराह्न

निम्नलिखित विधायी कार्य---

(क) उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 पर विचार एवं उसका पारण आधा-घंटा ।

(ख) उत्तर प्रदेश नगर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) (द्वितीय) विधेयक, 1990 पर विचार एवं उसका पारण---आधा घंटा ।

(ग) प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री रघुवर दयाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम 52 के अंतर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घंटा ।

10 मंगलवार (1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) नियम 103 के अंतर्गत श्री पंचानन राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिये गये निम्नलिखित प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण तथा उस पर चर्चा---

''इस सदन का निश्चित मत है कि जनपद आजमगढ़ को नया मण्डल बनाया जाये ।

12 गुरुवार (1) वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

(2) नियम 103 के अंतर्गत श्री पंचानन राय, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिए गए प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण तथा उस पर चर्चा---

''इस सदन का निश्चित मत है कि आजमगढ़ के त्वरित विकास के लिये वहां विकास प्राधिकरण स्थापित किया जाये ।]''

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)---

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है ।

प्रश्न यह है कि

श्री अध्यक्ष---

कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के सम्बन्ध में जो प्रस्ताव माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने रखा है, से सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

टिप्पणी [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां---

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत मैंने एक सूचना आपको दी थी ।-----

श्री अध्यक्ष-----

आप कृपया बैठें, मैं नियम 56 ले रहा हूं ।

आज दिनांक 27-6-90 को नियम 56 के अन्तर्गत कुल 32 सूचनायें प्राप्त हुई जिनमें निर्देश संख्या 15 के अनुसार 8 सूचनायें चयनित की गई । पहली सूचना श्री श्याम सुन्दर वर्मा की, दूसरी श्री धर्मज्ञ मिश्र की, तीसरी श्री प्रमोद कुमार, श्री श्याम देव राय चौधरी दादा, श्री सत्य प्रकाश विकल, श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य, श्री पंचानन राय तथा श्री विमल प्रसाद तिवारी की, चौथी श्री राम वचन की, पांचवी श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम कुमार शुक्ल तथा श्री राम चन्द्र बख्श सिंह की, छठी श्री कुंवर सिंह नेगी की, सातवीं श्री कल्याण सिंह तथा श्री कृष्ण कुमार नवमान की तथा आठवीं डाक्टर दिनेश जौहरी, श्री राम सेवक सिंह, श्री शिव बहादुर सक्सेना, श्री श्याम बिहारी सिंह, श्री काशी सिंह ऐरी तथा श्रीमती सरस्वती तिवारी की हैं ।

श्री मोहम्मद इम्तियाज खां---

मान्यवर, मैंने नियम 311 के अन्तर्गत एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के सम्बन्ध में आप पहले नियम जान लें ।

उपरोक्त आठ सूचनाओं में से अन्तिम 3 सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । शेष 5 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु मैं रखूंगा ।

***श्री श्याम सुन्दर शर्मा-**

मान्यवर, दिनांक 21-6-90 को जनपद अलीगढ में थाना टप्पल के अंतर्गत कस्बा जगदारी के श्री रतन प्रकाश शर्मा की पत्नी श्रीमती मंजु शर्मा का अपहरण उनके घर से कुंवर विजेन्द्र सिंह, ब्लाक प्रमुख टप्पल ने अपने अनेक रायफलधारी साथियों के साथ रायफल की नोंक पर कर लिया । इस कार्य में जीप संख्या यू0 पी0 एच0 5358 प्रयोग में लाई गई । घटना की नामजद रिपोर्ट इस जीप नंबर के थाना टप्पल में लिखाई गई तथा बाद में श्रीमती मंजु शर्मा की बरामदगी भी हुई ।

इसके बाद पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जिसके फलस्वरूप मुल्जिमान खुले आम असलहा लेकर घूम रहे हैं । तथा जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं । मुल्जिमान के प्रभाव के कारण पुलिस मूक दर्शक है तथा क्षेत्र की जनता में जबरदस्त रोष व क्षोभ व्याप्त है ।

---

* अध्यक्ष ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, यह निश्चित रूप से एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रकरण है । अतः आज सदन की समस्त कार्यवाही रोककर इस घटना पर चर्चा करने की मांग करता हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)---

मान्यवर, यह अपहरण आदि की घटनायें चिन्ता का विषय हैं ही, जो शर्मा जी ने प्रश्न उठाया, मैं विशेष रूप से दिखवा लूंगा और जो भी प्रभावी कार्यवाही सम्भव होगी, वह की जायेगी ।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा---

मान्यवर, इस घटना की आप प्रभावी कार्यवाही करने का निदेश दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप निर्णय की प्रतीक्षा करिये । श्री धर्मज्ञ मिश्र------(अनुपस्थित)

श्री प्रमोद कुमार---

मान्यवर, जब से यह सरकार आयी है तब से इस प्रदेश में अपराधों की स्थिति बिगड़ती जा रही है और इधर एक माह से कानून व्यवस्था जीर्ण-शीर्ण हो गई है । डकैती, लूटमार, बलात्कार और हरिजनों के ऊपर अत्याचार के प्रकरण आये दिन इस सदन में आ रहे हैं । आज प्रदेश का नागरिक न घर में सुरक्षित है, न रेल और बस यात्रा में सुरक्षित है । मान्यवर, अभी 24-25 तारीख की रात्रि में इलाहाबाद-कानपुर पैसेन्जर ट्रेन में कुछ अपराधी लोग घुस गए । उनका हौसला कितना बुलन्द है कि उसमें जो दो सुरक्षाकर्मी थे उनको इन्होंने घायल कर दिया । उनकी रायफल छीन ली और पूरे कम्पार्टमेन्ट में 50 हजार की सम्पत्ति लूट ली ।

जब से यह मौजूदा सरकार आई है विशेष रूप से विगत एक माह से कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है और हरिजनों का कत्लेआम हो रहा है, प्रदेश का कोई नागरिक कहीं सुरक्षित नहीं है । लोग अपने को घरों के अदर भी सुरक्षित नहीं पा रहे हैं । अतः यह अत्यंत लोक महत्व का मामला है और कानून व्यवस्था से ज्यादा कोई चीज नहीं हो सकती है । मैं अनुरोध करूंगा कि सदन की कार्यवाही स्थगित कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री पंचानन राय---

मान्यवर, नियम 51 में मैंने भी इस विषय में नोटिस दे रखी है ।

श्री अध्यक्ष---

मैंने माननीय श्याम देव राय चौधरी जी को बुलाया है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा---

मान्यवर, इन दिनों ट्रेनों में डकैतियों की घटनायें बढ़ रही है जो चिंता की बात है । जो ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ गयी है । अभी पिछले कल की बात है कानपुर से दिल्ली जाने वाली नीलांचल एक्सप्रैस ट्रेन के अंन्दर डकैतों ने प्रवेश किया और यात्रियों को मारा और उनका सामान लूट लिया जिसमें दो लोग गंभीररूप से घायल हैं एक को बनारस मेडिकल कालेज में भर्ती होना पड़ा । करीब एक लाख रुपये की संपत्ति लूट ले गये ।

दूसरी घटना कानपुर इलाहाबाद पेसेंजर ट्रेन में परसों एक डकैती पड़ी । मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो घटनायें हो रही हैं उससे ट्रेन यात्रियों के अन्दर भय और असुरक्षा की भावना बढ़ रही है । यह एक गंभीर घटना है मैं चाहूंगा कि इसको रोकने के लिये शासन तत्काल प्रभावी कार्यवाही करे जिससे लोगों में असुरक्षा की भावना दूर हो सके । यह एक बहुत ही अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । इसलिये मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री सत्यप्रकाश विकल---

मान्यवर, ट्रेनों में बढ़ती हुई डकैतियों की घटनाओं के बारे में जो मेरा कार्यस्थगन प्रस्ताव है । मान्यवर, इधर ट्रेन डकैतियां और लूट की घटनायें लगातार बढ़ती जारही हैं । प्रदेश में जनजीवन धीरे-वीरे असुरक्षित होता जा रहा है परसों नीलांचल एक्सप्रेस में डकैती पडी और फिर इलाहाबाद कानपुर पैसेंजर में डकैती पड़ी उसमें बैठे सुरक्षा गार्डों को गोली मार दी गई और यात्रियों का लाखों का सामान लूट लिया गया । प्रदेश में लाखों लोग रोजाना यात्रा करते हैं उन यात्रियों में असुरक्षा की भावना बढ़ती जा रही है । इसलिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है मेरा अनुरोध है कि इस पर सदन का कार्य स्थगित कर चर्चा की जाय ।

***श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य ---**

मान्यवर, उत्तर प्रदेशों में ट्रेन यात्रियों को लूटे जाने और उसमें तैनात आरम्ड गार्डों को मारना और उनके अस्त्र छीन लेजाना इस बात का द्योतक है कि कानन व्यवस्था बिगड़ रही है और यहां का जनजीवन असुरक्षित है । जिन ट्रेनों में आर्म्ड गार्ड चल रहे हैं उनमें भी लटा जा रहा है तो इससे स्पष्ट है कि प्रदेश में जन-जीवन सुरक्षित नहीं है । ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों में असुरक्षा की भावना व्याप्त हो रही है । इसलिये मेरी मांग है कि सदन की कार्यवाही रोक कर इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा की जाय ।

श्री पंचानन राय---

मान्यवर, प्रदेश का जनजीवन आज असुरक्षित है यह बात इन सूचनाओं से ज्ञात होता है कि प्रदेश में कितना जन जीवन असुरक्षित है । ट्रेनों में जो यात्रा

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

कर रहे हैं उनको लूटा जा रहा है इलाहाबाद पेसेन्जर ट्रेन को कुण्डा के पास लूट लिया गया इसके लिये हमने नियम 51 में सूचना दी है । नीलांचल एक्सप्रैस को माननीय मुख्य मंत्री जी के इलाके में, उनके मंडल में लूट लिया गया । जब से इनका राज्य कायम हुआ है तब से असामाजिक तत्वों का हौसला बुलंद हो रहा है । ट्रेनों में जो सुरक्षा कर्मी चल रहे हैं उनको मारा जा रहा है । किसी दिन हम भी इस सदन में सुरक्षित नहीं बैठ सकेंगे प्रदेश के पूरे जन-जीवन में आज भय व्याप्त है ।

असामाजिक तत्वों की तरह-तरह से सुरक्षा की जा रही है, उनको शेडो और गनर दिए जा रहे हैं जो हत्या के अभियुक्त हैं, इसीलिए ट्रेनों में डकैती पड़ रही है क्योंकि उनको सरकारी संरक्षण प्राप्त है । इसलिए यह लोक महत्व का मामला है, इसलिये प्रस्ताव है कि सदन की कार्यवाही रोककर इसपर आप चर्चा करायें ।

***श्री विमल प्रसाद तिवारी---**

मान्यवर, कानून और व्यवस्था की स्थिति पिछले दिनों से बहुत बिगड़ गयी है जो सभी के लिये चिंता का विषय है । मान्यवर, जिस प्रकार अपराधी नीलांचल एक्सप्रेस में झीझक स्टेशन के बाद ट्रेन में डकैती डालकर यात्रियों को लूटा और वे अपराधी लोग इटावा जनपद के कल्छैसी स्टेशन पर आराम से उतर गए और उनको पकड़ा नहीं जा सका है, उसी प्रकार कुंडा में भी लूट की गयी और सिपाहियों की मास्केट गोली मारकर छीन ली गई और यात्रियों को लूटा । इन घटनाओं से यात्रियों में असुरक्षा की भावना व्याप्त है कि किसी भी समय वह लूटे जा सकते हैं और उनकी हत्या हो सकती है, इसलिये यह चिंता का विषय है । निवेदन है कि सारे कार्य रोक कर आज इसपर सदन में चर्चा करायें ।

श्री राम बचन यादव---

मान्यवर, मैं आपका ध्यान और सरकार का ध्यान में अपने क्षेत्र की ओर आकर्षित करते हुये निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र के गांवों में 45 के0 जी0 के ओले पड़े हैं जिससे काफी नुकसान हुआ है और फसल चौपट हो गयी है । वहां खाने और पशुओं के चारे की स्थिति बड़ी भयावह हो गयी है । गांव के लोग अपने घरों में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं लेकिन बारिस हो गयी तो उनका रहना दुर्लभ हो जायेगा लेकिन गरीब आदमी कहां जाये और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है । इसलिये निवेदन है कि सदन के सारे कामों को रोक कर इस पर आप चर्चा करायें ।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---**

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में जो सार्वजनिक उपक्रम चल रहे हैं उनमें घोर अव्यवस्था और भ्रष्टाचार व्याप्त है । लेकिन फर्जी आंकड़ों के कारण उपक्रम भारी लाभ दिखा रहे हैं जबकि करोड़ों रुपये की इन निगमों में घाटा है । इस संबंध में मैंने एक सार्वजनिक उपक्रम अपटान के बारे में जानकारी दिया है कि वास्तव करोड़ों रुपये का घाटा है लेकिन वह लाभ दिखाते हैं । सी0 ए0 जी0 की रिपोर्ट में, स्वीकार किया

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

गया है और दुरुपयोग, घोटाले के, कई मामले प्रकाश में आये हैं जिसके परिणम स्वरुप 14.78 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया गया है । वर्ष 1987-88 में भारत सरकार की भी रिपोर्ट आयी है जिसमें उन्होंने 10 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है ।

मान्यवर, एक और गंभीर मामला भ्रष्टाचार का नार्दन लीजिंग कम्पनी, कानपुर का है जिसने 1.32 करोड़ रुपये का चूना अपट्रान को लगा दिया है ।

आयातित मशीनें 43 लाख रुपये की अपने यहां लगी हुई उस कम्पनी को बेच दी और वह वहां से उठी भी नहीं और उनको फिर किराये पर-लीज पर 5 साल के लिए ले लिया, जिसके लिये 67 लाख रुपये अपट्रान कम्पनी ने उसको दिया । इसके साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि अनेक सरकारी वित्तीय संस्थायें भी हैं जिनसे कारपोरेशन को 17 परसेंट ब्याज पर लोन मिलता है । किन्तु इन सरकारी वित्तीय संस्थाओं के होते हुए भी इस कारपोरेशन ने एक प्राइवेट कम्पनी से 27 परसेंट ब्याज पर पैसा लिया । इसके अलावा स्टेट बैंक ने भी गड़बड़ियां मिलने पर जब अपनी ऐजेंसी से इसकी जांच कराई तो उसको भी करोड़ो रुपये के घोटालों और फर्जी अकिड़े की जानकारी उसे मिली । इसके अलावा भी अपट्रान कम्पनी के सम्बन्ध में एक गम्भीर बात और है और वह यह है कि कम्पनी वाले बड़े-2 अधिकारियों और नेताओं का मुंह बन्द करने के लिये उन्हें अपने सेट्स मुफ्त में दे देते हैं । ऐसे लोगों की हमारे पास एक बड़ी सूची है, इसमें बड़े अधिकारी, नेता और प्रभावशाली लोग शामिल हैं । यह लोग अपट्रान के भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में सहायक होते हैं । इसके अलावा पूर्व सरकार के समय में जो तमाम मंत्रियों आदि को सेट्स दिये गये थे, सरकार बदलने के बावजूद भी वह उनसे वापस नहीं लिये गये ।

श्री अध्यक्ष---

आप केवल ग्राह्यता पर बोले ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

कारपोरेशन के बारे में मैंने सवाल किया था इस पर नियन्त्रण रखने के लिये जो सरकार की ओर से एक सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो बना हुआ है, उसका भी कार्य बहुत शिथिल और दोषपूर्ण है । यह भ्रष्टाचार को दबाने का मामला नहीं है, यह अविलम्बनीय महत्व का मामला है । यदि प्रभावी ढ़ग से भ्रष्टाचार से निपटने का प्रयास नहीं किया गया तो यह भ्रष्टाचार बढ़ता जाएगा । तो इस उपक्रम में व्याप्त भ्रष्टाचार के मामले में आम सदन में चर्चा कराने का कष्ट करें ।

श्री राम कुमार शुक्ल---

मान्यवर, यह जो अभी गुप्ता जी मे कहा है, यह तो एक नमूना है । जो बड़े बड़े कारपोरेशन हैं उन सभी में इस तरह का और इससे भी बड़े बड़े भ्रष्टाचार हैं ।

बड़े बड़े घोटाले अब तक हुए हैं और पहले भी हुए हैं, यह एक नमूना है । इसमें करोड़ों रुपये का घोटाला होता है । एक बात समझ में आ रही है कि इस पर कन्ट्रोल करने वाला एक जो कार्ड है, जिसको चैक करना चाहिए और घोटाले को पकड़ना चाहिए,

लेकिन उसके द्वारा शायद ही ऐसे घोटाले कभी पकड़े जाते हों । यह सदन साधारण तरीके से पकड़े गए हैं, तो इसकी भी जांच कराई जाए । यहां पर रोज हड़ताल हो रही है, और जब कभी कर्मचारी अपनी सुविधाओं या वेतन आदि के लिए कोई मांग करते हैं, तो प्रबन्धकों की तरफ से कहा जाता है कि हमारी कम्पनी घाटे में चल रही है । तो बड़े बड़े अधिकारी और नेता लोग उससे फायदा उठायें और उसके कर्मचारी भुगतें तो यह ठीक नहीं है । जब घाटा होगा तो उसके उत्पादन में मूल्य ज्यादा आएगी । इसलिए घोटालों पर अविलम्ब चर्चा होनी चाहिए ।

श्री रामचन्द्र बख्श सिंह–

मान्यवर, अपट्रान कम्पनी की गड़बड़ियों के सम्बन्ध में जो चीजें राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने कही हैं, मैं उन्हें दोहराऊंगा नहीं । हमारे मुख्यमंत्री जो कह चुके हैं कि जो कारपोरेशन घाटे में चल रहे हैं, उनको निजी क्षेत्र में दे दिया जाए । तो तमाम निगम कुप्रबन्ध यानी मिस मैनेजमेंट के कारण घाटे पर चल रहे हैं । उसी तरह इसके एम0 डी0 आज भी वही हैं जो पहले थे । 200 करोड़ रुपये का घाटा यहां पर है ।

..... यह शासनादेश में है कि कोई भी इम्पोर्टेड मशीन यह निगम बेचेगा नहीं । नार्दन इंडिया लीजिंग कम्पनी, कानपुर को यह मशीन बेच दी गई और जिस दिन बेची गई उसी दिन से किराये पर ले ली गई । इस तरह से एक करोड़ 40 लाख रुपये का घोटाला किया गया । मान्यवर, यह नीति सम्बन्धी बात है । जो नहीं बेची जानी चाहिए थी, वह बेच दी गयी । स्टेट बैंक आफ इण्डिया अपट्रान का सबसे बड़ा बैंकर है । स्टेट बैंक आफ इण्डिया को घपलों की जानकारी मिली थी, उसने दिल्ली के मिन्हास कन्सलटेन्ट से उनकी जांच कराई । यह मालूम हुआ कि 18-20 करोड़ रुपये का स्टाक फर्जी दिखाया गया है । उनकी रिपोर्ट के अनुसार 10 करोड़ रुपये का फर्जी पेमेन्ट दिखाया गया है । मान्यवर, इस तरह से 200 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, तो शासन की नीति है जो निगम घाटा दें, उन्हें बन्द कर दिया जाय । मान्यवर, कर्मचारी बहुत मशक्कत से काम करते हैं लेकिन एम0 डी0 की बदमाशी के कारण घोटाले हो रहे हैं । मान्यवर, यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है । प्रदेश सरकार इस पर विचार करे कि यह घोटाले क्यों हो रहे हैं । मान्यवर, सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करायें ।

(श्री कंवर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कुंवर सिंह नेगी---

मान्यवर, मैं लोक महत्व के बहुत गम्भीर प्रश्न की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मुझे पता चला कि 13 जून से कर्मचारियों और वकीलों के आपसी संघर्ष की वजह से अदालतें बन्द हैं । वहां पर कर्मचारियों ने ताला बन्द किया और वकीलों ने जबरन ताला तोड़कर कचहरी को खुलवा दिया । इस संघर्ष में मजिस्ट्रेट की भी पिटाई हुई और वहां की स्थिति बहुत गम्भीर हो गयी । अभी भी कचहरी बन्द है और काम-काज ठप है । मान्यवर, मुकदमों से सम्बन्धित जो लोग हैं, उनको असुविधा हो रही है । मान्यवर, यह बहुत गम्भीर घटना है । मेरा आपसे अनुरोध है कि इस घटना पर आप अवश्य चर्चा करायें ताकि कचहरी में काम सुचारू रूप से चल सके ।

श्री अध्यक्ष---

आप बैठ जायें ।

श्री धर्मपाल---

मान्यवर, इस सदन की यह परम्परा रही है कि अनेक ऐसे सदस्य जो सदन के सदस्य नहीं रहे हैं, उनकी मृत्यु होने पर सदन उनको श्रद्धान्जलि अर्पित करने के बाद स्थगित कर दिया जाता है । तो मान्यवर, आगरा में जो हरिजन मारे जा रहे हैं उनकी मृत्यु पर भी श्रद्धान्जलि अर्पित कर इस सदन को स्थगित किया जाय ।

श्री कल्याण सिंह–

नियम 56 के अन्तर्गत मैंने व्यवस्था रखी थी कि किसान सहकारी चीनी मिल, अलीगढ़ के महा प्रबन्धक के भ्रष्टाचार के कारण 15 जून से वहां पर काम बन्द हो चुका है, 23 जून से वहां पर अनशन चल रहा है । मान्यवर, मैं चर्चा का आग्रह नहीं कर रहा हूं । आप केवल शासन को इस पर वक्तव्य देने के लिए निर्देशित कर दें ।

श्री अध्यक्ष---

आप ऐसी परम्परा मत डालिए । माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनिये ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

मान्यवर, सबसे पहले, आपने नियम-56 के अन्तर्गत ग्राह्यता पर सना और श्री प्रमोद तिवारी को सुना ट्रेन डकैती के सम्बन्ध में । मानिकपुर और कंडा हरनामगंज स्टेशन पर यह घटना हुई । इस सम्बन्ध में महत्वपर्ण तथ्य प्रकाश में आये जिनको यहां पर बताना उचित नहीं है । दो तीन दिन में अभियुक्तों की छानबीन और पकड़ हो जाएगी । इस मामले को शासन गम्भीरता से ले रहा है ताकि ट्रेन में लोग सुरक्षित यात्रा कर सकें .....

मान्यवर, इसमें जो सुझाव माननीय सदस्यों के होंगे उनको हम देख लेंगे और उन पर विचार करेंगे । आज ही हम पुलिस महानिरीक्षक से कहेंगे कि इस संबंध में वह प्रभावी कार्यवाही करें । दूसरा मामला जो राम बचन यादव जी ने उठाया है तो इस सिलसिले में मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन की नीति बिल्कुल स्पष्ट है । किसानों को हम पहले की सरकार की अपेक्षा ज्यादा प्राथमिकता देंगे चाहे वह कृषि ऋण के बारे में हो या दैवी आपदाओं से हुयी छति के बारे में हो । इसको हम दिखवा लेंगे और जो भी नियमानुसार अधिक से अधिक सहायता दी जा सकती है वह दी जायगी ।

अमट्रान के संबंध में तो माननीय श्री गप्त जी ने, नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने और माननीय शुक्ला जी ने विशेष रूप से भ्रष्टाचार के संबंध में बात उठायी है । श्रीमन् गुप्ता जी भी इस बात से सहमत होंगे और नेता भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी सहमत होंगे कि इस सरकार का कहीं पर भ्रष्टाचार को संरक्षण देने का कोई इरादा नहीं है । चाहे सरकार का कोई भी खतरा क्यों न मोल लेना पड़े लेकिन जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं चाहे वह कितने ही बड़े से बड़े अधिकारी क्यों न हों उनको किसी तरह से बख्शा नहीं जायगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी । (मेजों की थपथपाहट) यह सरकार भ्रष्टाचार से संघर्ष करने के लिए कृत संकल्प है कोई भी जोखिम उठाकर । मान्यवर, निगमों के बारे में मख्य मंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि निगमों की दशा सोचनीय है और उन पर अलग से विचार करना पड़ेगा क्योंकि उनमें घाटा हो

रहा है । लेकिन अगर इसके बारे में जो वरिष्ठ सदस्य ने प्रश्न उठाया है इसको हम अलग से विशेष रूप से दिखवायेंगे और अगर उसमें कहीं भ्रष्टाचार पकड़ में आता है तो जो भी उससे संबंधित अधिकारी होगा चाहे वह जितना पावरफुल हो, चाहे जो सिफारिश लगाये उसके साथ रियायत नहीं की जायेगी । हम भ्रष्टाचार के खिलाफ रियायत नहीं करने जा रहे हैं इसके लिये हमारा संकल्प है और उसी संकल्प के माध्यम से हम सत्ता में आये हैं । भ्रष्टाचार को पनाह देने का कोई प्रश्न नहीं है यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं । भ्रष्टाचारी कम से कम हमारी कलम से बचने वाला नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, जो स्टेट्स दिए गए उनका राइट आफ कर दिया गया है उनको वापस लीजिये कम से कम ।

श्री अरुण कुमार सिंह "मुन्ना"–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने आरे के प्रकरण पर अपने विचार व्यक्त किये और हम लोगों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किये और इस घटना पर नियंत्रण पाने के लिये हमने सरकार को आश्वस्त किया है कि हमारा सक्रिय सहयोग रहेगा । मान्यवर, 6 आदमियों की मृत्यु संज्ञान में आयी है लेकिन वहां पर 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और स्थिति अभी भी चिंताजनक है । वहां पर स्थिति नियंत्रण के बाहर है क्योंकि ऊपर से फोर्स मंगाई जा रही है । सरकार इसकी गंभीरता से परिचित है या नहीं लेकिन जो स्थिति है उस पर नियंत्रण नहीं है । वहां की स्थिति को नियंत्रित किया जाय यह मैं आपसे निवेदन करूंगा ।

श्री तेजी सप्रतद वर्मा---

मान्यवर, कल इस विषय पर सदन में चर्चा हो चुकी है और पूरे सदन की यह मंशा थी कि जो यह सामाजिक मामले इस तरह के होते हैं उनको सब लोग गंभीरता पूर्वक लें और उसको शांत करके सद्भावना का वातावरण बनाने में सबका सहयोग लिया जाय । माननीय मुख्य मंत्री जी ने कल भी कहा था कि वहां स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है । स्थिति को काबू करने के लिये सरकार कोई प्रयास बाकी नहीं रखेगी और वहां की स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो जायगी । उसको बनाने में पूरा प्रयास किया जायगा, आप बिलकुल आश्वस्त रहें । कल इस पर पूरी चर्चा हो चुकी है । आपको इसके संबंध में अगर कोई अन्य सूचना प्राप्त हो चुकी है, तो उसे आप हमें या माननीय मुख्य मंत्री जी को भेजवा दें ।

(व्यवधान)

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री सभापति---

कोई भी शब्द कार्यवाही में नहीं आयेगा ।

श्री शेख मो0 सुलेमान–

[× × ×]

श्री सत्य प्रकाश विकल

[× × ×]

श्री अध्यक्ष---

मैंने कह दिया कि यह सब कोई भी कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा तो आप क्यों बोल रहे हैं ? माननीय कल्याण सिंह आप इन्हें समझाइये ।

(व्यवधान)

श्री कल्याण सिंह–

मान्यवर, आपने हमारा नाम पुकारा है । अध्यक्ष जी, मैं केवल दो बात कहना चाहता हूं ।

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

उस विषय पर कोई बात कार्यवाही का भाग नहीं बनेगी । इस निर्णय का थोड़ा सा आदर तो करिये ।

श्री कल्याण सिंह– [× × ×]

(व्यवधान)

नोट :---[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां द्वारा अपनी सूचना को सुने जाने के अनुरोध पर नियम 56 के अन्तर्गत श्री अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के आधार पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

मान्यवर, आपने नियम 56 में कुछ सूचनायें स्वीकार की और कुछ सूचनायें अस्वीकृत कीं, मान्यवर, यदि कोई माननीय वरिष्ठ सदस्य होता है, तो उसकी सूचना पर आपने सदन का ध्यान आकृष्ट कर दिया और उन्हें वक्तव्य के लिये अनुमति दे दिया।

श्री अध्यक्ष–

वक्तव्य के लिये मैंने अनुमति नहीं दी है ।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां–

मान्यवर, यदि किसी भी माननीय सदस्य के अस्वीकृत प्रस्ताव पर आप द्वारा स्वीकृति दी जा सकती है किसी भी रूप में, तो मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूं इस सदन में, हमारे क्षेत्र तथा जनपद में अल्प संख्यकों का भयंकर उत्पीड़न हो रहा है, उन्हें झूठें मुकदमें में फंसाया जा रहा है, आपसे अनुरोध है कि मुझे भी अनुमति दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश के अध्याय-4 को आप देखें---

किसी उपवेशन हेतु नियम 56 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं में से अध्यक्ष अधिकतम 10 ऐसी सूचनाओं को चयनित करेंगे जो नियम 58 तथा 59 की शर्तों को पूरा करती हों और अध्यक्ष के विवेक में महत्वपूर्ण हों ।

निदेश संख्या 15 में वर्णित 10 सूचनाओं में से सर्वाधिक महत्व की एक सूचना को अध्यक्ष चुनेंगे । शेष सूचनाओं में से अधिकतम 4 सूचनाओं को शलाका के आधार पर चयनित किया जायेगा ।

निदेश संख्या 15 में वर्णित अधिकतम 10 सूचनाओं के विवरण अध्यक्ष सदन के संज्ञान में ला सकेंगे । इन सूचनाओं में से---

(क) उन 5 सूचनाओं को ग्राह्यता के प्रश्न पर निर्णय लेने हेतु सुना जा सकता है, जो निदेश संख्या 16 के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा अथवा शलाका के आधार पर चयनित हो, और

(ख) अवशिष्ट सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । तो मैं केवल 5 सूचनायें ले सकता हूं, 4 सूचनायें शलाका के आधार पर और एक सूचना

विवेक पर इसलिये छोड़ी जाती है कि कोई विशेष महत्व की सूचना हो और वह शलाका में न आ सके, तो उसे ले लिया जाता है ।

इसलिये एक सूचना का अधिकार दे दिया जाता है अपने विवेक से उसका निर्णय दे दें । यह आपके किये हुये निर्णय हैं उसके अनुसार मैं कार्यवाही कर रहा हूं । आप मुझे अपना निर्णय सुनाने दें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी जी, श्री कल्याण सिंह जी और डा0 दिनेश जोहरी आदि की सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है । श्री प्रमोद कुमार, श्री श्याम देव राय चौधरी दादा आदि की सूचना पर तथा श्री श्याम सुन्दर शर्मा की सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राम कुमार शुक्ल और श्री राम चन्द्र बख्श की सूचना पर वक्तव्य के लिए सरकार को निर्देश देता हूं ।

श्री पंचानन राय–

माननीय, डकैती वाले का क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष–

ट्रेन डकैती वाले में संसदीय कार्य मंत्री ने 2-3 दिन में कहा तो है ।

श्री पंचानन राय–

माननीय, 2-2, 3-3 डकैतियां हो गयीं आप वक्तव्य तो दिलवा दीजिये ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

माननीय, ट्रेन डकैती वाली जो मेरी सूचना थी उसका क्या हुआ ?

(व्यवधान)

श्री इरशाद मोहम्मद खां---

माननीय, मैंने आपको एक सूचना दी थी ।

श्री अध्यक्ष--- (व्यवधान)

आप मुझसे कक्ष में बात कर लें ।

वित्तीय वर्ष 1990-91 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान

अनुदान संख्या 23--खेल विभाग, अनुदान संख्या--54 वन विभाग

*** ग्राम्य विकास एवं पंचायती राजमंत्री श्रीमती सुखदा मिश्रा---**

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,78,54,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी 9 (2) को भी आप पढ़ दें ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करती हूं कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54-वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67,36,02,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मनुष्य के जीवन में खेल की बहुत आवश्यकता रहने से हम लोग सभी जानकारी रखते हैं । उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है और यहां पर जो खेलों का विभाग है, निदेशालय है, वह बहुत विकसित है । इसके बने हुये करीब 15 साल हो गये हैं और पिछले सालों में इस पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया और हम लोगों ने इस क्षेत्र में पिछले ही सालों में प्रगति की । पहले हमारे खिलाड़ी जो बाहर जाते थे उनको न कोई ड्रेस दी जाती थी, न कोई उनका ऐसा चिन्ह होता था कि विशेष तौर से हमारे यहां से खेलने आये हैं, लेकिन इसके लिये इधर 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी और अब हमारे खिलाड़ी जो खेलने जाते हैं, उनको एक किट दिया जाता है और उसमें उनकी सभी आवश्यक सामग्री होती है, जिससे कि उनके खेलने में और उनकी भावनाओं में (इस समय 1 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता श्री राजेन्द्र त्रिपाठी पीठासीन हुए) बहुत परिवर्तन हुआ है और उससे एक व्यवस्थित खेल व्यवस्था बनी है । हमारे यहां दो स्पोर्ट्स कालेज हैं और 14 क्रीड़ा छात्रावास हैं । इनमें मान्यवर, पहले केवल 16 रुपये के खाने की व्यवस्था होती थी, जिससे कि

श्री अरुण कुमार सिंह ''मुन्ना''---

मा0 अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कमी है, लेकिन जिस विभाग के मंत्री का बजट है, वे कम से कम अपना बजट तो प्रस्तुत करें । जहां नहीं है वहां तो ठीक है, लेकिन जहां है, वे अपना बजट प्रस्तुत करें ।

श्री अधिष्ठाता---

कोई भी मा0 मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

संसदीय कार्य मंत्री---(श्री बेनी प्रसाद वर्मा)---

मान्यवर, मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है । यदि किसी की खेलकूद में रूचि है तो आपको क्या आपत्ति है ?

श्री अरुण कुमार सिंह ''मुन्ना''---

जिनको रूचि नहीं है, उनको क्यों यह बजट दिया जा रहा है ?

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

मान्यवर, पहले खिलाड़ियों को केवल 16 रुपये खाने के लिए जाते थे, लेकिन अब धनराशि बढ़ाकर, आपको जानकर खुशी होगी कि 25 रुपये कर दी गयी है और जिसके लिये 50 लाख रुपये का व्यय करने की व्यवस्था इस बजट में की गयी है । हमारे जो भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, किसी क्षेत्र के भी हों, चाहे कलाकार हों, या खिलाड़ी हों, वह उन क्षेत्रों से रिटायर हो जाते हैं तो बहुत सी परेशानियां हो जाती हैं और उनके पास धन का अभाव हो जाता है । उसको दूर करने के लिये, बीमारी के लिये विपदा के लिये धन की व्यवस्था नहीं थी और जो थी, वह कम थी । इस वर्ष 7 लाख रुपये की व्यवस्था भूतपूर्व खिलाड़ियों के लिये की गयी है और जिस प्रकार से धन देने की आवश्यकता पड़ेगी, उनको हम इस धन में से देंगे । अभी हाल में जो योजनाएं बनी, उसमें हमारे 39 स्टेडियम बन चुके हैं और हमारे बहुउद्देशीय हाल जो जिलों में बन रहे हैं, उनमें से 9 बन चुके हैं । तीन तरणताल बन गये हैं । हमारा जो लखनऊ का तरणताल है । उसकी अभी व्यवस्था हो रही है। उसमें डाइविंग बोर्ड नहीं है । उसमें एक नयी व्यवस्था हम इस साल कर रहे हैं, और इस साल कोशिश करेंगे कि देश की प्रतियोगितायें भी प्रदेश में की जायं । हमारे 16 स्टेडियम, 31 हाल और 17 तरणताल निर्माणाधीन है । इनका कार्य शीघ्र पूरा कर लिया जायगा । हमारे स्पोर्टस कालेज में आपको जानकर खुशी होगी कि इनमें खेल पर ही जोर नहीं है, केवल खेल में ही बढ़ावा नहीं है, हालांकि वे बने खेल में बढ़ावा के लिये ही हैं, आपको जानकर खुशी होगी कि दर्जा 10 और 12 में हण्ड्रेड परसेन्ट पढ़ाई का रिजल्ट रहा है और 40 में से 40 बच्चे पास हुए हैं, जिसमें से 13 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आए हैं ।

मान्यवर, आपको यह जानकर खुशी होगी, इसके साथ-साथ सबसे जो हमारे खेलों की आवश्यकता है हर एक क्षेत्र में दुनिया के साथ-साथ खेलों में तेजी से प्रगति है, उस प्रगति के साथ-साथ हमको वैज्ञानिक ढंग से प्रगति करने की आवश्यकता है तब ही हमारे खिलाड़ी विदेशों में आयोजित प्रतियोगिताओं में शामिल हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं । इन बातों को ध्यान में रखते हुए, दूसरी तरफ जिस प्रकार की बातों को खोलने और बढ़ाने की खासतौर से बहुत आवश्यकता है, अगर उनको विदेशों में प्रतियोगिताओं में जाने के लिए उनको ट्रेंड करना है, और इसके लिए व्यवस्था भी हो रही है । हाकी में बताना चाहूंगी हम एस्ट्रोटर्फ की व्यवस्था विशेष रूप से कर रहे हैं ।

श्री राम आसरे दीक्षित--

यहां तो है भी स्पोर्ट्स कालेज में लखनऊ में ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

है लेकिन उसके ट्रेक को लम्बा कर रहे हैं । सिंथेटिक ट्रेक के लिए बताना चाहूंगी हम लोगों ने एक करोड़ रु0 का प्राविधान रखा है और इस एक करोड़ को सिंथेटिक ट्रेक में खर्च करेंगे जो अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है । इसके

साथ-साथ जहां हमारे खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का प्रश्न है और उनका हौसला अफजाई करने का प्रश्न है, जिस तरीके से दिल्ली में अर्जुन एवार्ड दिया जाता है, उसी तरह से जो हमारे विशेष खिलाड़ी हैं हमारे यहां लक्ष्मण एवार्ड का प्राविधान किया है और यह कोशिश करेंगे और उम्मीद है कि ऐसे खिलाड़ी शीघ्र से शीघ्र आ सकें, उन्हें प्रदेश के स्तर पर लक्ष्मण एवार्ड दे सकेंगे । इसी के साथ-साथ जहां तक स्पोर्ट्स का प्रश्न है, ट्रेनिंग्स का प्रश्न है, जहां हमको बढ़ावा देने का प्रश्न है, बढ़ावा दे रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं ।

मैं यह बताना चाहूंगी कि भिन्न-भिन्न जिलों में धन के अभाव से जो लोगों की यह इच्छा होती है कि स्पोर्ट्स की जगहों पर बैठने की व्यवस्था हो, खेल देखने की व्यवस्था हो, यह तो हम लोग धन की कमी से नहीं कर पायेंगे, खिलाड़ियों के खेलने की व्यवस्था, ट्रेनिंग की व्यवस्था, खेलने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और उनसे जुड़ी व्यवस्था वहां बाथरूम आदि की व्यवस्था आदि पर ध्यान देंगे, हर जिले में ऐसी व्यवस्था कर सकें, यह इसलिए क्योंकि इसका विशेष उद्देश्य यह है कि ग्रामीण क्षेत्र के जो हमारे खिलाड़ी हैं, जिनको हम इतना प्रोत्साहन पिछले सालों में नहीं दे सके, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, जो खेल में दिलचस्पी रखते हैं, उनको वह अवसर नहीं मिल सका, उनको बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जो स्थान बने हुए हैं, उसमें उनको कवर करेंगे । खिलाड़ियों को आगे लाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के खिलाड़ियों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं । खेल विभाग का प्रश्न है हम लोग इसमें पूरा ध्यान देते हुए उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश खेलों में सबसे आगे बढ़ेगा । हम इस क्षेत्र में प्रगति करते रहेंगे और देश विदेश में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का नाम होगा ।

मान्यवर, वन जीवन के लिए बहुत आवश्यक चीज है । प्रकृति ने वन की आवश्यकता समझते हुए, आजकल की दुनिया में जबकि दुनिया को देखते हुए भारत वर्ष में जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है इसको देखते हुए वनों को संरक्षण देना बहुत आवश्यक है । विशेष तौर से पानी की व्यवस्था के लिये । मान्यवर, अगर हम लोग वनों की रक्षा न करें और उनको बढ़ावा न दें ।

गन्ना विकास एवं राजस्व मंत्री---(श्री राम शरण दास)---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है यह प्रमोद तिवारी और दीक्षित जी चूहे की तरह चुपके से इधर आ बैठते हैं ।

श्री राम आंतार दीक्षित---

मान्यवर, यह इनकी पुरानी आदत नहीं गई है, व्यवस्था का प्रश्न उठाने की ।

श्री गंगा सुखदा मिश्रा---

जो कार्बनडाईआक्साइड वायुमंडल में होती है, उसको आक्सीजन में [illegible] करने के लिये, भूमि के संरक्षण के लिए, पानी को रोकने के लिये भी वनों की आवश्यकता है । जो पानी पेड़ों की जड़ों के माध्यम से रुकता है, अगर उसको न रोके, तो वायु-मंडल में बहुत गरमी बढ़ जायेगी और जिसकी वजह से अत्यधिक बर्फ पिघलने लगेगी, जिसके कारण समुद्र के पानी का स्तर बढ़ाने की संभावना हो गई है, जिसके कारण समुद्र तटीय क्षेत्रों में जो लोग रह रहे हैं, जो छोटे छोटे द्वीप हैं, उन सभी के डूबने का खतरा पैदा हो गया है । इन सब बातों को देखते हुए आज वनों की रक्षा की अति आवश्यकता है । यह गंभीरता का विषय है और इसकी गंभीरता को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने

बहुत से विशेष कार्यक्रम शुरू किये हुए हैं तथा और नये कार्यक्रम यह सरकार शुरू करने जा रही है, जिससे वनों की रक्षा की जा सके। मान्यवर, भारत सरकार का वर्ष 1988 का राष्ट्रीय वन अधिनियम जो था, उसके अन्तर्गत 33 प्रतिशत वन देश में और प्रदेश में होने चाहिए।

इस अधिनियम के हिसाब से पहाड़ों पर कहीं-कहीं तो यह प्रतिशत पूरा है लेकिन मैदानी क्षेत्रों में वनों के कटान की प्रवृत्ति बढ़ने के कारण इसका प्रतिशत काफी कम हो गया है और वह घटकर 17-17½ प्रतिशत रह गया है। कुल मिलाकर जितना सघन वनों को होना चाहिए, वह नहीं है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमको विश्व बैंक से 39 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त होती है। यह योजना पहले 5 साल चली थी। इसके दूसरे चरण में इसको 1990 तक चलना था। दूसरे चरण में इसको बढ़ाने के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं, इन प्रयत्नों के तहत पहली बात यह है कि जो जमीन ऊसर पड़ी हुयी है, उसमें गांव के प्रधानों के द्वारा या अन्य लोग जो पेड़ लगाने के लिए तैयार हैं, उनको हम सस्ते दर पर बांध देंगे। एक योजना और है कि जो लोग गांव में 2 एकड़ भूमि पर पेड़ लगायेंगे और जब वह पेड़ एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंच जाये, तो जो उनके लाभार्थी हैं, हम लोग उनको उसका पट्टा करने के लिए तैयार रहते हैं, तथा उनको पट्टा कर भी देते हैं। सामाजिक वानिकी में एक योजना के अन्तर्गत अगर कृषक भाई अपने यहां नर्सरी लगा लें और जहां भी वह चाहें, अपने बांधे बेचें, लेकिन अगर उसके बाद उनके पेड़ ठीक नहीं पाये हैं, तो उनको नुकसान न हो, इसलिए हम उनको थोड़ा अधिक धन देकर उनके पेड़ खरीद लेते हैं, जिससे समाज में दोनों के संबंध में प्रचार हो, और पेड़ उगाने की व्यवस्था हो।

इसी तरीके से एक अन्य योजना के अन्दर स्कूलों में हम लोगों ने पेड़ लगवाने की व्यवस्था की है। बच्चे पेड़ लगाकर नर्सरी तैयार करें। स्कूलों में या उसके आस-पास की जगह जहां पर पेड़ लगाये जा सकते हैं वहां पर पेड़ लगाये जा सकें और इस तरह से हमारा यह जो क्षेत्रफल को बढ़ाने का लक्ष्य है उसको हम पूरा करने का प्रयास करे रहे हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 3 लाख किलोमीटर है और लक्ष्य का 17 प्रतिशत करीब 51 हजार किलोमीटर हमको पूरा करना है। इसके लिए हम तेजी से प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ने की व्यवस्था कर रहे हैं। इस साल करीब 40 करोड़ पेड़ लगाने की योजना हमारे वन विभाग की है। पहले सारे पेड़ वन विभाग लगाता था लेकिन इस व्यवस्था में कुछ दिक्कतें पाई गईं पेड़ लगाये जाते थे परन्तु कुछ पेड़ पानी न मिलने के कारण जिन्दा नहीं रह पाते थे।

अब इस साल यह व्यवस्था है कि 40 करोड़ पेड़ों में से 9 करोड़ पेड़ वन विभाग द्वारा लगाये जायेंगे और 31 करोड़ हम ग्राम पालों को देंगे, प्रधानों को देंगे, कृषकों को देंगे ताकि पेड़ अच्छी तरह से बच सकें उन्हें पानी मिल सके और इनका उसकी देखभाल कर सकें। मान्यवर, इस तरह की व्यवस्था हमने इसमें की है। इसके साथ ही साथ मान्यवर लकड़ी के विषय में कहूंगी। लकड़ी और वन मनुष्य के जीवन का आधार है। यह मनुष्य के ही जीवन का नहीं बल्कि पशुओं के जीवन का भी आधार है। यह वन जो उनके गढ़ स्थान होते हैं। भगवान द्वारा बसाये गये पशु इन वनों में रहते हैं। लकड़ी की मनुष्य के जीवन के लिये बहुत आवश्यकता है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमने 1 करोड़ 90 लाख रुपये का अनुदान ग्रामीण ईंधन के लिए लिया है। ईंधन की भी हमारे जीवन में आवश्यकता होती है। भारत वर्ष में तो जो गोबर होता है उसे ईंधन के स्थान पर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए हमने ग्राम ईंधन में लकड़ी की व्यवस्था करने के लिये प्रयास किये। गांवों में ईंधन देने के लिए यह 1 करोड़ 99 लाख का अनुदान रखा है।

दूसरा प्रश्न औद्योगिक है। लकड़ी के उद्योग के लिये लकड़ी की बहुत आवश्यकता होती है। मकान बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी की बहुत आवश्यकता होती है। इस तरह से तरह तरह के कामों के लिए अनेक प्रकार की लकड़ियों की आवश्यकता होती है। लगभग 1 करोड़ 57 लाख रुपये का अनुदान इसके लिए दिया है। जिससे हम औद्योगीकरण को बढ़ा सकें और इसके साथ ही साथ बेरोजगारी की जो समस्या है उसको ध्यान में रखते हुए पेड़ों को लगाने से इस बेरोजगारी को भी दूर करने की हम कोशिश करेंगे। लोग इनका इस्तेमाल कर सकें और बेरोजगारी दूर की जा सके तथा औद्योगीकरण अच्छे ढंग से आगे बढ़ सके। मान्यवर, हमने इस दिशा में जो कदम उठाये हैं खास तौर से कि हमारे भारतवर्ष में आयुर्वेदिक का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और बहुत से पेड़ों और जड़ी बूटियों की हम लोगों को आवश्यकता होती है जो दवाईयां और तमाम तरह की औषधियां बनाने के काम आती हैं। इस तरह से हम पेड़ लगाने की व्यवस्था कर रहे हैं। मान्यवर, उद्योग के बारे में मैं एक बात बताना भूल गई कि बहुत से पेड़ खास तौर से साख माचिस बनाने के लिये पल्प कागज तैयार करने के काम आता है। मान्यवर, यह जो पेड़ हैं उन्हें हम लगा सकें ताकि हमारे उद्योग जो इनसे संबंधित होते हैं आगे बढ़ सकें।

इसके साथ-साथ इन सब बातों को पूरा करने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि हम वनों की रक्षा करें। सबसे बड़ी समस्या जंगलों की यह रही है कि जब जंगल में आग लग जाती है तो उसको सम्भालना मुश्किल हो जाता है, सूचना न मिल पाने की वजह से भी जंगल बरबाद हो जाते हैं, इसलिए इस बात को देखते हुए हमने इस निमित 2 लाख रुपये का इस वर्ष प्राविधान किया है। हमें विदेशों से भी सहायता मिल रही है। भारत सरकार से हमें स्वीकृति भी इसकी प्राप्त हो गई है। इस सहायता के अंदर हमें वायरलैस सेट मिलेंगे ताकि हमारे जो सुरक्षा गार्ड हैं और जो हमारे रैंजर्स हैं, वह तुरन्त बता सकें कि आग फलां जगह लगी है। हमें जापान से भी सहायता मिल रही है। विदेशी सहायता के अंतर्गत हमें एक हवाई जहाज और एक हैलीकाप्टर भी दिया गया है, ताकि हम उससे जाकर इस बात का पता लगा सकें कि आग कहां-कहां लगी है। जंगल की रक्षा कैसे हो और इसकी आग कैसे बुझाई जाय, इसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक ट्रेनिंग सेन्टर हल्द्वानी में बनाया गया है। जहां पर पहले लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी, अब वहां पर धनराशि को बढ़ाकर 120 लोगों को ट्रेनिंग दी जायेगी। ट्रेनिंग पाना इसलिए भी बहुत आवश्यक है कि इसमें कुछ तकनीकी सिंधियां भी होती हैं। जैसे कहीं आग लगी हो, फिर उसके आगे और आग लगा देना ताकि वह आगे न बढ़ पाया आदि-आदि।

इसके अलावा रिसर्च की भी आवश्यकता है। इसके लिए हमने 5 लाख का प्राविधान किया है। इसके साथ-साथ प्रकृति को देखते हुए, इन्सान का भी हो जाता है कि हम लोग जानवरों की रक्षा करें। अगर कोई ऐसी स्पेसीज/प्रजाति हो जो समाप्त हो रही हो, तो उसकी रक्षा करें। जैसे कन्करैल में मगर पालन का हमारा सेन्टर है। हमने यह व्यवस्था की है कि गंगा प्रदूषण के अंतर्गत, हम इस सेन्टर में मगर को पालकर, उसका प्रजनन कर और उसके अंडों को पालकर, उन्हें बाद में गंगा में बहा दें ताकि जो लाशें आती हैं और जो गन्दगी होती है, उन्हें वह खाकर गंगा की सफाई होती रहे। इसके साथ-साथ हमारे यहां पर्यटन के क्षेत्र में विदेशों से काफी लोग आते हैं। शेर आदि जानवरों को देखते हैं। हमारे वन मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, उनके जिले में भी इसकी व्यवस्था है। माननीय मंत्री जी पहले भी शेरों की रक्षा करते आ रहे हैं।

इसी योजना के तहत हम लोग इसमें यह प्राविधान भी कर रहे हैं । यह भारतवर्ष वैसे भी विदेश मे शेर के लिये बहुत मशहूर है और विदेशी विशेष तौर से इसको देखने आते हैं इसीलिये इनकी सुरक्षा के लिये धनराशि का भी प्राविधान कर रहे हैं । इनको मारने पर प्रतिबंध लगाने के लिये कानून भी बनाया हुआ है । हम देखेंगे कि इस कानून का सख्ती से पालन किया जाय ।

वन राष्ट्रीय उद्यान योजना के अंतर्गत देहरादून में राष्ट्रीय उद्यान की व्यवस्था की जा रही है । प्रदेश सरकार ने 1983 में इस योजना का प्रारम्भ किया था और हम अब इसके पूर्ण विकास के लिये काम कर रहे हैं । दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के विकास के लिये भी जनपद लखीमपुर खीरी में, जहां के भूतपूर्व वन मंत्री जी बैठे हैं, (व्यवधान) उसको विकसित करने के लिए विशेष प्राविधान किया गया है ।

अंत में कहना चाहूंगी कि इन योजनाओं से वन विभाग के सभी क्षेत्रों में पूर्ण व्यवस्था करेंगे और आगे बजट में इसको और बढ़ाने पर विचार करेंगे ।

श्री अधिष्ठाता---

माननीया मंत्री जी शायद भूल रही हैं, वन की आवश्यकता पर आप बोल रही थीं, कदाचित कहना चाहती थीं कि वनवास के समय भी वन की जरुरत पड़ेगी ।

श्री राम औतार दीक्षित---

जब वनवास की जरुरत पड़ेगी तब सीता जी की भी जरुरत पड़ेगी ।

(हंसी)

श्री जफर अली नकवी---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 23-खेल विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-54 वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

अभी माननीया मंत्री जी ने खेल और वन विभाग का बजट पेश किया । मैं समझ रहा था कि जंगल के राजा जो वन मन्त्री जी हैं, वह आयेंगे लेकिन रानीसाहिबा आ गयीं, आभारी हूं । मैं समझ रहा था कि बहुत से अच्छे सुझाव आयेंगे जिससे प्रदेश का विकास होगा और जो मुसीबतें खेल जगत में हैं उन पर अच्छा प्रकाश पड़ेगा लेकिन चूंकि हमारा बजट पेश करने वाली मंत्री जी 3 घण्टे के लिये उधार आयी हैं इसलिये अधिक कहने में असमर्थ हूं ।

जहां तक खेल जगत का सवाल है एक-दो बातें अच्छी कहीं । हमारा उत्तर प्रदेश खेल जगत में बहुत पिछड़ा हुआ है । जहां पर के0 डी0 सिंह बाबू जैसे लोग थे, जिन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया 20-25 साल पहले, शर्म से कहना पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में खिलाड़ियों का स्तर इतना गिरा है कि पूरे भारत में जब किसी टीम का सेलेक्शन होता है तो बम्बई से, दक्षिण भारत से खिलाड़ी आते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का कोई खिलाड़ी सेलेक्ट नहीं होता है ।

इस पर हमको और आपको विचार करना है कि इसके पीछे क्या बात है ?

आपने अपने प्रस्ताव में स्टेडियम के लिये एस्ट्रो टर्फ की बात कही, यह सब बातें तो तब ठीक लगती हैं कि जब आपके पास अच्छे खिलाड़ी हैं । अगर आपके पास अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं तो यह एस्ट्रो टर्फ बेकार है, यह केवल बाहरी खिलाड़ियों के इस्तेमाल के लिये ही रहेगी कि आप टिकट लगवा कर उनका खेल देखें और बाहरी लोगों का खेल करा दें ।

एक जमाना था कि जब खेल की कम्पलसरी क्लासेज हुआ करती थीं । मैं भी खिलाड़ी रहा हूं और यूनीवर्सिटी में चैम्पियन था । तो मैं महसूस करता हूं कि पढाई के साथ कम से कम खेल की जगह और खिलाड़ियों का कुछ स्थान हो। खेल के लिये बच्चों की पढ़ाई के साथ ही साथ एक क्लास कम्पलसरी कर देना चाहिये और उस पर नम्बर भी देने चाहिये । क्योंकि जब हमारे बच्चे देखते है कि इस देश में खेल का भविष्य अन्धकारमय है तो फिर रूचि के होते हुये भी वे इस ओर अधिक ध्यान नहीं दे पाते हैं । पहले पांच नम्बर खेल के हुआ करते थे और जोड़े भी जाते थे । अब जबकि बच्चा देखता है कि खेल की तरफ ध्यान देने से पढ़ाई में मार्क्स कम आते हैं तो फिर वह खेल की तरफ ध्यान ही नहीं देता है ।

मैंने बहुत से स्पोर्टसमैन से पछा कि हमारे यहां खेल में यह कमी क्यों आती जा रही है, लोगों की खेल खेलने में रुचि क्यों कम होती है ? तो उनका कहना था कि हम अगर खेल ही खेलते रहेंगे तो शायद बाबू भी नहीं बन पायेंगे लेकिन अगर पढ़ाई करके अच्छे नम्बर लायेंगे तो कम से कम नौकरी तो कहीं न कहीं मिल ही जायेगी । हमारे नौजवानों में ऐसी विचारधारा पैदा हो रही है और उनका खेल की तरफ से मनोबल गिरता चला जा रहा है ।

मेरा अनुरोध है कि आप यूनिवर्सिटी और कालेजों में खेल की क्लासेज को कम्पलसरी करें । थोड़े लड़कों में खेल का स्तर बढ़ायें और उनको जिला स्तर पर तथा स्टेट लेविल पर बाद में नेशनल लेविल पर लाने का प्रयत्न करें और प्रोत्साहित भी करें । आप देखें कि रेलवे में, रोडवेज में गवर्नमेन्ट ने प्राविधान किया है कि खिलाड़ियों को डाईरेक्ट एप्वाईन्मेन्ट दिया जाय । पराने लोग जो काम करते हैं, आप भी महसूस करेंगे कि वे कोई कम्पटीशन से भर्ती नहीं हुये थे । आप मीना शाह को देखिये जो कि दस वर्ष तक बैडमिंटन की चैम्पियन रहीं, रेलवे ने डाईरेक्ट उनको नियुक्ति दे दी । इसी तरह से श्री अली सईद साहेब भी हाकी के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे उनको भी डाईरेक्ट नियुक्ति स्टेट बैंक में दी गयी ।

जब उत्तर प्रदेश के नौजवान महसूस करेंगे कि खेल में हमारा भविष्य अच्छा होगा, तो वे नये कीर्तिमान जरूर बनायेंगे । केवल खेल के लिये बजट में प्राविधान

कर देना उचित नहीं है। वैसे भी आपने खेल के बजट को बहुत कम रखा है। उत्तर प्रदेश में जहां लाखों लोग रहते हैं उसके लिये यह बजट बहुत कम है ।

एक सदस्य---

आपने कितना बजट रखा था ?

श्री जफर अली नकवी---

आबादी को देखते हुये यह बजट बहुत कम है आपने एस्ट्रो टर्फ लगाये जाने की बात कही है, मुझे खुशी है कि जब मैंने अपना बजट पेश किया था तब यह बात कही थी, परन्तु आज तक उसे करा नहीं पाया ।

एक सदस्य---

अगर कही थी तो कहां उसे बनवाया ?

श्री जफर अली नकवी---

आपकी इस संबंध में योजना है यह खुशी की बात है । इसको आप जरूर लगवाइये । पूर्वान्चल में, पिछड़ा हुआ इलाका होने के बावजूद खेल के लिये टेलेन्ट है। गोरखपुर, यद्यपि मेरा जिला नहीं है फिर भी मैं सिफारिश करता हूं कि यहां ओलम्पिक की हाकी गायब है, कुश्ती भी नहीं है, मैं चाहूंगा कि आप गोरखपुर को विशेष स्थान दीजिये, वहां अच्छे स्पोर्टसमैन निकल सकते हैं ।

एक सदस्य---

आपने कितनों को ओलम्पिक में भेजा था ?

श्री जफर अली नकवी---

मा0 सदस्य से मैं कहना चाहूंगा कि यदि मैंने नहीं किया, इसीलिये तो कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहा हूं, यदि किया होता तो फिर बजट न पेश कर रहा होता ?

मैं लखनऊ स्टेडियम के बारे में कह रहा था और इस संबंध में खास तौर से कहना चाहता हूं कि किसी चीज का स्थान उसके लिये ही होता है । जैसे कि मन्दिर का स्थान पूजा के लिये होता है, मस्जिद का स्थान नमाज अदा करने के लिये होता है इसी तरह से स्टेडियम का स्थान खेल के लिए इस्तेमाल किये जाने के लिए होता है । तो आप स्टेडियम का इस्तेमाल अपने सांस्कृतिक कार्यों के लिये, राजनैतिक भाषणों के लिये या और अन्य तरीकों के लिये न करें । ऐसा करने से इनका दुरुपयोग होगा और वह राजनैतिक और सोशल अड्डे हो जायेंगे इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें और इस संबंध में आदेश करें कि खिलाड़ियों के फंक्शन के अलावा और कोई फंक्शन वहां पर नहीं किया जायेगा । मान्यवर, लखनऊ का जो स्टेडियम है, वहां पर बहुत कमियां हैं । यहां पर तरन ताल बनाया गया है, लेकिन पानी की टंकी नहीं

है । स्टेडियम में साइकिल स्टैन्ड की फीस ली जाती है । इससे खिलाड़ियों में निरुत्साह पैदा होता है । तो इसी प्रकार की बहुत सी छोटी-छोटी चीजें हैं, जिनके कारण खिलाड़ियों को दिक्कतें उठानी पड़ती हैं । इनको सरकार को वहन करना चाहिये । कर्मचारियों के प्रशिक्षण की जो डेलीवेज की तनख्वाह है वह तीन सौ रुपया दी जाती है । यह बहुत कम है । तो मान्यवर, मेरा निवेदन है कि जो लखनऊ स्टेडियम है, इसके बारे में विचार करें और इसको उठाने की कोशिश करें । एक दूसरी बात यह है कि ग्रामीण अंचलों से जो लोग आते हैं, उनके लिये खेल की कोई सुविधा नहीं है । जो भी स्कीम आती है वह शहर के लोगों के लिए ही आती है । तो मेरा निवेदन है कि ग्रामीण अंचलों से आने वाले नवयुवकों के लिये भी कोई खेल की स्कीम आनी चाहिये । आप को यह प्रस्ताव लाना चाहिये कि कौन कौन से खेल करवा रहे हैं ?

मान्यवर, जो आपके अधिकारी है, डिस्ट्रीक्ट आफीसर्स हैं, उनका कहीं पर पता नहीं रहता है । कहां रहते हैं और क्या करते हैं, इस बात का कोई पता नहीं रहता है । तो आप इस पर भी ध्यान दें । आप स्पोर्टस एसोसियेशन की एक मीटिंग बुलावे और इन सारी चीजों पर विचार करें । मान्यवर, वन की बात कही गयी है, वन आज के जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं और मुझे भी उसमें रहने का सौभाग्य मिला है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो बजट पिछले 2-3 सालों में बना कर पेश किया जाता रहा है, हूबहू वही इस बार भी पेश किया गया है । हूबहू वही कापी करके दे दी गयी है और आपने उसको पढ़ दिया है । मैं इसको 10 साल से देख रहा हूं । आप को कुछ करने के लिये लाभकारी कदम उठाने होगे, लेकिन अफसोस है कि अबकी बजट में कोई नयी नीति या पालिसी नहीं बनायी गयी है । मैं समझता हूं कि अधिकारियों ने पुराने बजट की कापी करके आप को दे दी है और आपने यहां पर बजट रख दिया । उनके पास समय नहीं था और आपके पास भी समय नहीं था जिससे कि आप कोई नई नीति बनाते । मान्यवर, आप देखे कि बरसात शुरू हो गयी है, वन महोत्सव की कोई तारीख नहीं निश्चित की गयी है । पूरे प्रदेश में पेड़ लगाने का काम बरसात में शुरू होता है । यह कार्यक्रम जून में बन जाना चाहिये और वन महोत्सव की तारीख निश्चित हो जानी चाहिये, लेकिन अभी तक कोई तारीख नहीं निश्चित की गयी है । केवल आलोचना से ही कमियां दूर नहीं होगी, कमियां तो दूर होगी उनको दूर करने से । हमारी जिम्मेदारी है कि हम कमियों को बताये और आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन कमियों को दूर करें । गलतियां हम से भी हो सकती हैं, और आप से भी हो सकती हैं। मैं सुझावों का केवल उत्तर नहीं चाहूंगा, मैं यह चाहूंगा कि जो सही चीज है, उसको कार्यान्वित करें । ताकि प्रदेश के लिये, विभाग के लिये और गरीबों के लिये एक अच्छी बात हो सके । आप इस बात को महसूस करिये कि अभी तक जहां पर वन महोत्सव नहीं हो सकता है, जहां पर आप पेड़ लगाना शुरू करते हैं तो गए मंत्री जी से समय ले लेते हैं, एक पेड़ लगा लिया पंडित जी की पूजा हो गयी और पेड़ लग गये । आप इस परम्परा को बदलें । आप उनसे कहें कि हमें 40 करोड़ पेड़ लगाकर दें और उनको गिनने के बाद ही आगे की योजना बनायें । यदि यह परम्परा रखें तो उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा । एक पेड़ लग गया और वन महोत्सव का उद्घाटन हो गया । एक करोड़ पेड़ नहीं लगे और रिपोर्ट आ गई कि 40 करोड़ पेड़ लग गये । इसलिये इस विषय में मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं ।

श्री गोपीनाथ वर्मा--- (व्यवधान)

इससे पहले तो आप रहे हैं, आपने क्या किया ?

श्री जफर अली नकवी---

मैंने पहले भी कहा था और फिर कहना चाहता हूं कि जब कमियां थीं इसीलिये हम इधर बैठे हैं और जो अच्छी बात थीं उसके फलस्वरूप आप उधर बैठे हैं । यह मैंने स्वीकार किया है । मान्यवर, वनीकरण के सम्बन्ध में जब तक एक आन्दोलन के रूप में उसको नहीं चलायेंगे कालेजों में, स्कूलों में, देहातों में जब तक लोग इसको महसूस नहीं करेंगे कि उन्हें पेड़ लगाने हैं, तब तक आप इस योजना में कामयाब नहीं हो सकते हैं ।

इसके साथ ही साथ आपने स्कूलों में और किसानों को नर्सरी लगाने की बात कही । यह हमारा पुराना प्रस्ताव था । स्थिति यह है कि आज होता कुछ नहीं है । आप गांवों में जाकर देख लें कितने लोगों को इसके लिये पट्टे दिये गये हैं और कितने उन्होंने पेड़ लगाये हैं । आपको वहां पर कोई पेड़ नहीं मिलेगा । इन योजनाओं को आप आगे बढ़ायें । इससे किसानों को, छात्रों को, भूमिहीनों को फायदा पहुंचेगा, उनको लकड़ी मिलेगी । लेकिन स्थिति यह है कि यह योजनायें केवल कागजों पर चल रही हैं ।

इसके अलावा आपने राष्ट्रीय वन नीति की बात कही कि उसमें 33 प्रतिशत वन होने चाहिये लेकिन आपके केवल 17 प्रतिशत ही वन लगे हैं । यह स्थिति कई वर्षों से हम देखते चले आ रहे हैं । इस चीज को हमें गम्भीरता से सोचना चाहिये । जब सैटेलाइट से देखा गया तो मात्र 9-10 प्रतिशत ही आपके वन हैं । इस प्रकार जब 25 प्रतिशत वन नहीं हैं तो पर्यावरण की क्या स्थिति होगी, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं । इसलिये श्रीमन, इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

इसके अतिरिक्त वृक्षारोपण के सम्बन्ध में मुझे कहना है कि अभी दो साल पहले एक सवाल किया गया था कि यूक्येलिप्टिस के कितने पेड़ लगा रहे हैं । पहाड़ों में चीड़ के पेड़ लगा दिये, इसके अलावा वहां कुछ नहीं लगे, इकौलौजी के हिसाब से कौन से पेड़ कहां लगने चाहिये, कहां फलदार पेड़ लगेंगे, सड़कों के किनारे जामुन के पेड़, आम के पेड़, महुये के पेड़ लगा दिये जांय तो उससे राहगीर को भी फायदा पहुंचेगा । ऐसी योजना आप न चलायें जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका न साया हो, न जंगल हो । इस तरफ आप विशेष ध्यान दें ।

आज सबसे महत्वपूर्ण बात हमारे सामने यह है कि आज पेड़ों के जंगलों की कटान हो रही है । यह एक गम्भीर समस्या है जो कभी सम्भलती है और फिर रुकती है और फिर पलट जाती है क्योंकि हम उतने पेड़ नहीं लगा पा रहे हैं जितनी कटान जंगलों की हो रही है ।

अभी आपके पास रिपोर्ट आई होगी बनारस, कुमायूं और बरेली मंडलों में जबरदस्त कटान हुई है जिसकी वहां के लोगों ने शिकायत की है यह वहां के अधिकारियों की मिली भगत से हो रही है । इसकी रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है लेकिन वह मामूली दिखाई गयी है । करोड़ो रुपयों की कड़ी बाहर चली गयी है । जब पेड़ अधिक कटेंगे और कम लगेंगें तो जंगलों का क्या होगा यह चिंता का विषय है ।

इसके साथ ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है हमारे वन मंत्री जी असलम खियां आज यहां पर नहीं हैं उन्हें बताता कि राजाजी पार्क के अन्दर कितना कटान हो

रहा है वहां पर इससे अधिकारी भी परेशान हैं तो वह आज होते तो मैं पूछता कि राजाजी पार्क जिसको राष्ट्रीय पार्क बनाने की घोषणा की गयी थी वहां किस तरह कटान हो रहा है इसी तरह दुधवा नेशनल पार्क में भी यही स्थिति है । हिन्दुस्तान के बाहर जिसका नाम है संसार भर से पर्यटक यहां आते हैं तो वहीं पर पेड़ इस तरह से कट जांय यह चिंता की बात है ।

इसी के साथ मैं अधिकारियों की आपसी खींचतान की एक बात बताना चाहता हूं अभी 29 मई को किसनपुर में रेंज आफिसर ने सागौन के पेड़ काट डाले जिसे वह बाहर ले जाना चाह रहे थे वहां के दूसरे वाइल्ड लाईफ अधिकारी ने उसे रोका तो उसे इतना पीटा गया कि वह अस्पताल में पड़ा हुआ है जिसकी रिपोर्ट आपके पास आ चुकी है । तो आप देख लें कि आपस में अधिकारियों में किस तरह खींचातानी हो रही है । एक पेड़ काट रहा है तो दूसरा उसे रोक रहा है तो उसकी पिटाई हो रही है ।

आपने अन्य जीव के शिकार पर बैन लगा रखा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज भी शिकारी जानवरों को मार रहे हैं । शिकारी रोजाना कितने ही ऐसे पशुओं को मार रहे हैं जिसकी नस्लें गायब हो रही हैं । गत जनवरी में ही टसकर हाथी जिसके दांत बड़ी मुश्किल से मिलते हैं मंत्री जी के क्षेत्र में दो हाथी मारे गये । राजाजी पार्क में दो टसकर हाथी मारे गये । यह वन मंत्री जी के क्षेत्र में हो रहा है तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है ? इस हाथी के दातों की विदेशों में बहुत कीमत है । तो इस प्रकार वाइल्ड लाइफ का हम कैसे प्रोटेक्शन करेंगे ?

इसी प्रकार दुधवा नेशनल पार्क से मरे हुये शेर की हड्डी पाई गई है, शेर की खालों की स्मगलिंग हो रही है । इस बात को आपको देखना होगा कि इस किस्म की घटनायें क्यों हो रही है ? राजाजी पार्क और दुधवा नेशनल पार्क से हाथी के दातों की और शेर की खालों की स्मगलिंग हो रही है ।

मैं कुछ प्रशासनिक मामलों की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । गोरखपुर में सोनौवरवा सैंचुरी है वहां का जो वाइल्ड लाइफ अधिकारी है वह गोंडा में पोस्टेड है 150 कि0 मी0 दूर उसकी पोस्टिंग है वहां से वह सप्ताह में एक बार जाता है जिससे वहां अवैध शिकार हो रहे हैं । इस प्रकार सैंचुरी बनाने से कोई फायदा नहीं होता है ।

मान्यवर, वाइल्ड लाईफ के संबंध में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कस्तूरी मृग बहुत है, जो बहुमूल्य है लेकिन आज वह बहुत कम रह गये है क्योंकि इन हिरनों को मारकर कस्तूरी निकालकर बाहर भेजी जा रही है और तस्करी करके लोग करोड़ों रुपये पैदा कर रहे हैं, इसलिये अनुरोध है कि इसको बचाने का सरकार प्रयास करें क्योंकि इसे बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया है ।

मान्यवर, वाईल्ड लाईफ के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं लेकिन समया कम है इसलिये संक्षेप में कहना चाहता हूं कि वाइल्ड लाईफ मैनेजमेन्ट जो है इसका सब-कैडर बनाया जाना चाहिए और इसे अलग होना चाहिए । वाइल्ड लाइफ में अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है लेकिन वह कुछ समय बाद सामाजिक वानिकी या कारपोरेशन में चले जाते हैं । इसी प्रकार वर्ल्ड बैंक ने 200 करोड़ रुपये दिये सामाजिक वानिकी में और लालचवश होकर वाइल्ड लाईफ के अनेक प्रशिक्षित अधिकारी उसमें

चले गये । ऐसी स्थिति में अनुरोध है कि वाइल्ड लाईफ का अलग सब कैडर बनाकर इसे प्रोटेक्ट करें ।

सान्यवर, इसी के साथ मैं मंत्री जी से और अन्य मा0 सदस्यों से पूछूं कि हमारे प्रदेश का राज्य पक्षी, पशु, फूल तथा वृक्ष कौन है, तो नहीं बतला सकते हैं यह शर्म की बात होगी ? मान्यवर, मैं बतलाना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश का पशु पार्क में बारहसिंघा, पक्षी सारस और फूल ब्रह्मकमल और वृक्ष अशोक घोषित किया गया है । इसकी जानकारी बच्चों, विद्यार्थियों और अधिकारियों को होनी चाहिये । मान्यवर, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि प्रदेश के दुधवा पार्क में बारहसिंघा की संख्या 3 हजार से घटकर 700 रह गयी है और वह भी घटती जा रही है । इसलिये इस पर विचार करने की जरूरत है ।

मान्यवर, वनों के संबंध में जो बात कही गयी है, इस संबंध में बताना चाहता हू कि कुमायूं और गढ़वाल डिवीजन में आग इतनी वनों में लग रही है कि उनको बुझाने वाला कोई नही है । पुराने जमाने में वहां रहने वालों को विभाग के लोग अपने परिवार का सदस्य मानते थे और वहां के निवासियों को हक और हकूक मिलते थे । लेकिन अब नये नये अधिकारी पहुंचकर वहां के निवासियों को मारते पीटते हैं और उनको उनके हक हकूक से भी वंचित किया जाता है, इसलिये जंगलों में आग लगने पर गांव के लोग अब आग बुझाने नहीं जाते हैं जबकि पुराने जमाने में गांव के लोग जंगल में आग लगने पर बाल्टियां पानी की लेकर आग को बुझा देते थे। मारने पीटने से गांव के लोग दुश्मन हो गये हैं, इसलिये जंगल की आग बुझाने वाला अब कोई नही है । इसलिये आग जंगलों की बुझाना है तो पहाड़ पर रहने वालों को हक हकूक देना होगा ।

मान्यवर, जंगलों की आग बुझाने के लिये हलद्वानी स्थित फायर फायटिंग यूनिट में हेलीकाप्टर रखा गया है, इस पर विभाग एक करोड़ रुपया खर्च करता है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस हेलीकाप्टर का उपयोग अब दूसरे कामों में होता है और आग बुझाने में उसका उपयोग नहीं होता है--- ।

आपने कभी सुना हो तो बता दीजिये, जब हेलीकाप्टर मांगा ही जंगल की आग बुझाने के लिये । इस तरह से प्रदेश का पैसा खत्म होता है तो इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिये और इसे कायदे से देखना चाहिये ।

अब मैं प्रशासनिक शिथिलता पर आपसे दो-एक बाते कहूंगा, यह मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूं । जो प्रशासन आज जंगल विभाग को चला रहा है, उसमें पहले मंत्री तो गजेटेड अफसरों तक के आदेश करते थे, लेकिन आज रेंज आफिसर्स और बाबुओं तक के आर्डर मंत्री जी द्वारा किये जा रहे हैं । जब करप्ट रैंज अफसरों और बाबुओं की पोस्टिंग और ट्रांसफर मंत्री करेगा, तो आप समझ सकते है कि विभाग से भ्रष्टाचार कैसे बच सकता है । तो जिसको जो अधिकार है, वह उसी के पास रहने दीजिये । और उसे उसी के अनुसार कार्य करने दीजिये । आप अपने काम तक ही सीमित रहे, छोटे-मोटे कामों में हाथ डालकर अपने हाथों को गंदा न करें । न किसी का अधिकार घटाया जाए न किसी का अधिकार बढ़ाया जाए। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितने अधिक तबादले आपके जंगल विभाग में किये गये हैं, इसके टी0 ए0 में हम जाएं तो आपके विभाग का दिवाला ही निकल जाएगा । इस प्रशासनिक तरीके से धांदलबाजी मची

हुई है और आपको अच्छे अधिकारी भी न मिले, तो ऐसा करने से क्या लाभ हुआ । आपने अपनी सीधी भर्ती के 40 अधिकारियों को डी0 एफ0 ओ0 बनाया है, जिनमें से बहुत से अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है और वह अधिकारी पी0 एफ0 एस0 हैं, जिनको आपने प्रदेश सौंपा है । आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वह अच्छी तरह से इसका संचालन कर सकेंगे । कम से कम 30 अधिकारियों के खिलाफ जांच अवश्य चल रही है । इस तरह से आप स्वच्छ प्रशासन नहीं दे सकते हैं। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, खीरी के अन्दर जो कंजरवेटर आफिस था, उसका बहुत पहले बनारस तबादला कर दिया था, जिसके सम्बन्ध में मैंने पत्र लिखा था कि खीरी से उसका तबादला बनारस करना ठीक नहीं है । तो आज तक भी आदमी बनारस नहीं गया है । तबादले के बाद भी आप उसको वहां से हटा नहीं सके हैं । इस सम्बन्ध में मेरा आपसे निवेदन है कि खीरी के कंजरवेटर अफसर की पोस्टिंग बनारस को की है, उसको खीरी में ही रखें, नहीं तो आपके जंगल बराबर घटते रहेंगे । इसी आधार पर मैं एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं, जो बहुत ही विशेष बात है । मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं । सुझाव दे रहा हूं । क्योंकि आपकी कमियां बताना हमारी जिम्मेदारी है। यू0 पी0 प्रोटेक्शन आफ दी इन रूरल एण्ड हिल एरियल जो कि 1976 में बना था, उसके सिलसिले में मुझे आपसे निवेदन करना है कि शहरी क्षेत्र में यह लागू नहीं हुआ । मुझे जो बताया गया है, माननीय मंत्री जी इस एक्ट को शहरी क्षेत्र में लागू करने के लिये राजी नहीं हैं । इसका कारण यह हैं कि उनके दोस्तों के बागान लीची के शहर में हैं । वह यह चाहते हैं कि उनके आदमी बागों से अपनी फसल काट लें तब यह लागू हो। परन्तु केन्द्रीय मंत्री ने उसके बारे में लिखा है कि यह जरूर लागू होना चाहिये ।

भारत सरकार और प्रदेश सरकार के मंत्रियों में तालमेल नहीं है । प्रदेश सरकार के लिये जो योजनायें बनती हैं वह भारत सरकार से बनकर आती हैं । तो यह जो मंत्रियों का झगड़ा है उसे आप सुलझाइये । मैं केवल इतना बताना चाहता हूं कि चुनाव के बाद से भारत सरकार ने जो भी योजनायें बनाई वह ठप पड़ी हैं और आपको नहीं गिना रही है । मैंने अखबार में पढ़ा. मुझे बहुत खेद हुआ । मान्यवर, जब सरकार का सम्मान गिरता है, तो जनता का भी सम्मान गिरता है । बहुत बड़ी प्रशासनिक जिम्मेदारी आज आप पर आयी है । मुख्यमंत्री जी इसको तय करें । दो तीन बातें और कहना चाहता हूं । मान्यवर, वनों के संबंध में 1980 का जो इण्डियन फारेस्ट एक्ट है, उसके तहत योजनाएं कार्यान्वित नहीं हो पा रही हैं । क्योंकि जब भी पहाड़ पर पुल बने, सड़क बनें, कुंए बनें, नल लगें तो सामने वन का कुछ भाग अवश्य आ जाता है । मेरा सुझाव है कि जब तक भारत सरकार प्रस्ताव पास न कर दे जब तक प्रोजेक्ट रिपोर्ट न बनायें ।

श्री शारदानंद अंचल---

मान्यवर, कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये बहुत अच्छी-अच्छी बातें और सुझाव माननीय विधायक जी दे रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जब आप मंत्री थे तो यह सुझाव कहां थे और आपको क्यों हरा दिया गया ?

श्री जफर अली नकवी---

मैं समझता हूं कि बार-बार कहने की आवश्यकता नहीं है । मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, निवेदन कर चुका हूं और सारे सुझाव लिख चुका हूं और

जितनी भी बातें मैंने कहीं है मैं उसी को फिर से दोहराता हूं । 1980 एक्ट के अन्तर्गत मेरा आपसे इतना ही कहना है कि जब तक भारत सरकार से आपका प्रस्ताव पास न हो जाय तब तक आप कोई योजना न बनायें । आपने जो विशेष खाद्य कार्यक्रम चलाया है उसको पहाड़ों में छोड़कर 12 जिलों में चलाया गया है और बाकी जिलों में नहीं चलाया गया है । उसे आप पूरे प्रदेश में चलाइए । यह एक अच्छा प्रोग्राम है और इससे मजदूरों को फायदा होगा । जहां तक आपने वन निगम की बात कही है तो वन निगम का यह उद्देश्य था कि वह अवैध कटान को रोके । लेकिन वन निगम ने उसे रोका नहीं बल्कि वह अवैध कटान करा रही है । उनको आप रोकिये यदि ऐसा होगा तो बहुत फायदा हो सकेगा ।

मान्यवर, लकड़ी के बेचने के लिए जो बोली बोली जाती है डिपो में उसमें भी गड़बड़ियां होती है । जो माल 5-6 करोड़ रुपये का होता है वह एक करोड़ रुपया में बिक जाती है क्योंकि कुछ बोली लगाने वाले लोग दूसरों को बोली लगाने नहीं देते है। यह एक प्रशासनिक मामला है । आप इस संबंध में एडमिनिस्ट्रेटिव कदम उठायें ताकि जो लकड़ी है उचित दामों पर बिक सके और सरकार को नुकसान न हो । इन शब्दों के साथ मैं अपना कटौती का प्रस्ताव रखता हूं और कहना चाहता हूं कि बजट की राशि कम करके एक रुपया कर दी जाय । मैंने जो सुझाव दिए है उन पर आप अमल करें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी माननीय वन मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव रखे थे उस पर माननीय सदस्य नकवी साहब ने कटौती का प्रस्ताव रख रहे थे । मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन सारी चीजों, जिनको वह अपने समय में नहीं कर सके थे यहां सुझाव के रूप में रख दीं । वह अपने समय में इन चीजों को नहीं कर पाये, उनकी कौन सी मजबूरी थी यह मैं नहीं जान पाया । इन्होंने कोई उपाय न बताकर केवल प्रश्नों को यहां पर रखा है । चूंकि समय कम है इसलिए मैं बजट के समर्थन में 2-4 सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, मेलों के मामले में मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि खिलाड़ियों का चयन विस्तृत रूप से करना चाहिए । चूंकि आप कुछ लोगों के बीच से खिलाड़ी छांटते है इसलिए आपको अच्छे खिलाड़ी नहीं मिल पाते है । इसलिए खिलाड़ियों का चयन बड़े पैमाने पर किया जाय और इस तरह से जो खिलाड़ी आपको मिलेंगे उनको प्रोत्साहन और प्रशिक्षण देकर अच्छा खिलाड़ी बनाया जा सकता है । आपका खेलों का जो दायरा है वह बड़े-बड़े शहरों तक सीमित है । बड़े-बड़े शहरों में स्टेडियम और प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है इसलिए गांवों के लोगों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता है । मिसाल के तौर पर अगर आप तैराकी के मामले में नदी के किनारे रहने वाले लोगों में से तैराकों को चयन करें तो आपको बेहतर तैराक मिल सकते है । जबकि बनारस, दिल्ली के स्टेडियमों के बजाय वह लड़के जो नदियों के किनारे रहते है और शौक तौर से है वह अच्छे तैराक हो सकते है । मैं चाहूंगा कि इन लोगों में से अगर तैराक चयन करें तो आगे चलकर वह प्रदेश का नाम रोशन कर सकेंगे । आपने कुछ जिलों में स्टेडियम बनाए है लेकिन वह बेकार पड़े हुए है । वहां पर जो प्रशिक्षण देना चाहिए वह नहीं दिया जाता है । मैं आपकी आलोचना नहीं करूंगा क्योंकि अभी 4 महीने ही आपको हुए है और 4 महीनों में इतना ही किया जा सकता है । आपका जो स्टेडियम सिस्टम है उसको गांव स्तर तक ले जायें । मैं सुझाव दूंगा कि हर ब्लाक मुख्यालय पर आप प्रशिक्षण की बेहतर स्तर पर व्यवस्था करें और ग्रामीण खिलाड़ियों को छांटें । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि गांव के लोग अच्छे खिलाड़ी हो सकते है यदि उनको पौष्टिक आहार मिले । गांव के लोगों को शहरों के लोगों की अपेक्षा पौष्टिक आहार न मिलने के कारण जो उनकी शारीरिक क्षमता होनी चाहिए वह नहीं हो पाती है । आपसे

मेरा निवेदन है कि ग्रामीण अंचलों में से ऐसे लोगों का चुनाव कराइगे और उनके लिए पौष्टिक आहार तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करायें ताकि वह अच्छे खिलाडी बन सकें । गांव के जो खेल हैं जैसे कबड्डी आदि वह आपकी लिस्ट में नहीं है तो ऐसे खेलों को भी आप प्रोत्साहित करें ।

एक सदस्य–

गांव के 2-4 खेलों को आप बताइए ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आपको पता है, आपने बहुत खेले होंगे । तो मान्यवर, संक्षेप में मैं यह कहना चाहता हूं कि गांव के खेलों की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए । मान्यवर, अब मैं वनों के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । जब नकवी जी वन मंत्री थे तो मैं उनसे कहा करता था कि आप यूकिलिप्टस को क्यों लगवाते हैं । आप इसलिए यूकिलिप्टस लगवाते हैं कि आप यूकिलिप्टस जैसे हैं इसलिए आप यूकिलिप्टस ज्यादा पसंद करते हैं ।

मान्यवर, पर्यावरण की जो समस्या है, वह यूकिलिप्टस से हल नहीं होगी, उसके लिए दूधदार वृक्ष जैसे---पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर आदि लाभदायक होंगे । सड़क के किनारे जो किसानों का खेत पड़ता है, वहां पर नहरों के किनारे चौड़े-चौड़े मेड़ बनाए जाते हैं, अगर वहां पर ऐसे-ऐसे पेड़ लगाये जायं, तो उससे काफी लाभ होगा । यूक्लिप्टस के वृक्षों की अपेक्षा आम के पेड़ से हमें ज्यादा लकड़ी मिलती है और हमें फल भी मिलता है । अगर 10 यूक्लिप्टस के पेड़ काट डालिए, उससे उतनी लकड़ी नहीं मिलेगी, जितनी कि एक आम के पेड़ से मिलेगी । मान्यवर, सामाजिक वानिकी विभाग के बारे में जितना भी सुझाव दिया जाय, वह कम है । हमने पंतनगर में सुझाव दिया था कि आप यह पता लगाइए कि आक्सीजन हमें किस वृक्ष से ज्यादा मिलता है । माननीय नकवी साहब ने जंगलों में शिकार के बारे में जिक्र किया । मान्यवर, जो कानून से पर अपने को समझते हैं, उनको कानून के दायरे में वह लाना नहीं चाहते हैं । मान्यवर, हमारे गोण्डा का जो इलाका है, उसको आप बन बिहार बनवाइए, और हमारे जिले में एक स्टेडियम बनवाइए ।

श्री शेख मोहम्मद सुलेमान---

मान्यवर, , मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का मौका दिया । मान्यवर, जैसा कि बजट के ऊपर चर्चा चल रही है, इसके बारे में मैं कोई आलोचना नहीं करना चाहता, बल्कि सुझाव के रूप में कुछ चीजें सरकार के सामने रखना चाहता हूं । मिसाल के तौर पर आज से लगभग 15 साल पहले तनहा-तनहा अकेले बन विभाग से बन निगम बनाया गया और उसके बाद सामाजिक वानिकी, शोसल फारेस्ट बनाया गया । पहले ओपेन लकड़ी नीलाम हुआ करती थी और डी0 एफ0 ओ0 जंगल कटवाकर ठेकेदारों से लकड़ी नीलाम करवाते थे । मान्यवर, ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दी गई और वन निगम बना, वन निगम अपनी मर्जी के मुताबिक जनरल छपवा कर खुद बेंचता है । मेरा सुझाव है कि इसमें तनहा-तनहा सरकारी कर्मचारियों की मनोपली है, जैसा वह चाहता है, वैसा ही वह करता है । इसमें मेरा सुझाव है कि सारे के सारे जंगल वन निगम के माध्यम से न बेंचकर, इसमें इस तरह का प्रतिशत पैदा किया जाय कि छोटे हुए जंगल 60 प्रतिशत वन निगम को दिए जायं ।

और 40 प्रतिशत जंगल खुले नीलाम में रखिए और वहां वन निगम को आमंत्रित करिए और ठेकेदारों को भी आमंत्रित किया जाये । माननीय मंत्री जी मेरी बात सुने । यह जो नीलाम का मामला है इसके बारे में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप टोटल जंगल जो है वह वन निगम को बेचते हैं । मेरा सुझाव है कि ठेकेदारों को भी आमंत्रित किया जाय और वन निगम को भी आमंत्रित किया जाय, जो ज्यादा बोली बोले उसी के नाम पर जंगल छोड़ा जाय ताकि विभाग को और लाभ हो । जैसा कि शीसल फारेस्ट के बारे में अभी चर्चा चल रही थी उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि रेलवे की दोनों पटरियां, नहरों की दोनों पटरियां और पी0 डब्ल्0 डी0 की सड़क के किनारे लाखों एकड़ जमीन अभी भी बेकार पडी है अगर इसमें सामाजिक वानिकी में कर्मचारियों की तादाद बढ़ाई जाय और तादाद बढ़ाई जाने के बाद रेलवे की पटरियां, नहर की पटरियां, ग्राम समाज की भूमि पर अगर पेड़ लगाए जांय तो सरकार को बहुत लाभ होगा और जहां तक वनों के अन्दर रहने वाले वन गूजरों का सम्बन्ध है, मैं उसकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । यह वह लोग हैं जो बहुत गरीब और बेसहारा लोग हैं और सदियों से वनों में रहते चले आ रहे हैं । उनका मुख्य पेशा भैंस चराकर अपना जीवन यापन करना है ।

लेकिन 40 साल आजादी के बाद आज भी वन विभाग की तरफ से वन गूजरों को कोई सविधा नहीं दी गई है । मेरी सरकार से मांग है कि जहां-जहां यह लोग वनों में रहते हैं उनको खेती करने के लिए थोड़ी-थोड़ी जमीन जरूर आवंटित की जानी चाहिए ताकि यह अपने जानवर पालकर, भैंस पालकर उस जमीन में चारा उगाकर उनको खिला सकें, और अपने बच्चों का पालनपोषण कर सकें । मान्यवर, उनके बच्चों को पढ़ाने का कोई इंतजाम नहीं है । मेरा सुझाव है कि वन गूजर जहां-जहां भी रह रहे हैं उनके बच्चे आज भी बिल्कुल कबालियों और आदिवासियों की तरह रहते हैं इसलिए उनकी तालीम का इंतजाम होना चाहिए । दूसरा सुझाव यह है कि जहां-जहां वनों के किनारे आबादी है वहां एक सुरक्षा पट्टी बनानी चाहिए क्योंकि लकडी की चोरी बहुत बडे पैमाने पर हो रही है, यह सुरक्षा पट्टी बनाकर चौकियां बनाई जायं, बार्डर पर चौकियां बनाई जाय तो लकडी की चोरी को बहुत आसानी से रोका जा सकता है और सरकार को इससे लाभ होगा । दूसरे हिरन, चीतल, पाड़े, काकड़, मोर आदि हमारे जानवरों और पक्षियों का अवैध रूप से शिकार हो रहा है, सरकार को इसे रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए और खास तौर से यह शिकार जंगलात जो शहर की आबादी से लगे हुए हैं उन आबादियों के किनारे वाले इलाके में बहुत बड़े पैमाने पर यह शिकार हो रहा है जिससे जानवरों की तादाद घटती चली जा रही है ।

अगला सुझाव यह देना चाहता हूं कि जहां जहां वन विभाग के किनारे आबादी है वहां बड़े-बड़े सामंतों और जमींदारों ने हजारों हजारों एकड़ जमीन जंगलात की नाजायज तरीके से कब्जा कर रखा है तो इसका कोई खसरा नं0 होना चाहिए, इसकी कोई खतौनी होनी चाहिए, इसका परिसीमन होना चाहिए और बड़े-बड़े जमींदारों और सामंतों से उसका कब्जा हटाकर उसका प्लांटेशन होना चाहिए जिससे सरकार को लाभ हो । मैं इसके साथ ही अपनी बात खत्म करता हूं ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, खेल से जहां शारीरिक विकास होता है, वहीं मानसिक विकास भी जुड़ा हुआ है । मान्यवर, इस नयी लोकप्रिय सरकार का यह बजट, जिसमें खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स किट का प्राविधान है, इससे सभी खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा हुआ है । मान्यवर, हाई स्कूल और इण्टर कालेजों में खेल की व्यवस्था इस बजट में की गई है । इस बजट में हाकी के खिलाड़ियों के लिए एस्ट्रो-टर्फ से खेलने की व्यवस्था की गई

है जिससे हाकी खिलाड़ियों का मनोबल ऊंचा हुआ है । मान्यवर, स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ में जहां खेल की उत्तम शिक्षा दी जाती है, वहीं इसी के साथ-साथ इस वर्ष स्पोर्ट्स कालेज का रिजल्ट भी शत प्रतिशत रहा है, जहां 40 में से सभी विद्यार्थी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं । मान्यवर, मैं पिछली कांग्रेस सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता लेकिन आज इस बजट से इस प्रदेश के खेल जगत में प्रदेश के खिलाड़ियों का मनोबल बहुत ऊंचा हुआ है ।

इस लोकप्रिय सरकार ने अब खिलाड़ियों की डाइट की व्यवस्था में पहले जो 16 रुपया दिया जाता था, उसे बढ़ाकर 25 रुपया कर दिया है । पिछली सरकार केवल वाहवाही लूटती थी, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी ने खिलाड़ियों के लिए 25 रुपये डाइट करके लोकप्रिय और जनकल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है । जहां तक वनों का प्रश्न है, मान्यवर, इसमें ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान दो एकड़ तक पौध लगाते हैं, उनको उस दो एकड़ का पट्टा कर दिया जायगा । इसलिए इस सरकार के इस बजट का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं ।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खेल विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, अभी खेल मंत्री महोदया ने बहुत कुछ कहा और हमारे नकवी साहब, जो भूतपूर्व हैं, उन्होंने अपना तमाम पुराना दर्द दिखाया और जो अरमान पूरे नहीं हुए, उनको बताया । मान्यवर, अभी जो बजट पढ़ने को मिला, मंत्री महोदया ने बताया कि 30 करोड़ के लगभग बजट है, जबकि आबादी 12 करोड़ है । इस प्रकार से ढाई रुपया प्रति व्यक्ति खेल पर खर्च हुआ, तीन रुपया रख लीजिए । तो मान्यवर, इतना बड़ा प्रदेश है, वह आबादी के हिसाब से हमारे देश का सबसे बड़ा प्रान्त है ।

और वैसे भी बड़ा प्रांत है, जिस हिसाब से केरल में खेल विभाग पर बजट बनता है और दूसरे बजट बनते हैं इस हिसाब से देखा जाय तो जहां तहां 12 करोड़ की आबादी है वहां जो बजट है वह बिल्कुल ऊंट के मुंह में जीरे के समान है । आज 40-42 साल हो गए हैं । रिजल्ट गाड़ी तो चल रही है लेकिन बेक गियर में चल रही है आगे नहीं चल रही है । यहां के0 डी0 सिंह बाबू हुए और दूसरे भी महान खिलाड़ी हो गए लेकिन अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो मेरे ख्याल से प्रदेश का कोई भी अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इस समय प्रदेश में नहीं है । एक बेडमिंटन का खिलाड़ी था भी उनकी हत्या कर गई आज तो शायद बिल्कुल कोई नहीं है । इस प्रदेश में एक केरल स्पोर्ट्स कालेज है जहां 12 करोड़ आबादी है इतनी बड़ी आबादी में 2 कालेज यह बिल्कुल समझ के बाहर की बात है आज इतने सालों के बाद भी जो प्रदेश और देश की स्थिति बनती है चाहे ओलम्पिक के खेल हों या एशियाड के खेल हों उसमें छोटे-छोटे देश जो हमारे प्रदेश की 1/4 भी नहीं है तमाम गोल्ड मेडल ले जाते हैं । हम लोग रात दिन टी0 वी0 पर देखते रहते हैं इंतजार में रहते हैं परन्तु प्रदेश का कोई खिलाड़ी मेडल नहीं ला पाता है । केरल में पी0 टी0 उषा ने नाम कमाया, हमारे यहां कोई महिला नहीं है । दूसरी जगहों के भी एथलीटस हैं लेकिन हमारे यहां कोई नहीं है । वहां उसी हिसाब से प्रोत्साहन भी दिया जाता है ।

श्री अध्यक्षता–

अब समाप्त करें ।

श्री राम कुमार शुक्ल-

लखनऊ इतना बड़ा शहर है, यह प्रदेश की राजधानी है, यहां का स्पोर्टस स्टेडियम इतना पुराना है और उसकी जो क्षमता है वह बहुत कम है। यहां एक अति आधुनिक स्टेडियम की जरूरत है। लखनऊ जैसे राजधानी क्षेत्र में एक बड़ा आधुनिक स्टेडियम होना चाहिए। अब यहां बरसात के दिन है यहां की स्थिति यह है कि कोई खेल नहीं होगा सुविधा नहीं है, रात में कोई खेल नहीं हो सकता है। यहां एक अति आधुनिक पूर्ण क्षमता का स्टेडियम बहुत ही आवश्यक है। इतना बड़ा प्रदेश है स्टेडियम 39 हैं, एक जिले में एक का भी औसत नहीं है, निर्माणाधीन 16 हैं इनको मिला जाय तब भी कुल 55 ही होते हैं। तहसील उद्देशीय क्रीडा स्थल 8 हैं, यहां 60 जिले हैं, 8 ही बनाए गए हैं, निर्माणाधीन 21 बताए गए हैं, तरणताल केवल 3 हैं अब हम तैराकी में कैसे आगे आ पायेंगे ? 40-42 साल के बाद भी प्रदेश में कुल 3 ही तरणताल हैं निर्माणाधीन 7 हैं यह संख्या बहुत कम है। इस हिसाब से अभी तक हम जिले तक नहीं पहुंच पाये हैं तहसील स्तर पर ब्लाक स्तर पर तो सवाल ही नहीं है। यह कहा जाता है कि यह गांव की सरकार है पूरे बजट को आप देखें जो कुछ किया जा रहा है शहर के लिए ही होगा, गांवों के लिए इसमें क्या है मेरा निवेदन है कि खेलों की जितनी सुविधा हो सके बढ़ाई जानी चाहिए गांवों में ब्लाक स्तर पर इन सुविधाओं को पहुंचाया जाना चाहिए और यह बजट बढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह का बजट लाया जाना चाहिए ताकि उसमें ग्रामीण खिलाड़ियों को भी आगे लाया जा सके। मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। प्रदेश में जो खिलाड़ी हैं उनके मां बाप उनको नकारा समझते हैं क्योंकि नौकरी आदि में उनको दिक्कतें आती हैं उनको नौकरी में प्राथमिकता दी जानी चाहिए अगर वे रोजगार पायेंगे तो उनके मां बाप उनको नहीं टोकेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें और सदस्य भी बोलना चाह रहे हैं।

श्री राम कुमार शुक्ल–

जो जिला स्तर पर प्रदेश स्तर पर खिलाड़ी हैं उनको मासिक भत्ता या वेतन दिया जाना चाहिए। यह मेरा अनुरोध है। प्रदेश स्तर से ऊपर और अधिक आर्थिक सहायता की जरूरत है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें।

श्री भोला पाण्डेय–

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

पहले माननीय सदस्य को बोल लेने दीजिए, मैं उनको पुकार चुका हूं।

***श्री राम छबीला–**

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट चर्चा में बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं कहना चाहता हूं कि खेलों के मामले में पुरानी सरकार ने अपनी गलत नीति के कारण उसका पूरा शहरीकरण कर दिया, क्योंकि प्रतिभायें गांवों में पैदा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्विचार नहीं किया।

होती है और उनको मौका नहीं मिल पाता कि वह राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा को उजागर कर सकें । इसलिए केवट जाति के लड़कों को तैराकी में, नट जाति के लड़कों को जिमनास्टिक में तथा आदिवासी लड़कों को तीरंदाजी में बचपन से ही सरकार की तरफ से प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि आगे चलकर वह अपनी प्रतिभा का पूरी तरह से प्रदर्शन कर सकें और देश का नाम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर तथा प्रदेश का नाम राष्ट्रीय स्तर पर रोशन कर सकें । इसी प्रकार वर्तमान समय में अन्तर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय खिलाड़ियों को जो सुविधा मिलनी चाहिए, वह पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण नहीं मिल पा रही है, अतः इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि देवरिया जिले में चूड़िया गांव में पैदा हुए आर0 पी0 सिंह, जो आज अन्तर्राष्ट्रीय जगत की हाकी में इस देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उनको भी जो सुविधा मिलनी चाहिए, वह आज सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है, इससे खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है । मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में यदि खिलाड़ियों को पर्याप्त प्रोत्साहन और मौका नहीं मिला, तो हमारा देश और प्रदेश अन्तर्राष्ट्रीय खेल जगत में पीछे रह जायेगा । जहां तक शक्ति का सवाल है, किसी देश की शक्ति, हैसियत इसी से नापी जाती है, और आज हम पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण दुनिया के नक्शे में बहुत पीछे हैं ।

मान्यवर, वनों के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में भी पिछली सरकार की गलत नीतियों के कारण आज वनों का काफी ह्रास हुआ है और जंगलों में काफी कमी आई है । वन और पेड़-पौधे हमारे लिए अनुकूल वातावरण बनाते हैं । पिछले दिनों काफी बड़ी संख्या में पेड़-पौधे काटे गए हैं, जिससे जो वातावरण होना चाहिए वह नहीं रह गया है । हमारी सरकार जो बजट लाई है, उससे वनों का काफी विकास होगा । अन्त में मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं ।

(अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं एक-एक करके सभी सदस्यों को बुलवाऊंगा । आप लोग बैठें ।

श्री भोला पाण्डेय–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । जो खेल मंत्री महोदय हैं, सौभाग्य से वही वन मंत्री भी हैं, जिस पर आज बजट रखा गया है । जो लोग उधर बैठे हैं, वह लोग केवल आउटडोर गेम के समर्थक हैं, लेकिन जो लोग इधर बैठे हैं, वह लोग आउटडोर तथा इन्डोर गेम दोनों के समर्थक हैं, अतः इधर से लोगों को बोलने का ज्यादा मौका मिलना चाहिए ।

श्री शकबाल हसन उर्फ अकबाल हुसैन–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं । मान्यवर, माननीय नकवी जी द्वारा जो बजट में कटौती का प्रस्ताव यहां रखा गया है और उसमें जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये गये हैं उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, खेल विभाग के बारे में अभी बहुत सी बातें कही गई । मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज हमारे प्रदेश का और हमारे

देश का खेल का स्तर बहुत गिर गया है । यह वही उत्तर प्रदेश है जहां से ध्यानचंद, रूप सिंह, मीना शाह और के0 डी0 सिंह बाबू जैसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने ओलम्पिक में बहुत नाम कमाया । मान्यवर, आज हमारे प्रदेश के खेल का स्तर बहुत गिर गया है चाहे वह हाकी का मैदान हो, क्रिकेट का मैदान हो या फुटबाल का क्षेत्र हो । आज कोई भी ऐसा खेल नहीं है जिसमें इस प्रदेश के खेल का स्तर ऊंचा हो ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से खेल के स्तर को ऊंचा करने के लिए कहना चाहता हूं कि इनके लिए सबसे पहले प्रतिभाओं को खोजना होगा । इन प्रतिभाओं की खोज तो शहरों में होती ही है इसके साथ हमें ग्रामीण अंचलों में भी इन प्रतिभाओं की खोज करनी होगी । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि सभी मुख्यालयों पर तो स्पोर्टस होस्टल नहीं खोले जा सकते हैं । लेकिन मान्यवर, जहां जिला स्तर पर स्पोर्टस आफीसर्स मुकर्रर किए गए हैं वहां पर स्पोर्टस होस्टल की व्यवस्था की जाय जिससे वहां पर हाकी, क्रिकेट, बैडमिन्टन और टेनिस के खेल खेले जा सकें और खेल के स्तर को ऊंचा किया जा सके । मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे विधायकों को और बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं लेकिन जिन लोगों को खेल में ज्यादा रूचि है जो बैडमिन्टन खेलना चाहते हैं, टेनिस खेलना चाहते हैं, तैरना चाहते हैं । मान्यवर इसकी सुविधायें विधायकों को नहीं दी गई हैं । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि विधायक निवासों में बेड-मिन्टन और टेनिस जैसे खेल खेलने की सुविधा उपलब्ध कराई जाए ।

मान्यवर, जहां वन विभाग का सवाल है, मान्यवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह एक महत्वपर्ण विभाग है और इससे हमारे प्रदेश को बहुत ही राजस्व उपलब्ध होता है । कम से कम अरबों रुपये वन विभाग से हमारे प्रदेश को मिलता है और वन विभाग में मान्यवर जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । वन विभाग का काम इस समय वन निगम के द्वारा किया जा रहा है हमारे जनपद गोण्डा में उत्तरी वन प्रभाग वन विभाग के द्वारा जो कटाव का काम किया गया है । आज भी वह लकडी उस क्षेत्र में ऐसे ही पडी हुई है उनको लाटों में नहीं लाया गया है । बरसात शुरू हो गयी है । वहां की जो पहाड़ी नदियां हैं उनमें बाढ़ आती है । आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि गोण्डा के वन निगम विभाग में चोरी की समस्या बहुत है । यह लकड़ी जो यहां पड़ी है वहां के अधिकारियों द्वारा कह दिया जायेगा कि वह बाढ़ में बह गई । मुगलसराय और वाराणसी में वर्ष 1987-88 और 1988-89 में विभिन्न क्षेत्रों में मान्यवर 20 लाख रुपये का घपला किया गया था । एक वन रेंज0 अधिकारी ने 20 लाख रुपये का घपला किया । तो उसके सम्बन्ध में जांच अधिकारी ने जांच की और उसके सम्बन्ध में यह कहा ।

वहां के अधिकारी श्री गिरीश चन्द्र जी गये । उन्होंने अपने पत्र संख्या-62/246 दिनांक 4-5-89 के जरिये यह आदेश दिया कि उस वन रेंज. अधिकारी का स्थानान्तरण करके उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करके मुकदमा चलाया जाय । लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । मेरी सरकार से मांग है कि ऐसे दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के खिलाफ अवश्य कार्यवाही की जाय ।

***श्री मंत्री प्रसाद नैथानी---**

माननीय अधिष्ठता जी, खेल और वन के बजट पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । खेल व वन विभाग के बजट के पक्ष में मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारे सरकार के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो यहां पर बजट प्रस्तुत किया है, यह बजट खेल के मामले में बहुत ही सराहनीय व प्रगतिशील बजट है । साथ ही वन के मामले में जो बजट माननीय मंत्री जी ने यहां पर प्रस्तुत किया गया है, यह बजट पिछली सरकार के बजट से बहुत ही अच्छा, विवेकपूर्ण तथा जनता के जीवन को सुखी बनाने के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही उत्तम बजट है । मैं इस बजट के पक्ष के सन्दर्भ में कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं । वनों के संबंध में जो वन नीति बनाई गई है, उसमें मुख्य रूप से हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी समस्या आ गई है । पिछली सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 जो बनाया, उससे पहाड़ों के विकास के कार्य सारे ठप्प हो गये हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि इस वन अधिनियम को लचीला बनाया जाय ताकि हमारे यहां योजनाओं का कार्यान्वयन सुचारू रूप से हो सके और उन्हें गति मिल सके । दूसरा, सुझाव यह है कि हमारे यहां जो वृक्षारोपण का कार्य किया जाता है, पिछली सरकार के जमाने में तो यह हाल था कि जब आग लगती थी तो उसके बाद सर्दी में वह पैसा आता था, मैं अपनी सरकार से मांग करता हूं कि बरसात के सीजन में हमारे यहां वृक्षारोपण किया जाना चाहिए । वृक्षारोपण के संबंध में मैं एक बात और कहना चाहता हूं सुझाव के तौर पर वह यह कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में चीड़ के वृक्षों का रोपण ज्यादा किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे यहां चीड़ के बजाय फलदार व घास-पत्ती के पेड़ ज्यादा लगाये जायं ताकि वहां के जन जीवन पर उसका अच्छा प्रभाव पड़े । यह सही है कि आपने डी. एफ. ओ. बढ़ा दिये हैं, विभाग बढ़ा दिए हैं, लेकिन जो दूरदराज के इलाके हमारे यहां हैं और जो वहां पर फारेस्टर व पतरौल हैं, उनका क्षेत्र इतना विस्तृत है कि एक पतौल सही रूप से जंगल को चैक नहीं कर सकता है । इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी संख्या को, क्षेत्र को कम करके, बढ़ाया जाय । वन प्रभाग व वन विभाग में जो डेली वेजेस पर कर्मचारी हैं, उन्हें परमानेन्ट किया जाय ।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वन संरक्षण के माध्यम से वन्य जन्तुओं की रक्षा की जानी चाहिए लेकिन हमारे पर्वतीय क्षेत्र में शेर और भालू इतने ज्यादा हो गये हैं कि जब वह किसी मनुष्य को मार देते हैं और फिर जब कोई उन जानवरों को मारता है तो उसे सजा दे दी जाती है, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस नीति को लचीला बनाया जाय । पर्वतीय क्षेत्र के जो लोग ऐसी घटनाओं में मर जाते हैं, उनके परिवारजनों को मुआवजे के तौर पर जो धनराशि दी जाती है, उसमें बढ़ोत्तरी की जाय ।

हमारे पर्वतीय क्षेत्र में उत्तरकाशी से बछेन्द्री पाल को एवरेस्ट पर विजय प्राप्त हुई । हमारे यहां खेल के अभाव में प्रतिभायें विकसित नहीं हो पाती हैं । मेरी मांग है कि प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक-एक स्टेडियम बनाया जाय, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रोत्साहित किया जाय । इसके साथ ही मैं इस बजट के पक्ष में अपना समर्थन प्रस्तुत करता हूं ।

*श्री किशोरी श्याम---

माननीय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने बोलने का अवसर दिया । माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें पहलवानों का कोई जिक्र नहीं किया गया है मल्लों का कोई जिक्र नहीं किया गया है । पहलवानों के बारे में मेरी बहन ने जिक्र नहीं किया । मेरा ब्रज क्षेत्र, जो पहलवानों का क्षेत्र माना जाता है, वहां पर पहलवानों को प्रोत्साहित करने के लिये कोई योजना नहीं है । जो बातें कही गयी हैं उनको पूरा नहीं किया जाता है । हम लोग नहरों में रजवाहों में तैरना सीख जाते थे, आज उनमें पानी ही नहीं है जिसमें तैरना सीखें । रंडुआ की बेटी कनवा को ब्याहा जाने । आप उनमें पानी चलवा दें तो तैरना सीख सकते हैं । हमारे यहां से मल्ल

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

विद्या समाप्त हो रही है । वहां पर क्वार में सारी रात कबड्डी होती थी आज कबड्डी हमारे यहां से इसलिए समाप्त हो गयी क्योंकि उसको कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया । पहलवानी भी प्रायः समाप्त हो गई है ।

(सदस्यों द्वारा भाषण में व्यवधान डालने पर)

श्री अधिष्ठाता---

मा0 सदस्य यहां कबड्डी न खेलें ।

श्री किशोरी श्याम--

हमारे क्षेत्र में पहले कदम्ब के पेड़ थे, अब कोई पेड़ नहीं रह गये हैं । कोकलावन, पिसावा, कामर में दुर्वासा, ब्रजवारी में पीसरी, चिन्तामणि शेखसाई में नन्दवन, बरसाना में भोजोखर, पीली पोखर, गहवर वन, नदगांव में पनिहारी कुण्ड, ऊधोक्यार, डोमनखान, ये सारे क्षेत्र कदम्ब के पेड़ों से भरे पड़े थे । मैंने डी. आर. डी. ए. की मीटिंग में कहा था कि आप यह बताइए कि क्या आपने पेड़ों में पानी लगाया या नहीं, तो वे रजिस्टर को देखने गये कि देखें पानी लगा है या नहीं उन्होंने मौके पर जाकर नहीं देखा । इस मद में लाखों रुपया करोड़ों रुपया खर्च होता है लेकिन उनका रख-रखाव ठीक प्रकार से नहीं होता है । माननीय मन्त्री जी देखें तो हमारे यहां के दिलसुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा था---

काम अधिकारिन को हेटो,
नित्य बने कानून,
भरया रहे कागज को पेटो ।

इसलिए सारी बातें तो यहां होती रहेंगी और कागज का पेट भरता रहेगा यह तो अंधेरी को भैय्या हो गया वह हाथ फैलाकर आगे बढ़ती है मिल जाय तो ठीक है नहीं तो अंधेरी को भैय्या तो है ही । आप इसको देखें कि जिन कार्यों की घोषणा करें वे पूरे हो जायें, यही मेरी आपसे प्रार्थना है ।

श्री अधिष्ठाता---मा0 किशोरी श्याम जी, अब आप बैठें ।

श्री अचल सिंह–

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे पूर्व वक्ता लगता है कि कबड्डी के बड़े शौकीन हैं । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस प्रदेश का क्षेत्रफल 51,333 वर्ग कि0 मा0 है और यह 17.4 कि0 मी0 प्रतिशत का हिसाब आता है जबकि वन नीति के अनुसार इसे 33 प्रतिशत होना चाहिये ।

मैं सदन का ध्यान एक और समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और मैंने पिछली सरकार का भी ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, यह एक गम्भीर समस्या है हमारे जनपद फतेहपुर की कि वहां पर जमीन, वन विभाग के नाम और काश्तकारों के नाम जो कि उस पर वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, एक साथ ही हैं । यह दोहरी नीति है । गंगा के किनारे बिन्दकी तहसील में जो गांव हैं जैसे कि गलोंथा, शंकर, खौड़िया यहां किसानों की जमीन वन विभाग में चली गयी है और खतौनी में इन्दराज है ।

पिछली सरकार के समय में भी मैंने यह सवाल उठाया था कि सैकड़ों की संख्या में ऐसे काश्तकार हैं जो उस जमीन पर काबिज हैं और वहां खेती करते हैं और

बराबर खेती के कार्य में लगे हुए हैं। वन विभाग ने उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है । एक बार तो यहां तक हुआ कि कब्जा को लेकर वन विभाग के अधिकारियों में और किसानों के बीच में मार-पीट तक हो गयी जिसमें वन विभाग के एक कर्मचारी की मौत तक हो गयी ।

माननीय मंत्री जी मेरा अनुरोध है कि वे इस संबंध में एक सर्वे कराये और किसानों के कब्जे जो जमीन है गांव गलौथा और कोंडिया में, वह वन विभाग के खाते में दर्ज है, इसीलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री जी वहां सर्वे कराये और जो काश्तकारों की जमीन वन विभाग में चली गयी है इसकी सही स्थिति मालूम करके इस समस्या का निदान करें ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं वन विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और आपका आभार व्यक्त करता हू कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया ।

श्री असगर–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में वानिकी मजदूर की तादाद की कम से कम 500 है जो कि आपके हाउस के सामने धरने पर बैठे हुए है । मार्च 1990 को लगभग बाईस हजार मजदूरों को निकाल दिया गया है । जो सड़ी-गली सरकार थी उसने लगभग बयालिस हजार मजदूरों को वन विभाग में नियुक्त किया था लेकिन अफसोस की बात है कि जनता दल की सरकार ने जो कि नौकरी देने की गारन्टी की बात करती है, उसके बाद भी 22 हजार मजदूरों को निकाल दिया है ।

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे यह बताने का कष्ट करें कि इन मजदूरों को पुनः काम पर कब तक रखा जा रहा है ? आज वनों का कटान जिस तरह से पूरे प्रदेश में हो रहा है, वन विभाग के माध्यम से आपके प्रदेश की पुलिस और वन विभाग के कर्मचारी बिना परमिशन के, बिना परमिट के ।

एक तरफ पुलिस पेड़ कटवाने के लिये दो सौ रुपया ले रही है और जब पेड़ काट लिये जाते हैं, तो उनके उठाते समय दो सौ रुपया लेती है और दूसरी ओर वन विभाग वाले अलग परेशान करते हैं ।

मान्यवर, खेलों के बारे में मेरी राय है कि सारे खेलों को समाप्त करके असली खेल जो पहले थे--कुश्ती, दंगल, कबड्डी, इन सब खेलों को लिया जाये । माडर्न खेलों से कोई फायदा नहीं है । जिस समय खेल हमारे देश में होते हैं, तो मंत्रियों के भाई और रिश्तेदार खेलों में ले लिये जाते हैं और हार कर चले आते हैं। तैराकी में मंत्रियों का भाई जाता है, और हार कर आ जाता है मेरा कहना है कि अगर तैराकी में मल्लाहों के बच्चों को भेजा जाये तो वह पूरी दुनिया में नाम कमाकर आयेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता है और मंत्रियों के भाई को मौका दिया जाता है ।

(व्यवधान)

श्री राम करन आर्य---

मान्यवर, आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं ।

(व्यवधान)

मान्यवर, जो बजट पेश हुआ है, मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर दुनिया में हाकी के खेल पर हमारे देश की जबरदस्त धाक थी और ध्यान चन्द हाकी के सबसे बड़े जाने माने खिलाड़ी थे और आज वही हाकी है कि पिट रही है । हिन्दुस्तान लगातार हाकी के खेल में पिट रहा है । मुझे याद है, जब मैं जेल में था, तो एक मंत्री ने कहा था कि हिन्दुस्तान की हाकी की जीत इन्दिरा गांधी की नीतियों की जीत है । हाकी में जो हिन्दुस्तान पिट रहा है, वह इसी कारण पिट रहा है कि वह कांग्रेस के कुशासन का परिणाम है । मान्यवर, हमारे साथियों ने कहा कि गांव के रहने वालों के लिए चाहे कबड्डी हो, या तैराकी हो, उनको मौका दिया जाये, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे और दुनिया में नाम कमायेंगे । हमारी हाकी मर रही है । काहिलों का खेल जो गुल्ली डन्डे का है, सारी दुनिया में है और उसकी मान्यता हिन्दुस्तान में दी जाती है, जिसका कोई मतलब नहीं है । हम भारतीय खेलों पर निर्भर होकर ही दुनिया में नाम कमा सकते हैं । विदेशी खेलों की नकल नहीं करनी चाहिये । भारतीय खेलों को पुनः जीवित करना चाहिये ।

मान्यवर, घाघरा नदी पर शंकर गढ़ बांध जब बनाया गया तो वहां के किसानों की बहुत सी जमीन ले ली गयी और वह बेघर हो गये । तो मेरा निवेदन है कि उन लोगों को जंगल की जो खाली पड़ी हुई जमीन है, उस पर बसा दिया जाये और उस जमीन को उन्हें दे दिया जाये, तो बड़ा अच्छा कार्य होगा । जंगलों को घाघरा नदी के किनारे लगाया जाये । जंगल मान्यवर समाज के लिए बहुत आवश्यक हैं । अगर वन नहीं रहेंगे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जायेगा और मानव विनाश का कारण बन गया । इसलिए वन विभाग को सड़कों के किनारे नदियों के कटान से बचाने के लिए चाहे वह घाघरा हो, चम्बल हो, जंगल लगाने चाहिए । इन शब्दों के साथ वन विभाग का जो बजट पेश किया गया है, खेल का बजट पेश किया गया है उसका मैं समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं ।

*** डा0 बृज भूषण मणि त्रिपाठी–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने इस बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं नकवी साहब के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । जो बजट यहां पर खेल कूद का और वन विभाग का प्रस्तुत किया गया है. उसका विरोध करता हूं । मान्यवर. यह बजट मात्र शहरों के लिये है । इसमें ग्रामीण अंचलों के लिये कोई उल्लेख नहीं किया गया है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचलों में प्राइमरी पाठशाला से लेकर जूनियर हाई स्कूल तक खेल कूद के विषय को कम्पलसरी किया जाय और ग्राम सभाओं से लेकर क्षेत्र समितियों और युवक मंगल दल, सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में खेलकूद की व्यवस्था की जाय ।

मान्यवर, गांवों में बड़े-बड़े खेलकूद के मैदान पड़े हुये हैं और वे जर्जर अवस्था में हैं । उनके सम्बन्ध में बजट में कोई बात नहीं कही गई है उनका जीर्णोद्धार किया जाय और उनको पुनः स्थापित किया जाय । इससे ग्रामीण अंचलों का विकास होगा ।

*** वक्ता ने भाषण का पुर्नरीक्षण नहीं किया ।**

वन विभाग के बारे में कहा गया है । उसके बारे में कहना चाहता हूं कि डेली वेजेज में बहुत से लोग वन विभाग में काम करते थे । जवाहर रोजगार योजना में इन लोगों को गांवों में स्थानान्तरित किया गया है । इधर 5-6 महीने से जब से यह सरकार आयी है, इन लोगों को हटा दिया गया है । उनका अभी कुछ तकाया भी भुगतान नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि जो अंशकालिक डेलीवेजेज के लोग काम करते थे उनके बकाये का तुरन्त भुगतान किया जाय ।

माननीय, फैजाबाद जनपद में वन विभाग ने किसानों की जमीन ले ली है । इसलिये जिन लोगों की जमीन ली गई है उसको वन विभाग में समायोजित किया जाय । इन शब्दों के साथ में कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और उस पर बल देता हूं । मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करता हूं कि ग्रामीण अंचलों को प्राथमिकता दी जाय ।

श्री अचल सिंह–

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे जिससे व्यवधान हो गया और कुछ भी सुनाई नहीं दिया ।)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शांत रहें । मैंने माननीय जसवन्त सिंह विष्ट को बुला लिया है ।

श्री जसवंत सिंह विष्ट–

माननीय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैंने माननीय जसवंत सिंह विष्ट को बुला लिया है । आप शांत रहें ।

*** श्री जसवंत सिंह विष्ट–**

माननीय, मैं वन विभाग के सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं । वन तीन प्रकार के होते हैं । पहला रिजर्व वन, दूसरा सिविल वन और तीसरा वन पंचायत । पहले दो प्रकार के वनों की देखरेख सरकार द्वारा होती है जिसकी वन विभाग और जिलाधिकारी देखरेख करते हैं । तीसरे प्रकार के जो वन हैं जिसकी देखरेख वन पंचायत करती है जिसमें गांव के लोग रहते हैं । अगर देखा जाय तो यह वन सबसे अच्छे चल रहे हैं । वन विभाग के गठन से पहले पहाड़ों में बांज ब्रूंस और काफल के जंगल बहुत होते थे लेकिन जब से वन विभाग बना तब से चीड़ के पेड़ों का प्रचलन हुआ और पुराने पेड़ों को समाप्त किया जा रहा है इस तरह से बांज ब्रूंज और काफल के पेड़ समाप्त हो रहे हैं । माननीय नकवी जी ने अच्छी बात कही वह जब वन मंत्री थे तो स्वयं वह उन कामों को नहीं कर पाये जिनका जिक्र उन्होंने आज किया है । लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सरकार का ध्यान आकर्षित तो

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

किया कि चीड़ के पेड़ लाभकारी नहीं हैं । मान्यवर, चीड ऐसा वृक्ष है जो पहाड़ों के लिये लाभकारी नहीं है ।

हमारे यहां जंगलों में जंगली जानवर हमारे बच्चों को मार जाते हैं मैंने विधान सभा में प्रश्न भी किया था पिछले वर्ष 27 बच्चों को जंगली जानवर खा गये इसी तरह कई जानवरों को मार दिया । लेकिन आज तक उनको कोई मुआवजा नहीं दिया गया है । इसके बावजूद हम वनों के बीच रहते हैं । आप लोग हमारे कष्टों को नहीं जान सकते हैं क्योंकि आप वनों के बीच नहीं रहते हैं । हमारी महिलायें वनों के बीच खेतीबाड़ी करती हैं । वहां आज पानी की समस्या पैदा हो गयी है चीड़ के पेड़ अपने आसपास का पानी सोख लेते हैं । चीड़ ऐसा वृक्ष है जो अपने नीचे किसी को फलने फूलने नहीं देता है जैसे बड़े नेता अपने से छोटे को पनपने नहीं देते हैं इस चीड़ के पत्ता से गर्मियों में बनों का बड़ा नुकसान होता है यह बारूद का काम करते हैं उनसे जंगलों में आग लग जाती है जिससे छोटे पेड़ सूख जाते हैं । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सभी माननीय सदस्यों को समय मिलेगा शांत रहें ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट–

माननीय नैथानी जी ने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम से पहाड़ों में निर्माण का कार्य नहीं हो रहा है। तो यह तो भारत सरकार का अधिनियम है यह उत्तर प्रदेश का नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप बैठें ।

श्री जसवंत सिंह बिष्ट–

मान्यवर, सरकार ने बड़े अधिकारी बदा दिये हैं लेकिन रेंज और बीट अपनी जगह पर हैं । अगर बीट छोटी करेंगे तो उससे जंगलों की रक्षा ज्यादा अच्छी तरह से होगी और इससे बेरोजगारी भी दूर होगी ।

आपके विभाग में जो दैनिक भोगी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उनको स्थायी करें ताकि उन लोगों को जो कठिनाईयां हो रही हैं वह दूर हों ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

बिष्ट जी आपका समय समाप्त हुआ । (व्यवधान)
आप बैठ जांय । मैंने श्री श्याम सुन्दर शर्मा को बुला लिया है ।

(श्री बिष्ट जी के बोलते रहने से घोर व्यवधान)

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के विरोध और कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर प्रदान किया ।

मान्यवर, जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसमें जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका हम विरोध पक्ष के लोग समर्थन कर रहे हैं और बजट का समर्थन आलोचनात्मक ढंग से कर रहे हैं । जहां तक खेल कूद बजट के सम्बन्ध में कहा गया है उसमें मैं इतना ही निवेदन कर सकता हूं कि यह सरकार जो गांव की दुहाई देती है वह खेलकूद के सम्बन्ध में गांव के लिये कोई व्यवस्था नहीं किया है । आज इस कटौती के प्रस्ताव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि खेलकूद के सम्बन्ध में गांव में भी कोई व्यवस्था हो और हर गांव में चाहे जवाहर रोजगार योजना हो या अलग से कोई योजना हो इस बजट में होनी चाहिये ।

मान्यवर, जहां तक वन विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है उसके संबंध में कहना चाहता हूं कि इसमें श्रमिकों के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है । जैसा पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि श्रमिक एक वर्ष से लेकर 6-7 वर्षों तक सेवा करते रहे हों लेकिन उन कर्मचारियों को एक मिनट में नौकरी से निकाल कर दूसरे व्यक्ति को रख लिया जाता है, इस शोषण को रोकने के लिये बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है ।

मान्यवर, जहां तक वन विभाग में कटान की जो चोरी होती है उसको रोकने के लिये सचल दल या चौकी स्थापित करने की व्यवस्था की जानी चाहिये चूंकि वनों में चोरी होने पर थानों में एस0 ओ0 यह कहकर चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं कि हमारे यहां क्राइम नम्बर बढ़ जायेंगे इसलिये सचल दल बनाये जिससे वनों की कटान रुक सके ।

मान्यवर, अब मैं अपने जनपद मथुरा जो कृष्ण नगरी है वहां अनेकों वन हैं जहां बड़े पैमाने पर अधिकारियों की साठ-गांठ से चोरी से कटान होती है । अनेकों शिकायतें हुयी है लेकिन वनों की कटान की चोरी को नहीं रोक पाये हैं । वनों की महत्ता को सरकार ने समझा है किन्तु चोरी और श्रमिकों के शोषण को रोकने का बजट में कोई प्राविधान नहीं किया गया है । इसलिये इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन (इस समय 3 बजकर 29 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष एवं पीठासीन हुये) करते हुये अनुरोध करना चाहता हूं कि इन चीजों पर विशेष ध्यान दिया जाये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष ---

देखिये सदन में व्यर्थ शोर हो रहा है कई बार मैं कह चुका हूं, इस पीठ से कहा जा चुका है कि एक सदस्य सत्ता पक्ष से और एक सदस्य विरोध पक्ष से बारी बारी से बोलेंगे । (व्यवधान) यह कोई नई व्यवस्था नहीं है, यह तो बहुत पुरानी परम्परा है, व्यवस्था है । इसलिए आप प्रयत्न न कीजिए जब उधर से कोई बोला है, तो दुबारा भी उधर के सदस्य को मौका नहीं मिलेगा, व्यवधान ठीक है, अबकी बी0 एस0 पी0 को अवसर दूंगा ।

(व्यवधान)

***श्री काशी सिंह ऐरी–**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने वन विभाग के बजट पर बोलने का मुझे मौका दिया । मैं केवल एक सुझाव खेल विभाग के बारे में देना चाहूंगा और बहुत

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

से अन्य माननीय सदस्यों ने भी इस बार में कहा है, मंत्री जी इस पर ध्यान दें । खेल की जो स्थिति है, जो चिन्ता उस पर व्यक्त की गई है, वह गौरतलब है । उस पर सरकार को कार्य करना चाहिए । मैं पर्वतीय क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे जनपद पिथौरागढ़ में राष्ट्रीय स्तर के ही नहीं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बाक्सिंग और बास्केट बाल में हुए हैं । इतना ही नहीं टेनिस खेल के क्षेत्र में भी शिवाली बानो नामक एक बालिका राष्ट्रीय स्तर पर उभड कर सामने आई है । इसलिए आप वहां पर एक स्पोर्ट्स कालेज खोलने की व्यवस्था अवश्य करा दें । साथ ही प्रत्येक जनपद में एक स्टेडियम देने की जो आपकी घोषणा है, उसके अन्तर्गत भी इस जिले पर जल्दी आपको ध्यान देना चाहिए ।

जहां तक जंगलों की बात है । हमारे पहाड़ का एक गाना है, जिसकी एक लाइन मैं आपको यहां सुनाना चाहता हूं, कि--- "कथ कूनू की सड्यौं जंगल का हाल" । इसके कहने का अर्थ है कि किससे कहूं जंगल की व्यथा कथा, कौन उसे सुनेगा ? नकली जी बैठे हैं, उनसे मैंने बहुत सी बातें लगातार कहीं हैं, कहीं थीं वन नीति के बारे में वनीकरण के बारे में और वनों के बारे में, किन्तु उस पर कोई उन्होंने अपने समय में ध्यान नहीं दिया । मुझे बड़ा दुख: है कि हमारा और देश का यह रोना है कि जंगल लगातार कम हुए हैं । हमारे यहां वन भूमि का कुल क्षेत्रफल 17.4 प्रतिशत है, जबकि यह 33 परसेंट होना चाहिए । जो वन नीति का निर्धारण किया गया है, उसके अनुसार पहाड़ों में 60 प्रतिशत और मैदानी क्षेत्र में 33 प्रतिशत वन होने चाहिए । जबकि इस समय पर्वतीय क्षेत्र में जो वनों की एक्चुवल एरिया है वह केवल 39.4 प्रतिशत है, जिसमें से जो सघन वन है वह 35 प्रतिशत होने चाहिए, लेकिन हमारे रिमोट सैंसिंग का जो विश्लेषण है उसके अनुसार जो 100 प्रतिशत फारेस्ट कवरेज होना चाहिए, वह केवल 29.8 प्रतिशत है, और जो सघन कवरेज है, जिसका 100 प्रतिशत होना चाहिए, वह केवल 4.4 प्रतिशत है । यह स्थिति क्यों आई है और इसको क्यों रोका जाय, इस पर किसी सरकार ने विचार गम्भीरता से नहीं किया है । केन्द्र सरकार ने भी इस चिन्ता के विषय में कुछ नहीं सोचा और उसने एक वन संरक्षण अधिनियम लागू कर दिया, जिससे अब वहां के लोग उससे कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं ।

लेकिन उन्होंने एक अधिनियम बना दिया और ऐसा अधिनियम बनाया जिसमें वन को जन से अलग कर दिया । यह सबसे बडी हकीकत है कि जब तक जंगलों को आप वहां के आदमियों से नहीं जोड़ेंगे जब तक आपके जंगलों की सरक्षा होने वाली नहीं है । यह नीति सरकार को जाननी चाहिए कि जो स्थानीय लोग हैं उन्हें इसमें इन्वाल्व किया जा सकता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया समाप्त करें । (कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर) केवल पहाड़ वालों को प्राथमिकता दी जायेगी ।

(व्यवधान)

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, पिछले पांच सालों से मैं कहता आ रहा हूं लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया । मैं चाहता हूं कि सरकार इस बारे में विचार करे । मान्यवर, वन

संरक्षण अधिनियम जो बनाया, उसका भी जनता ने काफी विरोध किया । (व्यवधान) मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि वन विभाग में जो अस्थाई कर्मचारी हैं, जो दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं उनके वेतन को रु0 450/- तक बढ़ा दिया जाए । उनको नियमित भी किया जाये ।

(व्यवधान)

श्री किशन सिंह तड़ागी–

मान्यवर, श्री जफर अली नकवी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में कहने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय खेलमंत्री जी ने जो अपना बजट खेल के बारे में रखा है वह बहुत ही निराशाजनक है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश की 13 करोड़ की आबादी वाले प्रदेश में केवल आपने 3 करोड 78 लाख 34 हजार रुपये खेल के लिए रखे हैं । जिससे प्रति व्यक्ति के हिस्से में बड़ी मुश्किल से 25 पैसे भी नहीं आता है । मेरा मंत्री जी को सुझाव है कि पहले वह रुपयों की व्यवस्था करें । यदि वह अपने साधनों से नहीं कर सकते हैं तो उन्हें भारत सरकार से, राष्ट्रीयकृत बैंकों से रुपया उधार लेकर या वर्ल्ड बैंक से रुपया लेकर हमारे प्रदेश में खेल की व्यवस्था करनी चाहिये। . .

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों की कुछ भी व्यवस्था नहीं है । मेरा एक सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्र के हर ब्लाक पर एक खेल का मैदान अवश्य होना चाहिए ताकि जो बच्चे खेल खेलना चाहते हैं वह खेल के मैदान जाकर खेल सकें । मेरा सरकार से निवेदन है कि वहां पर हाकी, फुटबाल, एथलेटिक के सामान रखवाये जायं ताकि वहां बच्चे खेल खेल सकें और हमारे प्रदेश का नाम उजागर कर सकें । मान्यवर, जहां तक वन का सवाल है वनों में इस समय काफी चोरी हो रही है और हमारे वनों के अधिकारी इस चोरी को रोक नहीं पा रहे हैं । देश की आबादी बढ़ने के साथ-साथ प्रान्त की भी आबादी बढ़ती चली जा रही है और उसके कारण चोरी भी अधिक हो रही है । औद्योगीकरण होने के कारण वनों की जो जमीन है वह औद्योगीकरण में चली जा रही है । जमीन पर जो भी वन हैं उनको खेती के लिए और लकड़ी के भाव ज्यादा होने कारण काटा जा रहा है । वनों की लकड़ी को चोरी किया जाता है और खुले बाजार में ले जाकर बेंचा जाता है । मेरा निवेदन है कि जो वन अधिकारी हैं, जो वनों में रहते हैं उनको लाइसेंस दिए जायं ताकि वह चोरों से जंगल की लकड़ी की सुरक्षा कर सकें । इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो डी0 एफ0 ओ0 साहबान हैं उनको मैजिस्ट्रीरियल पावर देनी चाहिए ताकि जो लकड़ी की चोरी करके ले जाते हैं उनके ट्रकों को कन्फिसकेट, ट्रकों को जब्त कर दिया जाय । अगर आप यह अधिकार नहीं देंगे तो वनों में चोरी दिन प्रति दिन बढ़ती जायेगी। साथ ही साथ में वृक्षारोपण के बारे में कहना चाहता हूं पिछले 40 सालों में इस पर अरबों रुपया खर्च किया जा चुका है लेकिन यदि देखा जाय तो जितना रुपया इस पर खर्च किया गया है उसके मुकाबले में पेड़ों की संख्या बहुत कम है । पेड़ों की संख्या कम होने का कारण यह है कि वृक्षारोपण कर दिया जाता है लेकिन पेड़ों की देखभाल नहीं की जाती है जिससे पेड़ नष्ट हो जाते हैं इसलिए पेड़ों की देखभाल बहुत जरूरी है । पेड़ों की देखभाल उसी तरह से जरूरी है जैसे बच्चों को पाला जाता है । मेरा निवेदन है कि वृक्षारोपण के साथ-साथ पेड़ों को बचाने की कोशिश करना चाहिए ।

मान्यवर, इसी तरह से मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिम कारबेट पार्क के नजदीक बहुत से गांव हैं । वहां पर शेरों की संख्या अधिक हो जाने के कारण यह शेर लोगों को खा रहे हैं और उनके जानवरों को उठा ले जा रहे हैं । यदि किसी आदमी को

शेर मार देता है तो 10 हजार का कंपेंशेशन दिया जाता है । यदि शेर किसी जानवर को मार देता है तो 2-3 हजार रुपया दिया जाता है । मेरा आपसे निवेदन है कि यदि शेर किसी आदमी को मारे तो उसके परिवार वालों को 50 हजार रुपये का कंपेंशेशन मिलना चाहिए और इसी प्रकार से शेर यदि किसी जानवर को मारे तो उसके मालिक को कम से कम 5 हजार रुपये कंपेंशेशन मिलना चाहिए । मैं एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि जिम कारबेट पार्क की सीमा बाघों के लिए 5 कि0 मी0 दिखाई गई है जिसको कम से कम 50 किलोमीटर करना चाहिये क्योंकि बाघों की संख्या अधिक है । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

*श्री जागेश्वर--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह जो खेलकूद विभाग और वन विभाग का बजट रखा गया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । हमारे जो वन और खेलकूद मंत्री हैं उनसे मैं यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि हर जिले में व्यायामशालायें खोली जायं और वहां पर शीर्ष आसन, हल आसन, भुजंग आसन, सर्वांग आसन, मुंडी आसन, सिखायें जायं । हर जिले में योगासन सीखने की व्यवस्था होनी चाहिए, अगर कोई नहीं सिखाता है तो हम सिखला देंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वन विभाग में जो वृक्ष लगाए जाते हैं, उससे देश का बड़ा कल्याण होता है । इससे वर्षा होती है, आबोहवा अच्छी होती है । इसमें हमारे वन मंत्री जी का कार्य बड़ा ही सराहनीय है । हमारा एक निवेदन है कि गोकन ग्राम में जो हरिजनों को ग्राम समाज की ओर से पट्टे के द्वारा जमीन दी गई थी, 9 वर्ष उनको कब्जा किए हुए हो गया, उनका नाम भी उन जमीनों पर चढ़ चुका है. लेकिन वन विभाग के जो अधिकारी हैं, उन्होंने जबरन उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिए । जिलाधिकारी के पास जब इस बारे में दरख्वास्त दी गई, तो बड़ी मुश्किल से वन विभाग ने कब्जा छोड़ा है, लेकिन वे लोग इस ताक में हैं कि पुन: कब्जा कर लें । मान्यवर, इस बारे में जांच कराई जाय और दोषी लोगों को दंडित किया जाय । मान्यवर, मैं व्यायामशाला के विषय में कुछ कहना चाहता हूं । इसमें मेरा सुझाव है कि हर एक जिले में व्यायामशालाएं खोली जांय । वहां पर लोगों को आसन सिखाये जांय, जैसे शीश आसन, मौर्य आसन, बुद्ध आसन, सिद्ध आसन, पद्म आसन, न्यूली आसन, शव आसन आदि सिखाये जांय । इससे स्वास्थ्य अच्छा बनता है । [XXX] मैं अन्त में माननीय मुलायम सिंह और उनके सभी मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

कृपया बैठ जाइये । यह लिखा नहीं जा रहा है । यह नहीं लिखा जायगा । कृपया बैठिये ।

श्री मोहीन अहमद साजमी---

मान्यवर, मेरा यह व्यवस्था का प्रश्न है कि आपके जंगली जानवर नीलगाय, धड़ल्ले से किसानों की 50 प्रतिशत फसल, सब्जी इत्यादि खाते और नष्ट करते हैं, यहां तक कि सब्जी में बड़ा कोहड़ा जो होता है, तरबूज जो होता है, जो उनके गुंह में

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

नोट :-- [XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

नहीं जाता है, उसको वे पैरों के खुर से दबाकर फाड़ देते है और खा जाते हैं और इस तरह से किसानों का बहुत काफी नुकसान होता है । हमारा माननीय वन मंत्री जी से अनुरोध है कि वे जंगली जानवरों को पकड़वा कर अपने जंगलों में ले जा करके रख दें ताकि जो किसान भुखमरी का शिकार हो रहा है, उसको राहत मिल जाय और खेत के संबंध में मैं मैं कहना चाहता हूं कि जो पुराने खेल कुश्ती, कबड्डी, फुटबाल, वाली बाल आदि उनको बढ़ावा दिया जाय ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

जब आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री मोबीन अहमद आजमी---

मान्यवर, एक मिनट और दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें ।

***श्री राज मणि पाण्डेय---**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीया मंत्री जी ने जो खेल और वन विभाग का बजट रखा है उस पर अपने बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, मैं माननीया मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछली सरकार ने कुछ ऐसी गलतियां की हैं जो किसान विरोधी और जन विरोधी है जिसके बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । और सुझाव देना चाहता हूं । मान्यवर, सामाजिक वानिकी का जो पैसा है वह किस तरह खर्च किया जाता है, किस तरह से मजदूर रखे जाते हैं, किस तरह से मजदूरी के रूप में पैसा खर्च किया जाता है, इसका कोई हिसाब पिछली सरकार ने नहीं दिया है, इसे आप देखें । मान्यवर, दूसरी चीज यह है कि जो गांव के किसान हैं वह अपना पेड़ लगाते हैं तो उसके यहां चाहे शादी हो, मरनी हो, कोई कामकाज हो लेकिन उन्हें अपना पेड़ काटने का अधिकार नहीं है, इससे किसानों को बहुत परेशानी होती है ।

मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं उस क्षेत्र में जो पिछली सरकार के वन राज्य मंत्री थे तो इन्होंने वहां सरकारी भवन न होने के बावजूद, बस्ती सदर विधान सभा क्षेत्र के बनकटी में 16 लाख रुपये का एक डाक बंगला बनवाने का काम किया है। मान्यवर, पिछली सरकार के मंत्रियों ने तो जंगल विभाग में मंगल मनाने का काम किया है, इस विभाग को केवल ऐशो आराम के लिए उपयोग किया जाता रहा है । मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि इस तरह के खर्चों पर पाबन्दी लगाये जो पिछली सरकार द्वारा किया गया था। और इसको सही तरीके से खर्च किया जाय । मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि यह जो खेल है यह मानसिक विकास का साधन है और गांवों के युवक हैं, युवतियां हैं, उनके पास न तो रहने का कोई साधन है और न ही खेल का कोई साधन है । मेरा सुझाव है कि जो गांवों के स्तर के खेल हैं उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाय और जो पैसा बड़े-बड़े स्टेडियम बनवाने के लिये और खेलकूद पर

---

* वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

खर्च किया जाता है, वह ज्यादा से ज्यादा गावों में खेलों पर खर्च किया जाय, जैसा कि हमारे बजट में प्राविधान है, ताकि गांव में भी युवक और युवतियां खेलों के माध्यम से विकास कर सकें । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि सामाजिक वानिकी के अंतर्गत जो खन्ता खोदा गया था उसका पैसा किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है। मान्यवर, सामाजिक वानिकी में जो पेड़ सड़क के किनारे लगाये जाते हैं उसमें यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए जा रहे हैं, मेरा सुझाव है कि वहां पर फलदार वृक्ष लगाए जाय । मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह---

मा0 उपाध्यक्ष जी, करीब दो घंटे की प्रतीक्षा के बाद आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार 33 प्रतिशत वन क्षेत्र कुल भूभाग पर आच्छादित होना चाहिये । किन्तु 17.4 प्रतिशत क्षेत्र उ0 प्र0 में आच्छादित है इसमें से 80 प्रतिशत क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्र में वनों से आच्छादित है और पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर शेष सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मात्र 20 प्रतिशत वृक्षों से आच्छादित है। यह सोच का विषय है इससे प्रदेश में कहीं ज्यादा वर्षा होती है और कहीं सूखा पडता है । सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में एकरूपता से वनों का आच्छादन होने से सम्पूर्ण प्रदेश में पर्यावरण तथा वर्षा की स्थिति में सुधार होगा । यह भी बहुत ही सोचनीय विषय है कि पर्वतीय क्षेत्र को छोड़कर मात्र 5 प्रतिशत भूमि में वन हैं । यह आंकड़ें मैं कोई अपने नही दे रहा हूं । यह जो आपकी पत्रिकाए मिली हैं, इसी के आधार पर कह रहा हूं । प्रदेश में प्रतिवर्ष वृक्षारोपण 50 हजार पौधों का होता है, क्या वास्तव में वृक्ष लगाये जा रहे हैं । अगर इसी अनुपात में वृक्ष लगाये जायेंगे तो कितने वर्षों में प्रदेश को हरा भरा कर देंगे । क्या एक दो वर्ष में हरा भरा हो जायगा । अब मान्यवर, मैं तीन सुझाव देना चाहता हूं । ये हमारे जनपद से संबंधित भी हैं । जबकि वृक्षारोपण मात्र 10 प्रतिशत सफल होता है । पर्वतीय क्षेत्र में टेहरी डैम बना, उसमें डूब में आने वाली भूमि के एवज में 15 हजार हेक्टेअर भूमि ललितपुर से ली गयी ।

श्री उपाध्यक्ष---

समय समाप्त हो रहा है, संक्षेप में कहें ।

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह---

मान्यवर, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण तीन बातें कहना चाहता हूं। उसमें जो ग्राम सभा की भूमि ली गयी है, वह गांव से लगकर ली गयी है । आज वहां मन्दिर बना तो वन विभाग का है, मस्जिद बनी है तो वन विभाग की है । श्मशान एवं चारागाह वन विभाग में है । सम्पूर्ण ललितपुर जनपद की जो भूमि ली गयी है, प्रत्येक गांवों में वह एक ही स्थान पर स्थानांतरित की गयी थी, इसलिए यह स्थिति पैदा हो गई है । और कहीं कहीं तो आधा गांव वन को दे दिया गया । मैं मा0 मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इस बात को दिखवा लें । और तद्नुसार पुनः इस भूमि का अधिग्रहण करायें एक बात और कहूंगा कि हमारे यहां मिर्जापुर और ललितपुर में बीड़ी के लिये तेंदूपत्ति के लिये 12 रुपया मजदूरी दी जाती थी, शासन के आदेश से उसे 18 रुपया कर दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश

में उसे 25 रुपया दिया जा रहा है । मध्य प्रदेश में हरा पत्ता निगम से ठेकेदारों ने नीलामी पर लिया तो आपका बीड़ी पत्ता चोरी कर लिया गया । मैं कहना चाहता हूं कि लगभग 70 लाख रुपये का बीड़ी पत्ता ललितपुर से चोरी चला गया । इसलिये चला गया कि वहां पर 25 रुपया मजदूरी है और उत्तर प्रदेश में मात्र 18 रुपया है। इस विषमता के कारण पूरा पत्ता चोरी चला गया। मध्य प्रदेश में हरा पत्ता बेचने का ठेकेदारी का सिस्टम है, जबकि यहां पर वन निगम काम करता है । आपकी नीतियों के कारण ही तेंदू पत्ते की चोरी हो रही है । मान्यवर, हमारे यहां ग्रामीण को हक हकूकों का अधिकार नहीं दिया जाता है । उनको कृषि कार्य के लिए लकड़ी नहीं मिलती है, इसलिए नाजायज कटान होती है । इसके लिए मध्यप्रदेश से मिलकर तेंदू पत्ते के लिए एक ऐसी नीति तय करें जो समान हो । बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अतः आप बैठें । एक शब्द भी अब कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा, जो आप बोल रहे हैं ।

श्री मदन गोविन्द राव---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे खेल विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, मैं यहां बैठा खेल विभाग के बजट पर माननीय सदस्यों की बातों को सुन रहा था । उत्तर प्रदेश विधान सभा के हमारे तमाम बुजुर्ग साथियों ने खेल के सम्बन्ध में जो रूचि प्रदर्शित की है उससे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, खेलों के प्रति उत्साह पैदा करने में वह सफल रहा है । कालेज के दिनों में मैं स्वयं भी खिलाड़ी रहा हूं । गांवों के खिलाड़ियों को सुविधायें न मिलने के कारण, जो परेशानियां होती हैं, उनका समाधान होना आवश्यक है । मैं निवेदन करना चाहता हूं और आपके माध्यम से समस्त साथियों से अनुरोध करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे यहां भी है, खेल का सम्बन्ध कुलीन वर्ग से जुड़ गया है । हमारे यहां कबड्डी आदि खेलों का गांवों में काफी महत्व है । अब यहां जो क्रिकेट खेलता है वह सम्मान प्राप्त करता है । जो देशी खेल हैं उनकी यहां उपेक्षा हुई है, उनको सम्मान नहीं मिला है । विदेशी जो खेल हैं जो हमारे यहां खेले जाते हैं उनको काफी सम्मान भी मिल गया है और जो हमारे हिन्दुस्तानी खेल हैं उनकी उपेक्षा ही हुई है ।

मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने देश में खेल के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तमाम सुविधायें उपलब्ध करानी होंगी, गांवों तक झोपड़ियों तक, खलिहानों तक खेलों को पहुंचाने का प्रयास करना होगा । 1962 के युद्ध में जब भारत और चीन से युद्ध हुआ था, उस समय डा0 राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था । अंग्रेजी लड़ाईयां ईटन और हैरो के खेल मैदान में जीती गयी हिन्दुस्तानी लड़ाईयां हैदराबाद और मसूरी के स्टाफ कालेजों आदि में हारी गयीं । लेकिन इसके बावजूद भी बाद में देश में जो शासन करने वाले रहे हैं उन्होंने इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया । हिन्दुस्तान खेल के मामले में पिछड़ता चला गया । गांवों में जगह जगह प्रशिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, ब्लाक स्तर पर प्रशिक्षक होने चाहिए । हम ब्लाकों में पी. आर. डी. के माध्यम से जो धन देते हैं उन्हें बन्द करके दूसरे तरीके से धन देना चाहिए । जहां उद्योग धन्धे हों उनके माध्यम से भी खेल को प्रोत्साहन मिलना चाहिए । मैं कहना

चाहता हूं कि तहसील स्तर पर प्रशिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए, ब्लाक स्तर पर होनी चाहिए गांवों में खेलों को अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाय ताकि ग्रामीण नवयुवक आगे बढ़ सकें खेल के मामले में तथा ग्रामीणों में खेल के प्रति एक नए नजरिए का विकास हो सके । इन्हीं शब्दों के साथ, समय सीमा में रहते हुए, मैं प्रस्तुत खेल बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री भारत सिंह रावत---

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वन विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया । कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, मैं पर्वतीय क्षेत्र से आता हूं वहां वनों का और वहां के निवासियों का चोली दामन का साथ है रिश्ता है । वनों के संरक्षण में पर्वतीय क्षेत्र के लोगों का योगदान है, यह देश जानता है, इतिहास जानता है । किन्तु हम यह सोचते थे कि नयी सरकार आयी है और नयी सरकार की नई वन नीति होगी लेकिन खेद है कि इन्होंने भी उन्ही परम्परागत नीतियों का अनुसरण किया जो पहले से चली आ रही है । 1980 में वन संरक्षण अधिनियम बना जिसके कारण पर्वतीय क्षेत्र के तमाम विकास कार्य सडकें हों, नहरें हों, बिजली हो, पानी हो, सब रुक गये क्योंकि गांव के चारों तरफ वन भूमि है । आप स्वयं जानते हैं कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में विशेषकर 60 प्रतिशत भूमि जो है वह वनों में है वन आच्छादित है किन्तु वन संरक्षण अधिनियम के कारण वहां का विकास ठप है लोगों में गुस्सा है । जनता दल की नयी सरकार आयी है बहुत से साथी हमारे उसमें चुनकर आये हैं एक नारे पर । दो साथी उत्तराखंड के नाम पर श्री एरी जी और श्री बिष्ट जी आये हैं, जिन्होंने पेडों को काटकर के इसके आंदोलन को आगे बढ़ाया । पता नहीं क्यों जब पेड़ काटकर आंदोलन चलाया और चुनकर आ गये तो अब जनता दल के समर्थन में चुप होकर बैठ जाते हैं । यह अफसोस की बात है कांग्रेस सरकार के जमाने में तो इन्होंने कानून तोड़कर के पेड़ों को काटा है आज वे चुप हैं ।

.....मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि यदि वन संरक्षण अधिनियम में ढील नहीं दी गयी तो यह उत्तराखंड का आंदोलन जोर पकड़ेगा । मैं 2-3 बातें और कहना चाहता हूं, मैं एक नियम है, वह वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम है, इसके अनुसार हम वन्य जंतुओं को मार नहीं सकते हैं, इसी का नतीजा है कि आज जंगली जानवर लोगों को मार रहे हैं । मैं इस सरकार की नीति के बारे में कहना चाहता हूं कि अगर कोई हिंसक बाघ किसी आदमी को मार कर खा जाता है, तो उसे मात्र 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाता है, लेकिन अगर प्रदेश में जातीय संघर्ष में, साम्प्रदायिक संघर्ष में, या अन्य किसी संघर्ष में कोई आदमी मारा जाता है, तो सरकार द्वारा उसे 1 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाता है, यह सबसे बड़ी विडम्बना आज मौजूद है । इसलिए वन जन्तुओं द्वारा मारे जाने पर एक लाख रुपये देने की कृपा करें । तीन बड़े राष्ट्रीय पार्क हैं, इसमें एक राजाजी पार्क है, दूसरा कार्बेट पार्क है और तीसरा दूधवा पार्क है । इन पार्कों के संबंध में एक नियम है कि वहां रहने वाले लोग इधर से उधर नहीं जा सकते हैं । मेरी सरकार से अपील है कि जो कार्बेट नेशनल पार्क है, उसके बीच में कुछ गांव धारा, झिरना कोठीरो हैं । पार्क के हित में तथा जनहित में उन लोगों को वहां से हटाना बहुत जरूरी है, लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जबकि 18-20 साल का समय हो गया है । मैं सरकार से चाहूंगा कि उन लोगों को वहां से हटा दिया जाय । इसी तरह लोगों का वहां चलना बंद कर दिया गया है, इससे लोग बहुत परेशान हैं ।

श्री उपाध्यक्ष---

अब समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया है, मैंने दूसरे सदस्य को बुला लिया है ।

श्री अनवार मोहम्मद खां---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । मैं माननीय वन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आज हमारे फर्रूखाबाद में जलाने की लकड़ी डेढ़ रुपये किलो बिक रही है और अगर किसान कोई अपने पेड़ काटता है, शादी के लिए, ब्याह के लिए या अन्य किसी काम के लिए, तो जब वह लकड़ी बेचने जाता है, तो 30 प्रतिशत सैकड़ा उससे पुलिस वाले ले लेते हैं और 20 प्रतिशत सैकड़ा जंगल विभाग वाले ले लेते हैं, इस तरह से उस गरीब किसान का 50 प्रतिशत निजल पेड़ में चला जाता है, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस संबंध में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह किसान जब चाहे, अपना पेड़ लगाये और जब चाहे अपना पेड़ काटे । इसी तरह जो किसान गन्ना-उखाड़ी आदि बोते हैं, वह अब बाग लगा रहे हैं, क्योंकि उनको 9 हजार बीघा तक का दाम मिल जाता है । मेरी सरकार से मांग है कि वह किसान को इस बात के लिए फ्री करे कि वह किसान जब चाहे पेड़ लगाये और जब चाहे पेड़ काटे । वन विभाग अपने जंगलों की रखवाली करे । इसी तरह जो नीलाम करते हैं, उसमें खुली बोली होनी चाहिए, उसमें ठेकेदार भी बोली बोले, आरा मशीन वाले भी बोली बोलें । इसी प्रकार जो लकड़ी के दाम की बात है, वह हमारे यहां 40 रुपये में मिलती थी, अब 150 रु0 में कायम गंज में बिक रही है । जबकि वही लकड़ी लालकुआं, हल्दवानी में 100 रुपये में मिलती है, अतः इस ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए । लकड़ी ढुलान पर प्रशासन की तरफ से प्रतिबन्ध है या नहीं । जिले में प्रतिबन्ध की वजह से तकरीबन 25,000 हजार लोग लकड़ी का कारोबार करने वाले बेरोजगार होकर भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं । अन्त में मैं इस बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री महेन्द्र सिंह---

मान्यवर, देश की बात आई और खिलाड़ियों की बात आई, लेकिन इस बजट में खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में कुछ नहीं कहा गया । न ही खिलाड़ियों के भविष्य के लिए कोई योजनायें ही इस बजट में रखी गईं । आज मेरे जनपद के दो लड़के अर्जुन एवार्ड जीतकर आए हैं, इसी तरह दो लड़के वहां के एशिया में गोल्ड मेडलिस्ट हैं । एक लड़के ने गोल्ड मैडिल, एक लड़के ने सिल्वर मैडिल और पांच लड़कों ने राष्ट्रीय स्तर पर मैडिल जीते । लेकिन उनको देश या प्रदेश की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं दिया गया । उनको कोई मकान आदि की सुविधा नहीं दी गई जिससे वह अपने बच्चों का भविष्य अच्छा बना सकें । पिछली सरकार ने हमारे जनपद में स्पोर्टस काम्पलेक्स खोलने की घोषणा की थी । मान्यवर, मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उसको पूरा किया जाय । इन बच्चों ने जो खेलों के द्वारा उपलब्धियां पाई हैं उन्हें किसी भी स्तर से कोई प्रोत्साहन या अनुदान नहीं दिया गया है । यदि हमारे जनपद में जो स्पोर्टस कैम्पलेक्स खोलने की घोषणा सरकार ने की थी उसे खोल दिया जाय तो हम समझेंगे कि यह इन बच्चों की एक उपलब्धि ही है । पर्वतीय अंचल से 50-60 लड़के हर साल यहां पर आते हैं और वह यहां से इण्टरमीडिएट कर के जाते हैं । ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं फिर बाद में उसी शहर में नौकरियों के लिए धक्के खाते हैं । मेरा करबद्ध निवेदन है कि प्रदेश में हर विभाग में उनके लिए 5 प्रतिशत नौकरियां सुरक्षित रखनी

चाहिए । मान्यवर, वन संरक्षण अधिनियम की बात आई । इस सम्बन्ध में अभी कई माननीय सदस्यों ने बात कही । इस अधिनियम के तहत पर्वतीय अंचलों में सारी योजनायें अधूरी ही रह गई हैं । मेरा जनपद ऐसा है जहां पर ब्लाक प्रमुख 60 किलो मीटर पैदल चलकर अपने ब्लाक मुख्यालय तक जाता है । मान्यवर, वहां पर जो योजनायें अधूरी रह गई हैं जो कार्य रुके हुए हैं उनको तेजी से शुरू किया जाय । सरकार ने ग्रामीण अंचलों में सुलभ शौचालय की योजना बनाई हमें खुशी है परन्तु सरकार ने पर्वतीय अंचल में जलाने की लकडी गैस आदि की सुविधा का ध्यान नहीं दिया । सरकार से निवेदन है कि सम्पूर्ण पर्वतीय अंचल में टाल की सुविधा उपलब्ध करायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया अब आप बैठ जायं । आप जो बोलेंगे कार्यवाही में नहीं लिखा जाएगा । (कई सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने से व्यवधान)

श्री प्रभु दयाल प्रधान–

मान्यवर, एक कहावत है यथा राजा तथा प्रजा । मान्यवर, आज के पहले जो सरकार रही है उसने भी खिलाड़ियों को कोई प्रोत्साहन नहीं दिया । खिलाड़ी के लिए तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं । पहली ताकत, दूसरी चरित्र और तीसरी खुराक । यहां पर बढ़ावा ऐसे लोगों को नहीं दिया गया जो चरित्रवान हों । यहां पर बढ़ावा दिया गया साइकिल चोर को, स्कूटर चोर को, हवाई जहाज चोर को । ऐसे लोगों को प्रोत्साहन दिया गया । इस तरह से कैसे खिलाड़ियों में चरित्र का विकास होता । अच्छी खुराक में दूध और घी की आवश्यकता होती है जो इनको मिल नहीं पाता है । पिछली सरकार ने अपने डाक्टरों की राय से यह कह दिया कि कौलिस्टरम अण्डा में होता है अण्डा खाओ । यदि कौलिस्टरम में कोई जवान आदमी अण्डा खायेगा तो उसकी क्या हालत होगी । देशी घी तो मिल नहीं रहा है । अण्डा खाने वाला कोई आदमी मेरे (मुझ बुड्ढे से) से मुकाबला नहीं ले सकता ।

स्वीमिंग पूल का मुकाबला आप गांव के किसी तालाब के तैराक से करके देख लीजिए । मेरा कहना तो यह है कि गांव से आप छांटकर खिलाड़ी लीजिए । उसमें मतभेद नहीं होना चाहिए । बड़े आफिसरों के लड़के व सामान्य शक्तियों के लड़कों को न छांटा जाय । गांवों में गुल्ली-बल्ला खेला जाता है, परन्तु यहां पर क्रिकेट को बढ़ावा दिया जा रहा है । जो बहुत ही सस्ता खेल है । एक बाल फेंक रहा है, तो एक उसे मार रहा है तो कुछ इधर-उधर खड़े हैं कोई मेहनत नहीं आप कबड्डी क्यों नहीं करवाते । आपको हीरा मिल जायेंगे पहले गांव से व फिर जिलों से लड़कों को छांटें । बड़े लोगों के लड़के नहीं गरीब के बच्चे होने चाहिए, तभी खेलों के मामले में इस देश की इज्जत बच पायेगी । गरीब के बच्चे में चरित्र व ताकत होती है ।

वनों के नाम पर आज कितना ढकोसला हो रहा है । वन काश्तकार लगाता है, मजदूर लगाता है, परन्तु यदि काश्तकार को उसे काटने का अधिकार ही नहीं है तो वह उसे लगाए क्यों । उसके लड़के की शादी है, परन्तु वह पेड़ नहीं काट सकता है । यदि वह काटता है तो उसे 30 परसेन्ट दरोगा को देना पड़ता है, 30 परसेन्ट वनों के अधिकारियों/कर्मचारियों को देना पड़ता है, 30 परसेन्ट ढुलान वालों को, अब आप बताइये कि उसके पास क्या रहेगा । अब उसे एक पेड़ की जगह पर तीन पेड़ काटने पड़ेंगे, तब उसके लड़के

की शादी होगी । इसलिए मेरा कहना है कि इस प्रतिबन्ध को समाप्त किया जाना चाहिए । इन्हीं शब्दों के साथ मैं खेल व वन के बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अमर मीण–

मान्यवर, आपने वन एवं खेल के बजट पर रखे गए कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । यह एक महत्वपूर्ण विषय है । इस सरकार से हम खेल की उम्मीद करें, जिसके दामन पर हमारे जनपद के अन्तर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सैय्यद मोदी के [X X X] इस सरकार पर लगा हो, ऐसी सरकार से हम खेल की उम्मीद नहीं कर सकते हैं ।

(सत्ता पक्ष से कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य, आप विषय पर बोलिए ।

श्री बाबूराम यादव–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने जो कहा है, उसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

यदि कोई ऐसी गलत बात होगी, तो मैं कार्यवाही को देख लूंगा और उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा ।

(व्यवधान)

***श्री अमर मीण–**

मान्यवर, मैं स्वयं खिलाड़ी रहा हूं इसलिए एक खिलाड़ी की वेदना से परिचित हूं । 85 प्रतिशत आबादी आज गांवों में रहती है, जो खेल सुविधाओं से वंचित है । हमारे तमाम सदस्यों ने सुझाव रखे । मैं कहना चाहता हूं कि खिलाड़ी का खेल कौशल इस बात का द्योतक होता है कि उस देश की सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, उस देश का विकास कैसा है । आज दुनिया में जब हम खेल के क्षेत्र में देखते हैं, तो हमारे खिलाड़ियों को शून्य मिला होता है । जबकि आबादी के हिसाब से हम तीसरे स्थान पर हैं । जब तक हम 85 प्रतिशत गांवों में रहने वाले लोगों को खेल सुविधा नहीं देंगे तब तक हम इस क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकते हैं ।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में 100 कि0 मी0 जंगल है । जंगल के लोगों की असली वेदना से मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं । हमारे यहां जो जंगल का बजट रखा है, किन्तु वन मंत्री जी वहां पर मौजूद नहीं हैं ।...

नोट---[XXX] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।
*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

हमारे बोलना शुरू करते ही चीफ कन्जर्वेटर भी उठकर चले गए । अपने सुझाव इस सदन में रखना चाहता हूं । इस समय वनों का कटान चरमोत्कर्ष पर है । अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि वन्य जन्तुओं को मार देना चाहिए क्योंकि वे हिंसक हो गए हैं, मेरी मांग है कि वन्य जन्तुओं को संरक्षण मिलना चाहिए । उनके मारे जाने की बात का मैं घोर विरोधी हूं । वनों का कटान लक्ष्मीपुर और चौक रेंज मिलाकर हुआ है । वनों की कटान पर अगर रोक लगानी है तो माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनके अधिकारों में वृद्धि की जाय नहीं तो रोक नहीं लग सकती है । जहां तक वनटोंगिया मजदूरों की बात है, जो कई पुश्तों से वनों में काम करके अपनी जीविका चलाते हैं, उन्हें वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया है । मैं चाहूंगा कि उन्हें यह अधिकार मिले ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप कृपया बैठें ।

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने बजट पर बोलने का मौका दिया । मेरा पर्वतीय क्षेत्र के वनों से विशेष सम्बन्ध है । मैं पर्वतीय क्षेत्र से चुनकर आता हूं । वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के कारण आज पर्वतीय क्षेत्र में विकास योजनायें ठप्प पड़ी हैं चाहे नहरों की योजना हो, सड़कों की योजना हो. विद्युतीकरण की योजना हो या सडक की योजना हो । यह विडम्बना है कि जब हम विपक्ष में बैठते थे तब भी इसे काले कानून की संज्ञा देते थे आज जो उस समय प्रतिपक्ष वाले विपक्ष में बैठे हैं वे भी काले कानून की संज्ञा देते हैं । मैं माननीय वन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि काले कानून को सफेद करने की व्यवस्था करें ताकि अवरोध जो विकास के मार्ग में लगा हुआ है, फिर से विकास की बात हो सके । आज वन क्षेत्र में देखा जाय तो बड़े पैमाने पर वनीकरण की बात कर रहे हैं । वन विभाग के लोग शासन के पास ऐसे आंकड़े भेज रहे हैं जो फर्जी हैं । वनीकरण के नाम पर पहाड़ में चीड़ लगाया जा रहा है, इसका लगाना बहुत ही सरल होता है, अगर कहीं इसका बीज वैसे भी गिर जाय तो पेड निकल आता है । यह पेड़ जमीन का सारा पानी सोख लेता है और उस जमीन में दूसरी कोई प्रजाति नहीं हो सकती है । हमने सुझाव दिया कि अपने विभाग के लोगों को निर्देशित करें कि ऐसी प्रजाति के पौधे लगायें जो आम आदमी की जरूरत को पूरा कर सकें जैसे पशुओं के चारे और ईंधन के लिए जिन प्रजातियों का इस्तेमाल किया जा सकता है उनको लगाने की बात करें । एक तरफ वन संरक्षण अधिनियम है दूसरी तरफ वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम है । आज कई वन्य जन्तु इतने हिंसक हो गए हैं कि उन्होंने लोगों को खा लिया है । हमारे क्षेत्र में आदमखोर बाघों ने कई व्यक्तियों को खा लिया है । जितनी भी मौतें हुई हैं आदमखोर बाघों के जरिए, उनमें मृतक के परिवार वालों को मात्र 10 हजार रु0 मुआवजा दिया जाता है जब कि आज साम्प्रदायिक दंगों में व दुर्घटनाओं में मरने वालों के परिवारों को एक लाख रु0 दिया जाता है । मैं मांग करता हूं कि इस मुआवजे की धनराशि भी एक लाख रु0 कर दी जाय । इसी तरह से आज वहां पर पालतू जानवर भी मारे जा रहे हैं, बाघों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि दिन में भी बाघों को देख सकते हैं लेकिन वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम है, आम आदमी तो कुछ कर नहीं सकता है ।

और कार्बेट नेशनल पार्क में जो टाईगर प्रोजेक्ट बना हुआ है वहां पर बसे घाटा भिरना, कोठी गांव के कई व्यक्तियों व जानवरों को बाघों ने खा लिया है । टाईगर प्रोजेक्ट को गांव के पास से हटाया जाय और या तो गांवों को दूसरी जगह पर बसाया जाय । आशा है कि मेरे सुझाव पर यह लोकप्रिय सरकार अवश्य विचार करेगी ।

जिस तरह से टाईगर प्रोजेक्ट को कम्पनसेशन दिया जाता है इसी तरह से वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत जो समस्त पर्वतीय क्षेत्र आते हैं उन पर भी यह नियम लागू किया जाय । वन संरक्षण अधिनियम के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं उनकी एक समिति बनायें और इस संबंध में मा0 प्रधान मंत्री से और भारत सरकार से बात करें और लोगों को संरक्षण प्रदान करें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं वन विभाग के बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अमरनाथ यादव--

मान्यवर, आपने जो खेल के बजट पर मुझे बोलने का मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद । मैं आपके माध्यम से मा0 खेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि खेल के प्रोत्साहन और प्रगति में सन् 1974-75 से खेल निदेशालय बराबर कार्य कर रहा है, लेकिन चिन्ता के साथ और बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि स्कूली खेल जो होता है उसके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है । इस बात पर चिन्ता व्यक्त करते हुए मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि स्कूली खेल के प्रत्येक गांवों में, प्रदेश के गांव-गांव में जो विद्यालय खुले हुए हैं जिनके माध्यम से शिक्षा के साथ ही साथ खेल की ओर भी ध्यान दिया जाता है, उन पर शासन का ध्यान बिलकुल नहीं है । केवल सरकारी माध्यम से जो खेल-कूद होते हैं उस पर ही सारा बजट का पैसा आबंटित किया गया है और स्कूली खेलों की उपेक्षा की गयी है । इससे खेल जगत में प्रदेश के सम्मान को धक्का लगा है, देश का खेल जगत में उसमें जो सम्मान हमारे खेलों को मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है ।

आज विद्यालयों में जो खेल की स्थिति है, जो खेल 1951-52 में स्कूलों और विद्यालयों में खेले जाते थे, वैसी नहीं है । पहले खेल के उपकरण इतने महंगे नहीं थे जबकि आज उनके दाम में 10-15 गुनी बढोत्तरी हो गई है । खेल का जो 51-52 में किया जाता रहा वही किया जा रहा है मैं यह नहीं चाहता हूं कि खेल शुल्क में बढ़ोत्तरी की जाय । परन्तु यह चाहूंगा की विद्यालय को खेल उपकरण हेतु अनुदान दिया जाय । इसलिए खेल के बजट में भी बढोत्तरी की जाय, लेकिन मैं खेल विभाग के माध्यम से चाहूंगा कि खेल के उपकरण के लिए आर्थिक सहायता दी जाय । दूसरी बात यह कि खेल के लिए आज स्कूलों में कोई अध्यापक नहीं है इसलिए हर विद्यालय में खेल के अध्यापक की व्यवस्था की जाय तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश का खेल में स्थान उभर कर सामने आयेगा ।

मैं चाहूंगा कि खेल मंत्री हर विद्यालय में हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज तक कम से कम एक खेल अध्यापक अवश्य दें ताकि उसके माध्यम से छोटे-छोटे बच्चों में वह खेल के प्रति भावना विकसित कर सके जो कि आगे चलकर प्रदेश का, देश का नाम खेल जगत में विश्व में रोशन कर सकें ।

मान्यवर, गत जनवरी माह में जो राष्ट्रीय स्तर पर सुब्रतो फूटबाल टोर्नामेंट हुआ था, उसमें वाराणसी के आदर्श सेवा विद्यालय की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, लेकिन आज तक उन खिलाड़ियों, बच्चों को कोई प्रोत्साहन या प्रशंसा पत्र नहीं दिये गये, जब कि इस सरकार ने (इस समय 4 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) अपने क्रिया कलापों में उसका जिक्र किया है । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि विद्यालयों में खेल अध्यापक की व्यवस्था होनी चाहिये, इससे खेलों को बढ़ावा मिलेगा ।

(व्यवधान)

*श्री जगदीश लाल

मान्यवर, खेल और पर्यावरण का जो बजट सत्ता पक्ष की ओर से माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं । मान्यवर, जहां तक खेलों का संबंध है, यह जो विपक्ष में बैठे हुये हैं, यह सत्ता के खिलाड़ी है और जब इनके हाथ से सत्ता छिन गयी है, तो इनके विचार क्रांतिकारी हो गये हैं । जब एशियाड के खेल हुए थे, तो हम लोगों ने दिल्ली में सत्ताधारियों को बताने की कोशिश की थी कि गांव स्तर के लोगों को खेलों के लिये चुनने का प्रयास किया जाना चाहिये । मान्यवर, गांवों में खेलकूद का कोई स्थान नहीं है । आप को कोई खेल की राष्ट्रीय नीति स्थापित करना चाहिये और उत्तर प्रदेश को उसका अनुसरण करना चाहिये ।

मान्यवर, जहां तक वन विभाग का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस सिरसा बाजार विधान सभा क्षेत्र से मैं आया हूं वहां पर जंगल बहुत हैं और वन संपदा बहुत अधिक है । इस क्षेत्र में सोहगी बरवा में वन-संपदा बहुत अधिक है, लेकिन वहां पर बहुत विकट समस्यायें हैं । किसानों की जमीन है, उस पर जंगल विभाग ने मुकदमा दायर कर रखा है, जिसके कारण उनको प्रोत्साहन मिलने के बजाय प्रताड़ना मिल रही है । वहां के लोग न कोई पक्का मकान बना सकते है, न कच्चा मकान बना सकते हैं, उनका इस प्रकार से उत्पीड़न किया जा रहा है । इसको समाप्त किया जाना चाहिये । वहां के लोग जिस स्थिति में रहते हैं, उन्हें सत्ता का कोई फायदा नहीं मिल पाया है । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि इन तमाम चीजों को देखकर कोई निर्णय लें और वन संपदा की रक्षा करने के प्रयास किये जायें । मैं यह कहकर बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री जफर अली नकवी

मान्यवर, कुछ बातें कहने को रह गयी थी, मैं उन को भी आपके माध्यम से रखना चाहता हूं । हमारे यहां पर स्पोर्ट्स कालेज बहुत कम हैं । दो कालेज हैं, जो नाकाफी हैं । मेरा आग्रह है कि खेल के स्कूल खुलवायें । लखनऊ राजधानी में एक स्टेडियम है, जिसमें बहुत सी कमियां हैं और स्टेडियम बनाया जाये । कानपुर ग्रीन पार्क जहां पर मैच होता है, उसकी ठीक से देख-रेख नहीं हो पाती है, इसके लिए उचित व्यवस्था की जाये । इसके अतिरिक्त लखनऊ में अधिकारियों के लिये तो क्लब हैं, लेकिन अगर विधायक खेलकूद करना चाहें तो उनके लिये कोई स्थान नहीं है, इसलिये मेरा अनुरोध है कि विधायकों के लिये भी क्लब बनाये जायें, तो अच्छी बात होगी । इसके बारे में पहले विचार हुआ था, परन्तु उसका प्रावधान नहीं हो सका है । मान्यवर, निदेशक का एक पद एक मार्च से खाली पड़ा है ।

श्री भम्मन लाल शर्मा इसके डाइरेक्टर थे, वे रिटायर हो गए हैं । तब से यह पद अभी तक भरा नहीं गया है । इसलिए जब तक स्थायी रूप से निदेशक की नियुक्ति नहीं होगी तब तक कोई कन्ट्रोल इस खेल-कूद निदेशालय पर नहीं होगा । इसलिये आप निदेशक का सबसे पहले चयन करें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, दो-चार बातें मुझे और कहनी हैं । वन विभाग में आज पूरे प्रदेश के अन्दर भारी संख्या में पेड़ कट रहे हैं । इसमें वन विभाग की जिम्मेदारी के साथ-2 पुलिस का भी बड़ा हाथ होता है । जब पेड़ कटते हैं तो वन विभाग के अधिकारी पुलिस के ऊपर और पुलिस के अधिकारी वन विभाग के ऊपर दोषारोपण करते हैं । इसलिये इसकी आप जांच करायें । पुलिस विभाग को अपनी तरफ से आप निर्देश दें कि जिस थाने के अन्तर्गत जिस हल्के में पेड़ काटे जायेंगे, यह उसकी जिम्मेदारी होगी । इसके अतिरिक्त दुधवा टाइगर प्रोजेक्ट जो आपका काम कर रहा है उसमें किशनपुर सैंक्चुअरी नहीं रखी गई है । इसको उसमें लाने की कोशिश करें । इसके अतिरिक्त वन से सम्बन्धित जो उद्योग हैं उनको मंत्री जी ने हाई-लाइट नहीं किया है । मैं समझता हूं कि उनमें यदि उद्योग लग सकें तो उससे हमारे जो नौजवान हैं और लोग हैं वनों का कटान रोकने के साथ-साथ उसमें उद्योग भी लगा सकते हैं । इस दिशा में आपको विचार करना चाहिये ।

फारेस्ट गार्ड जो वनों की हिफाजत करते हैं उनको खाकी वर्दी दी जाती है लेकिन उन्हें कोई काननी अधिकार नहीं दिया गया है । अगर कोई पेड़ काटने के लिये आता है और फारेस्ट गार्ड गोली चलाता है तो उस पर जो मुकदमा चलाया जाता है वह एक आम आदमी की तरह चलाया जाता है । यदि आप फारेस्ट गार्डों द्वारा पेड़ कटने से बचाना चाहते हैं तो उनको आप यह अधिकार दें । जब तक इन फारेस्ट गार्डों को अधिकार नहीं दिया जायेगा तब तक कटान आप नहीं रोक सकते हैं ।

एक बात और कहना चाहता हूं वनों में जिस तरीके से आदिवासी लोग तराई के इलाके में रहते हैं उसी तरह से गूजर लोग भी कई वर्षों से वनों के अन्दर रहते चले आये हैं । वह भी इन्सान हैं और जंगलों से मिले हुये हैं इसलिये उनके लिये भी समुचित व्यवस्था करना आपकी जिम्मेदारी है । यदि आप उनको हटाते हैं तो उनके लिये आपको स्कूल मकान आदि सुविधायें मुहैया करनी होंगी । राजा जी पार्क में तीन साल से विस्थापितों की समस्या बनी हुई है । उसे आप अभी तक ठीक नहीं कर पाये हैं । जब मैं मंत्री था तो मौजूदा मंत्री जी ने मुझसे यह बात कही थी लेकिन अब आप अपने समय में भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं । मैं चाहूंगा कि आप उनकी समस्याओं को दूर करें ।

इसके साथ ही मैं एक दूसरी बात निवेदन करना चाहूंगा कि जो अच्छी प्रजातियों के पेड़ हैं उनकी कमी होती चली जा रही है जोकि यहां की संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है । जैसे कदम का पेड़ है । यह मथुरा वृन्दावन में पाया जाता है । यह भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है जो धार्मिक स्थानों में होता है । इसका ऐतिहासिक महत्व भी है । इस पर आपको विचार करना चाहिये । इसकी प्रजातियों को बढ़ावा दिया जाय ।

मान्यवर, एक-दो बातें और कहना चाहूंगा । तेंदू पत्ता आपके कारपोरेशन के अंतर्गत आता है । यह मध्य प्रदेश के बार्डर के पास पाया जाता है । इसका पत्ता धोकर लोग मध्य प्रदेश ले जाते हैं । इस तेंदू पत्ते की ब्लैक मार्किटिंग की जाती है । इसकी वजह यह है कि पहले इसका मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में एक ही रेट था और अधिकारी लोग बैठकर इसको तय करते थे ताकि इसकी चोरी न हो सके । इसका रेट अब उत्तर प्रदेश में 18 रुपया तथा मध्य प्रदेश में 25 रुपया है । इसलिये मध्य प्रदेश के लोग 18 रुपये में उठाकर इसे ले जाते हैं । इसको रोकने के लिये आप दोनों प्रदेशों के अधिकारियों की मीटिंग बुलायें ।

एक समानान्तर रेट करवायें ताकि तेंदू पत्ता यही बिक सके और हमारी अधिक आमदनी हो सके ।

इसी के साथ दो एक बातें और कहनी हैं शैडयूल कास्ट का कोटा आपके विभाग में है उसे पूरा करें भले ही वह समाज कल्याण विभाग की मांगों में आता है लेकिन जो उनकी जगहें हैं उनको पूरा किया जाय ।

आखरी बात एक और कहना चाहता हूं कि अपने यहां दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में हैं उनको सालों से परमानेन्ट नहीं किया गया है । इस तरह से अगर कर्मचारियों को रखा जायेगा तो उनका लगाव विभाग से नहीं रहेगा । यह जानकर अफसोस होता है कि 17 सालों से लोग काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें परमानेन्ट नहीं किया गया है । आप एक सीमा निर्धारित कर दें कि 5 या 6 साल में स्थायी कर दिया जायेगा ।

इन शब्दों के साथ मैंने अपने जो सुझाव पेश किए हैं मुझे विश्वास है कि उन पर कार्यवाही की जायेगी वनों के संरक्षण की आप और हम सब पर जिम्मेदारी है । इसलिये जो सुझाव यहां पर आये हैं उन पर आप ध्यान दें मैं चाहता हूं कि कटौती का प्रस्ताव कायम रहे ।

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राजमंत्री (श्रीमती सुखदा मिश्रा)

माननीय अध्यक्ष जी, सत्ता और विपक्ष से जो सुझाव माननीय सदस्यों के आये हैं उनका मैं स्वागत करती हूं । माननीय भूतपूर्व ग्राम मंत्री जी ने भी कुछ सुझाव दिए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं । यहां पर कुल मिलाकर 26 माननीय सदस्यों ने दोनों पक्षों से सुझाव रखे हैं । सर्वप्रथम माननीय नकवी जी ने जो बातें कही हैं उनको बताना चाहती हूं । उन्होंने गोरखपुर में कोई स्पोर्टस कालेज नहीं है कहा तो मैं बताना चाहती हूं कि वहां पर स्पोर्टस कालेज है जिसमें 152 विद्यार्थी हैं और वह काम कर रहा है । इसी प्रकार उन्होंने पूर्वान्चल में एस्टोटार्फ के बारे में कहा वहां इसकी व्यवस्था होनी चाहिए । तो बनारस में एस्टोटार्फ की व्यवस्था हो रही है । लखनऊ में स्विमिंगपूल बच्चों के लिए बनाया गया है क्योंकि अब जो नयी प्रणाली है उसके अनुसार यह खोला गया है ।

श्री श्याम देव राय चौधरी दादा–

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बनारस में एस्टोटार्फ कहां पर बना है । मंत्री जी द्वारा उत्तर दिये जाने पर मैंने पुनः कहा था कि "वाराणसी में अभी तक कहीं भी एस्ट्रोट्राफ नहीं बिछाया गया है" । शीघ्र बिछाया जाय ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

आपके स्पोर्टस कालेज के अंदर ही इसकी स्वीकृति दी गयी है उसका काम भी हो रहा है ।

माननीय नकवी जी ने राजाजी पार्क में दो हाथियों के मारे जाने की बात कही है उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी के गृह जनपद में यह हो रहा है और उन्होंने होने

उस पर कोई ध्यान नहीं दिया । तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि जनवरी 90 में एक हाथी मारा गया था लेकिन उसके दांत विभाग वालों ने ही निकलवाये थे ।

और इस बात की पुरी सूचना विभाग को थी, इसलिये कोई चोरी से मारने की बात नही है ।

मान्यवर, इसी तरीके से दुधवा पार्क में उन्होंने कहा कि 1987 में एक शेर की हड्डियां पायी गयी थीं, तो 1987 का मामला है, उसके बाद ऐसी कोई बात नहीं हुई है । किस तरह वहां हड्डियां पायी गयी इसकी सूचना नही है, हो सकता है कि प्राकृतिक रूप से मरा हो ।

मान्यवर, कस्तूरी मृगों के सम्बन्ध में नकवी जी ने अच्छा सुझाव रखा कि उनका संरक्षण किया जाये । पर्वतीय क्षेत्रों में गोविन्द एश विहार में इन जन्तुओं को संरक्षण किया जा रहा है और 1972 में इसका एक अधिनियम और बनाया गया था जिसके अन्दर इस तरफ विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

मान्यवर, टेरीटोरियल रेन्जर अधिकारी को हटाने की बात किया, तो उसको हटाने के आदेश कर दिये हैं और उसके खिलाफ जांच चल रही है ।

मान्यवर, कई सुझाव माननीय सदस्यों ने दिये हैं । नकवी साहब ने कहा कि वह मीलों चले जाते हैं और उन्हें किसानों या स्कूलों की नर्सरियां कहीं दिखाई नहीं पड़ती हैं, तो मैं बताना चाहती हूं कि प्रदेश में 922 स्कूलों मे पौध शालाए और नर्सरी काम कर रही हैं या उगायी जा रही हैं । प्रदेश में 9061 किसानों ने नर्सरियां बनायी हैं जिनमें 1.24 करोड़ की पौध लगाई गई है । तो वह ऐसे क्षेत्र में चले गये होंगे जहां उनको पता नहीं चला ।

बहुत से माननीय सदस्यों ने पेड़ों की कटान के सम्बन्ध में चिन्ता व्यक्त किया कि उस पर रोक नहीं है । हमने बजट रखते समय यह कहा था कि इसकी व्यवस्था सख्ती से की जा रही है और इसीलिये एक ट्रेनिंग सेन्टर भी खोला गया है जिसमें वनरक्षा के साथ साथ पेड़ों की कटान को कैसे रोका जाये यह भी मांग स्वीकार की गई है हालांकि धन की कमी के कारण पूरी व्यवस्था नहीं हो पा रही है । बजट की बात करते समय अधिकारियों से पूछा था कि जो पुलिस की शिकायतें आती है कि भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण लकड़ी कटवाने के कारण उसमे मिली भगत रहती है, तो अधिकारियों से पूछा था कि इसमें क्या हो सकता है तो उन्होंने कहा यदि आरी पुलिस की व्यवस्था करते है तो ढाई करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इस पर ढ़ाई करोड़ रुपये खर्च कर सकें, इसलिये उतनी सख्ती में कुछ कमी हो सकती है । लेकिन इस कानून पर भी अब विचार हो रहा है कि जो लोग अपनी गाड़ियां लेकर जंगल में जाते है और लकड़ी भरवाते और कटवाते है और चले आते है एवं कचहरी से छूट जाते हैं, तो इसमें नियमों में परिवर्तन पर विचार हो रहा है कि उनकी गाड़ियां और लकड़ी जब्त कर ली जाये । और सरकार कोशिश करेगी कि जो लकड़ी चोरी से काटी जाती है उसकी सुरक्षा और व्यवस्था की जाये ।

मान्यवर, डी0 एफ0 ओ0 के जो कानूनी अधिकार हैं उनको भी बढ़ाने पर गंभीरता से विचार हो रहा है, जब फैसला हो जायेगा तो हमारी लकड़ी के कटान में काफी बचाव आ जायेगा ।

मान्यवर, कुछ मा0 सदस्यों ने, बी0 एस0 पी0 के श्री सुलेमान जी ने कहा कि ठेकेदारी प्रथा को आंशिक रूप से शुरू कर देना चाहिये और 60 प्रतिशत सरकार निगम की तरफ से और 40 प्रतिशत ठेकेदार की तरफ से लकड़ी खरीदना चाहिये ।

मैं आदरणीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि इसके पहले जब यह निगम बना था तो उस समय भी एक आन्दोलन इसके खिलाफ हुआ था और जो ठेकेदारी प्रथा थी, जिसमें विशेषकर मजदूरों को बहुत तंग किया जाता था, उनको मजदूरी नहीं दी जाती थी और लकड़ी की चोरी भी बहुत ज्यादा होती थी, और जहां इस तरह की प्रथा है भी ठेकेदार लोग परस्पर मिलकर ऐसी बोली बोलते थे कि सरकार को नुकसान होता था, इसलिये यह नियम बनाया गया था । इसका उद्देश्य यह था कि जंगल की लकड़ी निगम खरीदें और वह उसका सही पैसा कर, उसको वन सरकार का राजस्व के रूप में वापस करे, और मुझे इस बात की सूचना है कि पिछले साल तो अभी एक आडिट में फर्क था, लेकिन उसके भी पहले साल 15 करोड़ का लाभ निगम ने राजस्व के रूप में सरकार को दिया था, और इस साल करीब 25 करोड़ का लाभ वह सरकार को देंगे । इससे साफ जाहिर होता है कि इस प्रथा से सरकार को लाभ है और निगम से हमको बहुत फायदे हैं, और ठेकेदारी प्रथा से जनता और मजदूरों के साथ हमें भी काफी नुकसान था और पुन: शुरू करके हमें नुकसान हो सकता है । माननीय सदस्यों और विशेषकर पहाड़ी दोस्तों ने यह कहा कि जो हमारे लिए चिन्ता का विषय है । इस बात की चर्चा काफी दिनों से चल रही है जो उन्होंने कहा कि 1980 का वन संरक्षण अधिनियम है, उस नियम के अंतर्गत हमको कोई पुल बनाना हो या इमारत बनाना हो या और कुछ बनाना हो तो पहले सरकार को भारत सरकार से उसके लिये लिखना पड़ता है, और वहां से जब उसके लिए आज्ञा आ जाती है तब हम उस काम को शुरू कर सकते हैं । इससे हमें कुछ विलम्ब अवश्य हो जाता है। लेकिन हम माननीय सदस्यों को बताना चाहेंगे कि विभाग के प्रयत्न से कुल 1692 ऐसे केसेज थे, जिन्हें भारत सरकार को लिखा गया था और उसमें से 830 केसों का वहां से निस्तारण हो चुका है और बाकी के निस्तारण में भी हम तत्परता से लगे हुए हैं । हम इस बात का पूरा प्रयास करेंगे कि यह अधिनियम हमारे प्रगति के किसी काम में बाधा न बनने पाए । यहां के खेलों के बारे में जो बातें कही गईं, उसमें भी बहुत कुछ अच्छे सुझाव हैं । लेकिन आम बात जो हम कहना चाहेंगे वह यह है कि हर जिले में, हर ब्लाक में और हर तहसील में स्टेडियम खोले जायें, और वहां से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों को विकसित किया जाए । हमारे कुछ माननीय सदस्य जो विरोध में बैठे हैं, का कहना है कि इसमें पहलवानी के लिये और कबड्डी के खेल के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है, वह और भी कुछ व्यवस्था चाहते हैं । हम भी उनके बारे में चाहते हैं कि वह की जाए ।

श्री हरेन्द्र सिंह मलिक---

हमारे पश्चिम ने देश को चार चार अच्छे ओलम्पियन दिये हैं, किन्तु प्रदेश सरकार की दोषपूर्ण नीतियों के कारण यह लोग आज प्रदेश की ओर से न खेलकर दिल्ली या अन्य दूसरे राज्यों की ओर से खेल रहे हैं, तो क्या पिछली सरकार की नीतियों के कारण खिलाड़ी और पहलवान जो दूसरे प्रदेशों में भाग ले रहे थे, उनको प्रोत्साहित करने के लिये आप कुछ कदम उठाएंगे ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

मान्यवर, माननीय सदस्य को बोलने का अवसर नहीं मिल पाया । हम प्रार्थना करते हैं कि कोई विचार, सुझाव हों, पहलवानों के बारे में तो वे भेज दें । हम उस पर विशेष ध्यान देंगे ।

एक सदस्य---

मान्यवर, बहुत से सदस्यों ने कहा कि जंगलों में जो जानवर मनुष्यों को मार देते हैं उन मनुष्यों को भी उतना ही मुआवजा मिलना चाहिये जितना कि साम्प्रदायिक दंगों में मरने वालों, जातीय दंगों में मरने वालों, आतंकवादियों द्वारा मरने वालों को दिया जाता है । मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि मनुष्यों के प्रति इस तरह का अलग-अलग दृष्टकोण न्यायोचित नहीं हैं ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा---

जो यह सुझाव आया है कि वन के जंतु जो लोगों को, बच्चों को मार देते हैं उन्हें अभी 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाता है, उसे बढ़ा दिया जाना चाहिये । यह एक अच्छा सुझाव है । हम इस सुझाव का स्वागत करते हैं । मुआवजे की राशि को बढ़ाने के लिए पुन: विचार करेंगे । इसके साथ-साथ जहां पर हम कह रहे थे कि स्पोर्ट्स का जो प्रश्न है, उसमें बहुत बढ़ोत्तरी हुई है । एक सुझाव यह आया था कि जो नदी के किनारे मल्लाह रहते हैं वे तैराकी में होशियार हो सकते हैं, यह एक अच्छा सुझाव है । आज हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ी आगे बढ़ें । तो इसके लिये बचपन से ही बच्चों को प्रशिक्षित करना होगा । बच्चों में बचपन से ही खेल की भावना को विकसित करना चाहिये । हमारी यह कोशिश रहेगी कि खेलों को और आगे बढ़ायें । एक और अच्छा सुझाव आया है कि स्कूलों में, कालेजों में खेल का प्रावधान होना चाहिये । सरकार इस पर विचार करेगी और पूरी कोशिश करेगी कि स्कूल, कालेजों में खेल की उचित व्यवस्था की जाय । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देती हूं और उन्होंने बहुत ही अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं । मैं उस पर गौर करूंगी ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि धनदान संख्या 23-खेल विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 23-खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले व्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धन-राशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,78,54,000 रुपये से अनाधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है अनुदान संख्या 54-वन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष

प्रश्न यह है कि 31 मार्च9, 1991 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 54-वन विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 67, 36, 02, 000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश श्री बद्री नाथ तथा केदार नाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1990

पर्वतीय विकास मंत्री (श्री बरीफया लाल जुबांठा)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, इस विधेयक पर विचार करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि चूंकि पहले जो अधिनियम बना हुआ था उसमें कुछ कमियां थी और उन कमियों को सही रूप में लाने के लिये अब अधिनियम बनाया जा रहा है । इसके लिये वैष्णोदेवी वाला अधिनियम मंगाया गया और तिरुपति मन्दिर वाला अधिनियम मंगाया गया । चूंकि यह बहुत बड़े सामाजिक और धार्मिक स्थान हैं इसलिये किस ढंग से इसको और प्रभावशाली बनाया जा सके इसलिये इस विधेयक को लाये हैं । मान्यवर, उत्तराखंड में

श्री पंचानन राय

मान्यवर, यह तात्कालिक व्यवस्था संबंधी अधिनियम है । यह समय बढ़ाने के लिये है । समय हम दे देंगे ।

श्री बरीफया लाल जुबांठा

मान्यवर, उत्तराखंड में 4 धाम हैं । बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमनोत्री । इनमें से गंगोत्री और यमनोत्री को हमेशा छोड़ दिया गया था तो इन दोनों धामों का समावेश किया जा रहा है इस वजह से इसमें निश्चित रूप से कुछ समय लगेगा । मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इसके लिये कुछ समय दिया जाय । मान्यवर, चूंकि मंदिर के कुशल प्रशासन के हित में उपयुक्त व्यवस्था को अन्तर जारी रखना आवश्यक समझा गया था और राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था इसलिये उक्त व्यवस्था की अवधि को 30 जून, 1990 तक बढ़ाने के लिये 29 मार्च, 1990 को राज्यपाल द्वारा

श्री पंचानन राय

मान्यवर, व्यवस्था का सवाल है । मंत्री जी उद्देश्य और कारण पढ़ रहे हैं ।
(मा0 मंत्री जी ने आसन ग्रहण कर लिया)

***डा0 शिवानन्द नौटियाल**

माननीय अध्यक्ष जी, बद्रीनाथ और केदारनाथ ऐसे विषय है जिसमें न तो किसी दल का ऐसा आग्रह है कि इसमें ऐसा न किया जाय और न बद्रीनाथ केदारनाथ में ऐसी अभिरुचि की गयी है कि जो व्यवस्था है उसमें किसी प्रकार का अंतर डाला जाय । मान्यवर, 1986 से निरन्तर इसी प्रकार इसकी अवधि बढ़ायी जा रही है । ऐसे कुछ लोग जो सम्पर्क में थे वे लोग तिरुपति गये और तिरुपति की व्यवस्था देखकर उन्होंने यह सुझाव दिया कि बद्रीनाथ और केदारनाथ में वैसी व्यवस्था की जाय । मान्यवर, तिरुपति एक मंदिर है और बद्रीनाथ एक धाम है । जगतगुरु शंकराचार्य ने भारतवर्ष की एकता को बनाये रखने के लिये 4 धामों का निर्माण किया ।

मान्यवर, कुछ यहां के सरकारी कर्मचारी तिरुपति गये, कुछ लोग वैष्णव देवी गये, उन्होंने वहां की व्यवस्था को देखकर कहे कि बद्रीनाथ जी की व्यवस्था तिरुपति और वैष्णव देवी जी की तरह से होनी चाहिये, जबकि तिरुपति एक मंदिर है और बद्रीनाथ एक धाम है, उसकी अपनी पूजा करने की एक व्यवस्था है । केरल का नम्बूदरीपाद ब्राह्मण वहां का रावल होता है और रावल को मदद देने के लिये डिमरी जाति के लोग सहायक होते हैं । इसके साथ ही साथ सभी प्रकार के कामों को करने के लिये अलग-अलग जाति के लोग जगतगुरु शंकराचार्य के समय से अलग-अलग किस्म के काम कर रहे हैं, कोई पूजा करता है, कोई फूल लाता है मंदिर के लिये, कोई भोग बनाता है । यदि उनको हटा कर नई व्यवस्था लाई जायगी, तो भयंकर असन्तोष व्याप्त होगा और एक अन्य प्रकार की बात उत्पन्न हो जायगी । इसलिये इसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं है । धार्मिक विचार-धारा के लोग चाहे वह इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, वे सभी जानते है कि पूजा करने का एक विधान होता है और वह उसी नियम के अनुसार पूजा की जाती है । इसलिए इस प्रकार का किसी प्रकार का व्यवधान करना उचित नहीं है । मान्यवर, इस विधेयक को 1986 से आगे बढ़ाया जा रहा है जब कि कमेटी का गठन हो जाना चाहिए था, वही कमेटी सारी व्यवस्था कर लेती, परन्तु कमेटी बनाने के बजाय व्यवस्था परिवर्तन कर रही है ।

श्री अध्यक्ष

इसमें एक शंका और समाधान कर दें । तामिलनाडु में, रामेश्वरम में और पुरी में राज्य सरकार की व्यवस्था है और जैसा कि आपने अभी कहा, उस संदर्भ में वहां के धर्माचार्य की रीति के अनुसार ही हो रही है, अगर इनमें कोई भेद हो तो उस पर भी प्रकाश डाल दें ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल

मान्यवर, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया । मान्यवर, व्यवस्था में कहीं अन्तर नहीं है । मैं रामेश्वरम गया था, द्वारिका मैं जा नहीं पाया, परन्तु वहां पर पूजा-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

पद्धति में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है । जहां तक व्यवस्था का सवाल है, हमारे प्रदेश की सरकार का उत्तरदायित्व है कि व्यवस्था ठीक करें । हमारे यहां तो मई से लेकर नवम्बर तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और जमुनोत्री की धार्मिक यात्रा होती है, जिसमें पटवारी से लेकर जिलाधिकारी तक पूरी तरह से इसी में लगे रहते हैं । इन दिनों जितने भी वी0 आई0 पीज0 आते हैं, उन्हीं की सेवा में सभी अधिकारी लगे रहते हैं । जिला मुख्यालय में जिलाधिकारी नहीं मिलते और न ही गांव मे पटवारी के दर्शन होते हैं । सभी डाक बंगलों में बड़े से बड़े अधिकारियों की स्वागत के लिये, मंत्रियों की स्वागत के लिये जमें रहते हैं ! प्रदेश के ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत के मंत्रियों, सचिवों आदि के आने पर ये सारे अधिकारी उनकी सेवा में लगे रहते हैं, जिससे यहां कोई भी कार्य नहीं हो पाता है । मई से लेकर नवम्बर तक अतिविशिष्ठ लोगों की सेवा में अधिकारी लगे रहते है । इसलिये कोई विकास का काम होता नहीं है उसके बाद दो महीने वर्फ पड़ जाती है, और उसके बाद बजट सत्र शुरू हो जाता है, इस तरह से कोई काम होता ही नहीं है । इसलिये इस बद्रीनाथ तथा केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है । इसको पूर्ववत रखा जाय और जो हक-हकूक जगत गुरु शंकराचार्य के समय से मिलते चले आ रहे हैं, उवको पूर्ववत रखा जाय ।

*** श्री अध्यक्ष**

महामहिम राज्यपाल जी के बारे में यहां पर आप न कहें । राज्यपाल जी के बारे में आपने जो कुछ कहा है, वह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल

मान्यवर, राज्यपाल के बारे में इसलिये कह रहा हूं क्योंकि मंत्रियों की संख्या तो बहुत है, बाहर के प्रदेशों के मंत्री भी वहां आते हैं, हमारे यहां सारे हिन्दुस्तान के मंत्री आते हैं और कोई डाकबंगला, कोई कमरा भी खाली नहीं मिलता तो मैं कहां तक बताऊं उनकी सेवा सुश्रुशा होती रहती है और हमारे यहां का सारा विकास का काम ठप हो जाता है । मान्यवर, सरकार को वैसी ही व्यवस्था करनी चाहिये जैसा कि दक्षिण के प्रदेशों में व्यवस्था है । उन्होंने द्वारिका धाम के लिये रामेश्वरम के लिये प्रदेश की ओर से एक अलग प्रोटोकाल डिपार्टमेन्ट बना दिया है । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रिमंडल के सदस्यों से, माननीय मुख्यमंत्री जी से आशा करूंगा कि वे भी इस प्रकार की व्यवस्था करें, एक ऐसा विभाग बनाये जो ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक जितने भी वी0 आई0 पी0 जाते हैं उनका स्वागत सम्मान करने के लिये हो और हमारे डी0 एम0 और पटवारी को इस कार्य से से बिल्कुल मुक्त कर दिया जाय । ताकि हमारे यहां के विकास के कार्यों की व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके । मान्यवर, यह बड़ी गम्भीर बात है इसके लिए एक अलग से प्रोटोकाल डिपार्टमेन्ट होना चाहिये । तभी सबके इज्जत सम्मान की सुचारू रूप से व्यवस्था हो सकती है और कार्यालय के विकास का कार्य भी सम्भव हो सकता है। मान्यवर, अब मैं पूजा पद्धति की ओर आ रहा हूं मान्यवर, सनातन धर्म वाले लोगों का मानस एक विशेष दिशा की ओर होता है, पूजा पद्धति के अपने नियम भी होते हैं, जिनके अनुसार पूजा होती है । कब और किस समय पूजा होगी उसका समय नियत है, कौन पूजा करेगा इसके लिये भी व्यक्ति नियुक्त है, विष्णु सहश्र नाम की पूजा कौन करेगा,

---

नोटः—[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

इसके लिये भी जाति विशेष के लोग नियुक्त किये गये हैं, कौन वेद पाठ करेगा, वेद पाठियों के लिये स्थान, चयन और जाति के लोग नियुक्त है, मान्यवर, अगर इस तरह से बद्रीनाथ केदारनाथ का विधान बदला जाता है तो मान्यवर, सनातन धर्मियों में घोर असन्तोष का विषय बनेगा। अगर व्यवस्था बदलनी है तो यात्रियों के लिये सुविधा जुटायें । ऋषिकेश में जब टिकट बिकता है तो यात्रियों को टिकट लेने के लिये डेढ़-डेढ़ सौ रुपये ब्लैक देना पड़ता है तो इस पर सुधार होना चाहिये ताकि लोगों को कठिनाई न हो, अगर व्यवस्था बदलनी है तो यात्रियों को रहने के लिये व्यवस्था करिये स्थान के अभाव में यात्रियों को घोर वर्षा में भी सड़कों पर रहना पड़ता है तो उनके लिये धर्मशालायें बनाई जांय ताकि वह रह सकें । मान्यवर, यह सब सरकार का उत्तरदायित्व है । मान्यवर, जहां तक बिल के संशोधन का प्रश्न है मैं तो आपके माध्यम से इतनी बात कहना चाहता हूं कि इसकी आवश्यकता ही क्या है, क्यों पड़ी कि बदला जाय ? वहां जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं वह मौजूद हैं पूजा पद्धति नियम के अनुसार हो रही है और अगर उस व्यवस्था में कमी है तो आपने उनका चुनाव तो किया नहीं, आपने कमेटी का गठन भी किया नहीं वहां के अध्यक्ष का जो चयन है वह भी आपने नही किया है तो फिर किस प्रकार से सुधार हो सकता है । यह केवल एक ही हठ पर अड़े हैं कि इसका संशोधन कर दें । मान्यवर, इस बिल के सम्बन्ध में भूतपूर्व पर्वतीय विकास मंत्री ने देहरादून में बैठक बुलायी थी । उसमें सब लोगों ने कहा था कि इस प्रकार के बिल की कोई आवश्यकता नहीं है । सारे विधायकों ने और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में अधिकारी हैं उन लोगों ने सर्वसम्मति से एक राय बनाई थीं कि इस बिल की आवश्यकता नहीं है । क्षेत्रीय लोगों की कमेटी बनाकर बद्रीनाथ, केदारनाथ की व्यवस्था चलाई जाय और उन्हीं पर सारा भार सौंपा जाय । माननीय मंत्री जी इस संशोधन को आप वापिस ले लें और जो व्यवस्था पहले से चल रही है उसी को चलने दें और अगर उसको बिगाड़ना ही है, एक विघटन पैदा करना है तब तो अलग बात है । मान्यवर, आपके माध्यम से यह भी कहूंगा कि डिमरी लोगों के ऊपर जो सरकार ने मुकदमें कायम किये हैं उसे सरकार वापस ले ताकि जो लोग वहां पर अपने अधिकारों के लिये लड़ रहे हैं उनको अधिकार मिल जाय और जो पूजा पाठ विधि विधान से हो रहा है उसमें विघ्न न हो ।

मान्यवर, हम तो यह नहीं कह रहे हैं कि यह एक दल का विषय है यह एक ऐसा विषय है जिसमें इधर-उधर के लोगों को सोचना चाहिये । बद्रीनाथ कोई ऐसा मसला नहीं है जिस पर कोई ऐसी बात कही जाय । बद्रीनाथ, केदारनाथ हमारी आस्था के केन्द्र हैं उसकी आस्था से हटकर कोई निर्णय नहीं होना चाहिये ।

उसको आगे बढ़ाना चाहिए और सरकार का दायित्व है कि हमारी बदनामी जो और प्रदेशों में होती है, उसके लिए सरकार ऐसा प्राविधान कर दे, जिससे कि एक प्रोटोकाल विभाग बना दिया जाय और वह पूरा संरक्षण दे कि वी0 आई0 पी0 लोगों की हाजिरी में कौन रहे और इन 5-6 महीनों में गढ़वाल मण्डल में जो अव्यवस्था रहती है, वहीं पर हमारा काम होता रहे । संशोधन के नाम पर कहना चाहता हूं कि इसको स्थायी रूप से वापस लेकर जैसा पहले विधेयक था उसी रूप में चलने दें और इसमें किसी प्रकार की रुकावट न आने दें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मा0 अध्यक्ष महोदय, मा0 मंत्री जी ने जो विधेयक रखा है, उसमें ऐसी कोई विशेष बात तो हम लोगों को दिखने में नहीं लगती है । नौटियाल साहब पहाड़ से आये

हैं, हो सकता है कि व्यवहार में कोई बात हो । मान्यवर, इसमें प्रबन्ध समिति का समय बढ़ाने की बात है कि कब तक बना दी जायेगी । मुझे याद है कि जब मा0 चन्द्र मोहन सिंह नेगी जी पर्वतीय विकास मंत्री थे, मा0 नौटियाल साहब ने सवाल किया था कि मालूम है कि कौन वहां का अध्यक्ष है । जवाब आया था कि महामहिम राज्यपाल जो नामांकित करते थे, स्वयं अध्यक्ष बन गए थे और अपनी पत्नी को सदस्य बना दिया था । तो प्रबन्ध समिति में संशोधन करके ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जो व्यक्ति रुचि रखने वाला हो, वह अध्यक्ष बने । एक बात मैं पर्वतीय विकास मंत्री जी से जरूर कहूंगा कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सम्पूर्ण भारत की आस्था के केन्द्र हैं । एक उम्र में लोगों के अन्दर ऐसी भावना हो जाती है कि वहां जाते हैं । लेकिन वहां पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वहां जाकर लोग आराम से रहकर दर्शन कर सकें । मैं केदारनाथ स्वयं गया था । वहां पर कोई बड़ी धर्मशाला या टीनशेड बनाना चाहिए, जहां जाकर यात्री रात में रुकना चाहे तो रुक सके । आज तक सीधे केदारनाथ तक कोई बस सेवा संचालित नही हो सकी है । गौरीकुंड से पैदल, घोड़े पर या डोली पर बैठकर जाना पड़ता है । बद्रीनाथ में बधाई दूंगा कि भैरोंघाटी के पुल के कारण बस गंगोत्री तक जा सकती है । केदारनाथ के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है । मैं कहना चाहता हूं कि जहां प्रबन्ध समिति के लिए समय लिया है, वहां आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो हजारों यात्री वहां जाते हैं और अकाल मृत्यु की गोद में चले जाते हैं, कहीं बस एक्सीडेंट होता है, कहीं सड़क जाम हो जाती है और 4-5 दिन तक रास्ते बन्द पड़े रहते हैं, इस सब की अच्छी व्यवस्था पर्वतीय विकास विभाग से कराने की कृपा करें ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी ने जो प्रस्ताव पेश किया है, हमारा कहना है कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है । मेरी मान्यता है कि धर्म के मामले में सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, बल्कि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । मुस्लिमों के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होता । गुरूद्वारों के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं होता । गिरिजाघरों के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं होता । हिन्दू धर्म के बारे में भी सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए । शासन क्यों हस्तक्षेप करता है । मैं इस मान्यता का हूं कि शासन का धर्म के मामले में बिलकुल ही हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए । जैसा कि परम्परा की बात मा0 नौटियाल जी ने कहा टेहरी महाराज उसके रोलीजस हेड होते हैं । उनके यहां से आज भी कपाट खुलने का दिन तय होता है । टेहरी की रानियों द्वारा तेल लगाया जाता है । टेहरी महाराज को अधिकार था कि वहां के लिए नामांकन कर सकता था । सरकार ने उनसे अधिकार छीन लिये । मेरा कहना है कि जो ये चीजें हैं, आपने उनको हटा दिया ।

अब ऐसी व्यवस्था के लिए जरूरी है मैंने पहले भी इस संबंध में मामला उठाया था । आज काशी विश्वनाथ मंन्दिर की जो व्यवस्था है, ट्रस्ट है और जो बड़े-बड़े मंदिर हैं उसकी व्यवस्था को आप देखें । ऐसी व्यवस्था जरूर होनी चाहिए जिसमें जो देश के हिन्दू धर्म में आस्था रखने वाले हैं उनको असुविधा न हो । इस प्रकार से व्यवस्था हो । मंदिर की सम्पत्ति है उसका अपहरण न हो । लोगों के रहने की व्यवस्था हो । इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए कोई समिति आप बनायें परन्तु शासन का कम से कम हस्तक्षेप हो, हिन्दू धर्म और धर्मावलंबियों इन सबको मिलाकर समिति बनाई जाय । व्यवस्था ठीक ढंग से करें इसपर विचार होना चाहिए ।

श्री बरीफया लाल बुवांठा–

मान्यवर, डा0 नौटियाल जी के विचार सुने, बड़ी प्रसन्नता हुई । लेकिन शायद उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि वे स्वयं पर्वतीय विकास मंत्री रह चुके हैं । उन्होंने जिक्र किया 86 का, 86 से लेकर कौन सी व्यवस्था रही है जो कि नौटियाल साहब

को विरोध में बोलने की जरूरत पड़ी, वे खुद ही सोच सकते हैं । जो वास्तविकता है, नौटियाल जी ने जो बात उठायी, दक्षिण भारत की बात अलग है, पूर्वी भारत की बात अलग है, पश्चिम की बात अलग है, जो उत्तर के चार धामों की बात कर रहे हैं वास्तव में उनमें चूंकि जो पुराना अधिनियम था उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थायें हैं, जैसा कि अभी माननीय पाण्डेय जी ने बाते कहीं, कहीं रहने की व्यवस्था नहीं है, केदारनाथ धाम बद्रीनाथ धाम में आने जाने के साधन नहीं हैं, यमनोत्री है वहां व्यवस्था नहीं है, भैरों घाटी की तरफ की हालत बताई गई जैसे हम मृत्यु के ग्रास में जा रहे हैं । अभी माननीय नियोजन मंत्री जी भी वहां पर घूमकर आये हैं । उसकी जो व्यवस्था है उसको नये ढंग से करने की चाह रहे हैं ताकि धार्मिक पहलू के साथ-साथ जो संगठनात्मक स्वरूप है उसके साथ-साथ उसके विकास के लिए कुछ योजनायें बन सकें । ताकि उसका संचालन सही ढंग से हो सके । माननीय कंवर सिंह नेगी जी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय में कोई बोर्ड नहीं है, मस्जिदें हैं, वहां भी कोई व्यवस्था की जाती है । ऐसी कोई बात नहीं है । सभी जगह ऐसी व्यवस्थायें हैं मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है जो कुछ भी किया जा रहा है, सभी लोगों के हित के लिए किया जा रहा है ताकि जो पिछले समय की कमियां रही हैं उनको दुरुस्त करके सही ढंग से व्यवस्था हो सके । जो यात्री लोग हैं उनकी सारी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य हो सके, जो पर्यटन के हिसाब से जायेंगे उनके लिए इस हिसाब से हो सके, इस अधिनियम में व्यवस्था करेंगे मैं निवेदन करूंगा कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, सभी लोग इसमें सहयोग दें और इसे पारित करायें ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, एक बात मैं यह कहना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

नौटियाल साहब आप काफी कह चुके हैं, अब बैठें ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं ।

माननीय मंत्री जी ने अभी कहा, मान्यवर आपने सुना होगा मुझे, किसी प्रकार की कोई बात का विरोध नहीं किया । रही 86 की बात, मैंने स्वयं, चाहे इधर रहा हूं या उधर रहा हूं, इस सदन में ही कहा, माननीय पाण्डेय जी ने प्रमाण दिया है व्यवस्था के लिए, कमेटी बनाई गई है 6 साल हो गए, मान्यवर उस कमेटी को क्यों नहीं बना रहे हैं । उस कमेटी को पूरे अधिकार हैं, कमेटी का गठन कर दें, कमेटी को पूरे अधिकार हैं, कहां पर धर्मशाला बनेगी । ऋषिकेश से बम्बई तक देखें बद्रीनाथ-केदारनाथ जी का नाम है, लखनऊ के गड़बड़झाला में चले जाय, तमाम लोगों के मकान बद्रीनाथ-केदारनाथ जी के नाम पर हैं ।

सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जाय और ठीक ढ़ंग से चलने की व्यवस्था हो जाय । लेकिन इसके लिये इस संशोधन विधेयक को अलग से लाने की कोई जरूरत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 व 3, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) विधेयक, 1990

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1---(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायगा ।

(2) यह 29 मार्च, 1990 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1939 की धारा 11 का संशोधन

2---उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर अधिनियम 1939 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 11 में, उपधारा (3) में द्वितीय प्रतिबन्धात्मक खण्ड में, शब्द और अंक "30 जून, 1989" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 1991" रख दिए जायेंगे और 30 जून, 1989 को रख दिए गए समझे जायेंगे ।

निरसन और अपवाद

3---(1) उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मन्दिर (संशोधन) अध्यादेश 1990 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री बरफिया लाल जुवाठा---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर (संशोधन) विधेयक, 1990 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) 1990

श्रम एवं मुस्लिम वक्फ मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

मान्यवर, मंडी समिति अधिनियम, 1964 में समिति के निर्वाचन का प्राविधान है, लेकिन तब से लेकर आज तक इस पर अमल नहीं हो सका । किन्हीं कारणों से इसका निर्वाचन भी नहीं हो सका, यह मुसलसल मंजिलों से होकर गुजरा, कभी जिलाधिकारी को अधिकार मिला, कभी 11 लोगों की समिति बनाई गई । यह कहना सही होगा कि पिछली सरकार इसका निर्वाचन नहीं करा सकी, लेकिन वह सरकार इसके निर्वाचन से भाग नहीं रही है । जब से यह सरकार सत्ता में आई है, तब से आते ही जितने ज्यादा से ज्यादा निर्वाचन हो सकते थे, वह कराये गये हैं । इसका समय 30 जून 1990 को समाप्त हो रहा है, इसलिये 6 महीने के लिये समय बढ़ाने का सुझाव है, मात्र 31 दिसम्बर, 1990 तक के लिये ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, खण्ड 1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतालिसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :---

1---यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक संक्षिप्त नाम व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1990 कहा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7 सन् 1972 की धारा 2 का संशोधन

2---उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972 की धारा 2 में उपधारा (1) में शब्द और अंक "30 जून, 1990" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1990 रख दिये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मोहम्मद आजम खां---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1990, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रदेश के माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवायें विनियमित करने हेतु विधिक कार्यवाही न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा ।

श्री पंचानन राय---

मान्यवर, माध्यमिक विद्यालयों में 8 वर्षों से और महाविद्यालयों में 6 वर्षों से तदर्थ रूप से नियुक्त शिक्षकों की सेवाओं को अभी तक विनियमित नहीं किया गया है । माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में मान्यवर पिछली सरकार ने जो घोषणा की थी और शिक्षा मंत्री जी ने 17 जनवरी को इस सदन में एक वक्तव्य देते हुए कहा था कि उस घोषणा को यह सरकार स्वीकार करती है और उनके विनियमितीकरण के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जा रही है । मान्यवर, माध्यमिक विद्यालयों में तीन प्रकार के शिक्षक नियुक्त हैं । सबसे छोटी श्रेणी के सी0टी0 सम्वर्ग के शिक्षक होते हैं । उनकी नियुक्ति तदर्थ आधार पर इस शर्त के साथ हुई थी कि चयन बोर्ड से चयनित अभ्यर्थी के आने तक वह काम करते रहेंगे । उत्तर प्रदेश में सी0 टी0 शिक्षक का सम्वर्ग समाप्त कर दिया गया है । चयन बोर्ड बना नहीं इसलिए वैधानिक बाध्यता है कि सी0 टी0 सम्वर्ग के शिक्षकों को विनियमित किया जाय । पिछली सरकार ने यह घोषणा की थी और वर्तमान सरकार की तरफ से भी शिक्षा मंत्री जी ने 17 जनवरी को इसे स्वीकार किया था । मान्यवर, अब यह बजट सत्र है । हजारों के संख्या में अध्यापक इसके अंतर्गत आते हैं । उनको अपने भविष्य की चिंता है उनके भविष्य उनके परिवारजन भी इससे चिन्तित हैं । मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा मा0 शिक्षा मंत्री जी से कि उन्होंने 17 जनवरी को सदन में जो घोषणा की थी कि उनके विनियमितिकरण के सम्बन्ध में विधिक कार्यवाही की जायेगी तो वर्तमान सत्र में इसका एक विधेयक लाया जाए जिसके अन्तर्गत इन शिक्षकों के विनियमितिकरण का निर्णय लिया जाय । उनकी चिन्ताओं को दूर करें । दूसरी तरफ मान्यवर, महाविद्यालयों में तदर्थ रूप से जो नियक्त थे सरकार ने 3 जनवरी, 1984 तक के शिक्षकों की सेवाओं को विनियमित कर दिया है । अब इनको 6 वर्ष से अधिक हो गया है । वर्तमान में कुछ शिक्षक प्रतिभा सम्पन्न इन पदों पर तदर्थ रूप से नियक्त किये गए हैं और विश्वविद्यालय अनदान आयोग की अर्हता पूरी करते हैं । प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं । पी0 एच0 डी0 योग्यताधारी हैं । उनका विनियमितीकरण नहीं हुआ है । मान्यवर, विश्वविद्यालय में जो शिक्षक नियक्त किया जाता है उनके लिए भी एक चयन समिति होती है । जिसमें कुलपति होता है । कुलपति द्वारा नामित दो सदस्य होते हैं और एक विशेषज्ञ सदस्य होता है विशेषज्ञ सदस्य की राय आवश्यक होती है फिर कुलपति अपना अनमोदन देते हैं । महाविद्यालयों में भी एक विशेषज्ञ सदस्य इस समिति का होता है जो कुलपति द्वारा नामित होता है । उसकी सहमति आवश्यक होती है चयन समिति के संस्तुति के उपरान्त कुलपति के अनमति से इस प्रकार की नियुक्तियां की जाती हैं । कुछ खर्च नहीं होना है । सरकार इनको वेतन देती है । आज भी कहीं-कहीं पर प्रतिभा सम्पन्न लोग उपलब्ध हैं उनको नियुक्ति भविष्य की रिक्तियों में हो सकती है । मान्यवर, आज छः वर्ष का जिनको अध्यापन का अनभव है और विश्वविद्यालय अनदान आयोग की अर्हता पूरी करते हैं उनका विनियमितिकरण कर दें । अभी चूंकि श्री ऊदल जी कह रहे थे कि यह आयोग इन्हीं का बनाया हुआ है ।

श्री ऊदल---

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि चयन आयोग जो इन्होंने बनाया था । उसने चयन की प्रक्रिया शुरू नहीं की ।

श्री पंचानन राय---

लेकिन अगर आयोग ने चयन कर लिया होता तो वे चयनित हो जाते। परन्तु यदि चयन ही नहीं किया आज तक तो उन प्रतिभासम्पन्न लोगों का क्या दोष है वे लोग अध्यापन का कार्य कर रहे हैं । उन्हें 6 साल का समय भी हो गया है । कल्याणकारी राज्य में अगर कोई नदी के किनारे अवैध झोपड़ी बनाकर रहने लगे और बाढ़ में बह बह जाय तो यह नहीं कहा जाता है कि आप अवैध रह रहे थे, इसलिए हम आपको कोई बाढ़ सहायता नहीं देंगे । उसे बाढ़ सहायता दी जाती है । मैं मानता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी इस विचार से सहमत भी हैं और वह इन अध्यापकों का विनियमितीकरण भी करना चाहते हैं । अभी त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम भी लागू किया गया है, उसके कारण भी पद रिक्त होंगे । 1988 में पद विज्ञापित हुए हैं, परन्तु 1987 व इधर तीन वर्षों में नई रिक्तियां हुई हैं, उन पर एक पूल बनाकर वर्तमान चयनित लोगों की नियुक्तियां की जा सकती हैं । मेरा यह सुझाव भी है कि तदर्थ नियुक्ति की व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए । होता यह है कि 4-5 वर्ष तक वह तदर्थ रूप से कार्य करते रहते हैं, फिर उनको विनियमितीकरण करने का अहसास किया जाता है और करना भी चाहिये । इसलिये मैं पुनः सुझाव देना चाहूंगा कि अब तादर्थ की व्यवस्था को समाप्त करके आयोग से एक चयन पूल बना दिया जाय और उस पूल को एक या दो वर्ष तक वैध मान लिया जाय ताकि यदि कहीं आवश्यकता हो तो उनमें से आदमी को भेज दिया जाय । वह एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित भी होगा और वर्तमान में जो यह साक्षात्कार रखा है, उन्हें भी नियुक्ति मिल जाएगी और इन नवयुवकों के साथ भी न्याय हो जायेगा । मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर इन नवयुवकों को विनियमितिकरण कर दिया जाय । आपने रोजगार देने का वायदा भी किया है । मुझे विश्वास है कि आप इसका आदर करेंगे । यह कोई सत्ता पक्ष व विपक्ष का सवाल नहीं है । यदि इन नवयुवकों की सेवा का विनियमितीकरण कर दिया जाएगा तो ये चिन्ता से मुक्त होकर विद्यालयों व महाविद्यालयों में शिक्षण का कार्य सुचारू रूप से सम्पादित करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय शिक्षा मंत्री जी यदि आप संक्षेप में अपनी बात कहना चाहते हैं तो पहले कह दीजिए ।

शिक्षा एवं युवा कल्याण मंत्री---
(श्री सच्चिदानंद वाजपेयी)---

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आपसे अनुरोध है कि जब चर्चा शुरू हो गई है तो अन्य माननीय सदस्यों के विचार भी आ जायं तो उसके बाद में अन्तिम रूप से अपनी बात कह लूंगा ।

श्री अध्यक्ष---

शासन की ओर से अगर मंत्री जी के उत्तर से सहमत हो जायें तो चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है । यह नियमों में भी है ।

***श्री रामचन्द्र बख्श सिंह---**

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सहमत हो जायेंगे । 1000 तदर्थ शिक्षकों का मामला है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है । डिग्री कालेजों में जैसा कि राज साहब ने कहा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

3 जनवरी, 1984 तक के तदर्थ अध्यापकों को तो विनियमितीकरण कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद 6 वर्ष तक जो 1000 अध्यापक तदर्थ रूप से कार्य कर रहे हैं, उनका जीवन अधर में लटका हुआ है । इन लोगों की कोई गलती भी नहीं है । कुलपति द्वारा नामित चयन समिति द्वारा इन लोगों का चयन किया गया और निदेशक द्वारा स्वीकृत पदों पर इन लोगों की नियुक्ति की गई । ये लोग पूरी योग्यता रखते हैं । 30 जून को इनकी सेवायें समाप्त हो रही हैं । इनके जो रिक्त पद हैं, उन्हें भरने के लिए इण्टरव्यू भी शुरू हो गया है । इतना गम्भीर मामला है । इन लोगों को सेवा से निकालना कहीं से भी न्यायसंगत नहीं है । यह एक अच्छी सरकार है । कल्याणकारी सरकार है । हमें उम्मीद है कि यह सरकार इन 1000 तदर्थ शिक्षकों के बारे में गम्भीरता से सोचेगी ।

. . और इनकी सेवाओं का विनियमितीकरण करेगी । सिद्धान्त रूप में कहना चाहूंगा कि श्रमिकों के लिये भी कानून बन गया है कि लगातार 240 दिन तक कोई श्रमिक अगर कारखाने में काम करे तो उसकी सेवायें रेगुलर हो जायेंगी, उसको निकाला नहीं जा सकता है । ये 6 साल से काम कर रहे हैं, इनकी इसमें कोई गलती भी नहीं है, इसमें पहले की सरकार की गलती थी अगर वह नहीं कर पायी है । इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर इस सरकार से और माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इनकी सेवाओं का विनियमितीकरण कर दिया जाय ।

*श्री रविदास मेहरोत्रा---

मान्यवर, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के तदर्थ शिक्षकों की 30 जून को सेवायें समाप्त हो रही हैं । अगर इनको नियमित नहीं किया गया तो इनके जीवन के सामने गम्भीर संकट पैदा हो जायेगा । ये सब पिछले 6 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और इनको तनख्वाह भी मिल रही है । इनको नियमित करने से सरकार के ऊपर बोझ भी पड़ने वाला नहीं है । इन लोगों की आयु सीमा भी समाप्त होने वाली है । बहुत से ऐसे हैं जिनकी आयु सीमा समाप्त हो गयी है। अगर 30 जून से पहले इनको नियमित नहीं किया गया तो भविष्य अन्धकारमय हो जायगा । ज्ञात हुआ है कि इनके स्थान पर शिक्षकों की नियुक्ति का आदेश कर दिया गया है । इसलिए हमारा आपके माध्यम से अनुरोध है और माननीय मन्त्री जी ने अखबारों के माध्यम से भी बयान दिये हैं कि इस सत्र से पहले शिक्षकों को नियमित कर दिया जायगा । इसलिए चूंकि ये सभी तदर्थ शिक्षक कुलपति द्वारा विधिवत रूप से गठित चयन समिति से चुनकर आये थे, अतः इनको 30 जून से पहले नियमित करने के आदेश दें, यह आपके माध्यम से अनुरोध करना है ।

*श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय---

मान्यवर, किसी भी व्यक्ति का भविष्य अगर अधर में लटका हो और सुनिश्चित न हो तो कल्पना की जा सकती है कि कितनी वेदना हो सकती है, जो सुनिश्चित न करे उसे मानवतावादी नहीं कहा जा सकता। 1984 के बाद विनियमितिकरण नहीं हुआ है जब कि वे शिक्षक चायन समिति द्वारा चयनित है। माननीय शिक्षा मंत्री से मुझे पूर्ण आशा है कि इनके जितने दिन हमारे साथ रहने का तजुर्बा है उसके आधार पर मानवता के आधार पर और रोजी रोटी के आधार पर इनका विनियमितीकरण शीघ्र करेंगे । भाई रामचन्द्र बख्श सिंह जी जो इस सरकार की बैसाखी के मजबूत नीचे के पै है उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने गलती किया जो 30-1-84 के बाद

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

विनियमितीकरण नहीं किया। अगर यह कहना है कि पिछली सरकार ने गलती किया तो मैं मानता हूं कि इनका नीतिकता पूर्ण चरित्र है, जैसा मेरी सरकार के लिये कहा कि नहीं किया, तो क्या वर्तमान सरकार के लिये भी मेरे बैसाखी भाई कहेंगे कि इनकी भी निन्दा करता हूं।

इसके साथ ही मैं पंचानन राय जी के सुझाव पर बल देता हूं । जब तक यह पहले शिक्षा मन्त्री रहे थे इनके दामन पर कोई धब्बा नहीं आया था। उसी परम्परा का निर्वहन, आशा करता हूं कि वह वहां रहकर भी करेंगे। उनका शीघ्र विनियमितीकरण करके कम से कम मजदूरों के दर्जे* तक की बातें तो उनके लिये लागू कर दें। हम लोग सभी शिक्षकों से शिक्षा ग्रहण करके आये हैं । भाई इतरुद्ध प्रकाश जी भी शिक्षा ग्रहण करके आये हैं ।

श्री यशवन्त---

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान सरकार के आने पर हमारे मुख्य मंत्री, मा0 मुलायम सिंह जी यादव तथा शिक्षा मंत्री, मा0 सच्चिदानन्द बाजपेयी जी ने सार्वजनिक जगहों पर इस बात की घोषणा की है कि जो तदर्थ शिक्षक नियुक्त हुए हैं वे विनियमित अध्यापकों की श्रेणी में रखे जायेंगे ।

माननीय अध्यक्ष जी, यह सरकार नौजवानों की बदौलत बनी हुई है । जितने अध्यापकों को नियुक्ति दी गयी है सभी के सभी नौजवान हैं । जब उनकी नियुक्ति की गयी थी तो उनको खबर मिल गयी थी कि जो आने वाली सरकार है, कुछ दिनों के बाद जो सरकार बन रही है, उससे हमें फायदा मिलेगा। अतः अब इनके साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिये। जिस तरह से सार्वजनिक जगहों पर हमारे मुख्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री जी ने घोषणायें की हैं कि सभी तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किया जायेगा, तो उन्हें उनका अधिकार मिलना चाहिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय अध्यक्ष जी, इस विषय पर मा0 पंचानन राय जी ने तथा मा0 राम चन्द्र बख्श जी ने विषय को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है । जहां तक महाविद्यालयों के शिक्षकों के विनियमितीकरण की बात है, मुझे याद है कि 5 मार्च को इसी आदरणीय सदन में मैंने यह मामला उठाया था । मैंने पूछा था कि क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश में तदर्थ शिक्षकों को विनियमित किये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि हां, तो इसकी रूपरेखा क्या है और इसको कब तक विनियमित कर दिया जायेगा?

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शासन की ओर से उत्तर दिया था कि जो हो, सिद्धान्ततः स्वीकार है, विनियमितीकरण का मामला परीक्षणाधीन है । जल्दी ही इसे पूरा कर लिया जायेगा । इस तरह से 5 मार्च को ही माननीय मंत्री जी ने अवगत करा दिया था कि स्थिति यह है । मेरी जानकारी में यह भी लाया गया कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है । इसलिये जब हम लोग इस विषय पर बात

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया ।

करते हैं तो यह नहीं है कि सरकार की नियत कभी भी यह नहीं है कि विनियमित नहीं करेंगे । हमने प्रयास करके पता लगाने की कोशिश की की देखे न्यायालय मे यह मामला क्यों रुका है ?

श्री पंचानन राय---

एक एडवोकेट ने नोटिस दे रखा है और कुछ नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

इसमें वस्तुस्थिति यह है कि कमीशन ने एक रीजल्ट बनाया, उसी के आधार पर विवाद हुआ और वह रुका हुआ है । अब कमीशन रेजल्ट आऊट करे या न करे यह कमीशन का काम है, सरकार के लिए इसमें कोई बंदिश नहीं है । सरकार ने विधि विशेषज्ञ से भी परामर्श किया, इनकी भी राय है कि इसमें कोई बाधा नहीं है ।

पुरानी सरकार ने लोगों को नियुक्त किया ये लोग प्रबन्धीकरण के द्वारा चयनित नहीं हुये, यदि प्रबन्धीकरण का मामला रहा होता तो मैं सिफारिश भी नहीं करता। मैंने नियुक्ति की प्रक्रिया देखी । इसके लिये बाकायदा एक कमेटी बनी, मेरिट के आधार पर नियुक्ति हुई। यदि ऐसा न हुआ होता तो मैं कदापि सिफारिश न करता। प्रबंधीकरण के चयन में सिफारिश चलती है और भाई व भतीजा रखने के लिये सिफारिश भी चलती है, लेकिन इसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ और प्रत्येक लोगों को मेरिट के आधार पर चुना गया, विशुद्ध मेरिट के आधार पर ये शिक्षक आये हैं ।

कमीशन अलग है, वह एक आटोनोमस बाडी है उसमें गवर्नमेन्ट कैसे हस्तक्षेप करे । आपने जैसे माध्यमिक शिक्षकों को विनियमित किया है वैसे ही इसके लिये भी एक्ट लाकर आप संशोधन कर सकते हैं । इसलिये मैं समझता हूं कि इस मामले को और आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है । मान्यवर, परिस्थितियां विद्यमान है, तो यह कब तक चलती रहेगी । जितनी चलती जायेगी, लड़के ओवर एज होते जायेंगे। कानून इनके पक्ष में है । मानवता के हित को ध्यान में रखते हुये आप इनकी मदद करें । आप इसमें एक संशोधन कर दें, हम समर्थन करने को तैयार है । आप तदर्थ अध्यापकों का विनियमतीकरण कर दें ।

श्री ओमप्रकाश सिंह---

मान्यवर, जहां तक तदर्थ नियुक्तियों का सवाल है, प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, माननीय मुलायम सिंह यादव, मुख्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री जी ने जगह जगह बयान देकर तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने का वचन दे चुके हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक आयोग द्वारा साक्षात्कार लेने की बात है, उसको रोका जाये । यह नहीं कहा जा सकता है कि आयोग जो साक्षात्कार करके अध्यापक देगा, वह पानी का पानी और दूध का दूध होगा । जो तदर्थ अध्यापक हैं, उनकी सेवायें 30 जून से आगे बढ़ाने के लिये आप आदेश दे दें । आयोग द्वारा जो साक्षात्कार हो रहा है, उसको फिलहाल रोक दें और मंत्री जी आदेश दें और तदर्थ शिक्षक जो है, उनके विनियमतीकरण में जो असुविधा हो, वह न हो। आप कम से कम आयोग द्वारा होने वाले आक्षात्कार को स्थगित करने का कष्ट करें ।

मान्यवर, जहां तक तदर्थ नियुक्तियों का सवाल है, प्रधान मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, माननीय मुलायम सिंह यादव, मुख्य मंत्री तथा शिक्षा मंत्री जी ने जगह जगह बयान देकर तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने का वचन दे चुके हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां तक आयोग द्वारा साक्षात्कार लेने की बात है, उसको रोका जाये । यह नहीं कहा जा सकता है कि आयोग जो साक्षात्कार करके अध्यापक देगा, वह पानी का पानी और दूध का दूध होगा । जो तदर्थ अध्यापक हैं, उनकी सेवायें 30 जून से आगे बढ़ाने के लिये आप आदेश दे दें । आयोग द्वारा जो साक्षात्कार हो रहा है, उसको फिलहाल रोक दें और मंत्री जी आदेश दें और तदर्थ शिक्षक जो है, उनके विनियमतीकरण में जो असुविधा हो, वह न हो। आप कम से कम आयोग द्वारा होने वाले आक्षात्कार को स्थगित करने का कष्ट करें ।

श्री उदल–

मान्यवर, मैं इस प्रश्न पर माननीय शिक्षा मंत्री जी से गिनमृता पूर्व निवेदन करना चाहता हूं । जो शिक्षक तदर्थ नियुक्त हो गए हैं, उनको आप नियमित कर दें । इन्होंने जितने पाप किये हैं, वह समाप्त हो जायेंगे । अच्छी सन्तान होती है तो जो पहले के कुकर्म होते हैं, वह धो जाते हैं ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब शिक्षा मंत्री स्वरूप कुमारी बख्शी थीं, तो मैंने इस बात का विरोध किया था और कहा था कि यह जो आयोग है, वह अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पायेगा । मैं कहना चाहता हूं कि हाई स्कूल और इन्टर कालेजों में ऐसी तमाम जगहें खाली हैं क्योंकि बहुत से लोग मर गये हैं, रिटायर हो गए हैं, लगभग 20 हजार जगहें खाली हैं । इसलिए मैं ज्यादा न कहकर केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जो 6 वर्ष से काम कर रहे हैं, उनको विनियमित कर दें।

मुझे उम्मीद है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और उनकी सरकार इनके पापों को धोकर अच्छे कार्य करेगी ।

श्री साहब सिंह---

मान्यवर, शिक्षा देश और प्रदेश की प्रगति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस मामले में कोई भी फैसला करने से पूर्व इसके सारे पहलुओं को देख लिया जाय । जिन माननीय सदस्यों की राय आयी है चाहे वे पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उनमें ज्यादातर हमारे माननीय सदस्यों की यह राय आयी कि जो इस तरह की नियुक्तियां हुई है उनको रेगुलराइज कर दिया जाय । मैं कहना चाहूंगा और यह मेरी निश्चित जानकारी है कि जो यह तदर्थ नियुक्तियां हुई है ये नियुक्तियां ज्यादातर प्रबन्ध समिति द्वारा प्राधिकृत नियंत्रकों द्वारा की गई है । मेरी निश्चित जानकारी है और मैं इसे साबित कर सकता हूं कि इन नियुक्तियों में पैसा लेकर नियुक्तियां की गई हैं । एक प्रबन्ध समितियों द्वारा नियुक्ति के लिये 50-50 हजार रुपया तक लिया गया है । जहां तक इस बात का सवाल है कि ये लोग 3-4 साल से काम कर रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश और प्रदेश मे बहुत नौजवान बेरोजगार हैं और बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है । आज अपने प्रभाव से और पैसे के बल पर सरकारी खजाने से ये लोग पैसा ले रहे हैं । ये लोग क्वालिफाइड न होते हुये भी, जब कि और लोग इनसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं, पैसे के बल पर इनको नियमित करना मेरी राय में नाइन्साफी होगी और शिक्षा के साथ धोखा होगा । ये लोग सक्षम लोग नहीं है । पैसे के बल पर आ गये हैं। इनको विनियमित करना शिक्षा के साथ अन्याय होगा, नई पीढ़ी के साथ, देश और प्रदेश के साथ अन्याय होगा । इसलिये मान्यवर, आप कोई नई व्यवस्था कीजिये और इस हालत में तदर्थ नियुक्तियों को विनियमित न किया जाय ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी----

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस विषय पर कुछ शब्द कहना चाहूंगा । माननीय पंचानन राय जी ने जो विषय उठाया है वह अत्यधिक महत्व का विषय है और इसलिये भी है कि एक हजार नौजवानों का भविष्य अधर में लटका हुआ है । ये सभी शिक्षित नौजवान हैं । माननीय उदल जी ने कहा कि इस तरफ

बैठने वाले लोग जब सत्ता में थे तो उन्होंने यह काम नहीं किया । और उनके कुकर्मों का फल, पापों का फल इन नौजवानों को भुगतना पड़ रहा है । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि हमने गल्तियां की थीं आपके हिसाब से की थी तो जनादेश भी हमको मिला और हम इधर बैठ गये लेकिन जिन्होंने घोषणायें की, जो गल्तियां आपके हिसाब से हमने की थीं उनको आप दुरुस्त करें, आपको जनादेश मिला है, आप उधर बैठ गये हैं । तब आपका दायित्व है कि आप अपनी घोषणाओं को चरितार्थ करें । आपको याद होगा, आज के मुख्य मंत्री श्री मुलायम सिंह जी जब नेता विरोधी दल थे जब इधर बैठते थे तो उन्होंने कहा था कि इन तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण किया जायेगा । आज जैसे राजेन्द्र गुप्त जी कह रहे थे यह बात निराधार और असत्य है कि ये तदर्थ लोग 50-50 हजार रुपया देकर चुनकर आये हैं गुणांक के आधार पर चयनित होकर आये हैं। मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप अपनी गल्ती का एहसास करते हैं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं । आपने माननीय मुलायम सिंह जी ने जब वह नेता विरोधी दल के रूप में कार्य कर रहे थे तो इन नवयुवकों को तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये हैं को विनियमित करने की घोषणा की थी को अब इसका श्रेय आप ले लें अगर आप विनियमित कर देंगे तो वे आपके आभारी होंगे और इसका श्रेय आपको भी मिलेगा जिसको कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इस पर शीघ्रातिशीघ्र फैसला लेने का कष्ट करें ।

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट :

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पंचानन राय जी ने जो नियम 52 के अन्तर्गत माध्यमिक एवं महाविद्यालयों में नियुक्त तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं नियमित करने का जो प्रस्ताव रखा है वह बहुत अच्छा है लेकिन इसके साथ-साथ मैं इस सदन का ध्यान उन अंशकालिक शिक्षकों की ओर दिलाना चाहता हूं कि उनकी भी दयनीय स्थिति है । हमारे बच्चे चार सालों से लगातार इन शिक्षकों के परीक्षायें दे रहे हैं और अब नया सत्र शुरू होने वाला है अभी भी वहां पर अध्यापक नहीं गये हैं । जहां इन अध्यापकों को नियमित करने की बात है मैं उनका समर्थन करता हूं और जैसा माननीय ऊधल जी ने कहा और हमने भी देखा जबसे कांग्रेस सरकार बनी तब से इन्होंने दोहरी व्यवस्था चलाई एक तरफ लोगों से पैसा लिया और दूसरी तरफ इन्होंने अंशकालिक शिक्षक रखे वास्तव में जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा इनसे लाखों रुपया लेकर नियुक्त किया गया । आज विनियमित करने के लिए माननीय सदस्य जोर दे रहे हैं मुझे ज्ञात हुआ है कि इसमें माननीय सदस्यों का भी हाथ रहा है रुपया ऐंठने में तो यह दोहरी बातें करते है एक तरफ जनता के हित की बात करते है दूसरी तरफ पैसा भी लेते हैं विद्यालयों को भी चौपट करते हैं । नेता लोग विद्यालयों में नेता गिरी कर रहे है और स्कूलों में पढ़ा भी नहीं रहे है तो यहां विनियमित करने की बात है वहीं अंशकालिक शिक्षक जो सड़कों पर धक्का खा रहे हैं को भी स्थान मिलना चाहिये । मैं जब 1980 में विधायक बनकर आया था मैंने भी यह मुद्दा उठाया था क्योंकि हमारा लोक सेवा आयोग कभी भी समय पर न तो डाक्टरों को चयनित करके दे पाया है और न ही अध्यापकों की रिक्तियों कर पाया है उसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ रहा है इसलिये उन पर भी अंकुश लगना चाहिये ताकि वह समय पर चयनित कर सकें । मैं माननीय गुरुय मंत्री जी से चाहूंगा कि यह जो लड़के महाविद्यालयों में काम कर रहे हैं उनके सम्बन्ध में माननीय पंचानन राय ने जो

प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं और जो अंशकालिक शिक्षक हैं उनका भी ध्यान रखा जाय साथ ही जो अब सत्र शुरू होने वाला उससे पहले हमारे विद्यालयों में अध्यापक पहुंच जाय ताकि हमारे बच्चे पढ़ सकें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

मान्यवर, जहां तक विनीयमितीकरण का सवाल है इसके मैं खिलाफ हूं, इसका कारण विनीयमितीकरण में एक निश्चित वर्ग के अध्यापक पहले नियुक्त कर दिये जाते हैं और जो स्थान अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित हैं उनकी नियुक्ति नहीं हो पाती है । शासकीय विद्यालयों में यही स्थिति हुयी कि 271 का विनियमितीकरण किया गया उसमें चार अनुसूचित जाति के थे । सवाल पुनः उठा तो उसका विरोध किया । आखिर उनका हक इस प्रकार मारा जाता है । इसलिए विनियमितीकरण की क्या जरूरत है ? यदि जगह है तो उसके लिए बोर्ड बनाकर चयन करें ताकि जिसका जो हिस्सा है वो उसको मिल सके । विनियमितीकरण हो जायेगा तो कुछ उच्च वर्ग के लोगों का विनियमितीकरण हो जायेगा और अनुसूचित जाति के लोग रह जायेंगे । इसलिए विनियमितीकरण की व्यवस्था गलत है क्योंकि यह चोरी की व्यवस्था है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री सुरेश चन्द्र सिंह यादव---

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी से मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि महाविद्यालयों तथा माध्यमिक शिक्षकों की जितनी नियुक्तियां जो हुई हैं यद्यपि जिस समय चयन समितियों द्वारा यह नियुक्तियां की गई हैं उनकी मंशा में बेईमानी थी । इस बेईमानी के आधार पर ये सारी नियुक्तियां की गईं और बहुत से ऐसे लोगों का जिनका हक था उनसे छीनकर दूसरे लोगों को आसीन कर दिया गया । माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे मैं उनसे मानवीय आधार पर सहमत हूं लेकिन न्याय की दृष्टि से यह अनुचित है । जिन लोगों का इन पदों पर आसीन होना सम्भव था उनका अधिकार छीनकर चयन समितियों द्वारा नियुक्त कर दिया गया ।

जहां तक अध्यापकों की इतनी भारी संख्या में नियुक्ति का सवाल है 1982 से माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्तियां अधर में लटकी हैं, उनकी आयु सीमा समाप्त हो गयी है, इसलिए शिक्षा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि चोर की सजा इनको न दी जाय । चयन समितियों द्वारा जो नियुक्तियां की गई हैं, मुझे जानकारी है, कि इसमें भारी रकमें लेकर, भाई भतीजावाद के आधार पर नियुक्तियां की गई हैं, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि यदि संभव हो तो मानवीय दृष्टिकोण को देखते हुए एक हजार शिक्षक परिवार जो भुखमरी की कगार पर आ जायेंगे, चोर की सजा उनको न दें । मेरा जनता दल सरकार से अनुरोध है हम सब लोग इस गन्दगी को दूर करने के लिए सत्ता में आये हैं, इसलिए यह एक हजार शिक्षक जो आप की तरफ देख रहे हैं और जिनकी नियुक्तियां विपक्ष में बैठे लोगों ने की थीं यदि उनके मन में बेईमानी नहीं थी तो उनका विनियमितीकरण क्यों नहीं किया था ? इसलिए उनकी मंशा गन्दी थी । अतः अनुरोध है कि आप एक हजार शिक्षक परिवारों को आप बचायें ।

श्री चन्दसुख भारती---

मान्यवर, यह सत्य है कि शिक्षा जगत में जो तदर्थ नियुक्तियां हुई हैं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, किन्तु चूंकि शिक्षा व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ियां थीं, इसलिए यह नियुक्तियां करनी पड़ी हैं । ये नियुक्तियां किस तरह हुई हैं यह बात अलग है ।

डिग्री कालेजों की तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों के बारे में अच्छी तरह जानता हूं और यह भी जानता हूं कि वहां पर 25-25 हजार रूपया लेकर यह नियुक्तियां हुई हैं... 'व्यवधान' यह भी ठीक है कि कहीं पर 50 हजार भी लिया गया होगा । लेकिन जो बेचारे इसमें नियुक्त किये गये हैं, उनका तो इसमें कोई दोष नहीं है- उनकी मजबूरी का लोगों ने फायदा उठाया है, उल्टे इन तदर्थ नियुक्तियों से शोषित और गरीब लोगों का नुकसान हुआ है, इसलिये इनको विनियमित कर लिया जाए । लेकिन भविष्य के लिए मैं आपसे यह जरूर निवेदन करूंगा कि हमारी पिछली सरकार की मंशा सही नहीं थी, इसलिए जो शिक्षा आयोग बनाया था, उसके माध्यम से इन्होंने नियुक्तियां नहीं कीं । अब यह निवेदन करूंगा कि जो शिक्षक नियुक्त किये गए हैं, उनको सही ढंग से नियमित कर दिया जाए और ऐसा करने में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के आरक्षण कोटा को भी ध्यान में रखा जाए ।

*** श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–**

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से इस मामले में थोड़े में निवेदन करना चाहूंगा कि जब हम लोग विपक्ष में बैठते थे, तो हम पब्लिक से वचनबद्ध थे कि हम सत्ता में आने पर इन तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण करेंगे एक शर्त के साथ । जैसा माननीय सदस्यों ने कहा, तो बड़े पैमाने पर इन नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और धांधलेवाजी हुई है और हमारे एक माननीय सदस्य रामस्वरूप वर्मा जी ने तो यह भी कह दिया कि उसमें जाति के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं या सवर्णों की सारी नियुक्तियां हुई हैं । किन्तु मैं ऐसा न मानकर यह कहना चाहता हूं कि इसमें विशुद्ध रूप से पैसा चला है । मैं ऐसे दर्जनों उदाहरण दूं कि जिस किसी के पास पैसा था, उसकी नियुक्ति हो गई, नौकरी मिल गई, भले ही वह निर्धारित अर्हता नहीं रखते थे । जो अर्हता नहीं रखते, उनको छांटने का वह कोई तरीका निकालेंगे तो मैं उसका स्वागत करता हूं । लेकिन जिसकी नियुक्ति सरकार की असफलता से हुई है, चूंकि इनका शिक्षा आयोग काम नहीं कर रहा था, तो सरकार की खामियों का खामियाजा उस समय के छात्रों को भुगतना पड़ रहा था, इसलिए विवश्तः उनकी नियुक्तियां तदर्थ रूप में की गयीं ।

विश्वविद्यालय से एप्वाएन्टेड एक्सपर्ट को उसमें शामिल करते हुए चयन समिति द्वारा जिनकी नियुक्ति की गई, न केवल उसके द्वारा की गई और जिनकी निर्धारित योग्यतायें पूरी हैं, तो उनकी सेवाओं का विनियमित न करने का मैं कोई कारण नहीं समझता । लेकिन यदि उसमें कोटा आरक्षण का पूरा नहीं है तो आप प्रतिबन्ध लगा दें कि जब तक कोटा पूरा नहीं होगा सवर्णों की नियुक्तियां नहीं की जायेंगी । पर मैं यह बात यहां अवश्य कहना चाहता हूं कि हर चीज में जाति व्यवस्था की बुराई को देखना जात-पात के जहर को देखना कतई सही नहीं है । जैसा कि अभी रामस्वरूप वर्मा जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा था । मेरे साथ के डा0 लोहिया की नीतियों का अनुगमन करने वाले लोग जब हर बात में जात-पात का जहर देखने लगते हैं तो बड़ी परेशानी होती है, जो उसके जहर को घटाने के बजाए बढ़ाने का प्रयास करते हैं । हम लोग तो इसके लिए वचनबद्ध हैं, मैं इसमें शिक्षा मंत्री जी की बात नहीं कर सकता हूं क्योंकि वह तो उस समय भी यहां बैठते थे । यह तो उसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन हम लोगों ने राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें सभी विरोधी दलों के नेतागण शामिल थे और मैं ही उस पर हस्ताक्षर कराने के लिए आज के मुख्यमंत्री के कक्ष में सायं गया था । तो राजनीति में भी एक नैतिकता होती है और उस समय उधर बैठकर जो हमने कहा था, उसका पूरा करने का दायित्व भी हम पर होता है । हमें विश्वास है कि जनता दल की सरकार जिसकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है, वह इन वचनों को निभाएगी, जो उस समय हमने जनता से किया था । इसके साथ में शिक्षा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह निश्चित रूप से इन शिक्षकों की नियुक्ति नियमित करें, जिनका चयन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त एक्सपोर्ट को शामिल करते हुए चयन समिति द्वारा हुई है और जो सारे निर्धारित अर्हताएं पूरी करते हैं ।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां---

मान्यवर, सदन में अधिकतर माननीय सदस्यों ने तदर्थ अध्यापकों के हितों की प्राप्ति की बात माननीय शिक्षा मंत्री जी से की है । लेकिन शिक्षा मंत्री जी ऐसा कोई काम नहीं करने जा रहे हैं । यह कठोर दिल के हो गए हैं । इनकी सरकार, हमें आशा है कि बेरोजगार नवयुवकों को रोजगार देने के लिए कुछ नहीं कर सकती । तो इसमें हमें बड़ी मायूसी होगी । हो सकता है इनके उम्मीद जनपद में कोई ऐसा न हो जो तदर्थ अध्यापक नियुक्त हुआ हो । लेकिन इन्हें तो पूरे प्रान्त के बारे में सोचना है । इनके जितने भी महान नेता हैं, जिनके द्वारा यह सत्ता परिवर्तन करने में कामयाब हुए । उन्होंने बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने का बार-बार, हजारों की जनसभाओं में एलान किया है । कांग्रेस सरकार ने कम से कम उन हजार बच्चों को तदर्थ नियुक्ति का अधिकार तो दिया था, तो कांग्रेस सरकार का जो अधूरा काम है उसे तो आप पूरा कर दें । मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी तंगदिल दृष्टिकोण नहीं रखेंगे और जो तदर्थ अध्यापक हैं उनको विनियमित करेंगे ।

श्री पंचानन राय---

मान्यवर, मैंने अपनी बात करीब-करीब कह दी । तिवारी जी से मैंने प्रेरणा ग्रहण की । दो बातें मैं और कहना चाहता हूं । भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह 6 दिसम्बर, 1988 को विधान भवन के सामने जो तदर्थ शिक्षक अनशन कर रहे थे, वहीं पर बैठे थे और उन्होंने उनकी मांगों का समर्थन किया । 11 दिसम्बर को मान्यवर, श्री मान्धाता सिंह जो वर्तमान सांसद हैं जिनके नीचे श्री रविदास मेहरोत्रा जी विधायक हैं की बेटी की शादी में आदरणीय विश्वनाथ प्रताप सिंह मुझे मिले थे । उनसे मेरी आधा घंटा तक बात हुई । उन्होंने कहा कि ये जो शिक्षक अनशन पर बैठे हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है । मैं उस स्थान पर होकर आया हूं । आप इस मामले को उठाइए और इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कराइए । दूसरी बात मान्यवर, शिक्षामंत्री जी का मैं बहुत आदर करता हूं । मैं मानता हूं कि जनता दल की जो यह सरकार है वह कहती है कि उसकी कथनी और करनी में अन्तर नहीं है । 6 मार्च वाले कानपुर में उन्होंने कहा था कि यह सही है कि मैंने मेरठ में आश्वासन दिया था लेकिन उसमें कुछ कठिनाइयां थीं । शिक्षकों के सम्बन्ध में एक स्क्रीनिंग कमेटी ने भी रिपोर्ट दे दी है । इन सभी शिक्षकों को अधिक से अधिक शिक्षा सत्र के अन्त तक हर हालत में विनियमित कर दिया जायेगा । हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री के बारे में तिवारी जी ने बताया कि उन्होंने एक मेमोरेन्डम दिया कि शिक्षकों को विनियमित किया जाना चाहिए ।

मान्यवर, यह जो अध्यापक 6 साल से, 1983 से कार्य कर रहे हैं आखिरकार उनके साथ न्याय करना चाहिए । मेरा आग्रह है कि यह सरकार संवेदनशीलता के साथ उनके संबंध में कोई निर्णय लेगी ।

श्री सच्चिदानंद बाजपेयी---

माननीय अध्यक्ष जी, विद्वान माननीय सदस्यों के महत्वपूर्ण विचार मुझे सुनने का अवसर मिला जिसमें विभिन्न विचार अलग-अलग आये । कुछ माननीय सदस्यों ने विनियमितीकरण के संबंध में कहा और कुछ ने इसके विरोध में विचार प्रकट किए लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ शंकायें प्रकट की । मान्यवर, पूरे विचारों को सुनने के बाद मैं समझता हूं कि संभवत: यह पूरा सदन हमारी इस बात से सहमत होगा कि

"गैर मुमकिन है हालात की गुत्थी सुलझाना,
अहले दानिश ने बहुत सोचकर उलझाया है ।

मान्यवर, मैंने कहा है कि कितनी ही अंतहीन समस्यायें शिक्षा विभाग में विरासत में मिली है और एक-एक करके हमें उनका निराकरण करना है । माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग एक है और एक उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग है । माननीय पंचानन राय जी को मालूम है कि इन दोनों आयोगों का गठन 1980 में इस नीयत से किया गया था कि जो प्रभावशाली युवक शिक्षण कार्य के लिए आगे आना चाहते है वह इन आयोग के माध्यम से आयें । लेकिन 82-83 के बाद से इसमें लगातार गतिरोध उत्पन्न हुआ यही कारण है कि न केवल उच्च शिक्षा में बल्कि हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट कालेजों में तदर्थ शिक्षकों के विनियमितीकरण की समस्या हमारे सामने है । इस बीच में और भी कई समस्यायें एक साथ हमारे सामने आयीं । मान्यवर, 1983-84 में आयोग द्वारा 68 व्यक्तियों को चयनित किया गया इसी प्रकार से 1984-85 में 169, 1986-87 में 179, 1987-88 में 196, 1988-89 में 224, 1989-90 में 39, शिक्षकों को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा चयनित किया गया और इस तरह से कुल 775 शिक्षक इस आयोग द्वारा चयनित हुए । इसमें से 646 ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है और शेष ने अभी नहीं किया है । हमारे सामने यह बात भी आयी कि प्रबन्ध तंत्र ने शेष को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया है । 202 साक्षात्कार हो गये हैं, स्थगन आदेश आ चुका है कि अभी उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत न किया जाय । तो हमने काफी गंभीरता से इस विषय को सोचा है और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्यों की भावनायें है उनको हम समझते है । लेकिन उसके साथ-साथ न्यायिक पृष्ठभूमि, विधिक पृष्ठभूमि हमारे सामने है । इन तीनों पृष्ठभूमियों के साथ साथ मानवीय दृष्टिकोण हमारे सामने है । ऐसा नहीं है कि हमारे सामने मानवीय दृष्टिकोण नहीं है । माननीय वर्मा जी ने कुछ बिन्दु उठाये है और हमारे माननीय सदस्य श्री रविदास मेहरोत्रा जी ने एक शंका व्यक्त की कि सब तदर्थ शिक्षक पहली जुलाई से अलग कर दिए जायेंगे । उनका यह संदेह सत्य से परे है ।

विभागीय आदेश निर्गत हो चुके हैं, कदाचित उनको जानकारी नहीं है, इसलिये उन्होंने ऐसा कहा है । मानवीय दृष्टिकोण हमारे सामने है । माननीय अध्यक्ष जी और माननीय सदस्यगण हमसे सहमत होंगे, इन सारी कठिनाइयों को देखने के बाद हमारा जहां दायित्व है तदर्थ शिक्षकों को नियमित किये जाने का, वहां पर इस शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा जो चयनित लोग हैं, उनको भी हम समायोजित करवायें और उसी के साथ-साथ जो माध्यमिक शिक्षा आयोग और उच्च शिक्षा आयोग है, इसके सम्बन्ध में और जो अन्य सारे प्रश्न हैं, उन सब पर हम गम्भीरतापूर्वक चिन्तन और मनन कर रहे हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि नियमित व्यवस्था होनी चाहिये । कोई भी शिक्षक या कोई भी जो अध्यापन का कार्य कर रहे है या शिक्षा का जो कार्य चल रहा है, उसमें व्यवधान उत्पन्न हो, यह हमारा इरादा नहीं है ।

कुछ सदस्यों ने पूर्व वक्तव्यों की ओर ध्यान दिलाया, लेकिन उप नेता विरोधी दल को यह मालूम है कि जब उलझी हुई समस्या हो, तो उसको सुलझाने में अनेक दृष्टि से विचार करना होता है और उसी दृष्टि से हम विचार कर भी रहे हैं । अन्त में हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारा ध्यान यह भी है कि सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं की उपेक्षा न हो, जो प्रतिभायें हैं, विशेष कर शिक्षा में ऐसा न हो कि वे कुंठित हों और ऐसे लोग न आ जायं, जिससे पूरे देश को, समाज को लाभ न हो । अभी माननीय गुप्ता जी ने उस ओर इंगित किया, यही कारण है कि सारी बातों का परीक्षण हम करवा रहे हैं और उस परीक्षण में हमने पाया यह है कि तदर्थ शिक्षकों की संख्या महा विद्यालयों में लगभग डेढ़ हजार है, जिसमें 950 का हमने जब परीक्षण कराया, तो हमें मिला कि 750 लोग अर्ह हैं, जिन्हें नियमित किया जा सकता है और लोगों का हम परीक्षण करा रहे हैं । अन्त में विधिक, संवैधानिक और न्यायिक बातों को ध्यान में रखते हुये हम मानवीय दृष्टिकोण को नहीं भूले हैं और मैं इस सम्बन्ध में गम्भीरता-पूर्वक विचार कर रहा हूं और माननीय सदन की भावना के अनुसार कोई ठोस कार्यवाही हम निश्चित रूप से करेंगे ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष

आज दिनांक 27-6-90 को नियम 51 के अन्तर्गत 14 सूचनायें प्राप्त हुई । (1) श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, (2) श्री छेदा लाल चौधरी, (3) श्री दया राम भास्कर, (4) श्री मुक्ति नाथ यादव, (5) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, (6) श्री पंचानन राय, (7) श्री सुरेन्द्र विक्रम सिंह, (8) श्री अमरनाथ यादव, (9) श्री कुंवर सिंह नेगी, (10) श्री हरिचरण यादव, (11) श्री लक्ष्मीकांत बाजपेयी, (12) श्री राम चन्द्र बख्श सिंह, (13) श्री धर्मज्ञ मिश्र, (14) श्री राम करन आर्य, श्री गोपीनाथ वर्मा, श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सुरेश यादव की हैं । इसमें श्री लक्ष्मीकांत बाजपेयी का मेरठ महानगर की 20 बस्तियों में पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण बरसात में होने वाली तबाही की आशंका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसे वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है । श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का अधिकारियों द्वारा श्री दौलत लाल स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व विधायक के शव के अपमान के सम्बन्ध में है । इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है ।

दिनांक 15 जून, 1990 को मरुधर एक्सप्रेस में विधायक श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप से राइफलधारी सिपाही द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने एवं उनकी ओर रायफल तान देने के सम्बन्ध में नियोजन मंत्री का वक्तव्य

नियोजन एवं कारागार मंत्री श्री शतरुद्ध प्रकाश

माननीय विधायक श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप द्वारा लिखाई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार

श्री पंचानन राय

माननीय, पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।
(सदन की अनुमति से पढ़ा हुआ माना गया)

श्री शतरुद्ध प्रकाश

[मा0 विधायक श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप द्वारा लिखाई गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 15-6-90 को लखनऊ से जोधपुर की ओर जाने वाली मरुधर एक्सप्रेस रात्रि 10-40 बजे जब रेलवे स्टेशन, अनवरगंज पर पहुंची तो फर्स्ट क्लास के डिब्बे में एक उपनिरीक्षक को बैठाने गये दो आरक्षियों द्वारा उनसे नशे की हालत में गाली गलौच की गई और गोली चलाने की धमकी देते हुये उन पर राइफल तान दी गयी । मा0 विधायक उसमें प्रथम श्रेणी में यात्रा कर रहे थे ।

2-घटना के संबंध में थाना रायपुरवा, जनपद कानपुर में अ0 सं0-62 धारा 352/504/506/225ए भा0 दं0 वि0/120 रेलवे ऐक्ट के अंतर्गत समय 00-45ए. एम. पर मा0 विधायक द्वारा पंजीकृत कराया गया है, जिसमें दो-तीन सिपाही (एक रायफलधारी) नाम पता अज्ञात व एक उप निरीक्षक नाम पता अज्ञात तथा उप निरीक्षक के0 पी0 राही एवं आरक्षी 676 विश्वनाथ तिवारी, चौकी व जी0 आर0 पी0, अनवरगंज को नामित किया गया । उप निरीक्षक, जी0 आर0 पी0 चौकी अनवरगंज व आरक्षी 676 विश्वनाथ तिवारी के विरुद्ध आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने दोषी दोनों आरक्षियों एवं उप

निरीक्षक को भगाने में मदद की है एवं एक आरक्षी राम नरेश, जी0 आर0 पी0 जो रेलवे स्टेशन, अनवरगंज ट्रेन गार्ड ड्यूटी में जा रहा था, ड्यूटी के समय शराब पिये हुये पाया गया ।

3-विवेचना के दौरान यह पाया गया कि एफ0 आई0 आर0 में आरोपित उप निरीक्षक (नाम पता अज्ञात) का नाम हरवंश सिंह राठौर है ।

4-उप निरीक्षक ने पूछताछ के दौरान यह बताया कि आरक्षी 1337 ए0 सी0 राजेन्द्र सिंह, जो कानपुर नगर में तैनात है, द्वारा मा0 विधायक से अभद्र व्यवहार किया गया था । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर नगर द्वारा इस आरक्षी को निलम्बित कर दिया गया है ।

5-उप निरीक्षक हरवंश सिंह को भी अभद्र व्यवहार करने वाले आरक्षी की रायफल छीन कर भगाने के आरोप में पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर द्वारा निलम्बित कर दिया गया है ।

6-प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि उप निरीक्षक श्री के0 पी0 राही, चौकी जी0 आर0 पी0 अनवरगंज व ट्रेन गार्ड के चार कर्मचारी आरक्षी राम नरेश, विश्वनाथ तिवारी, महेश चन्द्र तिवारी व नवाब सिंह अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने के दोषी हैं । अतः इन पांचो कर्मचारियों को भी निलम्बित कर दिया गया है ।

7-घटना-स्थल का निरीक्षण पुलिस उप महानिरीक्षक (रेलवे), इलाहाबाद/ पुलिस अधीक्षक (रेलवे), आगरा द्वारा किया जा चुका है तथा इस अभियोग की विवेचना पुलिस उप महानिरीक्षक, रेलवे, इलाहाबाद के व्यक्तिगत निर्देशन में की जा रही है । विवेचना श्री वी0 पी0 शर्मा, पुलिस उपाधीक्षक, रेलवे, कासगंज द्वारा की जा रही है ।]

श्री विमल प्रसाद तिवारी

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं सर्वप्रथम तो मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने कारगर कदम उठाये । जिन पुलिस वालों ने इस तरह की हरकत की थी जनता दल के माननीय विधायक श्री ज्ञानेन्द्र स्वरूप के साथ उनके खिलाफ कार्यवाही की । लेकिन एक निवेदन मैंने उस दिन भी किया था और मैं पुनः वही प्रश्न मंत्री जी से कर रहा हूं क्योंकि आये दिन पूर्वोत्तर रेलवे पर यह पुलिस के कर्मी जब आमसी यात्रा भी करते हैं, तो कोच में तो वह शायद सादी वर्दी में चलेंगे लेकिन यात्रा में पुलिस की वर्दी पहनकर बीच यात्रियों को ढकेलकर यात्रा करते हैं तो क्या ऐसा कारगर निर्देश देने की कृपा करेंगे कि आइन्दा के लिये यह बीमारी सदा सदा के लिए समाप्त हो जाय । मान्यवर, विधायक का मामला था तो कारगर कार्यवाही हो गयी लेकिन साधारण जो प्रथम श्रेणी के यात्री हैं उनकी कठिनाई सदा सदा के लिये दूर करने के लिये आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री शत्रुद्ध प्रकाश

मान्यवर, वास्तव में यह बहुत ही गम्भीर घटना है, यह शिकायत आम है कि जो यात्री जाते हैं रेलों में तो ये पुलिसकर्मी बिना टिकट लिये या जिस श्रेणी का टिकट लेते

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

हैं उससे उच्च श्रेणी में यात्रा करते हैं। इसके लिये निर्देश दे दिया गया है कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति पुलिसकर्मी न करें । लेकिन जैसा आप सभी जानते है कि यह चलन आज का नहीं है, पुराना चलन है, बहुत बिगड़ा हुआ मामला है इसको सुधारने में समय लगेगा। आप सहयोग करेंगे तो यह है कि बिगड़ी हुई हालत को सुधारने की बात है, उसके लिये पूरा प्रयास किया जायेगा और कार्यवाही की जायेगी ।

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और इसके पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सटीक कार्य किया है और जो दोषी सिपाही, दरोगा थे, जिन्होंने हमारे सम्मानित साथी का अपमान किया, उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की तो इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं लेकिन मेरी एक आपत्ति है कि माननीय विधायकों का अपमान पुलिस की आदत बनती जा रही है । डा0 अख्तर जो कांग्रेस के विधायक थे उन्हें एक दरोगा ने गोली मारी। यह उन्होंने लिखित में दिया है ।

श्री अध्यक्ष

यह इससे कहां सम्बन्धित है ?

श्री इम्तियाज मोहम्मद खां

मान्यवर, अगर जनता दल के साथ कोई सिपाही या दरोगा ददागीरी करता है तो महानिरीक्षक, रेलवे इलाहाबाद, पुलिस निरीक्षक, रेलवे, आगरा आदि जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं वह स्थल पर पहुंचते हैं और कठोर प्रभावी कार्यवाही करते हैं । (व्यवधान) लेकिन जब कांग्रेस विधायक डा0 अख्तर के खिलाफ कोई षडयंत्र होता है तो उनके खिलाफ झूठा मुकदमा कायम किया जाता है और डा0 अख्तर ने लिखित में दिया है कि उनके विरुद्ध एक फर्जी मेडिकल कराकर पुलिस कर्मियों ने मुकदमा दर्ज किया है । क्या पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ? क्या विधायकों के संरक्षण के लिये माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ भी नहीं करेंगे, यह पूछना चाहता हूं ।

(कोई उत्तर नहीं आया)

श्री अध्यक्ष

सदन कल 11 बजे तक के लिये स्थगित किया जाता है ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 35 मिनट पर)

(अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

27 जून, 1990

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 35 का उत्तर पीछे पृष्ठ 49 पर)

क्रम सं0	भू0 पू0 सदस्य का नाम	आवास संख्या	अवधि	किराया	अन्य
1–	श्री राज कुमार राय	ए-7 पार्क रोड	25-3-85 से 31-5-85 तक	6,800.00	रिक्त हो गया है।
2–	श्री फखरे आलम	सी-7 पार्क रोड	25-3-85 से 14-8-85 तक	11,701.81	,, ,,
3–	श्री बाबू राम सत्संगी	जी-6 ,, ,,	25-3-85 से 23-5-85 तक	12,501.81	,, ,,
4–	भारकण्डे चन्द्र	एच-2 ,, ,,	25-3-85 से 5-6-85 तक	72,000.00	,, ,,
5–	प्रभाकर नाथ द्विवेदी	बी-1 ,, ,,	25-3-85 से 31-1-86 तक	25,300.00	,, ,,
6–	भोला पाण्डे	ए-3	25-3-85 से 31-5-88 तक	1,16,201.81	,, ,,
7–	विलायती राम कत्याल	आई-2	19-4-88 से 1-12-89 तक	59,200.00	,, ,,
8–	श्री कृष्ण गोयल	एच-3	25-3-85 से 31-12-89 तक	1,68,701.81	,, ,,
9–	काशीनाथ मिश्र	के-1	25-3-85 से 12-1-90 तक	1,75,201.81	,, ,,
10–	जगदीप चन्द्र बरार	ए-7	14-12-89 से 27-4-90 तक	13,200.00	,, ,,
11–	श्रीमती सुमनलता दीक्षित	ए-2	25-3-85 से 22-5-90 तक	1,88,901.81	,, ,,
12–	श्रीमती पद्मा सेठ	बी-3	10-7-88 से 16-1-90 तक	55,500.00	,, ,,
13–	शिव प्रताप सिंह	आई-1	5-2-87 से 1-2-90 तक	1,07,600.00	,, ,,
14–	सै0 महफूज किदवई	ए-9	14-12-89 से 14-6-90 तक	18,300.00	,, ,,
15–	श्रीमती उमा त्रिपाठी	सी-10	14-12-89 से 11-6-90 तक	18,000.00	,, ,,
16–	अजीत प्रताप सिंह	बी-4	14-12-89 से 21-5-90 तक	15,900.00	,, ,,
17–	श्रीमती संतोष कुमारी कपूर	जी-7	21-5-88 से 1-12-90 तक	56,200.00	,, ,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पूर्व सदस्य जो अभी तक पार्क रोड में निवास कर रहे हैं

18–	सै0 अली अशरफी	ए-16	14-12-89 से 14-6-90 तक	18,300.00	अस्थाई रूप से रहने की अनुमति
19–	बुनियाद हुसैन अंसारी	सी-7	14-12-89 से 14-6-90 तक	38,430.00	,, ,,
20–	बृजेन्द्र पाल सिंह	डी-7	14-12-89 से 14-6-90 तक	18,300.00	न्यायालय का विशिष्ट स्थगन आदेश
21–	जेड0 ए0 अहमद	जी-1	21-5-90 से 14-6-90 तक	25,00.00	रिक्त न करने के अस्थाई आदेश
22–	नरेश चन्द्र श्रीवास्तव	के-3	14-12-89 से 14-6-90 तक	18,300.00	अनधिकृत रूप से रह रहे हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए मता0 प्र0 सं0 66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

नाम जनपद	क्र0 सं0	अपराध	दि0 1-4-90 से 15-4-90 तक की अवधि में घटित अपराध एवं नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी की संख्या	
			अपराध	गिरफ्तार किए गए नामजद अभियुक्तों की संख्या
आगरा	1	हत्या	31	57
	2	अपहरण	39	24
	3	चोरी	306	123
	4	डकैती	12	58
	5	आत्म हत्या	–	–
	6	दहेज हत्या	19	25
		योग	407	287
फिरोजाबाद	1	हत्या	21	34
	2	अपहरण	17	19
	3	चोरी	83	56
	4	डकैती	4	14
	5	आत्म हत्या	2	2
	6	दहेज हत्या	3	4
		योग	130	129

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 88 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर)

अनुदान संख्या-12 में पूंजी परिव्यय से संबंधित लेखाशीर्षकों के अधीन वर्ष 1989-90 में हुई बचतों का विवरण :---

अनुपूरकोत्तर :---

लेखा शीर्षक/योजना का नाम	प्राविधान 89 90 हजार रु0 में	स्वीकृति के अनुरूप अनुदानराशि हजार रु0 में	समर्पण हजार रु0 में	बचत समर्पण का कारण
4401–कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय				शासन द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई
103–बीज	167760	163837	3923	
105–खाद एवं उर्वरक	407809	195596	212204	एफ0 ओ0 आर0 के अनुसार उर्वरक क्रय किए जाने के कारण
107–पौध संरक्षण	130000	112152	17848	शासन द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई
800–अन्य व्यय	250	250	–	–
भारित	50	–	50	मांग न होने के कारण
योग	705860	471835	234025	
6401–कृषि कार्य के लिए उधार	22001	110000	110001	शासन द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई
योग	925861	581835	344026	

आयोजनागत

31 मार्च 1989 को विनियोग विधेयक द्वारा अधिकृत अनुदान सं0-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग के पूंजीगत परिव्यय के लिए आयोजनागत पक्ष में रु0 6,52,05,000/- का प्राविधान किया गया था जिसके समक्ष रु0 6,18,70,000/- का व्यय हुआ है तथा रु0 3333000/- की बचत हुई है जिसका योजनावार विवरण बचत के कारणों सहित निम्नवत् है :---

कृषि रक्षा सेवा के सुदृढीकरण की योजना	4833	4787	46	शासन द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई
प्रदेश स्तर पर कीटनाशक एवं कृषि सेवा यंत्रों हेतु बफर गोदामों का निर्माण	1000	991	9	वास्तविक व्यय के आधार पर
कृषि प्रसार की योजना	21382	21371	11	वास्तविक व्यय के आधार पर
प्रक्षेत्रों पर बीज भण्डारों	28890	26053	2837	सम्पदा समिति/वेतन आयोग की संस्तुतियों के कार्यान्वयन के फलस्वरूप अतिरिक्त धनराशि को परिव्यय में समायोजित करने के लिए शासन द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई
बीज विधायन यंत्रों हेतु भवनों का निर्माण	500	170	330	शासन द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई
उत्तर प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन के अंशकों का क्रय	4000	4000	—	—
उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम के अंशकों का क्रय	50	—	50	शासन द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई

1	2	3	4	5
राजकीय नलकूप परियोजना	4500	4500	–	–
उत्तर प्रदेश बीज एवं तराई विकास निगम के अंशकों का क्रय	50	–	50	शासन द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई
योग	65205	61872	3333	
महायोग	991066	643707	347359	

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 134 का उत्तर पीछे पृष्ठ 98 पर)

मुकदमा अपराध सं0 73ए/90 थाना जवां जिला अलीगढ़ में नामित अभियुक्तों की सूची ।

1– सर्वश्री के0 सी0 जैन
2– ,, एम0 एल0 तनेजा
3– ,, प्रताप सिंह
4– ,, सुबोध नन्दन शर्मा
5– ,, रमेश पाण्डेय
6– ,, चौधरी एम0 पी0 सिंह
7– ,, डी0 सी0 वार्ष्णेय
8– ,, मुन्नी लाल उपाध्याय
9– ,, अमर सिंह कुशवाहा
10– ,, घूरे लाल शर्मा
11– ,, योगेश गोस्वामी
12– ,, जेड0 एच0 खान
13– ,, सविद अली
14– ,, शिव चरन लाल
15– ,, डी0 एन0 सिंह
16– ,, सुरेश चन्द्र
17– ,, लियाकत अली
18– ,, विनोद कुमार
19– ,, राम गोपाल
20– ,, ओम प्रकाश शर्मा
21– ,, दिनेश चन्द्र शर्मा
22– ,, राजकिशोर
23– ,, मोहम्मद अली
24– ,, अरुण कुमार मेठ
25– ,, प्रदीप कुमार

सत्यमेव जयते

सत्री 'ङ'

(देखिए अता0 प्र0 सं0 138 का उत्तर पीछे पृष्ठ 100 पर)

33 के0 वी0 सैनापार उपकेन्द्र के फीडरों द्वारा माह जनवरी, फरवरी तथा मार्च 1990 में आपूर्ति की गयी विद्युत का वितरण ।

दिनांक		11 के0 वी0 दक्षिण फीडर	11 के0 वी0 पूर्वी फीडर	11 के0 वी0 पश्चिम फीडर	11 के0 वी0 विश्व बैंक फीडर
1	2		3	4	5
जनवरी	1	22.00	20.00	20.50	20.05
1990	2	18.45	14.00	14.00	14.00
	3	19.30	18.00	18.00	18.00
	4	16.20	16.00	16.00	16.00
	5	19.05	19.05	19.05	19.05
	6	21.42	18.35	18.35	18.35
	7	16.30	20.00	19.30	20.00
	8	18.30	18.00	10.00	18.30
	9	10.00	10.00	14.30	10.00
	10	15.30	14.30	14.20	15.30
	11	14.00	14.20	12.15	14.30
	12	12.45	12.15	13.10	12.15
	13	14.10	13.30	13.14	13.00
	14	13.14	13.14	13.15	13.14
	15	13.15	13.15	16.15	13.15
	16	15.00	16.15	20.00	16.15
	17	20.00	20.00	18.25	20.00
	18	13.55	18.45	19.45	18.25
	19	19.35	19.45	22.50	19.45
	20	21.05	22.50	22.15	22.50
	21	20.30	21.00	11.30	19.30
	22	11.35	11.35	13.30	11.35
	23	13.30	13.30	13.45	13.30
	24	13.45	13.45	13.05	13.45
	25	13.05	13.05	12.25	13.05
	26	12.25	12.25	13.45	12.25
	27	13.45	13.45	12.40	12.45
	28	12.40	14.40	20.30	12.40
	29	19.45	20.30	20.00	20.30
	30	17.40	20.00	24.00	20.00
	31	21.30	24.00		24.00

1	2	3	4	5
फ़रवरी,	1	21·55	21·55	21·55	21·55
1990	2	24·00	23·20	19·00	23·20
	3	11·35	17·20	17·20	17·20
	4	24·00	24·20	24·00	24·00
	5	13·40	13·35	13·35	13·35
	6	13·50	13·50	13·50	13·50
	7	16·40	15·45	14·45	15·45
	8	8·05	9·45	9·45	9·45
	9	4·30	11·30	11·30	11·30
	10	13·50	13·50	13·50	13·50
	11	15·05	15·05	15·05	15·05
	12	20·45	20·15	15·30	20·15
	13	16·20	18·05	18·05	18·05
	14	20·30	13·30	8·00	13·50
	15	16·45	11·35	11·35	11·35
	16	20·35	20·35	21·15	21·15
	17	21·10	20·55	17·00	20·55
	18	20·35	18·00	18·00	18·00
	19	13·30	18·35	18·35	18·35
	20	19·00	14·20	14·20	14·20
	21	16·10	16·40	16·40	16·40
	22	8·40	19·10	19·10	19·10
	23	5·15	18·45	12·10	18·45
	24	14·00	15·15	15·15	15·15
	25	20·50	20·50	20·50	20·50
	26	16·30	17·40	17·00	17·40
	27	23·00	20·00	20·00	20·00
	28	20·15	9·20	6·55	9·20
मार्च,	1	21·10	21·10	21·00	21·10
1990	2	18·05	17·35	13·05	17·35
	3	18·10	18·25	18·25	18·25
	4	21·40	21·40	21·40	21·40
	5	13·15	13·15	13·15	13·15
	6	16·50	16·50	16·50	16·50
	7	19·10	19·45	19·45	19·45
	8	18·15	15·40	15·40	15·40
	9	17·30	18·00	18·00	18·00
	10	16·00	17·30	17·30	17·30
	11	22·20	22·15	22·15	22·15
	12	11·25	16·00	16·00	16·00
	13	20·00	18·15	18·15	18·15
	14	14·00	20·00	20·00	20·00

1	2	3	4	5
15	24·00	24·00	24·00	24·00
16	19·20	19·00	19·00	19·00
17	20·10	19·30	19·30	19·30
18	16·35	15·45	15·45	15·45
19	20·25	20·25	20·25	20·25
20	13·45	20·25	20·25	20·25
21	14·00	14·00	14·00	14·00
22	9·10	9·25	9·25	9·25
23	22·20	24·00	24·00	24·00
24	20·00	19·25	19·25	19·25
25	22·20	22·00	22·00	22·10
26	24·00	24·00	24·00	24·00
27	22·00	20·00	20·00	20·00
28	15·45	17·05	17·05	17·05
29	20·00	21·00	21·00	21·00
30	24·00	24·00	24·00	24·00
31	23·25	24·00	24·00	24·00

Draft

पी. एस. य. पी. (आर. आर.)---1 वि0 सभा---26-9-90 ---813 ।